"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578-ब] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2013— पौष 10, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक 11933/डी. 296/21-अ/प्रा./छ. ग./13 . — भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग राजभाषा खण्ड के पत्र क्रमांक फा. स. 1 (2)/2010-13 संशो., नई दिल्ली, दिनांक 20-11-2013 के अनुसरण में (1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 (2010 का 10), (2) प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 (2010 का 26), (3) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42), (4) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 43), (5) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2011 (2011 का 5), (6) बन्दी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 6), (7) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2011 (2011 का 7), (8) वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8), (9) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 10), (10) सीमा शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2011 (2011 का 14), (11) उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 का 15) एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुन: प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2012/22 पौष, 1933 (शक)

दि एन्सिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आरकेलोजिकल साइट्स एंड रिमेंस (अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन) ऐक्ट, 2010; (2) दि सिक्यूरिटीज एंड इंशोरेन्स लॉज (अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन) ऐक्ट, 2010; (3) दि फारेन कान्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010; (4) दि इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउन्सिल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010; (5) दि नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ डेलही लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) ऐक्ट, 2011; (6) दि रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2011; (7) दि स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया (सब्सिडियरी बैंक्स) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2011; (8) दि फाइनेन्स ऐक्ट, 2011; (9) दि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2011; (10) दि कस्टम्स (अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन) ऐक्ट, 2011; और (11) दि उड़ीसा (आल्टरेशन ऑफ नेम) ऐक्ट, 2011 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, January 12, 2012/*Pausa* 22, 1933 *(Saka)*

The translation in Hindi of the the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Act, 2010; (2) The Securities and Insurance Laws (Amendment and Validation) Act, 2010; (3) The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010; (4) The Indian Medicine Central Council (Amendment) Act, 2010; (5) the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2011; (6) The Repatriation of Prisoners (Amendment) Act, 2011; (7) The State Bank of India (Subsidrary Banks) Amendment) Act, 2010; (8) The Finance Act, 2011; (9) The Jawaharlal Institution of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Amendment) Act, 2011; (10) The Customs (Amendment and Validation) Act, 2011; and (11) The Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section *5* of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 10)

[29 मार्च, 2010]

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा की गई कतिपय कार्रवाइयों के विधिमान्यकरण का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह (धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 8 से धारा 11 के सिवाय) 23 जनवरी, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. 16 जून, 1992 से ही, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष धारा 2 का संशोधन ।
1958 का 24 अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

'(घक) "प्राधिकरण" से धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घख) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न या समतुल्य पंक्ति का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, धारा 20घ और धारा 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी ;

(घग) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जल-निकास संकर्मों तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई, या जनता के लिए जल के प्रदाय का उपबंध करने के लिए आशयित संकर्मों का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत के प्रदाय और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिए इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए उपबंध नहीं हैं ;';

(ii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(जक) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

'(ट) "पुनर्निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी समान क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं हैं ;

(ठ) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ड) "मरम्मत और नवीकरण" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं होंगे;'।

नई धारा 4क का अंतःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 3 और धारा 4 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन संस्मारकों या पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों की बाबत प्रवर्गीकरण और वर्गीकरण ।

"4क. (1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर, धारा 3 और धारा 4 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन संस्मारकों या पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों की बाबत प्रवर्ग विहित करेगी और ऐसे प्रवर्गों को विहित करते समय वह ऐतिहासिक, पुरातत्वीय और स्थापत्यकला के महत्व और ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखेगी, जो ऐसे प्रवर्गीकरण के प्रयोजन के लिए सुसंगत हों ।

(2) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर, धारा 3 और धारा 4 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित सभी प्राचीन संस्मारकों या पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों को उपधारा (1) के अधीन विहित प्रवर्गों के अनुसार वर्गीकृत करेगी और तत्पश्चात्, उन्हें जनता के लिए उपलब्ध कराएगी तथा उन्हें अपनी वेबसाइट पर और ऐसी अन्य रीति में भी, जो वह ठीक समझे, प्रदर्शित करेगी ।"।

4. 16 जून, 1992 से ही, मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 20क का अंतःस्थापन ।

"प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र

20क. (1) यथास्थिति, संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित संस्मारक की सीमा से आरंभ होने वाला और सभी दिशाओं में सौ मीटर की दूरी तक विस्तारित होने वाला प्रत्येक क्षेत्र, उस संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित संस्मारक की बाबत प्रतिषिद्ध क्षेत्र होगा : प्रतिषिद्ध क्षेत्र की घोषणा और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य या अन्य कार्य किया जाना ।

परंतु केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक सौ मीटर से अधिक के किसी क्षेत्र को, धारा 4क के अधीन, यथास्थिति, किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) धारा 20ग में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी पुरातत्व अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति, किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं करेगा ।

(3) ऐसे मामले में, जहां, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) ऐसे सार्वजनिक कार्य अथवा जनता के लिए आवश्यक किसी परियोजना को किए जाने के लिए यह आवश्यक या समीचीन है ; या

(ख) ऐसे अन्य कार्य या परियोजना का, उसकी राय में, संस्मारक या उसके अत्यधिक आस-पास के क्षेत्र के परिरक्षण, उसकी सुरक्षा, संरक्षा या उस तक पहुंच पर कोई सारवान् प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,

तो वह, उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, आपवादिक मामलों में और लोकहित को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, प्रतिषिद्ध क्षेत्र में ऐसे सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माणों को किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगी/दे सकेगा :

परंतु किसी संरक्षित संस्मारक के निकटवर्ती किसी क्षेत्र या उससे लगे हुए ऐसे क्षेत्र को, जिसे 16 जून, 1992 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली, किंतु उस तारीख से, जिसको प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ऐसे संरक्षित संस्मारक के संबंध में प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस संरक्षित संस्मारक की बाबत घोषित किया गया प्रतिषिद्ध क्षेत्र समझा जाएगा और, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर निर्माण के लिए दी गई कोई अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार विधिमान्य रूप से दी गई समझी जाएगी, मानो यह धारा सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थी :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 की धारा 34 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं० का०आ० 1764, तारीख 16 जून, 1992 के अनुसरण में किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भवन या संरचना के निर्माण या पुनर्निर्माण के पूरा होने के पश्चात् या भारत सरकार के आदेश सं० 24/22/2006-एम, तारीख 20 जुलाई, 2006 के अनुसरण में गठित समिति की (जिसे बाद में तारीख 27 अगस्त, 2008 और 5 मई, 2009 के आदेशों में विशेषज्ञ सलाहकार समिति कहा गया है) सिफारिशें प्राप्त किए बिना दी गई किसी अनुज्ञा को लागू नहीं होगी ।"।

धारा 20क का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 20क में (इस अधिनियम की धारा 4 द्वारा इस प्रकार अंतःस्थापित) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण करने सहित उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञा, उस तारीख को और उसके पश्चात्, जिसको प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, नहीं दी जाएगी ।"।

नई धारा 20ख का अंतःस्थापन ।

6. 16 जून, 1992 से ही, मूल अधिनियम की धारा 20क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

प्रत्येक संरक्षित संस्मारक के संबंध में विनियमित क्षेत्र की घोषणा ।

"20ख. धारा 3 और धारा 4 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्रत्येक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष के संबंध में प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा पर आरंभ होने वाले और सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक विस्तारित होने वाला प्रत्येक क्षेत्र, ऐसे प्रत्येक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष की बाबत विनियमित क्षेत्र होगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दो सौ मीटर से अधिक के किसी क्षेत्र को, धारा 4क के अधीन, यथास्थिति, किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, विनियमित क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परंतु यह और कि किसी संरक्षित संस्मारक के निकटवर्ती किसी क्षेत्र या उससे लगे हुए ऐसे क्षेत्र को, जिसे 16 जून, 1992 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली, किंतु उस तारीख से, जिसको प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, ऐसे संरक्षित संस्मारक के संबंध में, विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस संरक्षित संस्मारक की बाबत घोषित किया गया विनियमित क्षेत्र समझा जाएगा और ऐसे विनियमित क्षेत्र में निर्माण के लिए दी गई कोई अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार विधिमान्य रूप से दी गई समझी जाएगी, मानो यह धारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी ।"।

नई धारा 20ग, धारा 20घ, धारा 20ङ, धारा 20च, धारा 20छ, धारा 20ज, धारा 20झ, धारा 20ञ, धारा 20ट, धारा 20ठ, धारा 20ड, धारा 20ढ, धारा 20ण, धारा 20त और धारा 20थ का अंतःस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 20ख (इस अधिनियम की धारा 6 द्वारा इस प्रकार अंतःस्थापित) के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत या नवीकरण या विनियमित क्षेत्र में निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीकरण के लिए आवेदन ।

'20ग. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी भवन या संरचना का स्वामी है, जो 16 जून, 1992 से पूर्व किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में विद्यमान थी या जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक के अनुमोदन से किया गया था और वह ऐसे भवन या संरचना की कोई मरम्मत या उसका नवीकरण करने की वांछा करता है, यथास्थिति, ऐसी मरम्मत या नवीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन या संरचना या भूमि का स्वामी है या कब्जा रखता है और वह उस भूमि पर ऐसे भवन या संरचना का कोई निर्माण या पुनर्निर्माण या उसकी मरम्मत या नवीकरण करने की वांछा करता है, यथास्थिति, निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान करना

विनियमित क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान करना।

20घ. (1) इस अधिनियम की धारा 20ग के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, यथास्थिति, संबद्ध संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र से संबंधित विरासत संबंधी उपविधियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे निर्माण के प्रभाव पर (जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर विकास परियोजना, सार्वजनिक परियोजना और जनता के लिए आवश्यक परियोजना का प्रभाव भी है) विचार करने और उसकी सूचना देने के लिए उसे प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, ऐसे आवेदनों का, जिनकी बाबत इस उपधारा के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी और ऐसे आवेदन का, जिसे प्राधिकरण को उसकी सिफारिशों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, प्रवर्ग विहित कर सकेगी ।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर ऐसे निर्माण के प्रभाव के बारे में (जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर विकास परियोजना, सार्वजनिक परियोजना और जनता के लिए आवश्यक परियोजना का प्रभाव भी है) सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण से सूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर, प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार या तो अनुज्ञा प्रदान करेगा या उसे नामंजूर करेगा ।

(5) प्राधिकरण की सिफारिशें अंतिम होंगी ।

(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने से इंकार किए जाने की दशा में, वह संबंधित व्यक्ति को, अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लिखित आदेश द्वारा, आवेदक, केंद्रीय सरकार और प्राधिकरण को ऐसे इंकार किए जाने की सूचना देगा ।

(7) यदि सक्षम प्राधिकारी की, उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के पश्चात् और उस उपधारा में निर्दिष्ट मरम्मत या नवीकरण कार्य या भवन का पुनर्निर्माण या निर्माण किए जाने के दौरान (उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर या अन्यथा) यह राय है कि ऐसी मरम्मत या नवीकरण कार्य या भवन के पुनर्निर्माण या निर्माण का संस्मारक के परिरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा या उस तक पहुंच पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह उसे प्राधिकरण को उसकी सिफारिशों के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि इस प्रकार सिफारिश की जाती हो तो उपधारा (4) के अधीन दी गई अनुज्ञा को, यदि ऐसा अपेक्षित हो, वापस ले सकेगा :

परंतु सक्षम प्राधिकारी, आपवादिक मामलों में, धारा 20ङ की उपधारा (1) के अधीन, विरासत संबंधी उक्त विधियां तैयार किए जाने और उस धारा की उपधारा (7)

के अधीन उन्हें प्रकाशित किए जाने तक, धारा 20ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदक को प्राधिकरण के अनुमोदन से अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा ।

(8) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या महानिदेशक, इस अधिनियम के अधीन दी गई या नामंजूर की गई सभी अनुज्ञाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी/करेगा।

विरासत संबंधी उपविधियां ।

20ङ. (1) सक्षम प्राधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास के, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास है 1882 का 2
परामर्श से, या ऐसे अन्य विशेषज्ञ विरासत न्यासों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, परामर्श से, प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र की बाबत विरासत संबंधी उपविधियां तैयार करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विरासत संबंधी उपविधियों में, ऐसे विषयों के अतिरिक्त, जो विहित किए जाएं, उत्थापनों, पुराभागों, निकास प्रणालियों, सड़कों और सेवा अवसंरचना (जिसके अंतर्गत बिजली के खंभे, जल और सीवर पाइपलाइनें भी हैं) जैसे विरासत संबंधी नियंत्रणों से संबंधित विषय भी सम्मिलित होंगे ।

(3) केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित संस्मारक या प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र के संबंध में विस्तृत स्थल योजनाएं तैयार करने की रीति, वह समय, जिसके भीतर ऐसी विरासत संबंधी उपविधियां तैयार की जाएंगी और प्रत्येक ऐसी विरासत संबंधी उपविधि में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करेगी ।

(4) सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत स्थल योजनाएं और विरासत संबंधी उपविधियां तैयार करने के प्रयोजन के लिए उतनी संख्या में विशेषज्ञों या परामर्शियों को नियुक्त कर सकेगा, जितनी वह ठीक समझे ।

(5) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई प्रत्येक विरासत संबंधी उपविधि की एक प्रति प्राधिकरण को उसके अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी ।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित विरासत संबंधी उपविधियों की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(7) प्रत्येक विरासत संबंधी उपविधि को, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उसे रखे जाने के ठीक पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करके और ऐसी अन्य रीति में भी, जो वह ठीक समझे, जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण का गठन।

20च. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण का गठन करेगी ।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाला, पूर्णकालिक आधार पर, एक अध्यक्ष, जिसके पास पुरातत्व विज्ञान, ग्राम और नगर योजना, वास्तुकला, विरासत और संरक्षण-वास्तुकला या विधि के क्षेत्रों में सिद्ध अनुभव और विशेषज्ञता हो ;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 20छ में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाने वाले उतनी संख्या में सदस्य, जो पांच पूर्णकालिक सदस्यों और पांच अंशकालिक सदस्यों से अधिक न हों, जिनके पास पुरातत्व विज्ञान, ग्राम और नगर योजना, वास्तुकला, विरासत और संरक्षण-वास्तुकला या विधि के क्षेत्रों में सिद्ध अनुभव और विशेषज्ञता हो ;

(ग) महानिदेशक, सदस्य, के रूप में, पदेन।

(3) प्राधिकरण के पूर्णकालिक अध्यक्ष या प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य और प्रत्येक अंशकालिक सदस्य की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह उस रूप में पदग्रहण करता है, तीन वर्ष की होगी और वह पुनःनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु उपधारा (2) के खंड (ग) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय में कोई पद धारण किया है या जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त किए जाने हेतु विचार किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे या तो अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी या ऐसी किसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने से इंकार किया गया था या ऐसा कोई व्यक्ति या उसका कोई नातेदार जिसका किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र या किसी विनियमित क्षेत्र में कोई हित है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नातेदार" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का पति या पत्नी;

(ii) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का भाई या बहन;

(iii) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पति या पत्नी का भाई या बहन;

(iv) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन;

(v) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का कोई पारंपरिक पूर्वपुरूष या वंशज;

(vi) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पति या पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्वपुरूष या वंशज;

(vii) खंड (ii) से खंड (vi) में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या की पत्नी ।

(4) भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी प्राधिकरण का सदस्य-सचिव होगा।

(5) केन्द्रीय सरकार उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति ।

20छ. (1) प्राधिकरण के प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य और प्रत्येक अंशकालिक सदस्य का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) मंत्रिमंडल सचिव — अध्यक्ष, पदेन;

(ख) संस्कृति मंत्रालय का सचिव — सदस्य, पदेन;

(ग) शहरी विकास मंत्रालय का सचिव — सदस्य, पदेन;

(घ) पुरातत्व विज्ञान, स्थापत्य कला, विरासत या संरक्षण के क्षेत्रों में सिद्ध अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से तीन विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी ।

वेतन, भत्ते और प्राधिकरण की बैठकें।

20ज. (1) प्राधिकरण के पूर्णकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा अंशकालिक सदस्यों को संदेय फीस या भत्ते इस प्रकार होंगे, जो विहित किए जाएं :

परंतु पूर्णकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों में, न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभप्रद रूप में कोई परिवर्तन किया जाएगा ।

(2) प्राधिकरण अपनी बैठकें करने के प्रयोजनों के लिए (ऐसी बैठकों की गणपूर्ति सहित) और इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगा ।

(3) प्राधिकरण के सभी विनिश्चयों का प्रकाशन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो वह विनिश्चित करे और उन्हें उसकी तथा केन्द्रीय सरकार की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा ।

प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां ।

20झ. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ के पूर्व धारा 3 और धारा 4 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के श्रेणीकरण और वर्गीकरण के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना ;

(ख) ऐसे संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के श्रेणीकरण और वर्गीकरण के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश करना, जिन्हें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ के पश्चात्, धारा 4 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया जाए ;

(ग) सक्षम प्राधिकारियों के कार्यकरण का निरीक्षण करना ;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए उपाय सुझाना ;

(ङ) सार्वजनिक परियोजनाओं और जनता के लिए आवश्यक ऐसी परियोजनाओं, जो विनियमित क्षेत्रों में प्रस्तावित की जाएं, सहित बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के प्रभाव पर विचार करना और उनके संबंध में सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें करना ;

(च) अनुज्ञा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें करना।

(2) प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद के विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल 1908 का 5

न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।

20ञ. (1) धारा 20च की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष की दशा में, राष्ट्रपति और पूर्णकालिक सदस्य तथा अंशकालिक सदस्य की दशा में, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि वह,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हैं, जिनसे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया हो ।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य तब तक उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन हटाया नहीं जाएगा, जब तक उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा भावी नियोजन पर निर्बंधन ।

20ट. यथास्थिति, प्राधिकरण का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, पद पर न रहने पर, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस तारीख से, जिसको वह पद पर नहीं रहता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पुरातत्व विज्ञान, ग्राम और नगर योजना, स्थापत्य, विरासत और संरक्षण-वास्तुकला से मुख्य रूप से संबंधित प्रकृति की या ऐसी किसी संस्था, अभिकरण या संगठन में, (जिसके मामले अध्यक्ष या ऐसे सदस्य के समक्ष थे, भावी नियोजन के लिए जिसके अंतर्गत परामर्शी या विशेषज्ञ के रूप में या अन्यथा भी है) अपात्र होगा।

प्राधिकरण को निदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

20ठ. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के निर्वहन में तकनीकी और प्रशासनिक विषयों से भिन्न नीति के प्रश्न पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, लिखित रूप में उसे दे :

परंतु प्राधिकरण को, यथासाध्य इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा कि क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं ।

सक्षम प्राधिकारी को निदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

20ड. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, लिखित रूप में उसे दे।

1156

प्राधिकरण को अधिक्रांत करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

20ढ. (1) यदि, किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि,—

(क) प्राधिकरण के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण वह इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है ; या

(ख) प्राधिकरण ने, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी निदेश का पालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन या कर्तव्यों के पालन में लगातार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को क्षति हुई है ; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अधिक्रांत कर सकेगी और अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जिसे या जिन्हें राष्ट्रपति निदेश दे :

परंतु ऐसी किसी अधिसूचना के जारी किए जाने के पूर्व केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अधिक्रांत करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) अध्यक्ष तथा अन्य सभी पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य अधिक्रमण की तारीख से उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किया जा रहा था, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा ; और

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठंन किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति की तारीख को या उससे पूर्व प्राधिकरण को, उसके नए अध्यक्ष और अन्य सभी पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों की नई नियुक्ति करके पुनर्गठित करेगी और ऐसी दशा में ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया हो, धारा 20च की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शेष अवधि हेतु पुनः नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं माना जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना की एक प्रति और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई का कारण बनने वाली परिस्थितियों की एक पूर्ण रिपोर्ट तैयार कराएगी, जिसे, शीघ्रातिशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

20ण. किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसका अवधारण करने के लिए प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है, किसी सिविल न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा। सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

20त. (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें प्राधिकरण के पूर्ववर्ष के सभी क्रियाकलापों का संपूर्ण विवरण दिया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, उसे प्राप्त करने के पश्चात्, यथासंभवशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

20थ. जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी से, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके कार्यों के संबंध में लिखित में ऐसी सूचना मांग सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे ।'। सूचना मांगने की शक्ति।

8. मूल अधिनियम की धारा 30 में,— धारा 30 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से" शब्द रखे जाएंगे ।

9. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— धारा 30क, धारा 30ख और धारा 30ग का अंतःस्थापन ।

"30क. जो कोई, उस तारीख को और उसके पश्चात्, जिसको प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई निर्माण करता है, वह दो वर्ष से अनधिक के कारावास से या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्माण आदि के लिए दंड ।

30ख. जो कोई, उस तारीख को और उसके पश्चात्, जिसको प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञा के उल्लंघन में किसी विनियमित क्षेत्र में कोई निर्माण करता है, वह दो वर्ष से अनधिक के कारावास से या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । विनियमित क्षेत्र मे निर्माण आदि के लिए दंड ।

सरकार के अधिकारियों द्वारा अपराध ।

30ग. यदि केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी, ऐसे किसी कार्य या बात को करने के लिए कोई करार करता है या उससे उपमत होता है, उससे प्रविरत रहता है, ऐसी किसी कार्रवाई या किसी बात की अनुज्ञा देता है, उसे छिपाता है या मौनानुमति देता है, जिसके द्वारा किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई निर्माण या पुनःनिर्माण किया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।"।

नई धारा 35क और धारा 35ख का अंतःस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

संरक्षित प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने की बाध्यता ।

"35क. (1) महानिदेशक, ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विस्तृत स्थल योजनाओं के प्रयोजन के लिए सभी प्रतिषिद्ध क्षेत्रों और विनियमित क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण करेगा या सर्वेक्षण कराएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे सर्वेक्षण के संबंध में, रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार और प्राधिकरण को भेजी जाएगी ।

16 जून, 1992 को या उसके पश्चात् अप्राधिकृत निर्माणों की पहचान ।

35ख. (1) महानिदेशक, ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सभी प्रतिषिद्ध क्षेत्रों और विनियमित क्षेत्रों में 16 जून, 1992 को या उसके पश्चात् किए गए सभी निर्माणों (चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों) की पहचान करेगा या पहचान कराएगा और तत्पश्चात्, समय-समय पर, उनके संबंध में एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(2) महानिदेशक को, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय निकायों और अन्य प्राधिकारियों से सूचना मांगने की शक्ति होगी ।"।

धारा 38 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(गक) धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन संस्मारकों या पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के प्रवर्ग ;

(गख) धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन करने की रीति ;

(गग) धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन ऐसे आवेदनों का प्रवर्ग, जिनके संबंध में अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी और ऐसे आवेदन, जिन्हें प्राधिकरण को उसकी सिफारिश के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ;

(गघ) धारा 20ङ की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अन्य विषय, जिनके अन्तर्गत विरासत नियंत्रण, जैसे कि उत्थापन, पुराभाग, जल निकास प्रणालियां, सड़कें और सेवा अवसंरचना (जिसके अंतर्गत बिजली के खंभे, जल और सीवर पाइपलाइनें भी हैं) ;

(गङ) धारा 20ङ की उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र के संबंध में विस्तृत स्थल योजनाएं तैयार करने की रीति और वह समय, जिसके भीतर ऐसी विरासत संबंधी उपविधियों को तैयार किया जाएगा और ऐसी प्रत्येक विरासत संबंधी उपविधि में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां ;

(गच) धारा 20ज की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के पूर्णकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें या अंशकालिक सदस्यों को संदेय फीस या भत्ते ;

(गछ) धारा 20त के अधीन वह प्ररूप और वह समय, जिसमें प्राधिकरण अपने पूर्ववर्ष के सभी क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(गज) धारा 20थ के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को सूचना प्रस्तुत करेंगे ;"।

अधिसूचना सं० का० आ० 1764, तारीख 16 जून, 1992 के अधीन की गई कार्रवाई, आदि का विधिमान्यकरण ।

12. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी—

(क) धारा 20क की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक में यथा उपबंधित के सिवाय, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 34 के अधीन जारी भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1764, तारीख 16 जून, 1992 के अनुसरण में इस अधिनियम के प्रारंभ के तुरन्त पूर्व की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई सभी तात्त्विक समयों पर [धारा 20क की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक में यथा उपबंधित के सिवाय] विधि के अनुसार की गई समझी जाएगी और सदैव की गई समझी जाएगी या वैध समझी जाएगी तथा किसी संरक्षित संस्मारक की बाबत किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में या विनियमित क्षेत्र में किसी निर्माण के लिए प्रदत्त कोई अनुज्ञा या जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति के संबंध में की गई कोई कार्रवाई या कोई बात (कोई विशेषज्ञ सलाहकार समिति गठित करने के लिए किए गए किसी आदेश, किए गए किसी करार या जारी की गई किसी अधिसूचना सहित) धारा 20क की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक में यथा उपबंधित के सिवाय मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राचीन संस्मारक तथा
1958 का 24 पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, किए गए आदेश या जारी अधिसूचनाओं में, यथास्थिति, विशेषज्ञ सलाहकार समिति या सलाहकार समिति के गठन के लिए कोई उपबंध अंतर्विष्ट नहीं था ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व कोई मरम्मत, नवीकरण या निर्माण कार्य करने के लिए या कोई सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक परियोजना करने के लिए केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और
1958 का 24 अवशेष अधिनियम, 1958 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, किए गए आदेश या अधिसूचना के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद, दावा या अन्य कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी, चालू या जारी नही रखी जाएंगी ;

(ग) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में 16 जून, 1992 और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के बीच किसी समय पर किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई खनन या मरम्मत, नवीकरण या निर्माण कार्य करने के प्रयोजन के लिए कोई अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए कोई दावा या चुनौती मात्र इस आधार पर नहीं दी जाएगी या उनके द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी कि केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 द्वारा यथासंशोधित प्राचीन
1958 का 24 संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के किन्हीं उपबंधों को विचार में नहीं लिया था ।

निरसन और व्यावृत्ति। **13.** (1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय **स्थल और अवशेष** (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2010 का अध्यादेश संख्यांक 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 26)

[20 अगस्त, 2010]

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बीमा अधिनियम, 1938, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 18 जून, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

2. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3घ के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 1934 के अधिनियम संख्यांक 2 में नए अध्याय 3ङ का अंत:स्थापन।

"अध्याय 3ङ

संयुक्त तंत्र

1992 का 15 45म. (1) इस अधिनियम या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस बारे में राय में कोई भिन्नता होती है कि— संयुक्त तंत्र।

(i) ऐसी कोई लिखत, जो इस अधिनियम की धारा 45प के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यत्पन्न या खंड (ख) में निर्दिष्ट मुद्रा बाजार लिखत या खंड (ग) में निर्दिष्ट रेपो या खंड (घ) में निर्दिष्ट रिवर्स रेपो या खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियां हैं; या

1938 का 4
1956 का 42
(ii) ऐसी कोई लिखत, जो बीमा अधिनियम, 1938 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन जीवन बीमा की पालिसी है या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956

की धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (i), उपखंड (iक), उपखंड (iख), उपखंड (iग), उपखंड (iङ), उपखंड (ii), उपखंड (iiक) और उपखंड (iii) में निर्दिष्ट स्क्रिप या कोई अन्य प्रतिभूतियां हैं;

मिश्रित या ऐसी संयुक्त लिखत है जो मुद्रा बाजार विनिधान या प्रतिभूति बाजार लिखत का घटक है या खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट बीमा या किसी अन्य लिखत का घटक है और वह भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति 1992 का 15
और विनिमय बोर्ड या विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन 1999 का 41
स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या भारत सरकार के संकल्प सं॰ एफ सं॰ 1 (6) 2007-पीआर, तारीख 14 नवम्बर, 2008 द्वारा गठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत आता है, तो राय में ऐसी भिन्नता को निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली किसी संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌—

(क) संघ का वित्त मंत्री .... पदेन अध्यक्ष;

(ख) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक .... पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार .... पदेन सदस्य;

(घ) सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार .... पदेन सदस्य;

(ङ) अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण .... पदेन सदस्य;

(च) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड .... पदेन सदस्य;

(छ) अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण .... पदेन सदस्य।

(2) सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट संयुक्त समिति की बैठकों का, संयोजक होगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राय में किसी भिन्नता की दशा में, उस उपधारा के खंड (ख), खंड (ङ), खंड (च) या खंड (छ) में निर्दिष्ट संयुक्त समिति का कोई सदस्य संयुक्त समिति को निर्देशित कर सकेगा।

(4) संयुक्त समिति ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो वह समीचीन समझे और उपधारा (3) के अधीन किए गए निर्देश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उस पर अपने विनिश्चय, केन्द्रीय सरकार को देगी।

(5) संयुक्त समिति का विनिश्चय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पर आबद्धकर होगा।''।

अध्याय 3

बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन

1938 के अधिनियम संख्यांक 4 की धारा 2 का संशोधन।

3. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 में खंड (11) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और 9 अप्रैल, 2010 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि "जीवन बीमा कारबार" में ऐसी कोई यूनिटबद्ध बीमा पालिसी या स्क्रिप या ऐसी कोई लिखत या यूनिट, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित होगी, जिसमें इस धारा के खंड (9) में निर्दिष्ट किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए विनिधान के घटक और बीमा के घटक का उपबंध है।'।

अध्याय 4

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

1956 के अधिनियम संख्यांक 42 की धारा 2 का संशोधन।

4. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उपखंड (iघ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और 9 अप्रैल, 2010 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि "प्रतिभूतियों" में ऐसी कोई यूनिटबद्ध बीमा पालिसी या स्क्रिप या ऐसी कोई लिखत या यूनिट, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित नहीं होगी, जिसमें व्यक्तियों के जीवन या ऐसे व्यक्तियों द्वारा विनिधान के संबंध में संयुक्त फायदा जोखिम के लिए उपबंध है और जिसे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (9) में निर्दिष्ट किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया है।'।

1938 का 4

अध्याय 5

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

1992 के अधिनियम संख्यांक 15 की धारा 12 का संशोधन।

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 की उपधारा (1ख) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और 9 अप्रैल, 2010 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी सामूहिक विनिधान स्कीम या पारस्परिक निधि में ऐसी कोई यूनिटबद्ध बीमा पालिसी या स्क्रिप या ऐसी कोई लिखत या यूनिट, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित नहीं होगी, जिसमें किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए बीमा के घटक के अतिरिक्त विनिधान के किसी घटक का उपबंध है।'।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

विधिमान्यकरण।

6. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय या डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के उपबंध सभी प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार प्रभावी होंगे और सदैव प्रभावी रहे समझे जाएंगे, मानो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के उपबंध सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त थे और तद्नुसार 9 अप्रैल, 2010 से पूर्व किसी समय जारी की गई या जारी किए जाने के लिए

1938 का 4
1956 का 42
1992 का 15

तात्पर्यित किसी यूनिटबद्ध बीमा पालिसी या स्क्रिप या ऐसी किसी लिखत या यूनिट को, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सदैव विधिमान्य रूप से जारी किया गया और सदैव जारी किया गया समझा जाएगा और केवल इस आधार पर कि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया गया था, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

7. (1) प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2010 का अध्यादेश संख्यांक 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या बीमा अधिनियम, 1938 या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 1934 का 2 1938 का 4 1956 का 42 1992 का 15

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 42)

[26 सितम्बर, 2010]

कतिपय व्यष्टियों या संगमों या कंपनियों द्वारा विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने और उपयोग किए जाने को विनियमित करने तथा राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किन्हीं क्रियाकलापों के लिए विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने और उपयोग करने को प्रतिषिद्ध करने से संबंधित विधि को समेकित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह,—

(क) भारत के बाहर भारत के नागरिकों; और

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनियों अथवा निगम निकायों की भारत के बाहर सहयुक्त शाखाओं या समनुषंगियों,

को भी लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) ''संगम'' से व्यक्तियों का कोई ऐसा संगम, चाहे निगमित हो या न हो, अभिप्रेत है,

जिसका भारत में कोई कार्यालय है और इसके अंतर्गत कोई सोसाइटी, चाहे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो तथा कोई अन्य संगठन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, भी है; 1860 का 21

(ख) ''विदेशी मुद्रा का कारबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति'' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 खंड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है; 1999 का 42

(ग) ''बैंक'' से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है; 1949 का 10

(घ) ''निर्वाचन-अभ्यर्थी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे किसी विधान-मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्देशित किया गया है;

(ङ) ''प्रमाणपत्र'' से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(च) ''कंपनी'' का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) में है; 1961 का 43

(छ) ''विदेशी कंपनी'' से भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी या संगम या व्यष्टियों का निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अर्थान्तर्गत कोई विदेशी कंपनी; 1956 का 1

(ii) ऐसी कंपनी, जो किसी विदेशी कंपनी की समनुषंगी है;

(iii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी विदेशी, कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या उसके कारबार का मुख्य स्थान या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट कोई कंपनी;

(iv) बहुराष्ट्रीय निगम।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में निगमित कोई निगम बहुराष्ट्रीय निगम समझा जाएगा, यदि ऐसा निगम,—

(क) दो या अधिक देशों या राज्यक्षेत्रों में कोई समनुषंगी या कोई शाखा या कारबार का स्थान रखता है; या

(ख) दो या अधिक देशों या राज्यक्षेत्रों में कारबार करता है या अन्यथा प्रचालन करता है;

(ज) ''विदेशी अभिदाय'' से किसी विदेशी स्रोत द्वारा किया गया निम्नलिखित का संदान, परिदान या अंतरण अभिप्रेत है,—

(i) कोई वस्तु, जो किसी व्यक्ति को उसके वैयक्तिक उपयोग के लिए दान के रूप में दी गई वस्तु नहीं है, यदि ऐसी वस्तु का भारत में, उस दान की तारीख को बाजार मूल्य उस राशि से अधिक नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ii) कोई करेंसी, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी;

1956 का 42
1999 का 42

(iii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई प्रतिभूति और इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ण) में यथापरिभाषित कोई विदेशी प्रतिभूति भी है।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड में निर्दिष्ट किसी वस्तु, करेंसी या विदेशी प्रतिभूति का, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने उसे या तो सीधे ही या एक या अधिक व्यक्तियों की मार्फत, किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त किया है, संदान, परिदान या अंतरण भी इस खंड के अर्थ के भीतर विदेशी अभिदाय समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—धारा 17 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बैंक में जमा किए गए विदेशी अभिदाय पर प्रोद्भूत ब्याज या विदेशी अभिदाय से व्युत्पन्न कोई अन्य आय या उस पर ब्याज भी इस खंड के अर्थ के भीतर विदेशी अभिदाय समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 3—किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी विदेशी स्रोत से भारत में या भारत से बाहर अपने कारबार, व्यापार या वाणिज्य के मामूली अनुक्रम में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए माल या सेवाओं के बदले में फीस के रूप में (जिसके अंतर्गत भारत में किसी शिक्षा संस्थान द्वारा विदेशी छात्र से प्रभारित फीस भी है) या उनकी लागत मद्दे प्राप्त कोई रकम या ऐसी फीस या लागत मद्दे विदेशी स्रोत के अभिकर्ता से प्राप्त कोई अभिदाय इस खंड के अर्थ के भीतर विदेशी अभिदाय की परिभाषा से अपवर्जित कर दिया जाएगा;

(झ) ''विदेशी आतिथ्य'' से किसी विदेशी स्रोत द्वारा किसी व्यक्ति को किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में यात्रा खर्च या निःशुल्क भोजन, आवास, परिवहन या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए नकद या वस्तु रूप में की गई कोई प्रस्थापना अभिप्रेत है, जो विशुद्ध रूप से आकस्मिक नहीं है;

(ञ) ''विदेशी स्रोत'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र की सरकार और ऐसी सरकार का कोई अभिकरण;

(ii) कोई अंतरराष्ट्रीय अभिकरण, जो संयुक्त राष्ट्र संघ या उसका कोई विशिष्ट अभिकरण नहीं है, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या ऐसा अन्य अभिकरण, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(iii) कोई विदेशी कंपनी;

(iv) विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में निगमित कोई निगम, जो विदेशी कंपनी नहीं है;

(v) खंड (छ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट कोई बहुराष्ट्रीय निगम;

1956 का 1

(vi) कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ के भीतर कोई कंपनी और उसकी शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य का आधे से अधिक निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा या तो अकेले या संकलित रूप में धारित है, अर्थात्:—

(अ) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र की सरकार;

(आ) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र के नागरिक;

(इ) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में निगमित निगम;

(ई) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में बनाए गए या रजिस्टर कराए गए न्यास, सोसाइटियों या व्यष्टियों के अन्य संगम (चाहे निगमित हों या नहीं);

(उ) विदेशी कंपनी;

(*vii*) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में किसी व्यवसाय संघ, चाहे उस विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत हो या न हो;

(viii) किसी विदेशी न्यास अथवा किसी विदेशी प्रतिष्ठान, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो या ऐसे न्यास अथवा प्रतिष्ठान द्वारा, जो मुख्य रूप से किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र द्वारा वित्तपोषित है;

(ix) किसी सोसाइटी, क्लब या व्यष्टियों के अन्य संगम, जो भारत के बाहर बनाया गया है या रजिस्टर किया गया है;

(x) किसी विदेश के किसी नागरिक;

(ट) "विधान-मंडल" से अभिप्रेत है—

(अ) संसद् के दोनों सदनों में से कोई सदन;

(आ) किसी राज्य की विधान सभा अथवा ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से कोई सदन;

(इ) संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अधीन गठित किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा; 1963 का 29

(ई) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 में निर्दिष्ट दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा; 1992 का 1

(उ) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथापरिभाषित नगरपालिका;

(ऊ) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में संविधान की छठी अनुसूची में यथा उपबंधित जिला परिषदें और प्रादेशिक परिषदें;

(ए) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथापरिभाषित पंचायत; या

(ऐ) कोई अन्य निर्वाचित निकाय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ड) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) कोई व्यष्टि,

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब,

(iii) कोई संगम,

(iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी; 1956 का 1

(ढ) "राजनीतिक दल" से,—

(i) भारत के नागरिकों का ऐसा कोई संगम या व्यष्टि निकाय अभिप्रेत है,—

(अ) जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन भारत के निर्वाचन आयोग में एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत है; या 1951 का 43

(आ) जिसने किसी विधान-मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी खड़े किए हैं, किन्तु जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है या रजिस्ट्रीकृत नहीं समझा जाता है;

(ii) ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है, जो भारत के निर्वाचन आयोग की तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना सं॰ 56/ज-क/02, तारीख 8 अगस्त, 2002 की सारणी 1 और सारणी 2 के स्तंभ (2) में वर्णित है;

(ण) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) ''विहित प्राधिकारी'' से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

1867 का 25 (थ) ''रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र'' से प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई समाचारपत्र अभिप्रेत है;

1956 का 1 (द) ''नातेदार'' का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (41) में उसका है;

1934 का 1 (ध) ''अनुसूचित बैंक'' का वही अर्थ हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) में उसका है;

1956 का 1 (न) ''समनुषंगी'' और '' सहयुक्त'' के वही अर्थ जो कंपनी अधिनियम, 1956 में क्रमशः उनके हैं;

1926 का 16 (प) ''व्यवसाय संघ'' से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु लोक
1950 का 43 प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या विदेशी मुद्रा प्रबंध
1951 का 43
1999 का 42 अधिनियम, 1999 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

विदेशी अभिदाय और विदेशी आतिथ्य का विनियमन

3. (1) कोई भी विदेशी अभिदाय निम्नलिखित द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा,— विदेशी अभिदाय स्वीकार करने का प्रतिषेध।

(क) किसी निर्वाचन-अभ्यर्थी;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र के संवाददाता, स्तंभ लेखक, व्यंग्य-चित्रकार, संपादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक;

(ग) न्यायाधीश, सरकारी सेवक या सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन किसी निगम या किसी अन्य निकाय के कर्मचारी;

(घ) किसी विधान-मंडल के सदस्य;

(ङ) राजनीतिक दल या उसके पदधारी;

(च) राजनीतिक प्रकृति के ऐसे संगठन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं;

2000 का 21 (छ) ऐसे संगम या कंपनी, जो किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में यथापरिभाषित किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रूप या किसी अन्य जन संचार पद्धति के माध्यम से श्रव्य समाचारों या श्रव्य-दृश्य समाचारों या सामयिक कार्यकलाप के कार्यक्रमों के निर्माण या प्रसारण में लगी हुई है;

(ज) खंड (छ) में निर्दिष्ट संगम या कंपनी के संवाददाता, स्तंभ लेखक, व्यंग्य-चित्रकार, संपादक, स्वामी।

1956 का 1 **स्पष्टीकरण**— खंड (ग) में और धारा 6 में ''निगम'' पद से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निगम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी भी है।

(2) (क) कोई व्यक्ति, जो भारत में निवासी है और भारत का कोई नागरिक, जो भारत के बाहर निवासी है, किसी राजनीतिक दल या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की या दोनों की ओर से किसी

विदेशी स्रोत से कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा अथवा कोई करेंसी अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का करार नहीं करेगा।

(ख) कोई व्यक्ति, जो भारत में निवासी है, किसी करेंसी का, चाहे भारतीय हो या विदेशी, जो किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई है, किसी भी व्यक्ति को परिदान नहीं करेगा, यदि वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि ऐसे अन्य व्यक्ति का आशय उस करेंसी का किसी राजनीतिक दल अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को परिदान करने का है या उसके द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना है।

(ग) भारत का कोई नागरिक, जो भारत के बाहर निवासी है, किसी करेंसी का, चाहे भारतीय हो या विदेशी, जो किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई है, निम्नलिखित को परिदान नहीं करेगा,—

(i) किसी राजनीतिक दल या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या दोनों को, या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को यदि वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि ऐसे अन्य व्यक्ति का आशय ऐसी करेंसी का किसी राजनीतिक दल या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को या दोनों को परिदान करने का है या उसके द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना है।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी भी करेंसी को, चाहे भारतीय हो या विदेशी, धारा 9 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की ओर से किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त करता है, उस करेंसी का,

(क) ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को परिदान नहीं करेगा, जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी, या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति को परिदान नहीं करेगा, यदि वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि ऐसे अन्य व्यक्ति का आशय ऐसी करेंसी का ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, जिसके लिए वह करेंसी प्राप्त की गई थी, परिदान करने का है या उसके द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना है।

वे व्यक्ति, जिनको धारा 3 लागू नहीं होगी।

4. धारा 3 की कोई बात उस धारा में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने के बारे में उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां उसके द्वारा ऐसा अभिदाय, धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) उसे या उसके अधीन काम कर रहे व्यक्तियों के किसी समूह को शोध्य वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक के रूप में किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार किया जाता है या ऐसे विदेशी स्रोत द्वारा भारत में किए गए कारबार के सामान्य अनुक्रम में संदाय के रूप में स्वीकार किया जाता है; या

(ख) अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए कारबार के सामान्य अनुक्रम में संदाय के रूप में स्वीकार किया जाता है; या

(ग) ऐसे किसी विदेशी स्रोत द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के साथ किए गए किसी संव्यवहार के संबंध में विदेशी स्रोत के अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है; या

(घ) किसी भारतीय शिष्ट-मंडल के सदस्य के रूप में उसे दिए गए दान या उपहार के रूप में स्वीकार किया जाता है:

परंतु यह तब जब कि ऐसा दान या उपहार केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे दान या उपहार को स्वीकार करने या अपने पास रखने के बारे में बनाए गए नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया है; और

(ङ) अपने नातेदार से स्वीकार किया जाता है; या

(च) कारबार के सामान्य अनुक्रम में किसी सरकारी माध्यम, डाकघर या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन विदेशी मुद्रा का कारबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को विप्रेषण के रूप में स्वीकार किया जाता है; या

1999 का 42

(छ) किसी छात्रवृत्ति, वृत्तिका या समान प्रकृति के किसी संदाय के रूप में स्वीकार किया जाता है:

परंतु धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्राप्त किसी विदेशी अभिदाय की दशा में, ऐसा अभिदाय धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में प्राप्त किया गया समझा जाएगा।

राजनीतिक स्वरूप के किसी संगठन को अधिसूचित करने की प्रक्रिया।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, संगठन के क्रियाकलापों या संगठन द्वारा प्रचारित विचारधारा या संगठन के कार्यक्रम या किसी राजनीतिक दल के क्रियाकलापों के साथ संगठन के संबंध को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे संगठन को धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट राजनीतिक स्वरूप के ऐसे संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो राजनीतिक दल नहीं है:

परंतु केन्द्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा, ऐसे आधार या आधारों को विनिर्दिष्ट करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्त विरचित कर सकेगी, जिन पर किसी संगठन को, राजनीतिक स्वरूप के संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार ऐसे संगठन को, जिसके संबंध में आदेश किया जाना प्रस्तावित है, उस आधार या उन आधारों के संबंध में लिखित में सूचना देगी, जिन पर ऐसे संगठन को उस उपधारा के अधीन राजनीतिक स्वरूप के संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव है।

(3) ऐसा संगठन, जिसे उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार को, ऐसे संगठन को उपधारा (1) के अधीन संगठन विनिर्दिष्ट नहीं किए जाने के लिए कारण देते हुए, अभ्यावेदन कर सकेगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, अभ्यावेदन को उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संगठन तीस दिन के भीतर अभ्यावेदन करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा था।

(4) केन्द्रीय सरकार, यदि वह इसे समुचित समझती है, उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन को किसी प्राधिकारी को ऐसे अभ्यावेदन पर रिपोर्ट देने के लिए अग्रेषित कर सकेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन और प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे संगठन को राजनीतिक दल से भिन्न राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी और उपधारा (1) के अधीन तदनुसार आदेश दे सकेगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश, उपधारा (2) के अधीन सूचना जारी किए जाने की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर, किया जाएगा:

परंतु एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश न किए जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार, एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, उसके लिए कारण अभिलिखित करते हुए, कर सकेगी।

विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने पर निर्बंधन।

6. किसी विधान-मंडल का कोई सदस्य या किसी राजनीतिक दल का कोई पदधारी या न्यायाधीश या सरकारी सेवक या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी अन्य निकाय का कोई कर्मचारी, भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में यात्रा के दौरान किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु भारत के बाहर यात्रा के दौरान आकस्मिक रुग्णता के कारण आवश्यक तात्कालिक चिकित्सीय सहायता के लिए ऐसी अनुज्ञा अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु जब ऐसा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया गया है तब उसे स्वीकार करने वाला व्यक्ति, उसे स्वीकार करने की तारीख से एक मास के भीतर, केन्द्रीय सरकार को ऐसा आतिथ्य स्वीकार करने के बारे में और इस बारे में सूचना देगा कि उसने ऐसा आतिथ्य किस स्रोत से और किस रीति में स्वीकार किया है।

विदेशी अभिदाय का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने पर प्रतिषेध।

7. कोई व्यक्ति जो,—

(क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है या उसने पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की है; और

(ख) कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है,

ऐसे विदेशी अभिदाय को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अंतरित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अन्य व्यक्ति भी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो और उसे प्रमाणपत्र न दिया गया हो या उसने पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न की हो:

परंतु ऐसा व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विदेशी अभिदाय के किसी भाग को ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं किया गया है या जिसने अनुमति प्राप्त नहीं की है।

विदेशी अभिदाय का प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर निर्बन्धन।

8. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है और वह कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है—

(क) ऐसे अभिदाय का उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा, जिनके लिए वह अभिदाय प्राप्त किया गया है:

परन्तु किसी विदेशी अभिदाय या उससे उद्‌भूत किसी आय का उपयोग किसी सट्टे वाले कारबार के लिए नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, ऐसे क्रियाकलाप या कारबार विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें इस धारा के प्रयोजन के लिए सट्टे का कारबार समझा जाएगा;

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए गए ऐसे अभिदाय के पचास प्रतिशत से अनधिक रकम का, यथासंभव, प्रशासनिक व्ययों, यदि कोई हों, को चुकाने के लिए संदाय नहीं करेगा:

परंतु ऐसे अभिदाय के पचास प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक व्ययों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चुकाया जा सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार उन तत्वों को, जो प्रशासनिक व्ययों में सम्मिलित किए जाएंगे और वह रीति विहित कर सकेगी जिसमें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रशासनिक व्यय संगणित किए जाएंगे।

कतिपय मामलों में विदेशी अभिदाय, आदि प्राप्त करने को प्रतिषिद्ध करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

9. केन्द्रीय सरकार,—

(क) किसी व्यक्ति या संगठन को, जो धारा 3 में विनिर्दिष्ट नहीं है, कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी;

(ख) किसी व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों से, जो धारा 6 में विनिर्दिष्ट नहीं है, किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी;

(ग) किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों से, जो धारा 11 में विनिर्दिष्ट नहीं है, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उतने समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, इस बारे में सूचना दे कि, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों ने कितना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया था और किस स्रोत से तथा किस रीति से प्राप्त किया था और ऐसे विदेशी अभिदाय को किस प्रयोजन के लिए और किस रीति से उपयोग किया गया था;

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों से कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी;

(ङ) किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों से, जो धारा 6 में विनिर्दिष्ट नहीं है, उतने समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के बारे में और इस बारे में सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा आतिथ्य किस स्रोत से और किस रीति से स्वीकार किया गया था:

परंतु ऐसा कोई प्रतिषेध या ऐसी कोई अपेक्षा तब की जाएगी जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार किए जाने से अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, अर्थात्:—

(i) भारत की प्रभुता और अखंडता; या

(ii) लोकहित; या

(iii) किसी विधान-मंडल के लिए निर्वाचन की स्वतंत्रता या निष्पक्षता; या

(iv) किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों; या

(v) धार्मिक, मूलवंशीय, सामाजिक, भाषायी या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच मेल-जोल।

अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त करेंसी का संदाय प्रतिषिद्ध करने की शक्ति।

10. जहां केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि कोई भारतीय या विदेशी वस्तु या करेंसी, जिसे किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करके स्वीकार किया है, किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को उस वस्तु या करेंसी का संदाय, परिदान, अंतरण या उसके संबंध में कोई अन्य कार्रवाई, केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेश के बिना करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति पर विहित रीति से तामील की जाएगी, जिसे प्रतिषिद्ध किया गया है, और तब
1967 का 37 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 7 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी वस्तु या करेंसी को या उसके संबंध में लागू होंगे और उक्त उपधाराओं में धन, प्रतिभूतियों या जमाओं के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ऐसी वस्तु या करेंसी के प्रति निर्देश है।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण

कतिपय व्यक्तियों का केन्द्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकरण।

11. (1) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका कोई निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम हो, तब तक विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर ले:

1976 का 49 परंतु विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 के अधीन, केन्द्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत या उस धारा के अधीन पूर्व अनुज्ञा अनुदत्त कोई संगम, जैसे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान था, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत किया गया या पूर्व अनुज्ञा अनुदत्त समझा जाएगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण इस धारा के प्रवर्तन में आने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(2) यदि इस उपधारा में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकेगा और ऐसी पूर्व अनुज्ञा उसी प्रयोजन के लिए और उसी स्रोत से विधिमान्य होगी, जिसके लिए वह प्राप्त की गई है:

1976 का 49 परन्तु यदि उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति इस अधिनियम या विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के किसी उपबंध के उल्लंघन का दोषी पाया गया है तो विदेशी अभिदाय की अनुपयोजित या अप्राप्त रकम केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपयोजित या प्राप्त नहीं की जाएगी।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जो विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने से पूर्व उसकी अनुज्ञा प्राप्त करेगा; या

(ii) ऐसा क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों को, जिनमें केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाएगा या उसका उपयोग किया जाएगा;

(iii) वह प्रयोजन या उन प्रयोजनों को, जिनके लिए विदेशी अभिदाय का केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से उपयोग किया जाएगा;

(iv) ऐसे स्रोत या स्रोतों को, जिससे विदेशी अभिदाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से स्वीकार किया जाएगा,

विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करना।

12. (1) धारा 11 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र के अनुदान या पूर्व अनुज्ञा दिए जाने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, यदि आवेदन विहित प्ररूप में नहीं है या उस प्ररूप में विनिर्दिष्ट कोई विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं हैं तो आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर कर देगी।

(3) यदि प्रमाणपत्र के अनुदान या पूर्व अनुमति दिए जाने के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, यदि उसकी यह राय है कि उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर दिया गया है तो वह साधारणतया उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को रजिस्टर कर सकेगी और उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, यथास्थिति, प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी या पूर्व अनुमति दे सकेगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर प्रमाणपत्र या पूर्व अनुमति न दिए जाने की दशा में वह आवेदक को उसके कारणों को संसूचित करेगी:

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति प्रमाणपत्र दिए जाने या पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसके प्रमाणपत्र को निलंबित कर दिया गया है और उस प्रमाणपत्र का निलंबन आवेदन करने की तारीख को जारी रहता है।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी, अर्थात्:—

(क) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण या पूर्व अनुमति के अनुदान का आवेदन करने वाला व्यक्ति,—

(i) काल्पनिक या बेनामी नहीं है;

(ii) उसे धार्मिक विश्वास से किसी दूसरे में प्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरणा या बल द्वारा परिवर्तन के लिए लक्षित क्रियाकलापों में संलिप्त होने के लिए अभियोजित या दोषसिद्ध नहीं किया गया है;

(iii) उसे देश के किसी विनिर्दिष्ट जिले या किसी अन्य भाग में सामुदायिक तनाव या असामंजस्य पैदा करने के लिए अभियोजित या दोषसिद्ध नहीं किया गया है;

(iv) उसे उसकी निधियों के उपयोजन या दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया गया है;

(v) वह राजद्रोह के प्रचार में या हिंसात्मक पद्धतियों का समर्थन करने में संलिप्त नहीं हैं या उसके संलिप्त होने की संभावना नहीं है;

(vi) उसके द्वारा विदेशी अभिदाय का व्यक्तिगत लाभों के लिए उपयोग करने अथवा उसे अवांछनीय प्रयोजनों के लिए उपयोजित करने की संभावना नहीं है;

(vii) उसने इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया है;

(viii) उसे विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है;

(ख) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने उस सोसाइटी के, जिसके लिए विदेशी अभिदाय का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है, फायदे के लिए उसके चयनित क्षेत्र में युक्तियुक्त क्रियाकलाप किया है;

(ग) उपधारा (1) के अधीन पूर्व अनुमति देने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने उस सोसाइटी के, जिसके लिए विदेशी अभिदाय का उपयोग करने का प्रस्ताव है फायदे के लिए युक्तियुक्त परियोजना तैयार की है;

(घ) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो व्यष्टि है, ऐसे व्यक्ति को न तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अभियोजित किया गया है, न ही उसके विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है;

(ङ) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो व्यष्टि से भिन्न है, उसके निदेशकों या पदाधिकारियों में से किसी को न तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अभियोजित किया गया है, न ही उसके विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है;

(च) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है—

(i) भारत की प्रभुता और अखंडता; या

(ii) राज्य की सुरक्षा, उसके रणनीति संबंधी, वैज्ञानिक या आर्थिक हित; या

(iii) लोकहित; या

(iv) किसी विधान-मंडल के लिए निर्वाचन की स्वतंत्रता या ऋजुता; या

(v) किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्री संबंध; या

(vi) धार्मिक, वंश संबंधी, सामाजिक, भाषा संबंधी, प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सामंजस्य;

(छ) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी अभिदाय की स्वीकृति के कारण,—

(i) किसी अपराध का उद्दीपन नहीं होगा;

(ii) किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा नहीं होगा।

(5) जहां केन्द्रीय सरकार प्रमाणपत्र देने से इंकार करती है या पूर्व अनुमति नहीं देती है वहां वह अपने आदेश में उसके कारण अभिलिखित करेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को देगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, उन दशाओं में इस धारा के अधीन आवेदक को प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार किए जाने या पूर्व अनुमति न दिए जाने के कारण संसूचित नहीं कर सकेगी, जहां सूचना का
2005 का 22 अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन कोई सूचना या दस्तावेज या अभिलेख या कागज-पत्र देने की बाध्यता नहीं है।

(6) उपधारा (3) के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और पूर्व अनुमति, यथास्थिति, निर्दिष्ट प्रयोजन अथवा प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित विदेशी अभिदाय की विनिर्दिष्ट रकम के लिए विधिमान्य होगी।

13. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि धारा 14 की उपधारा (1) में वर्णित किसी आधार पर प्रमाणपत्र रद्द करने के प्रश्न पर विचार किए जाने तक, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगी। प्रमाणपत्र का निलंबन।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया गया है,—

(क) प्रमाणपत्र के निलंबन की अवधि के दौरान कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं करेगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी;

(ख) अपनी अभिरक्षा में किसी विदेशी अभिदाय का उपयोग विहित रीति से, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से करेगा।

प्रमाणपत्र का रद्द किया जाना।

14. (1) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, समाधान हो जाता है, आदेश द्वारा, प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगी यदि—

(क) प्रमाणपत्र धारक ने रजिस्ट्रीकरण के अनुदान या उसके नवीकरण के लिए किए गए आवेदन में या उसके संबंध में कोई ऐसा कथन किया है जो गलत है या मिथ्या है; या

(ख) प्रमाणपत्र धारक ने प्रमाणपत्र या उसके नवीकरण के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया है; या

(ग) केन्द्रीय सरकार की राय में प्रमाणपत्र का रद्द किया जाना लोकहित में आवश्यक है; या

(घ) प्रमाणपत्र धारक ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(ङ) यदि प्रमाणपत्र धारक लगातार दो वर्षों के लिए सोसाइटी के फायदे के लिए अपने चयनित क्षेत्र में किसी युक्तियुक्त क्रियाकलाप में नहीं लगा रहा है या निष्क्रिय हो गया है।

(2) इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र के रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई या युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) ऐसा व्यक्ति, जिसका प्रमाणपत्र इस धारा के अधीन रद्द किया गया है, ऐसे प्रमाणपत्र के रद्दकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण या पूर्व अनुज्ञा दिए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

ऐसे व्यक्ति, जिनका प्रमाणपत्र रद्द किया गया है, के विदेशी अभिदाय का प्रबंध।

15. (1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसका प्रमाणपत्र धारा 14 के अधीन रद्द किया गया है, की अभिरक्षा में का विदेशी अभिदाय और विदेशी अभिदाय से सृजित आस्तियां ऐसे प्राधिकारी में निहित हो जाएंगी, जो विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, यदि वह आवश्यक और लोकहित में समझता है, उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति के क्रियाकलापों का प्रबंध, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे, कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी, ऐसे क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध न होने की दशा में, विदेशी अभिदाय का उपयोग कर सकेगा या उससे सृजित आस्तियों का व्ययन कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी उस उपधारा के अधीन उसे निहित विदेशी अभिदाय और आस्तियों को उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को लौटाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को बाद में इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जाता है।

प्रमाणपत्र का नवीकरण।

16. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, ऐसे प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति से पूर्व छह मास के भीतर प्रमाणपत्र को नवीकृत कराएगा।

(2) प्रमाणपत्र के नवीकरण का आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, प्रमाणपत्र का नवीकरण, साधारणतया प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए करेगी,

जो वह ठीक समझे और रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुदत्त कर सकेगी:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार प्रमाणपत्र को नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर नवीकृत नहीं करती है तो वह उसके कारणों को आवेदक को संसूचित करेगी:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, उस दशा में प्रमाणपत्र का नवीकरण करने से इंकार कर सकेगी, जहां किसी संगम ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण किया है।

अध्याय 4

लेखा, संसूचना, संपरीक्षा और आस्तियों का व्ययन, आदि

अनुसूचित बैंक के माध्यम से विदेशी अभिदाय।

17. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है, किसी अनुसूचित बैंक की ऐसी किसी एक शाखा के माध्यम से ही किसी एकल खाते में विदेशी अभिदाय प्राप्त करेगा, जो वह ऐसे प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए अपने आवेदन में विनिर्दिष्ट करे:

परंतु ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए एक या अधिक अनुसूचित बैंकों में एक या अधिक खाते खोल सकेगा:

परंतु यह और कि ऐसे खाते या खातों में, विदेशी अभिदाय से भिन्न कोई निधि प्राप्त नहीं की जाएगी या जमा नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक बैंक या विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाए, करेगा,—

(क) विदेशी विप्रेषण की विहित रकम;

(ख) वह स्रोत और रीति, जिसमें विदेशी विप्रेषण प्राप्त किया गया था; और

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां।

संसूचना।

18. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है, विहित किए जाने वाले समय के भीतर और रीति से, केंद्रीय सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक विदेशी अभिदाय की प्रत्येक रकम, उस स्रोत, जिससे और ऐसी रीति, जिसमें ऐसा विदेशी अभिदाय प्राप्त किया गया है और वे प्रयोजन, जिनके लिए और रीति, जिसमें ऐसे विदेशी अभिदाय का उसके द्वारा उपयोग किया गया है, के संबंध में संसूचना देगा।

(2) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राप्त विदेशी अभिदाय की विशिष्टियां उपदर्शित की जाएंगी जो बैंक के अधिकारी या विदेशी मुद्रा में कारबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की जाएंगी और उसे केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के अधीन संसूचना के साथ अग्रेषित करेगा।

लेखाओं का रखा जाना।

19. प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए—

(क) उसके द्वारा प्राप्त किए गए किसी विदेशी अभिदाय का लेखा रखेगा; और

(ख) उस रीति का, जिसमें उसने ऐसे अभिदाय का उपयोग किया है, अभिलेख रखेगा।

लेखाओं की संपरीक्षा।

20. जहां कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है, इस अधिनियम के अधीन कोई संसूचना उतने समय के भीतर, जो उसके लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, देने में असफल रहता है अथवा इस प्रकार दी गई संसूचना विधि के अनुसार नहीं है अथवा यदि ऐसी संसूचना के निरीक्षण के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई

युक्तियुक्त कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' पद धारण करने वाले ऐसे राजपत्रित अधिकारी को या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या संगठन को, जिसे वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी गई या बनाए रखी गई किन्हीं लेखाबहियों की संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी तथा तब ऐसे प्रत्येक अधिकारी को सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व किसी युक्तियुक्त समय पर किसी परिसर में उक्त लेखाबहियों की संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने का अधिकार होगा:

परंतु ऐसी संपरीक्षा से अभिप्राप्त कोई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के सिवाय प्रकट नहीं की जाएगी।

निर्वाचन-अभ्यर्थी द्वारा संसूचना।

21. प्रत्येक निर्वाचन-अभ्यर्थी, जिसने कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, उस तारीख से, जिसको वह ऐसे अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती एक सौ अस्सी दिन के भीतर किसी समय, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी या दोनों को इस बात की संसूचना देगा कि उसने कितना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, ऐसा अभिदाय किसी स्रोत से और किसी रीति से प्राप्त किया है और उसने ऐसे विदेशी अभिदाय का किन प्रयोजनों के लिए और किस रीति से उपयोग किया है।

विदेशी अभिदाय से सृजित आस्तियों का व्ययन।

22. जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया गया था, अस्तित्व में नहीं रहा है या निष्क्रिय हो गया है, वहां ऐसे व्यक्ति की सभी आस्तियों का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार व्ययन किया जाएगा, जिसके अधीन व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत या निगमित किया गया था और केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त विदेशी अभिदाय से सृजित सभी आस्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि ऐसी सभी आस्तियों का व्ययन ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी रीति से और ऐसी प्रक्रिया से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

अध्याय 5

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

लेखाओं या अभिलेखों का निरीक्षण।

23. यदि केन्द्रीय सरकार के पास, किसी कारण से, जो लेखबद्ध किया जाएगा, यह संदेह करने का आधार है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का—

(क) किसी राजनैतिक दल द्वारा, या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, या

(ग) किसी संगठन द्वारा, या

(घ) किसी संगम द्वारा,

उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' पद धारण करने वाले ऐसे राजपत्रित अधिकारी को, या ऐसे किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या संगठन को, जिसे वह ठीक समझे (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरीक्षण अधिकारी कहा गया है), यथास्थिति, ऐसे राजनैतिक दल, व्यक्ति, संगठन या संगम द्वारा रखे जाने वाले किसी लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी और तब प्रत्येक ऐसे निरीक्षण अधिकारी को उक्त लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के पश्चात् किसी भी उचित समय पर किसी परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

लेखाओं या अभिलेखों का अभिग्रहण।

24. धारा 23 में निर्दिष्ट लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के पश्चात् यदि निरीक्षण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त कारण है कि इस अधिनियम या विदेशी मुद्रा से संबंधित किसी अन्य विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे लेखे या अभिलेख का अभिग्रहण कर सकेगा और उसे ऐसे न्यायालय, प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें ऐसे उल्लंघन के लिए कोई कार्यवाही की जाती है:

परन्तु यदि ऐसे लेखे या अभिलेख द्वारा प्रकटित उल्लंघन के लिए ऐसे अभिग्रहण की तारीख से छह मास के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो निरीक्षण अधिकारी ऐसे लेखे या अभिलेख को उस व्यक्ति को लौटा देगा जिससे उन्हें अभिगृहीत किया गया था।

अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति का अभिग्रहण।

25. यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक मूल्य की कोई वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति है, चाहे भारतीय हो या विदेशी, जिसके संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसी वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति का अभिग्रहण कर सकेगा।

अभिगृहीत वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति का व्ययन।

26. (1) केन्द्रीय सरकार उक्त वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति के मूल्य, चोरी होने के संबंध में उनकी असुरक्षित स्थिति या किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, ऐसी वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो अभिग्रहण किए जाने के, यथाशीघ्र, पश्चात् उस अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में व्ययनित की जाएगी जो, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अवधारित करे।

(2) अभिगृहीत कोई वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति अनावश्यक विलम्ब के बिना, ऐसे अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जो विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) जहां कोई वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति अभिगृहीत की गई है और ऐसे अधिकारी को अग्रेषित की गई है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें उनके वर्णन, मूल्य या ऐसी अन्य पहचानपरक विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जो उस उपधारा में निर्दिष्ट अधिकारी उस वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति की पहचान के लिए सुसंगत समझे तथा किसी मजिस्ट्रेट को इस प्रकार तैयार की गई सूची की शुद्धता प्रमाणित करने के प्रयोजनार्थ आवेदन करेगा।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वहां मजिस्ट्रेट, यथासंभव शीघ्र, आवेदन को अनुज्ञात करेगा।

1872 का 1
1974 का 2

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, मजिस्ट्रेट द्वारा यथा प्रमाणित सूची को ऐसे अपराध की बाबत प्राथमिक साक्ष्य समझेगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक अधिकारी, अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरन्त उस सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश के न्यायालय को भेजेगा, जिसको धारा 29 के अधीन अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता है।

अभिग्रहण का 1974 के अधिनियम के अनुसार किया जाना।

27. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन किए गए सभी अभिग्रहणों को वहां तक लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं।

अध्याय 6

न्यायनिर्णयन

अधिनियम के उल्लंघन में अभिप्राप्त वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति का अधिहरण।

28. कोई वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति जिसका धारा 25 के अधीन अभिग्रहण किया गया है, उस दशा में अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होगी, जब ऐसी वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति के बारे में धारा 29 के अधीन यह न्यायनिर्णयन किया गया है कि वह अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त या अभिप्राप्त की गई है।

अधिहरण का न्यायनिर्णयन।

29. (1) धारा 28 में निर्दिष्ट किसी अधिहरण का न्यायनिर्णयन—

(क) किसी प्रकार की सीमा के बिना उस सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अभिग्रहण किया गया था; और

(ख) ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जो सहायक सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) जब, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन, यथास्थिति, सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा पूरा कर दिया जाता है, तब सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश, यथास्थिति, अभिगृहीत वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति का, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने के लिए प्रयुक्त वस्तु का अधिहरण करके या उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को परिदान करके या अन्यथा व्ययन के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

अधिहरण की प्रक्रिया। 30. अधिहरण के न्यायनिर्णयन का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को, जिससे किसी वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति का अभिग्रहण किया गया है, ऐसे अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

अध्याय 7

अपील और पुनरीक्षण

अपील। 31. (1) धारा 29 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसको संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर निम्नलिखित को अपील कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) जहां आदेश सेशन न्यायालय द्वारा किया गया है, वहां उस उच्च न्यायालय को,जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय है; या

(ख) जहां आदेश धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया है, वहां उस सेशन न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिहरण के न्यायनिर्णयन का ऐसा आदेश किया गया था:

परन्तु यदि अपील न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी एक मास की उक्त अवधि के भीतर अपील करने से उचित कारणों से निवारित हुआ था तो वह एक मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर ऐसी अपील करने की अनुज्ञा दे सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट कोई संगठन या धारा 6 या धारा 9 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संगठन, जो धारा 5 के अनुसरण में किए गए किसी आदेश से अथवा इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश से अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, धारा 12 की उपधारा (2) या उपधारा (4) अथवा धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध उस उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपीलार्थी मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है अथवा वैयक्तिक रूप से अभिलाभ के लिए काम करता है अथवा अपीलार्थी के संगठन या संगम होने की दशा में, ऐसे संगठन या संगम का प्रधान कार्यालय अवस्थित है।

(3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील मूल डिक्री से की गई अपील समझी जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 41 के उपबन्ध, जहां तक संभव हो उसे उसी 1908 का 5 प्रकार लागू होंगे, जैसे वे मूल डिक्री से की गई अपील को लागू होते हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेशों का पुनरीक्षण। 32. (1) केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरण से या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किए जाने पर, इस अंधिनियम के अधीन ऐसी किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगी और उसकी जांच कर सकेगी जिसमें उसके द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है और ऐसी कोई जांच कर सकेगी या ऐसी जांच करा सकेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे।

(2) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन कोई आदेश उस दशा में स्वप्रेरणा से पुनरीक्षित नहीं करेगी, यदि वह आदेश एक वर्ष से अधिक समय पूर्व किया गया है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन की दशा में, आवेदन उस तारीख से, जिसको प्रश्नगत आदेश उसे संसूचित किया गया था या उस तारीख से, जिसको उसे अन्यथा रूप से इसकी जानकारी हुई थी, जो भी पूर्वतर हो, एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए:

परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारणों से उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से निवारित रहा था तो वह, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् आवेदन ग्रहण कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार किसी आदेश को वहां पुनरीक्षित नहीं करेगी, जहां आदेश के विरुद्ध कोई अपील तो होती है, किन्तु वह नहीं की गई है और वह समय, जिसके भीतर ऐसी अपील की जा सकती है, समाप्त नहीं हुआ है या ऐसे व्यक्ति ने अपील करने के अपने अधिकार का अधित्यजन नहीं किया है या अपील इस अधिनियम के अधीन फाइल की गई है।

(5) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस दी जाएगी, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण—केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार करने संबंधी कोई आदेश, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसा आदेश नहीं माना जाएगा जो ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

मिथ्या कथन, घोषणा करना या मिथ्या लेखे परिदत्त करना।

33. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन ज्ञानबूझकर,—

(क) धारा 9 की उपधारा (ग) या धारा 18 के अधीन मिथ्या जानकारी देगा; या

(ख) कपटपूर्ण, मिथ्या व्यपदेशन के माध्यम से या तात्विक तथ्य को छिपाकर पूर्व अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा,

तो वह किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराए जाने पर, कारावास का जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने का अथवा दोनों का भागी होगा।

धारा 10 के उल्लंघन में अभिप्राप्त वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति के लिए शास्ति।

34. यदि कोई व्यक्ति, जिस पर धारा 10 के अधीन किसी प्रतिषेधात्मक आदेश की तामील की गई है, किसी वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति का, चाहे भारतीय हो या विदेशी, ऐसे प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करके संदाय करेगा, परिदान, अन्तरण करेगा या उसके संबंध में कोई अन्य कार्रवाई करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया
1974 का 2 जाएगा; तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला न्यायालय सिद्धदोष व्यक्ति पर उतना अतिरिक्त जुर्माना भी अधिरोपित कर सकेगा जितना उस वस्तु के बाजार मूल्य के या उस करेंसी या प्रतिभूति की रकम के जिसके संबंध में प्रतिषेधात्मक आदेश का उसने उल्लंघन किया है, या उसके इतने भाग के बराबर हो जो न्यायालय ठीक समझे।

अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए दंड।

35. जो कोई इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी विदेशी स्रोत से कोई विदेशी अभिदाय या कोई करेन्सी या प्रतिभूति स्वीकार करेगा अथवा उसे स्वीकार करने में किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन की सहायता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

जहां वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति अधिहरण के लिए उपलब्ध न हो वहां अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति।

36. यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति के, चाहे भारतीय हो या विदेशी, सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करेगा या उसे करने में लोप करेगा, जो कार्य या लोप ऐसी वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति को इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय बना देगा तो उस व्यक्ति का विचारण करने वाला न्यायालय दंड
1974 का 2 प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, पूर्वोक्त कार्य या लोप के लिए ऐसे व्यक्ति की दोषसिद्धि पर, यदि ऐसी वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति अधिहरण के लिए उपलब्ध नहीं है, उस व्यक्ति पर,

उस वस्तु या करेन्सी या प्रतिभूति के मूल्य के पांच गुने से अनधिक या एक हजार रुपए का, इनमें से जो भी अधिक हो, जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा और इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना ऐसे किसी अन्य जुर्माने के अतिरिक्त होगा, जो ऐसे व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है।

जिन अपराधों के लिए अलग से दंड का उपबंध नहीं किया गया है उनके लिए शास्ति।

37. जो कोई इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध का, जिसके लिए अलग से शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, अनुपालन करने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

विदेशी अभिदाय स्वीकार करने का प्रतिषेध।

38. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई धारा 35 या धारा 37 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने पर, जहां तक ऐसे अपराध का संबंध विदेशी अभिदाय स्वीकार करने या उसका उपयोग करने से है, ऐसे अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जाएगा तो वह पश्चात्‌वर्ती दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

39. (1) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक्‌ तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म, सोसाइटी, व्यवसाय संघ या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म, सोसाइटी, व्यवसाय संघ या व्यष्टियों के अन्य संगम के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भगीदार या ऐसी सोसाइटी, व्यवसाय संघ अथवा व्यष्टियों के अन्य संगम का सदस्य अभिप्रेत है।

अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन का वर्जन।

40. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं करेगा।

कतिपय अपराधों का शमन।

41. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का (चाहे वह किसी व्यष्टि द्वारा किया गया हो या किसी संगम या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा), जो केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है, कोई अभियोजन संस्थित किए जाने से पहले, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी धनराशि के लिए, जो केन्द्रीय सरकार, इस निमित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा। 1974 का 2

(2) उपधारा (1) की कोई बात, किसी व्यष्टि या संगम या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए किसी अपराध को लागू नहीं होगी, जिसको उसके या उनके द्वारा किए गए समान अपराध का इस धारा के अधीन शमन किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जिसको कोई अपराध पूर्व में शमनित

किया गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया कोई दूसरा या पश्चात्वर्ती अपराध, प्रथम अपराध समझा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए, किसी अपराध का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी फीस के साथ किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(5) जहां किसी अपराध का कोई अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व शमन किया जाता है वहां ऐसे अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुपालन में व्यतिक्रम के किसी अपराध का शमन करने के किसी प्रस्ताव पर कार्रवाई करते समय, जिसके बारे में, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी के पास कोई विवरणी, लेखे या अन्य दस्तावेज फाइल या रजिस्टर करने या उसे परिदत्त करने या भेजने के लिए किसी व्यष्टि या संगम या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा अपेक्षा की जाती है, किसी व्यष्टि या संगम या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी को, लिखित आदेश द्वारा, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी विवरणी, लेखे या अन्य दस्तावेज फाइल या रजिस्टर करने का निदेश दे सकेगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

जानकारी या दस्तावेज मांगने की शक्ति।

42. धारा 23 में निर्दिष्ट कोई निरीक्षण अधिकारी जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है, इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन या संगम द्वारा रखे गए किसी लेखे या अभिलेख के किसी निरीक्षण के अनुक्रम में—

(क) अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी मांग सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति से ऐसे निरीक्षण के लिए उपयोगी या सुसंगत किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने या परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा।

अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण।

1974 का 2

43. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी, जो किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करते समय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्राप्त होती हैं।

विहित प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को विवरणियों का दिया जाना।

44. विहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को, ऐसे समय पर और प्ररूप में तथा ऐसी रीति से, ऐसी विवरणियां और विवरण देगा, जो विहित किए जाएं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

45. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या हो सकने वाली किसी हानि या नुकसान के बारे में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार या धारा 44 में निर्दिष्ट प्राधिकारी या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

46. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के संबंध में किसी अन्य प्राधिकारी या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

47. केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों और कृत्यों का, धारा 48 के अधीन नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग किया जा सकेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

48. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) उस वस्तु का मूल्य, जो धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) के उपखंड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) वह प्राधिकारी, जिसे धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ग) धारा 4 के खंड (घ) के अधीन दान या उपहार स्वीकार करना या प्रतिधारित करना;

(घ) वह या वे आधार विनिर्दिष्ट करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत, जिन पर धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी संगठन को राजनीतिक स्वरूप के संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा;

(ङ) ऐसे क्रियाकलाप या कारबार, जिनका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के परन्तुक के अधीन सट्टे के कारबार हैं;

(च) वह रीति, जिसमें धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक व्यय संगणित किए जा सकेंगे;

(छ) वह समय, जिसके भीतर और वह रीति, जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग या किसी संगम से धारा 9 के खंड (ग) के अधीन प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम के बारे में संसूचना देने की अपेक्षा की जा सकेगी;

(ज) वह समय जिसके भीतर और वह रीति, जिसमें धारा 9 के खंड (ङ) के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग से विदेशी अतिथ्य के बारे में संसूचना देने की अपेक्षा की जा सकेगी;

(झ) वह रीति, जिसमें धारा 10 के अधीन किसी व्यक्ति पर केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्रति तामील की जाएगी;

(ञ) वह प्ररूप और वह रीति, जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या पूर्व अनुज्ञा देने के लिए आवेदन दिया जा सकेगा;

(ट) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस;

(ठ) धारा 12 की उपधारा (3) के खंड (छ) के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या पूर्व अनुज्ञा देने के लिए निबंधन और शर्तें;

(ड) धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विदेशी अभिदाय का उपयोग करने की रीति;

(ढ) वह प्राधिकारी, जिसमें धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन विदेशी अभिदाय निहित होगा;

(ण) वह अवधि, जिसके भीतर और वह रीति, जिसमें धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन विदेशी अभिदाय का प्रबंध किया जाएगा;

(त) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा;

(थ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस;

(द) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन विदेशी विप्रेषण की विहित रकम, वह प्ररूप और रीति, जिसमें प्रत्येक बैंक या विदेशी मुद्रा में कारबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त विदेशी विप्रेषण की रिपोर्ट की जाएगी;

(ध) वह समय, जिसके भीतर और वह रीति, जिसमें वह व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है, धारा 18 के अधीन संसूचना देगा;

(न) वह प्ररूप और वह रीति, जिसमें विदेशी अभिदाय का और उस रीति का, जिसमें धारा 19 के अधीन ऐसे अभिदाय का उपयोग किया गया है, लेखा रखा जाएगा;

(प) वह समय, जिसके भीतर और वह रीति, जिसमें कोई निर्वाचन अभ्यर्थी धारा 21 के अधीन संसूचना देगा;

(फ) धारा 22 के अधीन आस्ति के व्ययन में अनुसरित की जाने वाली रीति और प्रक्रिया;

(ब) वे सीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी अधिहरण को न्यायनिर्णीत किया जा सकेगा;

(भ) धारा 32 की उपधारा (5) के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस;

(म) धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन किसी अपराध का शमन करने के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति तथा उसके लिए फीस;

(य) वह प्ररूप और रीति, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर, धारा 44 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा विवरणियां और विवरण दिए जाने हैं;

(यक) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

आदेशों और नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

49. धारा 5 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश और इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश या नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश या नियम नहीं किया या बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु आदेश या नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कतिपय मामलों में छूट देने की शक्ति।

50. यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह किसी व्यक्ति या किसी संगम या संगठन (जो राजनीतिक दल नहीं है), या किसी व्यष्टि को (जो निर्वाचन अभ्यर्थी नहीं है) इस अधिनियम के सभी उपबंधों या उनमें से किसी के प्रवर्तन से, आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी, और जितनी ही बार आवश्यक हो ऐसे आदेश को प्रतिसंहृत या परिवर्तित कर सकेगी।

अधिनियम का कतिपय सरकारी संव्यवहारों को लागू न होना।

51. इस अधिनियम की कोई बात, भारत सरकार और किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र की सरकार के बीच हुए किसी संव्यवहार को लागू नहीं होगी।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना।

52. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

53. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

54. (1) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1976 का 49

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी;

(ख) राजनीतिक स्वरूप का कोई संगठन, जो राजनीतिक दल नहीं है और जिसको निरसित अधिनियम की धारा 5 के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई थी, इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन राजनीतिक स्वरूप का संगठन, जो राजनीतिक दल नहीं है, तब तक बना रहेगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अनुज्ञा वापस नहीं ले ली जाती है;

(ग) निरसित अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने की अनुज्ञा, इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन तब तक दी गई अनुज्ञा समझी जाएगी जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अनुज्ञा वापस नहीं ले ली जाती है;

(घ) निरसित अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के अधीन किसी विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कोई संगम, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध संगम समझा जाएगा;

(ङ) निरसित अधिनियम की धारा 10 के खंड (ख) के अधीन प्राप्त अनुज्ञा, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, तब तक अनुज्ञा समझी जाएगी जब तक ऐसी अनुज्ञा केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस नहीं ले ली जाती है;

(च) निरसित अधिनियम की धारा 12 के अधीन जारी किया गया कोई आदेश इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन जारी किया गया आदेश समझा जाएगा;

(छ) निरसित अधिनियम की धारा 31 के अधीन जारी किया गया किसी संगम या किसी व्यष्टि को छूट प्रदान करने वाला कोई आदेश इस अधिनियम की धारा 50 के अधीन आदेश तब तक माना जाएगा जब तक ऐसा आदेश परिवर्तित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है।

(3) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, उस उपधारा में विशिष्ट विषयों के वर्णन को निरसन के प्रभाव के संबंध में, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्रभावित करने वाला नहीं ठहराया जाएगा। 1897 का 10

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 43)

[26 सितम्बर, 2010]

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. (1) इस अधिकनयम का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1970 का 48 2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ङ) में "या यूनानी तिब्बी" शब्दों के स्थान पर ",यूनानी तिब्बी या सोवा-रिग्पा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,— धारा 3 का संशोधन।

(क) "और यूनानी" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, ",यूनानी और सोवा-रिग्पा" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) "या यूनानी" शब्दों के स्थान पर ",यूनानी या सोवा-रिग्पा" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के परंतुक में "या यूनानी" शब्दों के स्थान पर ",यूनानी या सोवा-रिग्पा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 8 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में,— धारा 9 का संशोधन।

(अ) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) केन्द्रीय परिषद् अपने सदस्यों में से,–

(क) एक आयुर्वेद समिति;

(ख) एक सिद्ध समिति;

(ग) एक यूनानी समिति; और

(घ) एक सोवा-रिग्पा समिति,

गठित करेगी और प्रत्येक समिति में धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन निर्वाचित या खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट वे सदस्य होंगे जो, यथास्थिति, आयुर्वेद सिद्ध यूनानी या सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हों।";

(आ) उपधारा (2) में "और यूनानी" शब्दों के स्थान पर ",यूनानी और सोवा-रिग्पा" शब्द रखे जाएंगे;

(ड) उपधारा (3) में "या यूनानी" शब्दों के स्थान पर ",यूनानी या सोवा-रिग्पा" शब्दा रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन। 6. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (क) में ", या कार्य चिकित्सक" शब्दों के स्थान पर ",कार्य चिकित्सक या आमची" शब्द रखे जाएंगे।

प्रथम अनुसूची का संशोधन। 7. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के पैरा 1 में, "और यूनानी" शब्दों के स्थान पर ",यूनानी और सोवा-रिग्पा" शब्द रखे जाएंगे।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 5)

[30 मार्च, 2011]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2011 तक की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

प्रवास और अन्य कारणों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनसंख्या में अपूर्व वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भूमि और अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है, जिसके कारण ऐसे अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास हुए हैं, जो दिल्ली मास्टर प्लान-2001 और सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाई गई भवन निर्माण संबंधी उपविधियों में यथा उपबंधित योजनाबद्ध विकास की संकल्पना के अनुरूप नहीं हैं;

और दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य तथा शहरी विकास में सामाजिक, वित्तीय और अन्य आधारिक वास्तविकताओं के मुकाबले में उभरते हुए नए आयामों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यापक रूप से उपांतरित किया गया था और 7 फरवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया था;

और वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य सहित दिल्ली मास्टर प्लान में शहरी निर्धनों के आवास के लिए रणनीतियों के साथ ही अनौपचारिक सेक्टर से निपटने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए एक रणनीति और स्कीम तैयार की गई है और कार्यान्वित की जा रही है;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्राधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के नियमितीकरण के संबंध में तय की गई नीति के आधार पर इस प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम जारी किए गए हैं;

और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों और विनियमों के अनुसरण में अप्राधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ, अभिन्यास योजनाओं की संवीक्षा, 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान निर्माण के प्रतिशत का निर्धारण, पथों के मिश्रित उपयोग की पहचान, अभिन्यास योजनाओं का अनुमोदन, सीमाओं का नियतन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और नियमितीकरण के लिए अपात्र कालोनियों की पहचान करना सम्मिलित है;

और फेरीवालों तथा शहरी पथ विक्रेताओं से संबंधित स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए और अप्राधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के नियमितीकरण के लिए और अधिक समय अपेक्षित है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में गंदी बस्तियों के निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी समूह के पुन:स्थापन तथा पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था करने हेतु एक पुनरीक्षित नीति विरचित की गई है और तद्नुसार, पर्यावरण और जीवन-निर्वाह की परिस्थितियों में सुधार करने के विचार से गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी समूह के सुधार के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन और ऐसे व्यक्तियों हेतु आवासीय स्कीम तैयार करने का उपबंध करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया गया है और, 1 जुलाई, 2010 से अधिसूचित किया गया है; 2010 का दिल्ली अधिनियम 7

और फार्म हाऊसों के संबंध में एक प्रारूप नीति दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है;

और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसरण में, विभिन्न जोनों के संबंध में क्षेत्रीय विकास योजनाओं को अधिसूचित किया गया है, जो विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं के नियमितीकरण के लिए उपबंध करती है;

और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्मित कृषि निवेशों या उपज (जिसमें दुग्ध-उद्योग और कुक्कुट उद्योग भी सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों की बाबत नीति दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007, 5 दिसम्बर, 2007 को अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह गया था; 2007 का 43

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2009 की अवधि तक जारी रखने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि विशेष उपबंध) अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया था, और वह अधिनियम 31 दिसम्बर, 2009 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह गया था; 2009 का 24

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक की अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2010 की अवधि तक जारी रखने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया था और वह अधिनियम 31 दिसम्बर, 2010 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह गया था; 2009 का 40

और यह समीचीन है कि उक्त अधिनियम को 31 दिसंबर, 2011 तक की अवधि के लिए जारी रखते हुए ऊपर निर्दिष्ट नीतियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत सम्बद्ध अभिकरण द्वारा किसी कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता को अस्थायी राहत देने और परिहार्य कठिनाइयों तथा अपूर्णनीय हानि को कम करने का उपबंध करने हेतु दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के निबंधनों के अनुरूप कोई विधि हो;

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि। 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर होगा।

(3) यह 1 जनवरी, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(4) यह अधिनियम, दिसंबर, 2011 को उन बातों के सिवाय, प्रवर्तन में नहीं रहेगा, जो ऐसे प्रवर्तन में न रहने के पूर्व की गई हों या जिनका किए जाने से लोप किया गया हो, और ऐसे प्रवर्तन में न रहने पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 इस प्रकार लागू होगी, मानो यह अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो। (1897 का 10)

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "भवन निर्माण संबंधी उपविधियों" से भवनों से संबंधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 481 के अधीन बनाई गई उपविधियां या नई दिल्ली में यथाप्रवृत्त, पंजाब नगरपालिक अधिनियम, 1911 की धारा 188, धारा 189 की उपधारा (3) और धारा 190 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई उपविधियां या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं; (1957 का 66; 1911 का पंजाब अधिनियम, 3; 1957 का 61)

(ख) "दिल्ली" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (11) में यथापरिभाषित, दिल्ली छावनी को छोड़कर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र अभिप्रेत है; (1957 का 66)

(ग) "अधिक्रमण" से आवासिक उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग या किसी अन्य उपयोग के लिए अस्थायी, अर्धस्थायी या स्थायी संरचना के रूप में सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग अभिप्रेत है;

(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन स्थापित दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 के अधीन स्थापित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन स्थापित दिल्ली विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है, जो अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के संबंध में नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए विधिक रूप से हकदार हैं; (1957 का 66; 1994 का 44; 1957 का 61)

(ङ) "मास्टर प्लान" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 141(अ), तारीख 7 फरवरी, 2007 द्वारा अधिसूचित वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य के साथ दिल्ली मास्टर प्लान अभिप्रेत है; (1957 का 61)

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) "दंडात्मक कार्रवाई" से अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसमें परिसरों को ढा देना, सील करना और व्यक्तियों या उनके कारबारी स्थापन को, चाहे न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में या अन्यथा, विद्यमान स्थान से विस्थापित करना भी सम्मिलित होगा;

(ज) "सुसंगत विधि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण की दशा में, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957; (1957 का 61)

1156

(ii) दिल्ली नगर निगम की दशा में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957; और 1957 का 66

(iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की दशा में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994; 1994 का 44

(झ) "अप्राधिकृत विकास" से मंजूर की गई योजनाओं के उल्लंघन में या योजनाओं की मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना या, यथास्थिति, मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान या अभिन्यास प्लान के अधीन यथा अनुज्ञात भूमि उपयोग के उल्लंघन में किया गया भूमि का उपयोग या भवन का उपयोग या भवन का निर्माण या कॉलोनियों का विकास और उनका विस्तार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अधिक्रमण भी है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 में क्रमश: उनके हैं। 1957 का 61 1957 का 66 1994 का 44

प्रवर्तन का प्रास्थगित रखा जाना।

3. (1) किसी सुसंगत विधि या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्व गंदी बस्ती के निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी समूह के निवासियों, फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कॉलोनियों, गांव के आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उसके विस्तार, विद्यमान फार्म हाऊसों, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपज (जिसमें दुग्ध उद्योग और कुक्कुट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों द्वारा अधिक्रमण के रूप में अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की समस्या से निपटने के लिए मानकों, नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांतों, साध्य रणनीतियों और क्रमबद्ध व्यवस्थाओं को, जो नीचे वर्णित हैं, अंतिम रूप देने के लिए सभी संभव उपाय करेगी:—

(क) पोषणीय, योजनाबद्ध और मानवोचित रीति में दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय स्थल सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की गंदी बस्तियों के निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी समूहों के निवासियों के पुन:स्थापन और पुनर्वास के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था; 2010 का दिल्ली अधिनियम, 7

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में यथा उपबंधित रूप में शहरी पथ विक्रेताओं और फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए स्कीम और क्रमबद्ध व्यवस्था;

(ग) 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान और जहां उस तारीख से परे और 8 फरवरी, 2007 तक निर्माण किया गया है, वहां अप्राधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्रों (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) के नियमितीकरण और उनके विस्तारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और विनियमों के अनुसरण में क्रमबद्ध व्यवस्था;

(घ) ऐसे विद्यमान फार्म हाऊसों से संबंधित नीति जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपजों (जिसमें दुग्ध उद्योग और कुक्कुट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों के संबंध में क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए नीति या योजना।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, —

(i) अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत 1 जनवरी, 2008 को जो स्थिति थी; और

(ii) उपधारा (1) में वर्णित ऐसी अप्राधिकृत कॉलोनियों, गांव के आबादी क्षेत्र (जिनके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तारण की बाबत, जहां निर्माण कार्य उस तारीख से आगे और 8 फरवरी, 2007 तक हुआ है, 31 मार्च, 2002 को जो स्थिति विद्यमान थी,

उसे यथावत बनाए रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सभी सूचनाएं निलंबित की गई समझी जाएंगी और 31 दिसंबर, 2011 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार 31 दिसंबर, 2011 के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में वर्णित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत छूट को, अधिसूचना द्वारा, वापस ले सकेगी।

इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना।

4. इस अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, धारा 3 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के संबंध में कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:—

(क) उन मामलों को छोड़कर, जो धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण;

(ख) विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि को खाली कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सुसंगत नीतियों के अनुसार गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों, फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कॉलोनियों या उनके भाग, गांव के आबादी क्षेत्र (जिनके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तार का हटाया जाना।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

5. केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह ठीक समझे और स्थानीय प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे निदेशों का अनुपालन करें।

1 जनवरी, 2011 से इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक की अवधि के दौरान किए गए कार्यों या ऐसे कार्यों का, जिनके करने का लोप किया गया है, विधिमान्यकरण।

6. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, 1 जनवरी, 2011 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किए गए सभी कार्य, या ऐसे कार्यों, जिनके करने का लोप किया गया है और की गई सभी कार्रवाइयां या ऐसी सभी कार्रवाइयां, जो नहीं की गई हैं जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, इस प्रकार इन उपबंधों के अधीन किया गया या करने का लोप किया गया या नहीं किया गया समझा जाएगा मानो ऐसे उपबंध उन समयों पर प्रवृत्त थे, जब वे कार्य किए गए थे या उनके करने का लोप किया गया था और पूर्वोक्त अवधि के दौरान कार्रवाइयां की गई थीं या नहीं की गई थीं।

बन्दी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 6)

[1 अप्रैल, 2011]

बन्दी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बन्दी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम।

2. बन्दी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ग) में "सेना विधि" शब्दों के स्थान पर "सैनिक विधि" शब्द रखे जाएंगे। 2003 के अधिनियम संख्यांक 49 की धारा 5 का संशोधन।

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 7)

[1 अप्रैल, 2011]

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1959 का 38 2. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) खंड (ख) के उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ग) के उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (घ) के उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ख) का लोप किया जाएगा। धारा 3 का संशोधन।

वित्त अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 8)

[8 अप्रैल, 2011]

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 35 तक 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2011 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा। आय-कर।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है और कुल आय एक लाख साठ हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख साठ हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख साठ हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में

विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख साठ हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख नब्बे हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष का या उससे अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख साठ हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख चालीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा : 1961 का 43

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के साढ़े सात प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है या संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, किसी कंपनी के मामले से संबंधित पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग,

धारा 115खखघ, धारा 115ङ और धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय एक लाख अस्सी हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख अस्सी हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख अस्सी हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसी प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख नब्बे हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (IV) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को किसी देशी कंपनी और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया गया है ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को भी, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके:

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती के अधीन रहते हुए आय को किसी देशी कंपनी और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया गया है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2011 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी है) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस धारा और पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः, उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (15) के दूसरे परंतुक में, "दस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2012 से रखे जाएंगे । धारा 2 का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन ।

2005 का 28 (क) खंड (34) के स्पष्टीकरण का [जैसा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है] 1 जून, 2011 से लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (44) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(45) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सेवानिवृत्त अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य को संदत्त ऐसा कोई भत्ता या परिलब्धि, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए।";

(ग) इस प्रकार यथा अंतःस्थापित खंड (45) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2011 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(46) ऐसे किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) को, जो—

(क) जनसाधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप का विनियमन या प्रशासन करने के उद्देश्य से किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किया गया है या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है ;

(ख) किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा है ; और

(ग) इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है,

प्रोद्भूत होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट आय" से, इस खंड में निर्दिष्ट किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) को ऐसी प्रकृति की और उस सीमा तक प्रोद्भूत होने वाली आय अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(47) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, स्थापित किसी अवसंरचना ऋण निधि की कोई आय ।'।

धारा 35 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कक) के खंड (क) में, "एक सही तीन बटा चार" शब्दों के स्थान पर, "दुगुना" शब्द 1 अप्रैल, 2012 से रखा जाएगा ।

धारा 35कघ का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में,—

(क) उपधारा (5) में, 1 अप्रैल, 2012 से,—

(i) खंड (कग) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (कग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कघ) 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा, ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास की परियोजना के विकास और निर्माण की प्रकृति में है ;

(कङ) 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात्, उर्वरक के उत्पादन के लिए किसी नए संयंत्र में या किसी विद्यमान संयंत्र में नई प्रतिष्ठापित क्षमता में ; और";

(iii) खंड (ख) में, "और खंड (कग)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (कग), खंड (कघ) और खंड (कङ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (8) के खंड (ग) में,—

(i) उपखंड (iv) में, "नए होटल" शब्दों के स्थान पर, "होटल" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपखंड (v) में, "नए अस्पताल" शब्दों के स्थान पर, "अस्पताल" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपखंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(vii) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास की परियोजना का विकास और निर्माण ;

(viii) भारत में उर्वरक का उत्पादन ;"।

धारा 36 का संशोधन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ivक) निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में किसी कर्मचारी के खाते में धारा 80गगघ में यथानिर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम मद्दे अभिदाय के रूप में संदत्त कोई रकम उस सीमा तक जहां तक वह पूर्ववर्ष में कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" के अंतर्गत यदि नियोजन के निबंधन इस प्रकार उपबंध करते हैं, मंहगाई भत्ता भी है, किन्तु इसके अंतर्गत सभी अन्य भत्ते और परिलब्धियां नहीं हैं ;'।

धारा 40क का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (9) में, "खंड (iv)" कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "या खंड (ivक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 80गगङ का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगङ में, "धारा 80गगघ" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "धारा 80गगघ की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2012 से रखे जाएंगे।

धारा 80गगच का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगच में, "1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष" अंकों और शब्दों के पश्चात्, "अथवा 1 अप्रैल, 2012 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष" शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 80झक का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में, "31 मार्च, 2011" अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2012 से रखे जाएंगे ।

धारा 80झख का संशोधन ।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख की उपधारा (9) के खंड (ii) में निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस खंड के उपबंध भारत सरकार द्वारा संकल्प सं० ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.-वीएल, तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में घोषित नई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नीति के अधीन 31 मार्च, 2011 के पश्चात् दी गई संविदा के अधीन अनुज्ञप्त समूहों को लागू नहीं होंगे ;"।

धारा 92ग का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, "बाद वाली कीमत के पांच प्रतिशत से" शब्दों के स्थान पर, "बाद वाली कीमत के ऐसे प्रतिशत से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, इस निमित्त अधिसूचित किया जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2012 से रखे जाएंगे ।

धारा 92गक का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में, 1 जून, 2011 से,—

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार [उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से भिन्न] अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है ।";

(ii) उपधारा (7) में, "धारा 133" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 133क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 94क का अंतःस्थापन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 94 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र मे अवस्थित व्यक्तियों से संव्यवहारों के संबंध में विशेष उपाय।

'94क. (1) केंद्रीय सरकार, भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के साथ सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के अभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे देश या राज्यक्षेत्र को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी संव्यवहार के संबंध में, अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि कोई निर्धारिती ऐसा कोई संव्यवहार करता है, जिसमें संव्यवहार के पक्षकारों में से एक अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति है, तो,—

(i) संव्यवहार के सभी पक्षकार धारा 92क के अर्थ के भीतर सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे ;

(ii) मूर्त या अमूर्त संपत्ति के क्रय, विक्रय या पट्टे की प्रकृति का या सेवा का उपबंध या उधार देने या धन उधार लेने का कोई संव्यवहार या निर्धारिती के लाभों, आय, हानियों या आस्तियों से संबंध रखने वाला कोई अन्य संव्यवहार, जिसके अंतर्गत निर्धारिती द्वारा या उसे प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले किसी फायदे, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत किए जाने वाले किसी खर्च या व्यय के आबंटन या प्रभाजन के या उसके किसी अभिदाय के लिए पारस्परिक करार या ठहराव भी है, धारा 92ख के अर्थ के भीतर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा,

और धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग [उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के सिवाय], धारा 92गक, धारा 92गख, धारा 92घ, धारा 92ङ और धारा 92च के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(क) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी संदाय के संबंध में कोई कटौती इस अधिनियम के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारिती, ऐसे निर्धारिती की ओर से उक्त वित्तीय संस्था से सुसंगत सूचना की ईप्सा करने के लिए बोर्ड या अपनी ओर से कार्यरत किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी को प्राधिकृत करने संबंधी प्राधिकार विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं करता है ; और

(ख) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार से उद्भूत होने वाले किसी अन्य व्यय या मोक के संबंध में (जिसके अंतर्गत अवक्षयण भी है), कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती इस निमित्त ऐसे अन्य दस्तावेज न रखता हो और ऐसी सूचना, जो विहित की जाए, प्रस्तुत न करता हो ।

(4) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां, किसी पूर्ववर्ष में, निर्धारिती को किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त या जमा हुई है और निर्धारिती उस व्यक्ति के हाथों में या फायदाग्राही स्वामी के हाथों में (यदि ऐसा व्यक्ति उक्त राशि का फायदाग्राही स्वामी नहीं है) उक्त राशि के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहां ऐसी राशि, उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय समझी जाएगी ।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति ऐसी कोई राशि या आय या रकम प्राप्त करने का हकदार है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर कटौती योग्य है, वहां कर की कटौती निम्नलिखित दरों में से उच्चतम दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रवृत्त दर या दरों पर ;

(ख) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट दर पर ;

(ग) तीस प्रतिशत की दर पर ।

(6) इस धारा में,—

(i) "किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र का निवासी है ;

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि नहीं है, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थापित है ;

(ग) अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में, उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अंतर्गत न आने वाले किसी व्यक्ति का स्थायी स्थापन ;

(ii) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा, जो धारा 92च के खंड (iiiक) में परिभाषित है ;

(iii) "संव्यवहार" का वही अर्थ होगा, जो धारा 92च के खंड (v) में परिभाषित है।'।

धारा 115क का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) में, 1 जून, 2011 से,—

(क) उपखंड (ii) में "से प्राप्त ब्याज" शब्दों के पश्चात्, "जो खंड (iiक) में निर्दिष्ट प्रकृति का ब्याज नहीं है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiक) धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज ; या";

(ग) मद (आ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(आअ) कुल आय में सम्मिलित उपखंड (iiक) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की रकम पर, यदि कोई हो, पांच प्रतिशत की दर पर परिकलित आय-कर की रकम ;";

(घ) मद (ई) में, "उपखंड (ii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, ",उपखंड (iiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 115खखघ का अंतःस्थापन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर ।

"115खखघ. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो कोई भारतीय कंपनी है, 1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय में किसी विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा—

(क) ऐसे लाभांशों के रूप में आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ख) आय-कर की वह रकम, जिसके लिए निर्धारिती तब प्रभार्य हुआ होता, यदि उसकी कुल आय में से लाभांशों के रूप में पूर्वोक्त आय घटा दी जाती ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती को उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में उसकी आय की संगणना करने में किसी व्यय या भत्ते की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) इस धारा में,—

(i) "लाभांश" का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (22) में "लाभांश" का दिया गया है, किन्तु इसमें उसका उपखंड (ङ) सम्मिलित नहीं होगा ;

(ii) "विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी" से ऐसी विदेशी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में छब्बीस प्रतिशत या उससे अधिक भारतीय कंपनी धारित करती है ।"।

धारा 115जख का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में,—

(i) उपधारा (1) में, 1 अप्रैल 2012 से—

(क) "1 अप्रैल, 2011" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2012" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "साढ़े अठारह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण 1 में खंड (iv), खंड (v) और खंड (vi) का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2005 से लोप किया गया समझा जाएगा।

(iii) उपधारा (6) [जैसी वह विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा अंतःस्थापित की गई है] में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2005 का 28

"परंतु इस उपधारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत प्रभावी नहीं रहेंगे ।"।

नए अध्याय 12खक का अंतःस्थापन ।

19. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12ख के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 12खक

कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों के संबंध में विशेष उपबंध

कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध ।

115जग. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, ऐसे पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय को उस पूर्ववर्ष के लिए सीमित दायित्व भागीदारी की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समायोजित कुल आय, इस अध्याय को प्रभावी करने से पूर्व,—

(i) अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन "ग-कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन दावा की गई कटौतियों, यदि कोई हों ; और

(ii) धारा 10कक के अधीन, दावा की गई कटौतियों, यदि कोई हों,

से बढ़ाकर आई कुल आय होगी ।

(3) ऐसी प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, जिसको यह धारा लागू होती है, किसी लेखाकार से, यह प्रमाणित करते हुए कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगी और उस रिपोर्ट को धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करेगी ।

अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए कर प्रत्यय ।

115जघ. (1) धारा 115जग के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा संदत्त कर प्रत्यय, उसको इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात किया जाने वाला किसी निर्धारण वर्ष का कर प्रत्यय उस वर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर पर संदत्त अनुकल्पी न्यूनतम कर का आधिक्य होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कर प्रत्यय पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन अवधारित कर प्रत्यय की रकम को उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत और मुजरा किया जाएगा, किन्तु ऐसा अग्रनयन उस निर्धारण वर्ष के, जिसके लिए कर प्रत्यय उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती दसवें निर्धारण वर्ष से परे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(5) किसी ऐसे निर्धारण वर्ष में, जिसमें नियमित आय-कर, अनुकल्पी न्यूनतम कर से अधिक हो जाता है, कर प्रत्यय का अनुकल्पी न्यूनतम कर पर नियमित आय-कर के आधिक्य की सीमा तक मुजरा अनुज्ञात किया जाएगा और बकाया कर प्रत्यय, यदि कोई हो, अग्रनीत किया जाएगा ।

(6) यदि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप, किसी नियमित आय-कर या अनुकल्पी न्यूनतम कर की रकम घटाई या बढ़ाई जाती है, तो इस धारा के अधीन अनुज्ञात कर प्रत्यय की रकम को भी तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा ।

115जङ. इस अध्याय में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध इस अध्याय में निर्दिष्ट किसी सीमित दायित्व भागीदारी को लागू होंगे । इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना।

115जच. इस अध्याय में,— इस अध्याय का निर्वचन।

(क) "लेखाकार" का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में है ;

(ख) "अनुकल्पी न्यूनतम कर" से साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से समायोजित कुल आय पर संगणित कर की रकम अभिप्रेत है ;

2009 का 6 (ग) "सीमित दायित्व भागीदारी" का वही अर्थ होगा, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में है ;

(घ) "नियमित आय-कर" से किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस अध्याय के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय पर किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय आय-कर अभिप्रेत है ।'।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (6) [जैसा कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा अंतःस्थापित की गई है] में निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 115ण का संशोधन । 2005 का 28

"परंतु इस उपधारा के उपबंध 1 जून, 2011 से प्रभावी नहीं रहेंगे ।"।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में, 1 जून, 2011 से,— धारा 115द का संशोधन ।

(क) खंड (i) में, "वितरित आय" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वितरित आय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iक) किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को वितरित आय पर तीस प्रतिशत ;";

(ग) खंड (iii) में, "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 131 में, 1 जून, 2011 से,— धारा 131 का संशोधन।

(i) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, आय-कर सहायक आयुक्त से अनिम्न पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी के लिए, जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, यह सक्षम होगा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों को उस उपधारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का इस बात के होते हुए भी प्रयोग करे कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत कोई कार्यवाहियां उसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं हैं ।";

(ii) उपधारा (3) में, "या उपधारा (1क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 133 का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 133 के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के प्रयोजनों के लिए धारा 131 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित कोई आय-कर प्राधिकारी, इस धारा के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का इस बात के होते हुए भी प्रयोग कर सकेगा कि उसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं।"।

धारा 139 का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में, —

(i) खंड (क) के उपखंड (i) में, "कोई कंपनी है" शब्दों के स्थान पर, "खंड (कक) में निर्दिष्ट किसी कंपनी से भिन्न कोई कंपनी है" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जो ऐसी कंपनी है, जो धारा 92ङ में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, निर्धारण वर्ष के नवंबर का तीसवां दिन ;";

(ख) उपधारा (1ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ग) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को ऐसी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, आय की विवरणी देने की अपेक्षा से छूट दे सकेगी ।";

(ग) उपधारा (4ग) में, 1 जून, 2011 से,—

(i) खंड (च) के पश्चात् और "यदि कुल आय" शब्दों से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(छ) धारा 10 के खंड (46) में निर्दिष्ट निकाय या प्राधिकारी या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे जो भी नाम हो);

(ज) धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि,";

(ii) "आयुर्विज्ञान संस्था या व्यवसाय संघ" शब्दों के पश्चात्, "या निकाय या प्राधिकारी या बोर्ड या न्यास या आयोग या अवसंरचना ऋण निधि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 143 का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1ख) में, "31 मार्च, 2011" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 153 का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में, 1 जून, 2011 से,—

(क) खंड (vii) में, "प्राप्त किया जाता है," शब्दों के स्थान पर "प्राप्त किया जाता है, या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको आयुक्त द्वारा इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या छह मास की कोई अवधि, इनमें से जो भी कम हो,"।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, 1 जून, 2011 से,— धारा 153ख का संशोधन ।

(क) खंड (vii) में, "आदेश प्राप्त होता है ।" शब्दों के स्थान पर, "आदेश प्राप्त होता है ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (vii) के पश्चात् और "अपवर्जित की जाएगी :" शब्दों से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको आयुक्त द्वारा इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या छह मास की अवधि, इनमें से जो भी कम हो,"।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2011 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 194ठख का अंतःस्थापन ।

"194ठख. जहां किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को, धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि द्वारा ब्याज के रूप में कोई आय संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या किसी चेक या ड्राफ्ट को जारी करके या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।"। अवसंरचना ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (1) में, 1 जून, 2011 से,— धारा 245ग का संशोधन ।

(क) परंतुक में, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iक) उस दशा में, जहां,—

(अ) आवेदक खंड (i) में निर्दिष्ट उस व्यक्ति का नातेदार है, जिसने आवेदन फाइल किया है (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" कहा गया है) ; और

(आ) ऐसे आवेदक की दशा में, जो धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट व्यक्ति है, धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी वर्ष के लिए निर्धारण या पुनः निर्धारण की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं,

वहां आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक है ,';

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—खंड (iक) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) खंड (iक) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में आवेदक से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति कोई व्यष्टि है, वहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कोई नातेदार ;

(ii) जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति कोई कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, वहां कंपनी का कोई निदेशक, फर्म का भागीदार या संगम या कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(iii) कोई ऐसा व्यष्टि, जिसका विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है या ऐसे व्यष्टि का कोई नातेदार ;

(iv) ऐसी कोई कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है या ऐसी कंपनी, फर्म, संगम का कोई निदेशक, भागीदार या कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(v) कोई कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसके किसी निदेशक, यथास्थिति, भागीदार या सदस्य का विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में सारवान् हित है; या ऐसी कंपनी, फर्म, संगम का कोई निदेशक, भागीदार या कुटुंब का सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(vi) ऐसा कोई व्यक्ति, जो कोई कारबार या वृत्ति करता है,—

(अ) जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति का, जो व्यष्टि है या ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति के किसी नातेदार का, उस व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है ; या

(आ) जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति का, जो कोई कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब है या ऐसी कंपनी के किसी निदेशक, ऐसी फर्म के भागीदार या संगम अथवा कुटुंब के सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार का उस व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है ;

(ख) किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका किसी कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है, यदि,—

(अ) ऐसे मामले में, जहां कारबार या वृत्ति किसी कंपनी द्वारा की जाती है, वहां ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे शेयरों का हिताधिकारी स्वामी है (जो ऐसे शेयर नहीं हैं, जो लाभांश की नियत दर के हकदार हों चाहे लाभों में हिस्सा बंटाने के अधिकार सहित या उसके बिना) जिनकी मतदान शक्ति बीस प्रतिशत से कम नहीं है ; और

(आ) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे कारबार या वृत्ति के लाभों के बीस प्रतिशत से अन्यून का फायदा लेने का हकदार है ।"।

धारा 245घ का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6ख) समझौता आयोग, आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किसी समय, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई संशोधन, जिसका आवेदक के दायित्व को उपांतरित करने का प्रभाव है, इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक समझौता आयोग ने आवेदक और आयुक्त को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और आवेदक तथा आयुक्त को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान न कर दिया हो ।"।

धारा 282ख का लोप ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 282ख का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 285 का अंतःस्थापन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 284 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

ऐसे अनिवासी द्वारा, जिसका संपर्क कार्यालय है, विवरण प्रस्तुत किया जाना।

"285. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अनिवासी है, जिसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भारत में स्थापित कोई संपर्क कार्यालय है, किसी वित्तीय वर्ष में अपने क्रियाकलापों की बाबत उस वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, एक विवरण तैयार करेगा और उसे अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।"। 1999 का 42

33. आय-कर अधिनियम की धारा 296 में, "प्रत्येक अधिसूचना" शब्दों के पश्चात्, "और धारा 139 की उपधारा (1ग) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 296 का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क में, नियम 3 के उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "31 दिसंबर, 2010" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2011 से रखे गए समझे जाएंगे । चतुर्थ अनुसूची का संशोधन ।

धन-कर

35. धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 22घ की उपधारा (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1957 के अधिनियम 27 की धारा 22घ का संशोधन ।

"(6ख) समझौता आयोग, आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किसी समय, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई संशोधन, जिसका आवेदक के दायित्व को उपांतरित करने का प्रभाव है, इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक समझौता आयोग ने आवेदक और आयुक्त को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और आवेदक तथा आयुक्त को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान न कर दिया हो ।"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52 36. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 2 का संशोधन ।

'(2) "निर्धारण" के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण, स्वतः निर्धारण, पुनर्निर्धारण और ऐसा कोई निर्धारण भी है, जिसमें निर्धारित शुल्क शून्य है ;'।

37. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के खंड (ड) में, "या सीमाशुल्क उपायुक्त" शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 3 का संशोधन ।

38. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"17. (1) धारा 46 के अधीन किसी आयातित माल को प्रविष्ट करने वाला कोई आयातकर्ता या धारा 50 के अधीन किसी निर्यात माल को प्रविष्ट करने वाला कोई निर्यातकर्ता, धारा 85 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का, यदि कोई हो, स्वतः निर्धारण करेगा । शुल्क का निर्धारण ।

(2) उचित अधिकारी, ऐसे माल के स्वतः निर्धारण का सत्यापन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए, किसी आयातित माल या निर्यात माल की या उसके ऐसे भाग की, जो आवश्यक हो, परीक्षा या परीक्षण कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन स्वतः निर्धारण के सत्यापन के लिए, उचित अधिकारी, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से कोई संविदा, दलाल की पुर्जी, बीमा पालिसी, प्रसूची या अन्य दस्तावेज, जिसके द्वारा, यथास्थिति, आयातित माल या निर्यात माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क अभिनिश्चित किया जा सकता है, पेश करने की और ऐसा अभिनिश्चय करने के लिए अपेक्षित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे पेश करना या देना उसकी शक्ति में है और तदुपरि, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति, ऐसा दस्तावेज पेश करेगा या ऐसी जानकारी देगा ।

(4) यदि माल के सत्यापन, परीक्षा या परीक्षण पर या अन्यथा यह पाया जाता है कि स्वतः निर्धारण सही रूप में नहीं किया गया है तो उचित अधिकारी ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का पुनर्निर्धारण कर सकेगा ।

(5) जहां, उपधारा (4) के अधीन किया गया कोई पुनर्निर्धारण, इस अधिनियम के अधीन उसके लिए जारी की गई किसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त माल के मूल्यांकन, वर्गीकरण, शुल्क से छूट या रियायतों की बाबत आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा किए गए स्वतः निर्धारण के प्रतिकूल है और उन मामलों से भिन्न मामलों में जहां, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता उक्त पुनर्निर्धारण की अपनी स्वीकृति की लिखित में पुष्टि करता है, वहां उचित अधिकारी, यथास्थिति, प्रवेश पत्र या पोत परिवहन पत्र के पुनर्निर्धारण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पुनर्निर्धारण के संबंध में एक सकारण आदेश पारित करेगा ।

(6) जहां पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है या पुनर्निर्धारण के संबंध में कोई सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां उचित अधिकारी, जैसा समीचीन हो, आयातित माल या निर्यात माल के शुल्क के निर्धारण की अपने कार्यालय या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के परिसरों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संपरीक्षा कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उन मामलों में, जहां आयातकर्ता ने उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त अधिनियम, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, धारा 46 के अधीन किसी आयातित माल को प्रविष्ट किया है या किसी निर्यातकर्ता ने धारा 50 के अधीन किसी निर्यात माल को प्रविष्ट किया है, वहां ऐसा आयातित माल या निर्यात माल धारा 17, जैसी वह उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, ठीक पूर्व विद्यमान थी, के उपबंधों द्वारा शासित होता रहेगा ।"।

धारा 18 का संशोधन।

39. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 18 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 46 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) जहां आयातकर्ता या निर्यातकर्ता धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन स्वतः निर्धारण करने में असमर्थ है और निर्धारण के लिए उचित अधिकारी को लिखित में अनुरोध करता है ; या

(ख) जहां उचित अधिकारी किसी आयातित माल या निर्यात माल का कोई रासायनिक या अन्य परीक्षण कराना आवश्यक समझता है ; या

(ग) जहां आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज पेश कर दिए हैं और पूर्ण जानकारी दे दी है, किन्तु उचित अधिकारी आगे और जांच करना आवश्यक समझता है ; या

(घ) जहां आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं या जानकारी नहीं दी गई है और उचित अधिकारी आगे और जांच करना आवश्यक समझता है,

वहां उचित अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अनंतिम रूप से निर्धारण किया जाए, यदि, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ऐसे शुल्क के, जो अंतिम रूप से यथास्थिति, निर्धारित या पुनर्निर्धारित किया जाए और अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क के बीच की कमी का, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए ऐसी प्रतिभूति देता है, जो उचित अधिकारी ठीक समझे ।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(*i*) आरंभिक भाग में, "अंतिम रूप से निर्धारित" शब्दों के पश्चात् "या उचित अधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(*ii*) "अंतिम रूप से निर्धारित" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं "अंतिम रूप से, यथास्थिति, निर्धारित या पुनर्निर्धारित" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, "अंतिम निर्धारण आदेश" शब्दों के पश्चात् "या पुनर्निर्धारण आदेश" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) में, "अंतिम रूप से निर्धारण" शब्दों के पश्चात् "अंतिम रूप से, यथास्थिति, निर्धारण या शुल्क के पुनर्निर्धारण" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19 का संशोधन।

40. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 19 के परंतुक के खंड (ख) में "समाधानपर्यन्त साक्ष्य पेश करता है" शब्दों के पश्चात्, "या साक्ष्य उपलब्ध है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

41. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— धारा 27 का संशोधन।

'(1) कोई व्यक्ति, जो—

(क) उसके द्वारा संदत्त ; या

(ख) उसके द्वारा वहन किए गए,

किसी शुल्क या ब्याज के प्रतिदाय का दावा करता है, ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसे प्रतिदाय के लिए सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में आवेदन कर सकेगा, जो विहित की जाए :

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व कर दिया गया है, वहां ऐसा आवेदन उपधारा (1) के अधीन, जैसी वह उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व विद्यमान थी, किया गया समझा जाएगा और उस पर उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी :

परंतु यह और कि एक वर्ष की परिसीमा वहां लागू नहीं होगी, जहां कोई शुल्क या ब्याज, अभ्यापत्तिपूर्वक संदत्त किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, आयातकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति के संबंध में "ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख" का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा "माल के क्रय की तारीख" है ।

(1क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ ऐसा दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 28ग में निर्दिष्ट दस्तावेज भी हैं) लगा होगा, जो आवेदक यह स्थापित करने के लिए दे कि ऐसे शुल्क या ब्याज की रकम, जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उससे संगृहीत या उसके द्वारा संदत्त की गई थी और ऐसे शुल्क या ब्याज का भार उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है ।'।

(1ख) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, एक वर्ष की परिसीमा अवधि की संगणना, निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात्:—

(क) ऐसे माल की दशा में, जो धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी विशेष आदेश द्वारा शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त हैं, एक वर्ष की परिसीमा की संगणना उस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से की जाएगी;

(ख) जहां शुल्क अपील प्राधिकरण, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदेय हो जाता है, वहां एक वर्ष की परिसीमा की संगणना ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की तारीख से की जाएगी;

(ग) जहां किसी शुल्क का धारा 18 के अधीन अनंतिम रूप से संदाय किया जाता है, वहां एक वर्ष की परिसीमा की संगणना शुल्क के अंतिम निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख से या पुनर्निर्धारण की दशा में ऐसे पुनर्निर्धारण की तारीख से की जाएगी ।'।

42. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 28 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"28. (1) जहां कोई शुल्क दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से भिन्न किसी कारण उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या भूल से उसका प्रतिदाय किया गया है या संदेय कोई ब्याज संदत्त नहीं किया गया है या भागतः संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां,— उद्गृहीत नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए शुल्कों की वसूली।

(क) उचित अधिकारी, सुसंगत तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे शुल्क या ब्याज से, जो इस प्रकार उद्गृहीत नहीं किया गया है या जिसे कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या जिसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, प्रभार्य व्यक्ति को, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए;

(ख) शुल्क या ब्याज से प्रभार्य व्यक्ति,—

(i) ऐसे शुल्क को अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर ; या

(ii) उचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित शुल्क के आधार पर,

खंड (क) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, शुल्क की रकम का धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ या ब्याज की उस रकम के साथ, जो इस प्रकार संदत्त नहीं की गई है या भागतः संदत्त की गई है, संदाय कर सकेगा ।

(2) वह व्यक्ति, जिसने शुल्क का ब्याज के साथ या उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ब्याज की रकम का संदाय किया है, उचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस प्रकार संदत्त शुल्क या ब्याज या ऐसे शुल्क या ब्याज की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्ग्रहणीय किसी शास्ति की बाबत उस उपधारा के खंड (क) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा ।

(3) जहां उचित अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त रकम वास्तव में संदेय रकम से कम हो जाती है, वहां वह उस रकम की बाबत, जो उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वास्तव में संदेय रकम से कम हो जाती है, उस उपधारा के खंड (क) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने की कार्यवाही करेगा और एक वर्ष की अवधि की संगणना उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(4) जहां कोई शुल्क आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा,—

(क) दुरभिसंधि; या

(ख) किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन; या

(ग) तथ्यों को छिपाने,

के कारण उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है या संदेय ब्याज को संदत्त नहीं किया गया है या भागतः संदत्त किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां उचित अधिकारी सुसंगत तारीख से पांच वर्ष के भीतर ऐसे शुल्क या ब्याज से, प्रभार्य व्यक्ति को, जिससे ब्याज इस प्रकार उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या जिसको भूल से प्रतिदाय किया गया है, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए।

(5) जहां आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के ऐसे अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा, जिसे उचित अधिकारी द्वारा उपधारा (4) के अधीन सूचना की तामील की गई है, दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के कारण कोई शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या ब्याज प्रभारित नहीं किया गया है या भागतः संदत्त किया गया है अथवा शुल्क या ब्याज का भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति पूर्णतः या भागतः, जैसा उसके द्वारा प्रतिगृहीत किया जाए, शुल्क का और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज का और सूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का या उस शुल्क का, जो उस व्यक्ति द्वारा प्रतिगृहीत किया जाए, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की उचित अधिकारी को लिखित में सूचना दे सकेगा ।

(6) जहां, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ता या कर्मचारी ने उपधारा (5) के अधीन शुल्क का ब्याज और शास्ति सहित संदाय कर दिया है, वहां उचित अधिकारी शुल्क या ब्याज की रकम का अवधारण करेगा और अवधारण किए जाने पर, यदि उचित अधिकारी की यह राय है कि—

(i) शुल्क का ब्याज और शास्ति सहित पूर्णतः संदाय कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की बाबत, जिन्हें उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन सूचना की तामील की जाती है, कार्यवाहियां धारा 135, धारा 135क और धारा 140 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें कथित मामलों के बारे में निश्चायक समझी जाएंगी;

(ii) ब्याज और शास्ति सहित, शुल्क, जो संदत्त किया गया है, वास्तव में संदेय रकम से कम पड़ता है तो उचित अधिकारी ऐसी रकम की बाबत, जो वास्तव में संदेय रकम से कम पड़ती है, उपधारा (1) के खंड (क) में यथा उपबंधित सूचना उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में जारी करने की कार्यवाही करेगा और एक वर्ष की अवधि की संगणना उपधारा (5) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(7) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक वर्ष या उपधारा (4) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में, वह अवधि अपवर्जित की जाएगी, जिसके दौरान ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की बाबत किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा कोई रोकादेश दिया गया था।

(8) उचित अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और उस व्यक्ति द्वारा, किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य शुल्क या ब्याज की ऐसी रकम का, जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक न हो, अवधारण करेगा ।

(9) उचित अधिकारी, उपधारा (8) के अधीन शुल्क या ब्याज की रकम का अवधारण,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जहां ऐसा करना संभव हो सूचना की तारीख से छह मास के भीतर करेगा ;

(ख) उपधारा (4) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जहां ऐसा करना संभव हो सूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर करेगा ।

(10) जहां इस धारा के अधीन उचित अधिकारी द्वारा शुल्क अवधारण करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां उक्त शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का, उस रकम पर देय ब्याज सहित, चाहे ब्याज की रकम पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की गई हो या नहीं, संदाय करेगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत तारीख" से,—

(क) उस दशा में, जहां शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या ब्याज प्रभारित नहीं किया गया है, वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उचित अधिकारी माल की निकासी के लिए कोई आदेश करता है ;

(ख) उस दशा में, जहां शुल्क धारा 18 के अधीन अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है, वहां शुल्क के, यथास्थिति, अंतिम निर्धारण या पुनः निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख अभिप्रेत है ;

(ग) उस दशा में, जहां शुल्क या ब्याज का भूल से प्रतिदाय कर दिया गया है, वहां प्रतिदाय की तारीख अभिप्रेत है ;

(घ) किसी अन्य दशा में, शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख अभिप्रेत है ।'।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व कोई अननुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण या भूल से प्रतिदाय धारा 28 के उपबंधों द्वारा, जैसे वे उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व विद्यमान थे, शासित होता रहेगा।

43. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक और धारा 28कख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 28कक और धारा 28कख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"28कक. (1) किसी न्यायालय, अपील अधिकरण या किसी प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी वह व्यक्ति, जो धारा 28 के उपबंधों के अनुसार शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त, उपधारा (2) के अधीन नियत दर से ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए दायी होगा, चाहे ऐसा संदाय स्वेच्छया या उस धारा के अधीन शुल्क के अवधारण के पश्चात् किया जाता है । शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज।

(2) प्रतिवर्ष दस प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, ब्याज का धारा 28 के निबंधनानुसार ऐसे शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदाय किया जाएगा और ऐसे ब्याज की

संगणना, यथास्थिति, उस मास के, जिसमें शुल्क का संदाय किया जाना चाहिए था, यथास्थिति, उत्तरवती मास के प्रथम दिन से या भूल से ऐसा प्रतिदाय किए जाने की तारीख से ऐसे शुल्क का संदाय किए जाने की तारीख तक की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात होते हुए भी, उस दशा में, कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, जहां—

(क) शुल्क धारा 151क के अधीन बोर्ड द्वारा कोई आदेश, अनुदेश या निदेश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप संदेय हो जाता है; और

(ख) ऐसे शुल्क की रकम का, ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर, ऐसे संदाय के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उक्त संदाय के विरुद्ध अपील करने के किसी अधिकार को आरक्षित किए बिना स्वेच्छया पूर्णतः संदाय कर दिया जाता है ।"।

धारा 46 का संशोधन।

44. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "विहित प्ररूप में" शब्दों के पश्चात्, "इलैक्ट्रानिक रूप से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "परंतु" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु सीमाशुल्क आयुक्त ऐसे मामलों में, जहां इलैक्ट्रानिक रूप से प्रवेश पत्र पेश करके प्रविष्टि करना साध्य नहीं है, वहां किसी अन्य रीति में प्रवेश पत्र पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि" ;

(ख) उपधारा (4) में "उसके नीचे की ओर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 50 का संशोधन।

45. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "विहित प्ररूप में" शब्दों के पश्चात्, "इलैक्ट्रानिक रूप से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु सीमाशुल्क आयुक्त ऐसे मामलों में, जहां इलैक्ट्रानिक रूप से प्रवेश पत्र पेश करके प्रविष्टि करना साध्य नहीं है, वहां किसी अन्य रीति में प्रवेश पत्र पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।";

(ख) उपधारा (2) में "उसके नीचे की ओर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 75 का संशोधन।

46. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "कि ऐसी वापसी" शब्दों के पश्चात्, ",सिवाय ऐसी परिस्थितियों या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित करे," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 110क का संशोधन ।

47. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110क में, "न्यायनिर्णायक अधिकारी" और "सीमाशुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 114क का संशोधन ।

48. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114क में,—

(क) "धारा 28 की उपधारा (2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर जहां–जहां वे आते हैं, "धारा 28 की उपधारा (8)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) "28कख" अंकों और अक्षरों के स्थान पर दोनो स्थानों पर, जहां–जहां वे आते हैं, "28कक" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 124 का संशोधन ।

49. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 124 में, "किसी सीमाशुल्क उपायुक्त" शब्दों के स्थान पर, "किसी सीमाशुल्क सहायक आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।

50. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 131ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 20 अक्तूबर, 2010 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 131खक का अंतःस्थापन ।

"131खक. (1) बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल किए जाने का विनियमन करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी धनीय सीमाएं, जो वह ठीक समझे, नियत करने वाले आदेश या अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा । कतिपय मामलों में अपील का फाइल न किया जाना ।

(2) जहां सीमाशुल्क आयुक्त ने, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया है, वहां वह ऐसे सीमाशुल्क आयुक्त को उन्हीं या समान विवाद्यकों या विधि के प्रश्नों वाले किसी अन्य मामले में कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने से निवारित नहीं करेगा ।

(3) इस तथ्य के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया है, ऐसा कोई व्यक्ति, जो अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश में पक्षकार है, यह प्रतिवाद नहीं करेगा कि सीमाशुल्क आयुक्त ने अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल न करके विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दी है ।

(4) ऐसी अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया था ।

(5) 20 अक्तूबर, 2010 को या उसके पश्चात्, किंतु उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, बोर्ड द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने की धनीय सीमाएं नियत करने संबंधी जारी किए गए प्रत्येक आदेश या अनुदेश या निदेश को उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।"।

51. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 142क का अंतःस्थापन ।

"142क. किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय शुल्क, शास्ति, ब्याज की कोई रकम या कोई अन्य राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529क, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, निर्धारिती या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी ।"। अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होना ।

1956 का 1
1993 का 51
2002 का 54

52. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 150 की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 150 का संशोधन ।

"परंतु जहां ऐसे माल के विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, माल के स्वामी को विक्रय आगमों के अतिशेष का, यदि कोई हो, संदाय करना संभव नहीं है, वहां विक्रय आगमों के ऐसे अतिशेष का केंद्रीय सरकार को संदाय किया जाएगा ।"।

53. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 151क में, "एकरूपता के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के पश्चात्, "या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध के, जहां तक उसका संबंध माल के आयात या निर्यात के लिए किसी प्रतिषेध, निर्बंधन या प्रक्रिया से है, कार्यान्वयन के लिए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 151क का संशोधन ।

54. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 157 का संशोधन।

"(घ) आयातित या निर्यात माल के शुल्क के निर्धारण की उचित अधिकारी के कार्यालय में या, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के परिसर पर संपरीक्षा के संचालन की रीति ।"।

55. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 605(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004, सा0का0नि0 282(अ), तारीख 9 मई, 2005, सा0का0नि0 528(अ), तारीख सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का संशोधन।

1 सितंबर, 2006, सा0का0नि0 529(अ), तारीख 1 सितंबर, 2006, सा0का0नि0 349(अ), तारीख 9 मई, 2008 और सा0का0नि0 878(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2008 संशोधित हो जाएंगी और दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएंगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथा संशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही थीं ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने की शक्ति होगी और शक्ति रही मानी जाएगी, मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचनाओं का सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती ।

ताजा लहसुन के कतिपय आयातों पर सीमाशुल्क से छूट प्रदान करने वाले विशेष उपबंध ।

56. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, तीसरी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मद और उसके वर्णन को छूट दी जाएगी और उसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही उक्त स्तंभ में यथा विनिर्दिष्ट छूट दी गई समझी जाएगी।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 का संशोधन।

57. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के परंतुक के खंड (क) में, "बाट और माप मानक अधिनियम, 1976" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009" शब्द और अंक उस तारीख से रखे जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

1975 का 51
1976 का 60
2010 का 1

धारा 9क का संशोधन।

58. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) जहां केन्द्रीय सरकार की, ऐसी जांच पर, जो वह आवश्यक समझे, यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क के अधीन वस्तु के वर्णन या नाम या संरचना में परिवर्तन करके या असंयोजित या गैर-संयोजित रूप में ऐसी वस्तु का आयात करके या उसके मूल देश में परिवर्तन करके या निर्यात करके या किसी अन्य रीति में परिवंचना की गई है, जिसके कारण इस प्रकार अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अप्रभावी हो गया है, वहां वह ऐसी वस्तु या ऐसे देश में, यथास्थिति, मूल रूप से बनाई जाने वाली या उससे आयातित किसी वस्तु के संबंध में प्रतिपाटन शुल्क का विस्तार कर सकेगी।"।

धारा 9कक का संशोधन।

59. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9कक की उपधारा (1) में, "जहां कोई आयातकर्ता" शब्दों से आरंभ होने वाले और "हकदार होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"जहां उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अवधारण किए जाने पर, कोई आयातकर्ता केंद्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उसने धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन किसी वस्तु पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का ऐसी वस्तु के संबंध में वास्तविक पाटन अंतर से अधिक संदाय कर दिया है वहां केंद्रीय सरकार, यथाशीघ्र, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क को, जो इस प्रकार अवधारित वास्तविक पाटन अंतर से अधिक है, ऐसी वस्तु या ऐसे आयातकर्ता के संबंध में कम करेगी और ऐसा आयातकर्ता ऐसे आधिक्य शुल्क के प्रतिदाय के लिए हकदार होगा।"।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन।

60. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में,—

(क) पहली अनुसूची का,—

(i) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ii) 1 जनवरी, 2012 से पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ;

(ख) दूसरी अनुसूची का, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

61. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी सातवीं अनुसूची के स्तंभ (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मद के संबंध में सुरक्षा शुल्क उसमें वर्णित दर पर उसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिरोपित किया जाएगा और अधिरोपित किया गया समझा जाएगा । कतिपय अवधि के दौरान कास्टिक सोडा लाई पर अंतिम सुरक्षा शुल्क अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन विकासशील देशों के रूप में, जनवादी गणराज्य चीन, इंडोनेशिया, कतर, सउदी अरब और थाइलैंड से भिन्न, अधिसूचित देशों से कास्टिक सोडा लाई के आयातों को लागू नहीं होगी ।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1 62. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क धारा 4क का संशोधन ।
1976 का 60 अधिनियम कहा गया है) की धारा 4क की उपधारा (1) में, "बाट और माप मानक अधिनियम, 1976"
2010 का 1 शब्दों और अंकों के स्थान पर, "विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009" शब्द और अंक उस तारीख से रखे जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

63. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्: — धारा 11क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'11क. (1) जहां कोई उत्पाद-शुल्क, कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण से भिन्न, किसी कारण उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या भूल से उसका प्रतिदाय किया गया है, वहां — उद्गृहीत नहीं किए गए या संदत्त नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए शुल्कों की वसूली।

(क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, सुसंगत तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे शुल्क से, जो इस प्रकार उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या जिसको भूल से उसका प्रतिदाय किया गया है, प्रभार्य व्यक्ति को एक सूचना की, यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ;

(ख) शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति, खंड (क) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व,—

(i) ऐसे शुल्क के बारे में अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर; या

(ii) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित शुल्क के आधार पर,

शुल्क की रकम का धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ संदाय कर सकेगा ।

(2) वह व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन शुल्क का संदाय किया है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त शुल्क या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय किसी शास्ति की बाबत उस उपधारा के खंड (क) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा ।

(3) जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त रकम वास्तव में संदेय रकम से कम है, वहां वह उस रकम की बाबत, जो उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वास्तव में संदेय रकम से कम हो जाती है, उस उपधारा के खंड (क) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए कार्यवाही करेगा और एक वर्ष की अवधि की संगणना उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(4) जहां कोई उत्पाद-शुल्क, शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा,—

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

(ङ) शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन,

के कारण उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है तो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी सुसंगत तारीख से पांच वर्ष के भीतर ऐसे व्यक्ति को, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, एक

सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज और सूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क के बराबर शास्ति के साथ संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ।

(5) जहां किसी संपरीक्षा, अन्वेषण या सत्यापन के अनुक्रम के दौरान यह पाया जाता है कि किसी शुल्क को उपधारा (4) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ड) में वर्णित कारणों से उद्‌गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्‌गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, किंतु संव्यवहारों से संबंधित ब्यौरे विनिर्दिष्ट अभिलेख में उपलब्ध हैं, वहां ऐसे मामलों में, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी सुसंगत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति को, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, एक सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज और ऐसे शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति के साथ संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ।

(6) उपधारा (5) के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई व्यक्ति, उस पर हेतुक दर्शित करने वाली सूचना की तामील से पूर्व, पूर्ण शुल्क या उसके ऐसे भाग का, जो उसके द्वारा स्वीकार किया जाए, धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज और उस मास के, जिसमें ऐसा शुल्क संदेय था, आगामी मास से प्रतिमास परिकलित किए जाने वाले ऐसे शुल्क के एक प्रतिशत के बराबर, किंतु शुल्क के अधिकतम पच्चीस प्रतिशत से अनधिक, शास्ति के साथ, संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को लिखित में सूचना देगा ।

(7) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर,—

(i) इस प्रकार संदत्त रकम की बाबत किसी सूचना की तामील नहीं करेगा और जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि उपधारा (6) के अधीन यथा उपबंधित शुल्क, ब्याज और शास्ति की रकम का पूर्णतया संदाय कर दिया गया है, वहां उक्त शुल्क की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी;

(ii) ऐसी रकम की, यदि कम संदाय की गई पाई जाती है, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वसूली के लिए कार्यवाही करेगा और एक वर्ष की अवधि की संगणना ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी।

(8) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक वर्ष अथवा उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में, वह अवधि अपवर्जित की जाएगी जिसके दौरान ऐसे शुल्क के संदाय की बाबत न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा कोई रोकादेश दिया गया था ।

(9) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सूचना इस कारण से ग्रहण करने योग्य नहीं है कि कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं हुए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, वहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी यह मानते हुए कि मानो सूचना उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जारी की गई थी, एक वर्ष की अवधि के लिए उस व्यक्ति द्वारा संदेय उत्पाद-शुल्क का अवधारण करेगा ।

(10) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान करने और उस व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य उत्पाद-शुल्क की रकम का, जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक न हो, अवधारण करेगा ।

(11) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी उपधारा (10) के अधीन उत्पाद-शुल्क की रकम का,—

(क) उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जहां ऐसा करना संभव हो सूचना की तारीख से छह मास के भीतर ;

(ख) उपधारा (4) या उपधारा (5) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जहां ऐसा करना संभव हो सूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर,

अवधारण करेगा ।

(12) जहां अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय उपधारा (10) के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अवधारित उत्पाद-शुल्क की रकम को उपांतरित करता है, वहां इस धारा के अधीन शास्तियों और ब्याज की रकम इस प्रकार उपांतरित उत्पाद-शुल्क की रकम को हिसाब में लेते हुए, तदनुसार उपांतरित हो जाएगी ।

(13) जहां अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय द्वारा यथा उपांतरित रकम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा उपधारा (10) के अधीन अवधारित रकम से अधिक है, वहां उस समय की, जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन ब्याज या शास्ति संदेय है, संगणना, ऐसी वर्धित रकम के संबंध में अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय के आदेश की तारीख से की जाएगी ।

(14) जहां इस धारा के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा उत्पाद-शुल्क का अवधारण करने संबंधी कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां उक्त उत्पाद-शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का ऐसी रकम पर देय ब्याज सहित, चाहे ब्याज की रकम पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की गई हो या नहीं, संदाय करेगा ।

(15) उपधारा (1) से उपधारा (14) के उपबंध, जहां संदेय ब्याज का संदाय नहीं किया गया है या भागतः संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां यथावश्यक परिवर्तनों सहित ब्याज की वसूली को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा और धारा 11कग के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रतिदाय" के अंतर्गत भारत के बाहर निर्यात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल या ऐसे माल के, जो भारत के बाहर निर्यात किए जाते हैं, विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क्य सामग्रियों पर उत्पाद-शुल्क की रिबेट भी है ;

(ख) "सुसंगत तारीख" से,—

(i) ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल की दशा में, जिन पर उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है और इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा यथा अपेक्षित कोई आवधिक विवरणी फाइल नहीं की गई है, वह अंतिम तारीख अभिप्रेत है, जिसको ऐसी विवरणी इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल की जानी अपेक्षित है ;

(ii) ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल की दशा में, जिन पर उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है और विवरणी नियत तारीख को फाइल कर दी गई है, वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ऐसी विवरणी फाइल की गई है ;

(iii) किसी अन्य दशा में, वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको उत्पाद-शुल्क का इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाना अपेक्षित है ;

(iv) उस दशा में, जहां उत्पाद-शुल्क इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है, शुल्क के अंतिम निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख अभिप्रेत है ;

(v) ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल की दशा में, जिन पर उत्पाद-शुल्क का भूल से प्रतिदाय किया गया है, ऐसे प्रतिदाय की तारीख अभिप्रेत है ;

(ग) "विनिर्दिष्ट अभिलेख" से कंप्यूटरीकृत अभिलेखों सहित ऐसे अभिलेख अभिप्रेत हैं, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा रखे गए हैं ;'।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व कोई उद्ग्रहण न किया जाना, कम उद्ग्रहण किया जाना, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय किया जाना, धारा 11क के उपबंधों द्वारा, जैसे वे उस तारीख से पूर्व विद्यमान थे, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, शासित होता रहेगा।

64. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कक और धारा 11कख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 11कक और धारा 11 कख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"11कक. (1) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, वह व्यक्ति, जो शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, शुल्क के अतिरिक्त, उपधारा (2) शुल्क के विलम्बित संदाय पर ब्याज।

में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा, चाहे ऐसा संदाय स्वेच्छया या धारा 11क के अधीन शुल्क की रकम के अवधारण के पश्चात् किया जाता है ।

(2) प्रतिवर्ष दस प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, ब्याज का संदाय, धारा 11क के निबंधनानुसार ऐसे शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा नियत तारीख के पश्चात् किया जाएगा और ऐसे ब्याज की संगणना उस तारीख से, जिसको ऐसा शुल्क शोध्य हो जाता है, शोध्य रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात होते हुए भी, कोई ब्याज वहां संदेय नहीं होगा, जहां,—

(क) शुल्क धारा 37ख के अधीन बोर्ड द्वारा कोई आदेश, अनुदेश या निदेश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप संदेय हो जाता है, और

(ख) शुल्क की ऐसी रकम का संदाय ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर, ऐसे संदाय के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उक्त संदाय के विरुद्ध अपील करने के किसी अधिकार को आरक्षित किए बिना, स्वेच्छया पूर्णतः कर दिया जाता है ।"।

धारा 11कग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

65. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में शुल्क के कम उद्ग्रहण या उद्ग्रहण न किए जाने के लिए शास्ति।

"11कग. (1) उद्गृहीत न किए जाने या कम उद्गृहीत किए जाने या संदत्त न किए जाने या कम संदत्त किए जाने या भूल से प्रतिदाय किए जाने के लिए शास्ति की रकम नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी, अर्थात् :—

(क) जहां कोई उत्पाद-शुल्क कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अवधारित शुल्क के बराबर शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगा ;

(ख) जहां विनिर्दिष्ट अभिलेखों में उपलब्ध किसी संव्यवहार के ब्यौरों से यह प्रकट होता है कि धारा 11क की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी उत्पाद-शुल्क को उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अवधारित शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगा ;

(ग) जहां खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित किसी शुल्क और धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज का, ऐसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के, जिसने ऐसे शुल्क को अवधारित किया है, आदेश की संसूचना की तारीख से, तीस दिन के भीतर संदाय किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय किए जाने के दायित्वाधीन शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शुल्क का पच्चीस प्रतिशत होगी ;

(घ) जहां अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अवधारित उत्पाद-शुल्क की रकम को उपांतरित करता है, वहां संदेय शास्तियों और ब्याज की रकम तदनुसार उपांतरित हो जाएगी और इस प्रकार उपांतरित उत्पाद-शुल्क की रकम को हिसाब में लेने के पश्चात् वह व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अवधारित शास्ति या ब्याज की ऐसी रकम का संदाय करने के लिए भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 11क की उपधारा (4) के अधीन किसी सूचना की तामील की गई है और ऐसी सूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की यह राय है कि ऐसे संव्यवहार, जिनकी बाबत सूचना जारी की गई थी, विर्निदिष्ट अभिलेखों में अभिलिखित कर दिए गए हैं और वह मामला उपधारा (5) के अंतर्गत आता है, वहां शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति उद्ग्रहणीय होगी ।

(2) जहां अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय द्वारा यथा उपांतरित रकम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन अवधारित रकम से अधिक है, वहां उस समय की, जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन ब्याज या शास्ति संदेय है, संगणना ऐसी वर्धित रकम के संबंध में अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय के आदेश की तारीख से की जाएगी।"।

66. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घघक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 11ङ का अंतःस्थापन।

"11ङ. किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय शुल्क, शास्ति, ब्याज की कोई रकम या कोई अन्य राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529क, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, निर्धारिती या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी।"। अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होना। 1956 का 1 1993 का 51 2002 का 54

67. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12 में, "धारा 3" शब्द और अंक के पश्चात्, "और धारा 3क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और 10 मई, 2008 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे : धारा 12 का संशोधन।

1962 का 52 परन्तु सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंध धारा 3क के अंतर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में 10 मई, 2008 को आरंभ होने वाली तथा उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

68. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12ङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 12च का अंतःस्थापन।

"12च. (1) जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अपर आयुक्त या ऐसे अन्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उनसे सुसंगत होंगी, किसी स्थान में छिपाई गई हैं वहां वह किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या स्वयं ऐसे दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं की तलाशी ले सकेगा और उनका अभिग्रहण कर सकेगा। तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति।

1974 का 2 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस संहिता के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।"।

69. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35थ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 20 अक्तूबर, 2010 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 35द का अंतःस्थापन।

"35द. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल किए जाने का विनियमन करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी धनीय सीमाएं, जो वह ठीक समझे, नियत करने संबंधी आदेश या अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा। कतिपय मामलों में अपील का फाइल न किया जाना।

(2) जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ने, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया है, वहां वह ऐसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को उन्हीं या समान विवाद्यकों या विधि के प्रश्नों वाले किसी अन्य मामले में कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने से निवारित नहीं करेगा।

(3) इस तथ्य के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति, जो अपील, आवेदन,

पुनरीक्षण या निर्देश में एक पक्षकार है, यह प्रतिवाद नहीं करेगा कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ने अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल न करके विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दी है ।

(4) ऐसी अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया था।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा 20 अक्तूबर, 2010 को या उसके पश्चात्, किंतु उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने की धनीय सीमाएं नियत करने संबंधी जारी किए गए प्रत्येक आदेश या अनुदेश या निर्देश को उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।"।

धारा 38 का संशोधन।

70. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, "धारा 5क की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात्, ", धारा 5ख" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 का संशोधन।

71. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 600(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, का नियम 3, आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के प्रति उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया समझा जाएगा । 1944 का 1

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में 18 अप्रैल, 2006 से ही की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रीति में और प्रभावी रूप से की गई समझी जाएगी और सदैव से की गई समझी जाएगी, मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे थे ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 के अधीन भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर रही थी । 1944 का 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का संशोधन।

72. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 679(अ), तारीख 25 अगस्त, 2003, सं0 सा0का0नि0 60(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 और सं0 सा0का0नि0 419(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचनाएं कहा गया है) नौवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित की गई समझी जाएंगी । 1944 का 1

(2) जहां कोई विनिर्माता, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिसूचनाओं के अधीन उपबंधित छूट का फायदा प्राप्त करता है, वहां वह उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर, अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 419 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा बाद में यथा संशोधित अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 679(अ), तारीख 25 अगस्त, 2003 और सं0सा0का0नि0 60(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 में विनिर्दिष्ट शर्त (आ) के निबंधनों के अनुसार किए गए विनिधानों से संबंधित ब्यौरे विनिधान अंकन समिति को देगा ।

(3) विनिधान अंकन समिति, उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे प्राप्त होने पर और यह समाधान होने पर कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्त (आ) में यथाविनिर्दिष्ट विनिधान कर दिया गया है, उक्त

अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्त (उ) के अनुसार यथासंभव शीघ्र, किंतु 31 दिसंबर, 2012 के अपश्चात्, प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

(4) 31 दिसंबर, 2012 को या उसके पश्चात् निलंबलेख खाते में [अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 419(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 में यथानिर्दिष्ट] पड़ी हुई या अनुपयोजित रह गई शेष कोई रकम समपहृत हो जाएगी और केंद्रीय सरकार के खाते में विनियोजित की जाएगी ।

(5) किसी शुल्क की लागू ब्याज सहित, जो इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है, किंतु संदत्त किए जाने के लिए दायी था, मानो विनिधान अंकन समिति द्वारा प्रमाणपत्र जारी न किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से उक्त अधिसूचनाओं के अधीन फायदे उपलब्ध नहीं कराए गए थे, वसूली 31 दिसंबर, 2012 से एक वर्ष की अवधि के भीतर की जाएगी और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
1944 का 1 अधिनियम, 1944 के उपबंध ऐसी वसूली को लागू होंगे।

(6) उक्त अधिसूचनाओं की बाबत की गई किसी कार्रवाई या की गई किसी बात के लिए या उसके लिए जिसके किए जाने का लोप किया गया है, कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण में संस्थित नहीं की जाएगी, बनाए नहीं रखी जाएगी या जारी नहीं रहेगी और किसी न्यायालय द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के संबंध में या की गई किसी बात के संबंध में, या उसके संबंध में, जिसके किए जाने का लोप किया गया है, किसी डिक्री या आदेश का कोई प्रवर्तन उसी रूप में नहीं किया जाएगा मानो उक्त अधिसूचनाओं में किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे थे ।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति रही है मानो
1944 का 1 केंद्रीय सरकार को उक्त अधिसूचनाओं का केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो उस दशा में दंडनीय नहीं होता, यदि उक्त अधिसूचनाएं भूतलक्षी रूप से संशोधित न की गई होतीं।

1986 का 5

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची का संशोधन।

73. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमे इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,—

(क) पहली अनुसूची का,—

(i) दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ii) 1 जनवरी, 2012 से ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ;

(ख) तीसरी अनुसूची का बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।

अध्याय 5

सेवा कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

74. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 65 में, यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(1) खंड (9) का लोप किया जाएगा ;

(2) खंड (25क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(25क) "नैदानिक स्थापन" से—

(i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के, चाहे निगमित हो या नहीं, स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा स्थापित, प्रशासित या प्रबंधित कोई

अस्पताल, प्रसूतिगृह, परिचर्यागृह, औषधालय, क्लीनिक, सेनेटोरियम या कोई संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जिसके स्थापन में वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय उसके परिसर में पूर्णतः या भागतः केन्द्रीय वातानुकूलन सुविधा है और उसमें भर्ती मरीजों के उपचार के लिए पच्चीस से अधिक बिस्तर हैं, जो रोग, बीमारी, क्षति, अंग-विकार, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के लिए आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति में निदान, उपचार या देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करता है ; या

(ii) किसी स्वतंत्र इकाई के रूप में या उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नैदानिक स्थापन के भाग के रूप में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के, चाहे निगमित हो या नहीं, स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा स्थापित, प्रशासित या प्रबंधित कोई अस्तित्व अभिप्रेत है, जो विकृतिजन्य, जीवाणु विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान, रेडियोधर्मिता, रसायन, जीव विज्ञान संबंधी अन्वेषण या अन्य निदान संबंधी या अन्वेषणीय सेवाओं के माध्यम से, प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सीय उपस्कर की सहायता से, बीमारियों का निदान करता है,

किन्तु इसके अंतर्गत---

(क) सरकार ; या

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी,

के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई स्थापन नहीं है ;

(25कक) "क्लब या संगम" से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जो मुख्य रूप से अपने सदस्यों को किसी अभिदाय या अन्य रकम के लिए सेवाएं, प्रसुविधाएं या फायदे प्रदान करता है, किन्तु इसके-अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय ; या

(ii) व्यापार संघों के क्रियाकलापों, कृषि, बागवानी या पशु पालन के संवर्धन में लगा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ; या

(iii) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगा हुआ है, जिसके उद्देश्य ऐसे हैं, जो लोक सेवा और पूर्त, धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति के हैं ; या

(iv) प्रेस या मीडिया से सहबद्ध कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय;';

(3) खंड (27) में, "ऐसे प्रशिक्षण केंद्र या ऐसे संस्थान या स्थापन, जो प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या डिग्री या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मान्यताप्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता जारी करते हैं, सम्मिलित नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(4) खंड (104ग) में, "विपणन के लिए संक्रियात्मक सहायता," शब्दों के स्थान पर, "किसी भी रीति में संक्रियात्मक या प्रशासनिक सहायता," शब्द रखे जाएंगे ;

(5) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (यण) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यण) किसी व्यक्ति को, तिपहिया स्कूटर ऑटो रिक्शा और माल वहन के लिए बने मोटर यान से भिन्न किसी मोटर यान की मरम्मत, पुनर्नुकूलन, पुनरुद्धार या साज-सज्जा के लिए किसी अन्य सेवा या उसी प्रकार की अन्य सेवाओं के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;";

(ख) उपखंड (यभ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यभ) किसी पालिसीधारक या किसी व्यक्ति को, जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता, जिसके अंतर्गत पुनःबीमाकर्ता भी है, द्वारा ;";

(ग) उपखंड (यययड) में, "अपने सदस्यों" शब्दों के पश्चात्, "या किसी अन्य व्यक्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपखंड (यययड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(यययड) (i) किसी व्यक्ति को विधि की किसी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में, किसी भी रीति में, किसी कारबार अस्तित्व द्वारा ;

(ii) किसी कारबार अस्तित्व को, किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने संबंधी सेवाओं के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा ;

(iii) किसी कारबार अस्तित्व को माध्यस्थम् के संबंध में, किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा ।

स्पष्टीकरण—इस मद के प्रयोजनों के लिए, "माध्यस्थम्" और "माध्यस्थम् अधिकरण" के वही अर्थ हैं, जो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में क्रमशः उनके हैं ;'; 1996 का 26

(ङ) उपखंड (यययण) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यययण) किसी व्यक्ति को,—

(i) किसी नैदानिक स्थापन द्वारा ; या

(ii) किसी डाक्टर द्वारा, जो ऐसे किसी नैदानिक स्थापन का कर्मचारी नहीं है, जो आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति में रोग, बीमारी, क्षति, अंग-विकार, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के संबंध में निदान, उपचार या देखभाल के लिए उस परिसर से सेवाएं प्रदान करता है;";

(च) उपखंड (यययप) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(यययफ) किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे रेस्टोरेंट द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके स्थापन के किसी भाग में वातानुकूलन सुविधा है, जिसके पास ऐल्कोहली पेयों को परोसने की अनुज्ञप्ति है, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय अपने परिसर में खाद्य या पेयों, जिनके अंतर्गत ऐल्कोहली पेय भी हैं, या दोनों को परोसने के संबंध में ;

(यययब) किसी व्यक्ति को, किसी होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब या कैंप स्थल द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, तीन मास से कम की निरंतर अवधि के लिए वास सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में;";

(ख) धारा 66 में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, "और (यययप)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ",(यययप), (यययफ) और (यययब)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 70 की उपधारा (1) में, "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) धारा 73 में,—

(i) उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) के परंतुकों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(4क) उपधारा (3) और उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी संपरीक्षा, अन्वेषण या सत्यापन के अनुक्रम के दौरान यह पाया जाता है कि कोई सेवा कर उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, किंतु विनिर्दिष्ट अभिलेखों में संव्यवहारों के सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध हैं, वहां वह व्यक्ति, जो सेवा कर से प्रभार्य है या जिसे भूल से प्रतिदाय किया गया है, संपूर्ण सेवा कर या उसके ऐसे भाग का, जो वह प्रभार्य कर या भूल से प्रतिदाय की गई रकम के रूप में स्वीकार करे, धारा 75 के अधीन उस पर संदेय ब्याज सहित और उसे सूचना की तामील से पूर्व ऐसे प्रत्येक मास के लिए, उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसे कर के एक प्रतिशत के बराबर, कर की रकम के अधिकतम पच्चीस प्रतिशत तक, शास्ति का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त रकम की बाबत उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा और सेवा कर की उक्त रकम के संबंध में कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी :

परंतु केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य सेवा कर, यदि कोई हो, की ऐसी रकम को अवधारित कर सकेगा, जो उसकी राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय किए जाने के लिए शेष रहती है और उस रकम की वसूली के लिए उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में कार्यवाही करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा और धारा 78 के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट अभिलेख" से ऐसे अभिलेख, जिनके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत डाटा भी है, अभिप्रेत हैं, जिनकी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार किसी निर्धारिती द्वारा रखे जाने की अपेक्षा की जाती है अथवा जहां ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, वहां निर्धारिती द्वारा लेखा पुस्तकों में अभिलिखित बीजकों को विनिर्दिष्ट अभिलेख माना जाएगा ।';

(ङ) धारा 73ख में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि ऐसे सेवा प्रदाता की दशा में, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं का मूल्य, यथास्थिति, धारा 73क की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना के अंतर्गत आने वाले वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष के दौरान या अंतिम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान साठ लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, ब्याज की ऐसी दर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष तक कम की जाएगी ।";

(च) धारा 75 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु ऐसे सेवा प्रदाता की दशा में, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं का मूल्य, यथास्थिति, सूचना के अंतर्गत आने वाले वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष के दौरान या अंतिम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान साठ लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, ऐसी ब्याज की दर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष तक कम की जाएगी ।";

(छ) धारा 76 में,—

(i) "दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "एक प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) परंतुक में, "से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) दृष्टांत के स्थान पर, निम्नलिखित दृष्टांत रखा जाएगा, अर्थात् :—

"दृष्टांत

X, निर्धारिती, 5 मार्च तक संदेय दस लाख रुपए के सेवा कर का संदाय करने में असफल रहता है । X उस रकम का संदाय 15 मार्च को करता है । व्यतिक्रम दस दिन के लिए जारी रहा है । X द्वारा संदेय शास्ति की संगणना निम्नानुसार की जाएगी :—

10 दिन के लिए व्यतिक्रम की रकम का 1%

$$\frac{1}{100} \times 10,00,000 \times \frac{10}{31} = 3,225.80 \text{ रु॰}$$

10 दिन के लिए 100 रु0 प्रतिदिन की दर से परिकलित शास्ति = 1,000 रु॰

संदाय किए जाने के लिए दायी शास्ति 3,226.00 रु॰ है ।";

(ज) धारा 77 में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(झ) धारा 78 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"78. (1) जहां किसी सेवा कर का— करापेय सेवाओं के मूल्य को छिपाने, आदि के लिए शास्ति।

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

(ङ) सेवा कर के संदाय से बचने के आशय से इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन,

के कारण उद्ग्रहण या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण या कम संदाय किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन यथा अवधारित ऐसे सेवा कर या भूल से किए गए प्रतिदाय का संदाय करने के लिए दायी है उसके द्वारा संदेय ऐसे सेवा कर और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, के अतिरिक्त ऐसी शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगा, जो इस प्रकार उद्गृहीत या संदाय न किए गए या कम उद्गृहीत या कम संदाय किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए सेवा कर की रकम के बराबर होगी :

परंतु जहां विनिर्दिष्ट अभिलेखों में संव्यवहारों के सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध हैं, वहां शास्ति इस प्रकार उद्गृहीत या संदाय न किए गए या कम उद्गृहीत या कम संदाय किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए सेवा कर की रकम कम करके पचास प्रतिशत कर दी जाएगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसे सेवा कर और उस पर संदेय ब्याज का, ऐसे सेवा कर का अवधारण करने वाले केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदाय कर दिया जाता है, वहां शास्ति की रकम, जिसका वह व्यक्ति पहले परंतुक के अधीन संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे सेवा कर का पच्चीस प्रतिशत होगी :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन कम की गई शास्ति का फायदा तभी उपलब्ध होगा, जब इस प्रकार अवधारित शास्ति की रकम का भी, उस परंतुक में निर्दिष्ट, तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय कर दिया गया है:

परंतु यह भी कि ऐसे किसी सेवा प्रदाता की दशा में, जिसका कराधेय सेवाओं का मूल्य सूचना के अंतर्गत आने वाले वर्षों में से किसी वर्ष के दौरान या अंतिम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान साठ लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, तीस दिन की अवधि को बढ़ाकर नब्बे दिन किया जाएगा ।

(2) जहां संदाय किए जाने के लिए अवधारित सेवा कर में, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा कमी या वृद्धि की जाती है, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, सेवा कर में की गई कमी या वृद्धि को हिसाब में लिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां संदाय किए जाने वाले सेवा कर में, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा वृद्धि कर दी जाती है, वहां उपधारा (1) के दूसरे परतुक के अधीन कम की गई शास्ति का फायदा तभी उपलब्ध होगा जब इस प्रकार वर्धित सेवा कर, उस पर संदेय ब्याज और शास्ति की पारिणामिक वृद्धि की पच्चीस प्रतिशत रकम का भी उस आदेश की, जिसके द्वारा सेवा कर मे ऐसी वृद्धि प्रभावी होती है, संसूचना के, यथास्थिति, तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर संदत्त कर दिया गया है :

परंतु यह और कि यदि शास्ति इस धारा के अधीन संदेय है, तो धारा 76 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के दूसरे परंतुक या उपधारा (2) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट आदेश की संसूचना की तारीख से पूर्व केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम, ऐसे व्यक्ति से शोध्य कुल रकम मद्दे समायोजित की जाएगी।";

(ञ) धारा 80 में, "धारा 78" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 78 की उपधारा (1) के पहले परंतुक" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ट) धारा 82 की उपधारा (1) में,—

(i) "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संयुक्त आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) धारा 83 में,—

(i) "9ग, 9घ, 11ख, 11खख, 11ग, 12, 12क, 12ख, 12ग, 12घ, 12ङ, 14, 14कक, 15, 33क, 35च" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "9क, 9कक, 9ख, 9ग, 9घ, 9ङ, 11ख, 11खख, 11ग, 12, 12क, 12ख, 12ग, 12घ, 12ङ, 14, 14कक, 15, 33क, 34क, 35च" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "35थ" अंकों और अक्षर के पश्चात् ", 35द" अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और 20 अक्तूबर, 2010 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ड) धारा 87 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होना।

"88. किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, इस अध्याय के अधीन किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय शुल्क, शास्ति, ब्याज की कोई रकम या कोई अन्य राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529क, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, निर्धारिती या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी ।

1956 का 1
1993 का 51
2002 का 54

89. (1) जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करता है, अर्थात् :— अपराध और शास्तियां।

(क) इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए बीजक के बिना धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सेवा कर से प्रभार्य कोई कराधेय सेवा प्रदान करता है या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन कर से प्रभार्य कोई कराधेय सेवा प्राप्त करता है; या

(ख) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में या तो पूर्णतः या भागतः कराधेय सेवा या उत्पाद-शुल्क्य माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना कर या शुल्क के प्रत्यय का उपभोग और उपयोग करता है ; या

(ग) मिथ्या लेखा बहियां रखता है या ऐसी कोई जानकारी देने में असफल रहता है, जिसे देने के लिए उससे इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षा की जाती है या (जब तक इस बात का युक्तियुक्त विश्वास न हो कि उसके द्वारा दी गई सूचना, जिसे साबित करने का भार उस पर होगा, सही है) मिथ्या सूचना देता है ; या

(घ) सेवा कर के रूप में कोई रकम संगृहीत करता है किन्तु उस तारीख से, जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, छह मास की अवधि से परे केंद्रीय सरकार के जमा खाते में इस प्रकार संगृहीत रकम का संदाय करने में असफल रहता है,—

(i) किसी अपराध की दशा में, जहां रकम पचास लाख रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसी अवधि के, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दडंनीय होगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास छह मास से अन्यून की अवधि के लिए नहीं होगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, ऐसी अवधि के, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से, दंडनीय होगा।

(2) यदि इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से, दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास छह मास से अन्यून की अवधि के लिए नहीं होगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए छह मास से अन्यून की अवधि के लिए कारावास का दंड देने के लिए निम्नलिखित को विशेष और पर्याप्त कारण नहीं माना जाएगा,—

(i) यह तथ्य कि अभियुक्त को इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहली बार दोषसिद्ध किया गया है ;

(ii) यह तथ्य कि इस अधिनियम के अधीन, अभियोजन से भिन्न किसी कार्यवाही में, अभियुक्त को किसी शास्ति का संदाय करने का आदेश दिया गया है या उसी कार्य के लिए, जो अपराध का गठन करता है, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(iii) यह तथ्य कि अभियुक्त मुख्य अपराधी नहीं था और अपराध के किए जाने में मात्र द्वितीयक पक्षकार के रूप में कार्य कर रहा था ;

(iv) अभियुक्त की आयु ।

(4) किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त की पूर्व मंजूरी से ही अभियोजित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।";

(ढ) धारा 93क के परंतुक में, "उसका समायोजन" शब्दों के पश्चात्, "ऐसी परिस्थितियों या ऐसी शर्तों के सिवाय, जो विहित की जाएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ण) धारा 95 की उपधारा (1छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ज) यदि वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा इस अध्याय में सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य को लागू करने, उसके वर्गीकरण या निर्धारण की बाबत कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।" ;

(त) धारा 96झ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में सेवा कर से विशेष छूट।

"96ञ. (1) धारा 66 में किसी बात के होते हुए भी, उद्योग या वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए किसी क्लब या संगम द्वारा 16 जून, 2005 से 31 मार्च, 2008 (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) की अवधि के दौरान संगृहीत सदस्यता फीस की बाबत कोई सेवा कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) सभी ऐसे सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही होती ।

(3) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा ।"।

टुअर प्रचालक द्वारा, जिसके पास यात्रियों के परिवहन के लिए अंतरराज्यीय या अंतरराज्यीय ठेका गाड़ी परमिट है, किसी व्यक्ति को दी गई छूट का भूतलक्षी रूप से विधिमान्यकरण।

75. (1) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 492(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009, जिसके द्वारा किसी टुअर प्रचालक द्वारा, जिसके पास यात्रियों के परिवहन के लिए, जिसके अंतर्गत पर्यटन, संचालित टुअर, चार्टर या भाड़ा सेवा नहीं है, अंतरराज्यीय या अंतराराज्यीय ठेका गाड़ी परमिट है, किसी व्यक्ति को धारा 66 के अधीन उद्‌ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान की गई है, सभी प्रयोजनों के लिए सभी तात्त्विक समयों पर 1 अप्रैल, 2000 से ही विधिमान्य रूप से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और सदैव से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 1994 का 32

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किन्तु जो उस दशा में संगृहीत न किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(3) वित्त अधिनियम, 1994 में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा । 1994 का 32

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ख के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदायों की दशा में लागू होंगे। 1944 का 1

अध्याय 6

प्रकीर्ण

1955 के अधिनियम 16 का संशोधन।

76. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की अनुसूची के स्पष्टीकरण 3 में, "बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009" शब्द और अंक उस तारीख से रखे जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 2010 का 1

77. केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 के खंड (क) मे, "चार प्रतिशत" शब्दो के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे । 1956 के अधिनियम 74 की धारा 15 का संशोधन

78. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची का तेरहवी अनुसूची मे विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा । 1957 के अधिनियम 58 की पहली अनुसूची का संशोधन

79. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में,— 2005 के अधिनियम 28 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

(क) पैरा (क) में, खंड (ग) का 1 जून, 2011 से लोप किया जाएगा ;

(ख) पैरा (ज) का 1 अप्रैल, 2012 से लोप किया जाएगा ;

(ग) पैरा (झ) का 1 जून, 2011 से लोप किया जाएगा ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,60,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,60,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,60,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	34,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	94,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	31,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	91,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,40,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,40,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,40,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	26,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	86,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,---

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के साढ़े सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से :

परंतु ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	

आय-कर की दर

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;

(इ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;

(vi) किसी अन्य आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—

(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—

(अ) विनिधान से किसी आय पर — 20 प्रतिशत ;

(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 15 प्रतिशत ;

(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] — 20 प्रतिशत ;

(उ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) — 20 प्रतिशत ;

(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान का आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—

(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है — 10 प्रतिशत ;

(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—

(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है — 10 प्रतिशत ;

(ए) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—

(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है — 10 प्रतिशत ;

(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में अय पर — 30 प्रतिशत ;

(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर — 30 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,--	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—	
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] आय पर—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] आय पर	20 प्रतिशत ;
(ix) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में क्रमशः उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

इस भाग की मद 2(ख) के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संभवतः संदत्त की जाने वाली और कटौती के अधीन रहते हुए, आय या ऐसी आय का योग एक करोड़ रुपए से अधिक होता है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दी जाएगी ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115ङ या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे 'अग्रिम कर' पर, जहां कहीं लागू हो, अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II), मद (III) और मद (IV) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	32,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	92,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	31,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	91,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का है, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 5,00,000 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	25,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	85,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दर

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है, किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; या

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से —

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में,—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्मोक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है, वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले

निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक,

यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iv) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची के भाग 4 या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 55(1) देखिए]

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा0का0नि0 605(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 [92/2004-सीमाशुल्क, तारीख 10 सितंबर, 2004]	उक्त अधिसूचना में, शर्त (v) का लोप किया जाएगा ।	1 अप्रैल, 2008
2.	सा0का0नि0 282(अ), तारीख 9 मई, 2005 [41/2005-सीमाशुल्क, तारीख 9 मई, 2005]	उक्त अधिसूचना में, शर्त (5) का लोप किया जाएगा ।	1 अप्रैल, 2008
3.	सा0का0नि0 528(अ), तारीख 1 सितंबर, 2006 [90/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 सितंबर, 2006]	उक्त अधिसूचना में, शर्त (9) का लोप किया जाएगा ।	1 अप्रैल, 2008
4.	सा0का0नि0 529 (अ), तारीख 1 सितंबर, 2006 [91/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 सितंबर, 2006]	उक्त अधिसूचना में, शर्त (9) का लोप किया जाएगा ।	1 अप्रैल, 2008
5.	सा0का0नि0 349 (अ), तारीख 9 मई, 2008 [64/2008-सीमाशुल्क, तारीख 9 मई, 2008]	उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, खंड (2) के उपखंड (i) के पांचवें परंतुक का लोप किया जाएगा ।	9 मई, 2008
6.	सा0का0नि0 878 (अ), तारीख 24 दिसंबर, 2008 [136/2008-सीमाशुल्क, तारीख 24 दिसंबर, 2008]	उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, खंड (3) के उपखंड (i) के पांचवें परंतुक का लोप किया जाएगा ।	24 दिसंबर, 2008

तीसरी अनुसूची

(धारा 56 देखिए)

मद का वर्णन और उसकी छूट	प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 0703 20 00 के अंतर्गत आने वाले ताजा लहसुन को, जो नेशनल कंज्यूमर को-ओपरेटिव फेडरेशन और मध्य प्रदेश को-ओपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई और 15 जनवरी, 2003 के पश्चात् निकाली गई आयात अनुज्ञप्ति के अधीन आयात किया गया है, उतने सीमाशुल्क से, जो मूल्यानुसार तीस प्रतिशत से अधिक है, छूट प्रदान करती है ।	15 जनवरी, 2003

चौथी अनुसूची

[धारा 60(क)(i) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 98 में,—

(क) शार्ष 9804 के स्तंभ (2) में, "और जिनको उनके आयात की बाबत" शब्दों से आरंभ होने वाले और "शीर्ष 9803 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं नहीं हैं" शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 9804 10 00 और 9804 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "35%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 60 (क)(ii) देखिए]

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 1 में,—

(i) टिप्पण के खंड (क) में, "0301, 0306 या 0307;" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0301, 0306, 0307 या 0308 ;" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) शीर्ष 0101 में, उपशीर्ष 0101 10, टैरिफ मद 0101 10 10 से 0101 10 90, उपशीर्ष 0101 90, टैरिफ मद 0101 90 10 से 0101 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	अश्व :			
0101 21 00	--	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी	इ0	30%	-
0101 29	--	अन्य :			
0101 29 10	---	पोलो के लिए अश्व	इ0	30%	-
0101 29 90	---	अन्य	इ0	30%	-
0101 30	-	गधे :			
0101 30 10	---	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी	इ0	30%	-
0101 30 20	---	पशुधन	इ0	30%	-
0101 30 90	---	अन्य	इ0	30%	-
0101 90	-	अन्य :			
0101 90 30	---	पशुधन के रूप में खच्चर और हिन्नी	इ0	30%	-
0101 90 90	---	अन्य	इ0	30%	-";

(iii) शीर्ष 0102 में, उपशीर्ष 0102 10, टैरिफ मद 0102 10 10 से 0102 10 90, उपशीर्ष 0102 90, टैरिफ मद 0102 90 10 से 0102 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	पशु :			
0102 21	--	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी :			
0102 21 10	---	बैल	इ0	30%	-
0102 21 20	---	गाय	इ0	30%	-
0102 29	--	अन्य :			
0102 29 10	---	बैल	इ0	30%	-
0102 29 90	---	कटड़ा सहित, अन्य	इ0	30%	-
	-	भैंस :			
0102 31 00	--	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी	इ0	30%	-
0102 39 00	--	अन्य	इ0	30%	-
0102 90	-	अन्य :			
0102 90 10	---	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी	इ0	30%	-
0102 90 90	---	अन्य	इ0	30%	-";

(iv) शीर्ष 0105 में, टैरिफ मद 0105 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0105 13 00	--	बत्तखें	इ0	30%	-
0105 14 00	--	हंस	इ0	30%	-
0105 15 00	--	गिनी मुर्गे	इ0	30%	-";

(v) शीर्ष 0106 में,—

(क) टैरिफ मद 0106 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0106 12 00	--	ह्वेल, डाल्फिन और शिशुक (सिटेसिया गण के स्तनपायी); मेनेट और समुद्री गाय (सिरोनिया क्रम के स्तनपायी); सील, जलसिंह और वालरस (पिन्नीपेडिया उपगण के स्तनपायी)	इ0	30%	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
0106 13 00	--	ऊंट और अन्य (कैमेलिडाई) का	इ0	30%	-
0106 14 00	--	खरगोश और शशक	इ0	30%	-";

(ख) टैरिफ मद 0106 32 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0106 33 00	--	शुतुरमुर्ग ; सदृश पक्षी (ड्रोमेयस नोवैहोलेंडीए)	इ0	30%	-".

(ग) उपशीर्ष 0106 90, टैरिफ मद 0106 90 10 से 0106 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	कीट :			
0106 41	--	मधुमक्खियां :			
0106 41 10	---	प्योरलाइन स्टॉक	इ0	30%	-
0106 41 90	---	अन्य	इ0	30%	-
0106 49	--	अन्य :			
0106 49 10	---	प्योरलाइन स्टॉक	इ0	30%	-
0106 49 90	---	अन्य	इ0	30%	-
0106 90 00	-	अन्य	इ0	30%	-";

(2) अध्याय 2 में,—

(i) शीर्ष 0207, टैरिफ मद 0207 27 00 से 0207 36 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0207 27 00	--	टुकड़े और अवशिष्ट, हिमशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
	-	बत्तख का :			
0207 41 00	--	टुकड़ों में न कटे हुए, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0207 42 00	--	टुकड़ों में न कटे हुए, हिमशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0207 43 00	--	वसायुक्त यकृत, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0207 44 00	--	अन्य, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0207 45 00	--	अन्य हिमशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
	-	हंस का :			
0207 51 00	--	टुकड़ों में न कटे हुए, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0207 52 00	--	टुकड़ों में न कटे हुए, हिमशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0207 53 00	--	वसायुक्त यकृत, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0207 54 00	--	अन्य, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0207 55 00	--	अन्य, हिमशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0207 60 00	-	गायना मुर्गे का	कि0ग्रा0	30%	-";

(ii) शीर्ष 0208 में,—

(क) टैरिफ मद 0208 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0208 40 00	-	ह्वेल, डाल्फिन और शिशुक का (सिटेसिया गण के स्तनपायी); मेनेट और समुद्री गाय का (सिरेनिया गण के स्तनपायी); सील, जलसिंह और वालरस का (पिन्नीपेडिया उपगण के स्तनपायी)	कि0ग्रा0	30%	-";

(ख) टैरिफ मद 0208 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0208 60 00	-	ऊंट और अन्य कैमेलिड्स का (कैमेलिडाई)	कि0ग्रा0	30%	-";

(iii) टैरिफ मद 0209 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"0209		**चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या निष्कर्षित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धूमित**			
0209 10 00	-	सुअर का	कि0ग्रा0	30%	-
0209 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(iv) शीर्ष 0210 में, टैरिफ मद 0210 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0210 92 00	–	ह्वेल, डाल्फिन और शिशुक का (सिटेसिया गण के स्तनपायी); मेनेट और समुद्री गाय का (सिरेनिया गण के स्तनपायी); सील, जलसिंह और वालरस का (पिन्नीपेडिया उपगण के स्तनपायी)	कि0ग्रा0	30%	-";

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
(3) अध्याय 3 में,—					
(i) शीर्ष 0301 में —					
(क) टैरिफ मद 0301 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
	" -	अलंकारी मछली :			
0301 11 00	--	ताजा जल	कि0ग्रा0	30%	-
0301 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";
(ख) टैरिफ मद 0301 93 00 और 0301 94 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
"0301 93 00	--	कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, करासियस करासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन, इडेलस, हाइपोफथेलमिथियस, सभी जातियां, सिर्रहिनस सभी जातियां, माइलोफेरिंगोडोन, पाइसियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0301 94 00	--	अटलांटिक और प्रशांत ब्लूफिन टुनास (थुन्नुस थाईनस, थुन्नुस ओरियंटलिस)	कि0ग्रा0	30%	-";
(ii) शीर्ष 0302 में,—					
(क) टैरिफ मद 0302 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
"0302 13 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोहडोरस)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 14 00	--	अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुवे सालमन (हुचो हुचो)	कि0ग्रा0	30%	-";
(ख) टैरिफ मद 0302 23 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—					
"0302 24 00	--	टरबोट्स (पेस्टा मैक्सिमा, स्कोपथालमिडाई)	कि0ग्रा0	30%	-";
(ग) टैरिफ मद 0302 35 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---					
"0302 35 00	--	अटलांटिक और प्रशांत ब्लूफिन टुनास (थुन्नुस थाईनस, थुन्नुस ओरियंटलिस)	कि0ग्रा0	30%	-";
(घ) टैरिफ मद 0302 40 00 से 0302 68 00, उपशीर्ष 0302 69, टैरिफ मद 0302 69 10 से 0302 70 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
	" -	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी) एंकोवीस (एंग्राउसिल सभी जातियां), सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसिकस, स्कोंबर जेपोनिकस), जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां), कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम) और स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), जिसके अंतर्गत यकृत और मिनांडक नहीं हैं :			
0302 41 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 42 00	--	एंकोवीस (एंग्राउसिल सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 43 00	--	सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 44 00	--	मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसिकस, स्कोंबर जेपोनिकस)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 45 00	--	जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 46 00	--	कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 47 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
	-	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए कुल की मछली, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :			
0302 51 00	--	कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 52 00	--	हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 53 00	--	कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 54 00	--	हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां	कि0ग्रा0	30%	-
0302 55 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 56 00	--	ब्लू व्हाटिंग्स (माइक्रोमेसिसटियस पोउटेसॉ, माइक्रोमेसिसटियस आस्ट्रलिस)	कि0ग्रा0	30%	-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
0302 59 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	
	-	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिर्रहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :			
0302 71 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 72 00	--	कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 73 00	--	कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिर्रहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 74 00	--	ईल्स (एंग्युला सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	अन्य मछली, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं है :			
0302 81 00	--	कुरंजन सुरा और अन्य शार्क	कि0ग्रा0	30%	-
0302 82 00	--	रेज और स्केट्स (रेजिडाय)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 83 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 84 00	--	समुद्री बास (डाइसैन्ट्रारकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 85 00	--	सीब्रीम (स्पेरिडाय)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 89	--	अन्य :			
0302 89 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	30%	-
0302 89 20	---	दारा	कि0ग्रा0	30%	-
0302 89 30	---	पोम्फ्रेट	कि0ग्रा0	30%	-
0302 89 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
0302 90 00	-	यकृत और मीनांडक	कि0ग्रा0	30%	-";

(iii) शीर्ष 0303 में,—

(क) "स्तंभ (2) में, -प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रहोडोरस), जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं है :", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "- साल्मोनिडाई, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 0303 11 00 से 0303 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0303 11 00	--	सोकोई सालमन (लाल सालमन) (आंकोरहाइनकस नेरका)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 12 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रहोडोरस)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 13 00	--	अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानवे सालमन (हुचो हुचो)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 14 00	--	ट्राउट (सेलमो ट्रूटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुआबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसोगास्टर)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिर्रहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :			
0303 23 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 24 00	--	कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
0303 25 00	--	कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिक्थिस सभी जातियां, सिर्रहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस),	कि0ग्रा0	30%	-
0303 26 00	--	ईल्स (एंग्युला सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(ग) टैरिफ मद 0303 33 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0303 34 00	--	टरबोट्स (सेटा मैक्सिमा, स्कोपथालमिडाई)	कि0ग्रा0	30%	-";

(घ) टैरिफ मद 0303 45 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0303 45 00	--	अटलांटिक और प्रशांत ब्लूफिन टुनास (थुन्नुस थाईनस, थुन्नुस ओरियंटलिस)	कि0ग्रा0	30%	-";

(ङ) टैरिफ मद 0303 49 00 से 0303 78 00, उपशीर्ष 0303 79, टैरिफ मद 0303 79 10 से 0303 79 99, उपशीर्ष 0303 80, टैरिफ मद 0303 80 10 से 0303 80 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0303 49 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
		हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी) सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां), सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर आट्रालसियकस, स्कोंबर जेपोनिकस), जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां), कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम) और स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं है :			
0303 51 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 53 00	--	सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 54 00	--	मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर आट्रालसियकस, स्कोंबर जेपोनिकस)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 55 00	--	जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 56 00	--	कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 57 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
	-	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाय, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए कुल की मछली, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :			
0303 63 00	--	कोड (गैडस मॉरहुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 64 00	--	हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 65 00	--	कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 66 00	--	हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 67 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 68 00	--	ब्लू व्हाटिंग्स (माइक्रोमेसिसटियस पोउटेसों, माइक्रोमेसिसटियस आस्ट्रलिस)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 69 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	अन्य मछली, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं है :			
0303 81	--	कुरंजन सुरा और अन्य शार्क :			
0303 81 10	---	कुरंजन सुरा	कि0ग्रा0	30%	-
0303 81 90	---	अन्य शार्क	कि0ग्रा0	30%	-
0303 82 00	--	रेज और स्केट्स (रेजिडाय)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 83 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 84 00	--	समुद्री बास (डाइसैन्ट्रारकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 89	--	अन्य :			
0303 89 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	30%	-
0303 89 20	---	दारा	कि0ग्रा0	30%	-
0303 89 30	---	रिब्बन फिश	कि0ग्रा0	30%	-
0303 89 40	---	सुरमई	कि0ग्रा0	30%	
0303 89 50	---	पोम्फ्रेट (सफेद या सिल्वर या काली)	कि0ग्रा0	30%	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
0303 89 60	---	घोले	कि0ग्रा0	30%	
0303 89 70	---	सूत्रपख	कि0ग्रा0	30%	
0303 89 80	---	क्रोकर, ग्रुपर, फ्लाउंडर	कि0ग्रा0	30%	-
	---	अन्य :			
0303 89 91	----	वन्य प्राणी का खाद्य फिशफावस	कि0ग्रा0	30%	-
0303 89 92	----	वन्य प्राणी का खाद्य शार्क पंख	कि0ग्रा0	30%	-
0303 89 99	----	अन्य			
0303 90	-	यकृत और मीनांडक :			
0303 90 10	---	मछली का अंडा या अंडे की जर्दी	कि0ग्रा0	30%	-
0303 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(iv) शीर्ष 0304, टैरिफ मद 0304 11 00 से 0304 22 00, उपशीर्ष 0304 29, टैरिफ मद 0304 29 10 से 0304 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

"0304		**मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे टुकड़े किया गया या नहीं), मछली, द्रुतशीतित या हिमशीतित**			
	-	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिर्रहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोत्सिस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) के ताजे या द्रुतशीतित कतले ·			
0304 31 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 32 00	--	कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां),	कि0ग्रा0	30%	-
0304 33 00	--	नील पर्च (लेट्स निलोटिसस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 39 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	अन्य मछली के ताजे या द्रुतशीतित कतले :			
0304 41 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रहोडोरस), अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुवे सालमन (हुचो हुचो)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 42 00	--	ट्राउट (सेलमा ट्रूटा, आंकोरहाइनकस मैकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोन्टिा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसोगास्टर)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 43 00	--	चपटी मछली (पलूट्रोनेक्टिडाई, ग्थिडाई, नोग्लोसिडाई, सोलिडाई, स्कोपथालमिडाई और सिथारिडाई)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 44 00	--	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिक्थिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए कुल की मछली	कि0ग्रा0	30%	-
0304 45 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 46 00	--	टूथफिश (डिसोसटिक्स सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 49	--	अन्य :			
0304 49 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	30%	-
0304 49 20	---	शार्क	कि0ग्रा0	30%	-
0304 49 30	---	सुरमई	कि0ग्रा0	30%	-
0304 49 40	---	ट्यूना	कि0ग्रा0	30%	-
0304 49 90	---	अन्य			
	-	अन्य, ताजा या द्रुतशीतित :			
0304 51 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरिनस	कि0ग्रा0	30%	-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		सभी जातियां मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)			
0304 52 00	--	साल्मोनिडाई	कि0ग्रा0	30%	
0304 53 00	--	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेड्डिाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए कुल की मछली	कि0ग्रा0	30%	-
0304 54 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 55 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 59	--	अन्य :			
0304 59 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	30%	-
0304 59 20	---	शार्क	कि0ग्रा0	30%	-
0304 59 30	---	सुरमई	कि0ग्रा0	30%	-
0304 59 40	---	ट्यूना	कि0ग्रा0	30%	-
0304 59 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिर्रहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) के हिमशीतित कतले :			
0304 61 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 62 00	--	कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां),	कि0ग्रा0	30%	-
0304 63 00	--	नील पर्च (लेट्स निलोटिसस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 69 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेड्डिाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए कुल की हिमशीतित मछली के कतले :			
0304 71 00	--	कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 72 00	--	हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 73 00	--	कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 74 00	--	हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 75 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	अन्य मछली के हिमशीतित कतले :			
0304 81 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोडोरस), अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुवे सालमन (हुचो हुचो)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 82 00	--	ट्राउट (सेलमो ट्रूटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसेगास्टर)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 83 00	--	चपटी मछली (पलूट्रोनेक्टिडाई, बोथिडाई, नोग्लोसिडाई, सोलिडाई, स्कोपथालमिडाई और सिथारिडाई)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 84 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 85 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 86 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 87 00	--	ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस वंश की), स्किपजैक या पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो [यूथीनस (कातसूवोनस) पेलामिस]	कि0ग्रा0	30%	-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
0304 89	--	अन्य :			
0304 89 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	30%	-
0304 89 20	---	शार्क	कि0ग्रा0	30%	-
0304 89 30	---	सुरमई	कि0ग्रा0	30%	-
0304 89 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
		अन्य, हिमशीतित :			
0304 91 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लैडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 92 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 93 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 94 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 95 00	--	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए कुल की मछली, अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा) से भिन्न	कि0ग्रा0	30%	-
0304 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(v) शीर्ष 0305, टैरिफ मद 0305 10 00 से 0305 51 00, उपशीर्ष 0305 59, टैरिफ मद 0305 59 10 से 0305 63 00, उपशीर्ष 0305 69, टैरिफ मद 0305 69 10 से 0305 69 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0305		**मछली, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी ; धूमित मछली, चाहे वह धूमन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाई गई या नहीं ; मछली का आटा, अवचूर्ण और गुटका जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है**			
0305 10 00	-	मानव उपभोग के लिए उपयुक्त मछली का आटा, अवचूर्ण और गुटका,	कि0ग्रा0	30%	-
0305 20 00	-	मछली का यकृत और मीनांडक, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी, किन्तु धूमित नहीं	कि0ग्रा0	30%	-
	-	मछली के कतले, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी किंतु धूमित नहीं :			
0305 31 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिर्रहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0305 32 00	--	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए कुल की मछली	कि0ग्रा0	30%	-
0305 39 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	धूमित मछली, जिसके अंतर्गत कतले भी हैं, खाद्य मछली के अवशिष्ट भी हैं :			
0305 41 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोडोरस), अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और डेन्यूल सालमन (हुचो हुचो)	कि0ग्रा0	30%	-
0305 42 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी)	कि0ग्रा0	30%	-
0305 43 00	--	ट्राउट (सेलमो ट्रटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसोगास्टर)	कि0ग्रा0	30%	-
0305 44 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां,	कि0ग्रा0	30%	-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		सिर्रहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)			
0305 49 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	शुष्कित मछली, खाद्य मछली के अवशिष्ट से भिन्न, चाहे लवणित हो या नहीं किन्तु धूमित नहीं :			
0305 51 00	--	कोड (गैडस मॉरहुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	30%	-
0305 59	--	अन्य :			
0305 59 10	---	मुम्बई डक	कि0ग्रा0	30%	-
0305 59 20	---	सुरमई, बिना सिर के	कि0ग्रा0	30%	-
0305 59 30	---	स्प्रेट्स	कि0ग्रा0	30%	-
0305 59 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	मछली, लवणित किन्तु शुष्कित या धूमित नहीं और लवण जल में रखी मछली, खाद्य मछली के अवशिष्ट से भिन्न :			
0305 61 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी)	कि0ग्रा0	30%	-
0305 62 00	--	कोड (गैडस मॉरहुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	30%	-
0305 63 00	--	एंचोवी (एंग्रोलिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0305 64 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिर्रहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	-
0305 69	--	अन्य :			
0305 69 10	---	मुम्बई डक	कि0ग्रा0	30%	-
0305 69 20	---	सुरमई, बिना सिर के	कि0ग्रा0	30%	-
0305 69 30	---	स्प्रेट्स	कि0ग्रा0	30%	-
0305 69 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	मछली के पंख, सिर, पूंछ, उदर और अन्य खाद्य मछली के अवशिष्ट :			
0305 71 00	--	शार्क पंख	कि0ग्रा0	30%	-
0305 72 00	--	मछली के पंख, पूंछ और उदर	कि0ग्रा0	30%	-
0305 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(vi) शीर्ष 0306 में,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

" --- क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताजी, द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी ; कवचयुक्त क्रेस्टेशिया जो भापन द्वारा या जल में उबालकर पकाई गई है, चाहे द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी है या नहीं ; क्रेस्टेशिया का आटा, अवचूर्ण और गुटिका, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है";

(ख) उपशीर्ष 0306 13, टैरिफ मद 0306 13 11, 0306 13 19, 0306 13 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 0306 14 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0306 15 00	--	नार्वे महाचिंगट (नेफ्रोस नार्वेजिकस)	कि0ग्रा0	30%	-
0306 16	--	शीतजल झींगी और झींगा (पांडालुस सभी जातियां, क्रैंगोन क्रैंगोन) :			
0306 16 10	---	त्वरित हिमशीतित शुष्कित (एएफडी)	कि0ग्रा0	30%	-
0306 16 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
0306 17	--	अन्य झींगी और झींगा :			
	---	स्कैंपी (मैक्रोबेक्टियम सभी जातियां) :			
0306 17 11	----	त्वरित हिमशीतित शुष्कित (एएफडी)	कि0ग्रा0	30%	-
0306 17 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
0306 17 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

(घ) उपशीर्ष 0306 23, टैरिफ मद 0306 23 10 और 0306 23 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) टैरिफ मद 0306 24 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0306 25 00	--	नार्वे महाचिंगट (नेफ्रोस नार्वेजिकस)	कि0ग्रा0	30%	-
0306 26 00	--	शीत जल झींगी और झींगा (पांडालुस सभी जातियां, क्रेंगोन क्रेंगोन)	कि0ग्रा0	30%	-
0306 27	-	अन्य झींगी और झींगा :			
0306 27 10	---	अवचूर्ण	कि0ग्रा0	30%	-
0306 27 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(vii) शीर्ष 0307 में,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताजी, द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित या लवण जल में रखे ; धूमित मोलस्क, चाहे कवच में हो या नहीं, चाहे धूमन प्रक्रिया से पूर्व या उसके दौरान पकाई गई है या नहीं ; मोलस्क का आटा, अवचूर्ण और गुटिका, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं";

(ख) टैरिफ मद 0307 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	सीप :			
0307 11 00	-	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0307 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(ग) टैरिफ मद 0307 60 00 से 0307 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0307 60 00	-	घोंघे, समुद्री घोंघे से भिन्न	कि0ग्रा0	30%	-
	-	सीपियां, घोंघे और बंद कवच (आर्सीडाई, आर्क्टीसीडाई, कार्डीडाई, डोनासिडाई, हीएटेलिडाई, मेक्ट्रीडाई, मेसोडिसमेटीडाई, माईएडाई, सिमेलिडाई, सोलेकर्टीडाई, सोलेनिडाई, ट्राईडेक्नीडाई और वेनेरीडाई कुल) :			
0307 71 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0307 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	ऐबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां) :			
0307 81 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0307 89 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	अन्य, जिसके अंतर्गत आटा, अवचूर्ण और गुटिका भी है, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है :			
0307 91 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0307 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(viii) टैरिफ मद 0307 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष उपशीर्ष टैरिफ मदें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"0308		**क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकी, जीवित, ताजी, द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी ; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न धूमित, जलीय अकशेरुकी, चाहे धूमन प्रक्रिया से पूर्व या दौरान पकाई गई है या नहीं ; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकी का आटा, अवचूर्ण और गुटिका, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है**			
	-	समुद्री कुकुम्बर (स्टीचोपस जेपोनिकस, होलोथूरियाडाई):			
0308 11 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित,	कि0ग्रा0	30%	-
0308 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	समुद्री जलशाही (स्ट्रॉगिलोसेंट्रोटस सभी जातियां, पैरासेंट्रोटस लिविडस, लोक्सीचिनस एल्बस, इचिचिनस एस्कुलेंटस):			
0308 21 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित,	कि0ग्रा0	30%	-
0308 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
0308 30	-	जेलीफिश (रोपेलिमा सभी जातियां) :			
0308 30 10	---	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	30%	-
0308 30 20	---	शुष्कित, लवणित या हिमशीतित	कि0ग्रा0	30%	-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
0308 90 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(4) अध्याय 4 में,—

(i) शीर्ष 0401 में, टैरिफ मद 0401 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0401 40 00	-	जिसमें वसा अंश, भार के आधार पर 6% से अधिक किन्तु 10% से अनधिक है	कि0ग्रा0	30%	-
0401 50 00	-	जिसमें वसा अंश, भार के आधार पर 10% से अधिक है	कि0ग्रा0	30%	-";

(ii) शीर्ष 0407, उपशीर्ष 0407 00, टैरिफ मद 0407 00 10 से 0407 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0407		**पक्षियों के अंडे, कवच युक्त, ताजे, परिरक्षित या पकाए हुए**			
	-	सेने के लिए प्रजनित अंडे :			
0407 11 00	--	गेलुस डोमिस्टिक्स प्रजातियों की मुर्गियों के	इ0	30%	-
0407 19	--	अन्य :			
0407 19 10	---	बत्तखों के	इ0	30%	-
0407 19 90	---	अन्य	इ0	30%	-
	-	अन्य ताजे अंडे :			
0407 21 00	--	गेलुस डोमिस्टिक्स प्रजातियों की मुर्गियों के	इ0	30%	-
0407 29 00	--	अन्य	इ0	30%	-
0407 90 00	-	अन्य	इ0	30%	-";

(5) अध्याय 6 में—

(i) शीर्ष 0603 में, टैरिफ मद 0603 14 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0603 15 00	--	लिलीज (लिलियम सभी जातियां)	कि0ग्रा0	60%	-";

(ii) शीर्ष 0604 में, टैरिफ मद 0604 10 00 से 0604 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0604 20 00	-	ताजा	कि0ग्रा0	30%	-
0604 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(6) अध्याय 7 में,—

(i) शीर्ष 0709 में, उपशीर्ष 0709 90 , टैरिफ मद 0709 90 10 से 0709 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	अन्य :			
0709 91 00	--	गोल हाथीचक	कि0ग्रा0	30%	20%
0709 92 00	--	जैतून	कि0ग्रा0	30%	20%
0709 93 00	--	कद्दू, स्क्वैश और गुअर्ड (कुकुरबिता सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	20%
0709 99	-	अन्य :			
0709 99 10	---	ग्रीन पेप्पर	कि0ग्रा0	30%	20%
0709 99 20	---	मिश्रित वनस्पतियां	कि0ग्रा0	30%	20%
0709 99 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%";

(ii) शीर्ष 0713 में,—

(क) टैरिफ मद 0713 33 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

0713 34 00	--	बम्बारा सेम (विजना सबटेरानिया या वोन्डजेइया सबटेरानिया	कि0ग्रा0	30%	20%
0713 35 00	--	सफेद मटर (विजना अंग्वीकुलाटा	कि0ग्रा0	30%	20%";

(ख) टैरिफ मद 0713 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0713 60 00	-	पिजन पीज (कजानस कजान)	कि0ग्रा0	30%	20%";

(ग) टैरिफ मद 0713 90 10 से 0713 90 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0713 90 10	---	स्प्लिट	कि0ग्रा0	30%	20%
0713 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%";

(iii) शीर्ष 0714 में, टैरिफ मद 0714 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0714 30 00	-	येम्स (डियोस्कोरया सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	20%

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
0714 40 00	-	टारो (कोलोकेसिया सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	20%
0714 50 00	-	यौटिया (जेंथोसोमा सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	20%";

(7) अध्याय 8 में,—

(i) शीर्ष 0801 में, टैरिफ मद 0801 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0801 12	--	अंतर कवच (एंडोकार्प) में:			
0801 12 10	---	ताजा	कि0ग्रा0	70%	60%
0801 12 20	---	शुष्कित	कि0ग्रा0	70%	60%
0801 12 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	70%	60%";

(ii) शीर्ष 0802 में, टैरिफ मद 0802 40 00 से 0802 60 00, उपशीर्ष 0802 90, टैरिफ मद 0802 90 11 से 0802 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	चेस्टनट्स (कैसटेनिया सभी जातियां) :			
0802 41 00	--	कवचयुक्त	कि0ग्रा0	30%	20%
0802 42 00	--	कवचरहित	कि0ग्रा0	30%	20%
	-	पिस्ता :			
0802 51 00	--	कवचयुक्त	कि0ग्रा0	30%	20%
0802 52 00	--	कवचरहित	कि0ग्रा0	30%	20%
	-	मैकाडेमिया नट्स :			
0802 61 00	--	कवचयुक्त	कि0ग्रा0	30%	20%
0802 62 00	--	कवचरहित	कि0ग्रा0	30%	20%
0802 70 00	-	कोला नट्स (कोला सभी जातियां)	कि0ग्रा0	30%	20%
0802 80	--	अरेका नट्स :			
0802 80 10	---	साबुत	कि0ग्रा0	100%	90%
0802 80 20	---	विपाटित	कि0ग्रा0	100%	90%
0802 80 30	---	घर्षित	कि0ग्रा0	100%	90%
0802 80 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	100%	90%
0802 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	100%	90%";

(iii) टैरिफ मद 0803 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"0803		**केले, जिसके अंतर्गत कदली भी है, ताजे या शुष्कित**			
0803 10	-	कदली :			
0803 10 10	---	करी कदली	कि0ग्रा0	30%	20%
0803 10 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%
0803 90	-	अन्य :	कि0ग्रा0	30%	20%
0803 90 10	---	केले, ताजे	कि0ग्रा0	30%	20%
0803 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%";

(iv) शीर्ष 0808 में, टैरिफ मद 0808 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0808 30 00	-	नाशपाती	कि0ग्रा0	35%	25%
0808 40 00	-	क्विंस	कि0ग्रा0	35%	25%";

(v) शीर्ष 0809 में, टैरिफ मद 0809 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	चेरी :			
0809 21 00	--	खट्टी चेरी (प्रून्स सेरासस)	कि0ग्रा0	30%	20%
0809 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%";

(vi) शीर्ष 0810 में,—

(क) टैरिफ मद 0810 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0810 30 00	-	कार्ल, सफेद और लाल किशमिश तथा गूजबेरी	कि0ग्रा0	30%	20%";

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) टैरिफ मद 0810 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0810 70 00	-	तेंदूफल	कि0ग्रा0	30%	20%";

(8) अध्याय 9 में,—

(i) शीर्ष 0904 में, उपशीर्ष 0904 20, टैरिफ मद 0904 20 10 से 0904 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	केपसिकम वंश या पाइमेंटा वंश के फल :			
0904 21	–	शुष्कित, न तो संदलित न ही पिसे हुए :			
0904 21 10	—	केपसिकम वंश के	कि0ग्रा0	70%	-
0904 21 20	—	पाईमेंटा वंश के	कि0ग्रा0	70%	-
0904 22	–	संदलित या पिसे हुए :			
	—	केपसिकम वंश के :			
0904 22 11	——	चिलीचूर्ण	कि0ग्रा0	70%	-
0904 22 12	——	चिलीबीज	कि0ग्रा0	70%	-
0904 22 19	——	अन्य	कि0ग्रा0	70%	-
	—	पाईमेंटा वंश के:			
0904 22 21	——	चूर्ण	कि0ग्रा0	70%	-
0904 22 29	——	अन्य	कि0ग्रा0	70%	-";

(ii) शीर्ष 0905, उपशीर्ष 0905 00, टैरिफ मद 0905 00 10 से 0905 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0905	-	**वैनिला**			
0905 10 00	-	न तो संदलित न ही पिसे हुए	कि0ग्रा0	30%	-
0905 20 00	-	दलित या पिसे हुए	कि0ग्रा0	30%	-";

(iii) शीर्ष 0907, टैरिफ मद 0907 00 10 से 0907 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0907		**लौंग (पूर्णफल, लौंग और डंडी)**			
0907 10	-	न तो संदलित न ही पिसी हुई:			
0907 10 10	—	निष्कर्षित	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0907 10 20	—	निष्कर्षित नहीं (डंडी से भिन्न)	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0907 10 30	—	डंडी	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0907 10 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0907 20 00	-	दलित या पिसी हुई	कि0ग्रा0	70%	62.5%";

(iv) शीर्ष 0908 में, उपशीर्ष 0908 10, टैरिफ मद 0908 10 10, 0908 20 00, उपशीर्ष 0908 30, टैरिफ मद 0908 30 10 से 0908 30 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	जायफल :			
0908 11	–	न तो संदलित न ही पिसी हुई :			
0908 11 10	—	कवचयुक्त	कि0ग्रा0	30%	22.5%
0908 11 20	—	कवचरहित	कि0ग्रा0	30%	22.5%
0908 12 00	–	संदलित या पिसी हुई	कि0ग्रा0	30%	22.5%
	-	जावित्री :			
0908 21 00	–	न तो संदलित न ही पिसी हुई	कि0ग्रा0	30%	-
0908 22 00	–	संदलित या पिसी हुई	कि0ग्रा0	30%	-
	-	इलायची :			
0908 31	–	न तो संदलित न ही पिसी हुई :			
0908 31 10	—	बड़ी (अमोमम)	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0908 31 20	—	छोटी (इलेटारिया) एल्लेपी हरी	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0908 31 30	—	छोटी, कुर्ग हरी	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0908 31 40	—	छोटी, विरंजित, अर्द्ध विरंजित या विरंजनीय	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0908 31 50	—	छोटी, मिश्रित	कि0ग्रा0	70%	62.5%

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
0908 31 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0908 32	–	संदलित या पिसी हुई :			
0908 32 10	—	चूर्ण	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0908 32 20	—	छोटी इलायची के बीज	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0908 32 30	—	इलायची छिलका	कि0ग्रा0	70%	62.5%
0908 32 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	70%	62.5%";

(v) शीर्ष 0909 में, उपशीर्ष 0909 10, टैरिफ मद 0909 10 11 से 0909 10 29, उपशीर्ष 0909 20, टैरिफ मद 0909 20 10 और 0909 20 90, उपशीर्ष 0909 30, टैरिफ मद 0909 30 11 से 0909 30 29, उपशीर्ष 0909 40, टैरिफ मद 0909 40 10 और 0909 40 90, उपशीर्ष 0909 50, टैरिफ मद 0909 50 11 से 0909 50 29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	धनिया के बीज :			
0909 21	–	न तो संदलित न ही पिसे हुए :			
0909 21 10	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	-
0909 21 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
0909 22 00	–	संदलित या पिसे हुए	कि0ग्रा0	30%	-
	-	जीरा के बीज :			
0909 31	–	न तो संदलित न ही पिसे हुए :			
	—	जीरा, काला :			
0909 31 11	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	-
0909 31 19	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	—	जीरा, काले से भिन्न :			
0909 31 21	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	-
0909 31 29	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
0909 32 00	–	संदलित या पिसे हुए	कि0ग्रा0	30%	-
	-	सौंफ, बेडियन, काला जीरा या बड़ी सौंफ के बीज ; जूनिपर बेरी:			
0909 61	–	न तो संदलित या न ही पिसे हुए :			
	—	सौंफ के बीज :			
0909 61 11	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	-
0909 61 19	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	—	बेडियन के बीज :			
0909 61 21	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	-
0909 61 29	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	—	काला जीरा या बड़ी सौफ के बीज :			
0909 61 31	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	-
0909 61 39	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	—	जूनिपर बेरी :			
0909 61 41	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	-
0909 61 49	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
0909 62	–	संदलित या पिसे हुए :			
0909 62 10	—	सौंफ	कि0ग्रा0	30%	-
0909 62 20	—	बेडियन	कि0ग्रा0	30%	-
0909 62 30	—	काला जीरा या बड़ी सौंफ	कि0ग्रा0	30%	-
0909 62 40	—	जूनिपर बेरी	कि0ग्रा0	30%	-";

(vi) शीर्ष 0910 में,—

(क) उपशीर्ष 0910 10, टैरिफ मद 0910 10 10 से 0910 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	अदरक :
0910 11	–	न तो संदलित न ही पिसी हुई :

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
0910 11 10	—	ताजा	कि0ग्रा0	30%	-
0910 11 20	—	शुष्कित, अविरंजित	कि0ग्रा0	30%	-
0910 11 30	—	शुष्कित, विरंजित	कि0ग्रा0	30%	-
0910 11 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
0910 12	–	संदलित या पिसी हुई :			
0910 12 10	—	चूर्ण	कि0ग्रा0	30%	-
0910 12 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(ख) टैरिफ मद 0910 99 22 और 0910 99 31 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(9) अध्याय 10 में—

(i) शीर्ष 1001 में, उपशीर्ष 1001 10, टैरिफ मद 1001 10 10 और 1001 10 90, उपशीर्ष 1001 90, टैरिफ मद 1001 90 10 से 1001 90 39 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	ड्यूरम गेहूं :			
1001 11 00	–	बीज	कि0ग्रा0	100%	-
1001 19 00	–	अन्य	कि0ग्रा0	100%	-
	-	अन्य :			
1001 91 00	–	बीज	कि0ग्रा0	100%	-
1001 99	–	अन्य :			
1001 99 10	—	गेहूं	कि0ग्रा0	100%	-
1001 99 20	—	मेसलीन	कि0ग्रा0	100%	-";

(ii) शीर्ष 1002, उपशीर्ष 1002 00, टैरिफ मद 1002 00 10 और 1002 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1002		राई			
1002 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-
1002 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-";

(iii) शीर्ष 1003, उपशीर्ष 1003 00, टैरिफ मद 1003 00 10 और 1003 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1003		जौ			
1003 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-
1003 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-";

(iv) शीर्ष 1004, उपशीर्ष 1004 00, टैरिफ मद 1004 00 10 और 1004 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1004		जई			
1004 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-
1004 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-";

(v) शीर्ष 1007 उपशीर्ष 1007 00, टैरिफ मद 1007 00 10 और 1007 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1007		ज्वारादि			
1007 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0	80%	-
1007 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	80%	-";

(vi) शीर्ष 1008 में,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"कुटु, मिलेट और कैनेरी बीज; अन्य धान्य";

(ख) उपशीर्ष 1008 20, टैरिफ मद 1008 20 11 से 1008 20 39 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	–	मिलेट :			
1008 21	–	बीज :			
1008 21 10	—	ज्वार	कि0ग्रा0	70%	-

1156 C

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1008 21 20	—	बाजरा	कि0ग्रा0	70%	-
1008 21 30	—	रागी	कि0ग्रा0	70%	-
1008 29	-	अन्य :			
1008 29 10	—	ज्वार	कि0ग्रा0	70%	-
1008 29 20	—	बाजरा	कि0ग्रा0	70%	-
1008 29 30	—	रागी	कि0ग्रा0	70%	-";

(ग) उपशीर्ष 1008 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1008 30 - कैनेरी बीज :";

(घ) टैरिफ मद 1008 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1008 40 00	-	फोनियो (डिजीतारिया सभी जातियां)	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-
1008 50 00	-	क्यूनोआ (चेनोपोडियम क्यूनोआ)	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-
1008 60 00	-	ट्रिटीकले	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-";

(10) अध्याय 11 के, शीर्ष 1102 में, —

(i) टैरिफ मद 1102 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) टैरिफ मद 1102 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1102 90	-	अन्य :			
1102 90 10	—	राई का आटा	कि0ग्रा0	30%	-
1102 90 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(11) अध्याय 12 में,—

(i) शीर्ष 1201, उपशीर्ष 1201 00, टैरिफ मद 1201 00 10 और 1201 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1201		**सोयाबीन चाहे टूटी हुई है या नहीं**			
1201 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0	30%	20%
1201 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%";

(ii) शीर्ष 1202 में, उपशीर्ष 1202 10, टैरिफ मद 1202 10 11 से 1202 10 99, उपशीर्ष 1202 20, टैरिफ मद 1202 20 10 और 1202 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1202 30	-	बीज :			
1202 30 10	—	एच.पी.एस.	कि0ग्रा0	30%	20%
1202 30 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%
	-	अन्य :			
1202 41	—	कवच युक्त :			
1202 41 10	—	एच.पी.एस.	कि0ग्रा0	30%	20%
1202 41 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%
1202 42	—	कवच रहित, चाहे टूटी हुई है या नहीं :			
1202 42 10	—	गिरी, एच.पी.एस.	कि0ग्रा0	30%	20%
1202 42 20	—	गिरी, अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%
1202 42 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%";

(iii) शीर्ष 1207 में, उपशीर्ष 1207 20, टैरिफ मद 1207 20 10 और 1207 20 90, उपशीर्ष 1207 40, टैरिफ मद 1207 40 10 और 1207 40 90, उपशीर्ष 1207 50, टैरिफ मद 1207 50 10 और 1207 50 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1207 10	-	ताड़फल और गिरी :			
1207 10 10	—	ताड़फल	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 10 90	—	ताड़गिरी	कि0ग्रा0	30%	20%
	-	बिनौले :			
1207 21 00	-	बीज	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 29 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 30	-	एरंड के बीज :			
1207 30 10	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 30 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1207 40	-	तिल के बीज :			
1207 40 10	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 40 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 50	-	सरसों के बीज :			
1207 50 10	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 50 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 60	-	कुसंभम (करथोमस टिंकटोरियस) बीज :			
1207 60 10	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 60 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 70	-	खरबूजे के बीज :			
1207 70 10	—	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	30%	20%
1207 70 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	20%";

(iv) शीर्ष 1209 में, टैरिफ मद 1209 10 00 से 1209 25 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1209 10 00	-	चुकन्दर बीज	कि0ग्रा0	30%	-
	-	हरे चारे के पौधे के बीज :			
1209 21 00	–	रिजका (अल्फाल्फा) बीज	कि0ग्रा0	30%	-
1209 22 00	–	क्लोवर (ट्राइफोलियम सभी जातियां) बीज	कि0ग्रा0	30%	-
1209 23 00	–	फेस्कयूबीज	कि0ग्रा0	30%	-
1209 24 00	–	कैंतुकी नीली घास (पौआ पेटेंसिस एल) बीज	कि0ग्रा0	30%	-
1209 25 00	–	राई घास (लोलियम मल्टीफ्लोरम लैम, लोलियम परेनो एल) बीज	कि0ग्रा0	30%	-";

(v) शीर्ष 1212 में,—

(क) उपशीर्ष 1212 20, टैरिफ मद 1212 20 10 और 1212 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल :			
1212 21	–	मानव उपयोग के लिए उपयुक्त :			
1212 21 10	—	समुद्री शैवाल	कि0ग्रा0	30%	-
1212 21 90	—	अन्य शैवाल	कि0ग्रा0	30%	-
1212 29	–	अन्य :			
1212 29 10	—	समुद्री शैवाल	कि0ग्रा0	30%	-
1212 29 90	—	अन्य शैवाल	कि0ग्रा0	30%	-";

(ख) टैरिफ मद 1212 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1212 92 00	–	लोकस्ट फलियां (क्रोब)	कि0ग्रा0	30%	-
1212 93 00	–	गन्ना	कि0ग्रा0	30%	-
1212 94 00	–	चकोरी की जड़	कि0ग्रा0	30%	-";

(12) अध्याय 15 में,—

(i) टैरिफ मद 1501 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1501		सुअर वसा (जिसके अंतर्गत शूकर वसा है) और कुक्कुट वसा, शीर्ष 0209 या शीर्ष 1503 के सिवाय			
1501 10 00	-	शूकर वसा	कि0ग्रा0	30%	-
1501 20 00	-	अन्य सुअर वसा	कि0ग्रा0	30%	-
1501 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(iii) शीर्ष 1502 में, उपशीर्ष 1502 00, टैरिफ मद 1502 00 10 से टैरिफ मद 1502 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1502		**गोकुलीय प्राणीय, भेड़ों या बकरियों की वसा, शीर्ष 1503 के सिवाय**			
1502 10	-	चरबी :			
1502 10 10	—	मटन चरबी	कि0ग्रा0	15%	-

1156 (

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1502 10 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	15%	-
1502 90	-	अन्य :			
1502 90 10	—	अनुपपादित वसा	कि0ग्रा0	15%	-
1502 90 20	—	उपपादित या विलायक निष्कर्षण वसा	कि0ग्रा0	15%	-
1502 90 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	15%	-";

(13) अध्याय 16 में,—

(i) उपशीर्ष के टिप्पण 2 में, "मछली या क्रस्टेशिया" शब्दों के स्थान पर, "मछली, क्रस्टेशिया, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 1604 में,—

(क) टैरिफ मद 1604 16 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1604 17 00	–	ईल	कि0ग्रा0	30%	-";

(ख) टैरिफ मद 1604 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	केवियर और केवियर के अनुकल्प :			
1604 31 00	–	केवियर	कि0ग्रा0	30%	-
1604 32 00	–	केवियर के अनुकल्प	कि0ग्रा0	30%	-";

(iii) शीर्ष 1605 में,—

(क) टैरिफ मद 1605 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	झिंगी और झींगा:			
1605 21 00	–	वायुरूद्ध आद्यान में नहीं	कि0ग्रा0	30%	-
1605 29 00	–	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(ख) उपशीर्ष 1605 90, टैरिफ मद 1605 90 10 से 1605 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	मोलस्क :			
1605 51 00	–	शुक्तियां	कि0ग्रा0	30%	-
1605 52 00	–	स्केलप, जिसके अंतर्गत क्वीन कल्प भी हैं	कि0ग्रा0	30%	-
1605 53 00	–	मुसेल	कि0ग्रा0	30%	-
1605 54 00	–	कटल मछली और स्क्विड	कि0ग्रा0	30%	-
1605 55 00	–	आक्टोपस	कि0ग्रा0	30%	-
1605 56 00	–	सीपी, काकेल्स और आर्कशेल	कि0ग्रा0	30%	-
1605 57 00	–	कनसीपी	कि0ग्रा0	30%	-
1605 58 00	–	घोंघा, समुद्री घोंघा से भिन्न	कि0ग्रा0	30%	-
1605 59 00	–	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	अन्य जलीय मेरूदंडहीन प्राणी :			
1605 61 00	–	सी कुकुंबर	कि0ग्रा0	30%	-
1605 62 00	–	सी अरचिन	कि0ग्रा0	30%	-
1605 63 00	–	जेलीफिश	कि0ग्रा0	30%	-
1605 69 00	–	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(14) अध्याय 17 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 1701 12, 1701 13 और 1701 14 के प्रयोजनों के लिए, "अपरिष्कृत चीनी" से ऐसी चीनी अभिप्रेत है, जिसकी सुक्रोस अंतर्वस्तु भार के आधार पर, शुष्क अवस्था में 99.5 डिग्री से कम के ध्रुवणमापी पाठ्यांक तत्समान है ।

2. उपशीर्ष 1701 13 के अंतर्गत उपकेंद्रण के बगैर अभिप्राप्त ऐसी गन्ना चीनी आती है, जिसकी सुक्रोस अंतर्वस्तु भार के आधार पर, शुष्क अवस्था में 09 डिग्री या अधिक के, किंतु 93 डिग्री से कम, अन्य ध्रुवणमापी पाठ्यांक के तत्समान है। उत्पाद में केवल अनियमित आकार के प्राकृतिक अजलीय सूक्ष्म क्रिस्टल हैं, जो खुली आंख से दृश्यमान नहीं हैं, जो मोलसिस के अवशिष्टों और गन्ने के अन्य संघटकों से घिरे हुए हैं ।";

(ii) उपशीर्ष 1701 11, टैरिफ मद 1701 11 10 से 1701 12 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1701 12 00	–	चुकंदर चीनी	कि0ग्रा0	100%	-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1701 13	–	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट गन्ना चीनी :			
1701 13 10	—	गन्ना गुड़	कि0ग्रा0	100%	-
1701 13 20	—	खांडसारी चीनी	कि0ग्रा0	100%	-
1701 13 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	100%	-
1701 14	–	अन्य गन्ना चीनी :			
1701 14 10	—	गन्ना गुड़	कि0ग्रा0	100%	-
1701 14 20	—	खांडसारी चीनी	कि0ग्रा0	100%	-
1701 14 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	100%	";

(15) अध्याय 20 में,—

(i) शीर्ष 2003 में,—

(क) टैरिफ मद 2003 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ गद 2003 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2003 90	-	अन्य :			
2003 90 10	---	टफल	कि0ग्रा0	30%	-
2003 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(ii) शीर्ष 2008, टैरिफ मद 2008 92 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2008 93 00	–	करौंदा (वैक्सीनियम मैक्रोकारपन, वैक्सीनियम आक्सीकोकस वैक्सीनियम विटिस-इडिया)	कि0ग्रा0	30%	-
2008 97 00	–	मिश्रण	कि0ग्रा0	30%	-";

(iii) शीर्ष 2009 में, उपशीर्ष 2009 80, टैरिफ मद 2009 80 10 और 2009 80 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	किसी अन्य एकल फल या वनस्पति का रस :			
2009 80 00	-	वैक्सीनियम (वैक्सीनियम मैकरोकार्पन, वैक्सीनियम आक्सीकोकोस वैक्सीनियम विटिस-आडिया) रस	कि0ग्रा0	30%	-
2009 89	–	अन्य :			
2009 89 10	—	आम का रस	कि0ग्रा0	30%	-
2009 89 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(16) अध्याय 21 के टिप्पण 3 में, "वनस्पतियां या फल," के स्थान पर, "वनस्पतियां, फल या गिरी," शब्द रखे जाएंगे ;

(17) अध्याय 24 में,—

(i) टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

उपशीर्ष 2403 11 के प्रयोजनों के लिए, "जलयुक्त पाइप तंबाकू" पद से ऐसा तंबाकू अभिप्रेत है जो ऐसे किसी जलयुक्त पाइप में धूम्रपान के लिए आशयित है और जिसमें तंबाकू और ग्लिसराल का मिश्रण हो चाहे उसमें सुगंधित तेल और अरक, उसका शीरा अथवा चीनी हों अथवा नहीं और चाहे वह फलों से सुरुचिकर हो अथवा नहीं । तथापि, किसी जलयुक्त पाइप में धूम्रपान के लिए आशयित तंबाकू रहित उत्पादों को इस उपशीर्ष से अपवर्जित किया गया है ।";

(ii) शीर्ष 2403 में, उपशीर्ष 2403 10, टैरिफ मद 2403 10 10 से 2403 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	धूम्रपान तंबाकू, चाहे उनमें से किसी भी अनुपात में तंबाकू अनुकल्प हैं या नहीं :			
2403 11	–	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट जलयुक्त पाइप तंबाकू:			
2403 11 10	—	हुक्का या गुड़कू तंबाकू	कि0ग्रा0	30%	
2403 11 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	30%	
2403 19	–	अन्य :			
2403 19 10	—	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण बीड़ी	कि0ग्रा0	30%	
	—	बीड़ी :			
2403 19 21	—	कागज बेल्लित बीड़ियों से भिन्न, जो मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित हो	ह0इ0	30%	
2403 19 29	—	अन्य	ह0इ0	30%	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2403 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-";

(18) अध्याय 25 में, शीर्ष 2528, टैरिफ मद 2528 10 00, उपशीर्ष 2528 90, टैरिफ मद 2528 90 10 से 2528 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2528		प्राकृतिक बोरेट और उसके सान्द्र (चाहे निष्तापित हैं या नहीं), किंतु इसके अंतर्गत प्राकृतिक लवणजल से पृथक् किए गए बोरेट नहीं हैं; प्राकृतिक बोरिक अम्ल जिसमें शुष्क भार के आधार पर संगणित 85 प्रतिशत से अधिक एच$_3$बीओ$_3$ नहीं है			
2528 00	--	प्राकृतिक बोरेट और उसके सान्द्र (चाहे निष्तापित हैं या नहीं), किंतु इसके अंतर्गत प्राकृतिक लवणजल से पृथक् किए गए बोरेट नहीं है; प्राकृतिक बोरिक अम्ल जिसमें शुष्क भार के आधार पर संगणित 85 प्रतिशत से अधिक एच$_3$बीओ$_3$ नहीं है :			
2528 00 10	---	प्राकृतिक सोडियम बोरेट और उसके सांद्र (चाहे निष्तापित हैं या नहीं)	कि0ग्रा0	10%	
2528 00 20	---	प्राकृतिक बोरिक अम्ल जिसमें एच$_3$बीओ$_3$का 85% से अधिक नहीं है (शुष्क भार पर संगणित)	कि0ग्रा0	10%	
2528 00 30	---	प्राकृतिक कैल्शियम बोरेट और उसके सांद्र (चाहे निष्तापित हों या नहीं)	कि0ग्रा0	10%	
2528 00 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(19) अध्याय 27 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 4 में, "2710 11" अंकों के स्थान पर, "2710 12" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5. शीर्ष 2710 के उपशीर्षों के प्रयोजनों के लिए, "बायोडीजल" पद से ऐसी किस्म के वसायुक्त अम्लों का मोनो-एल्काइल ईस्टर, जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, अभिप्रेत है, जो पशुओं अथवा वनस्पतियों की वसा और तेलों से व्युत्पन्न होता है, चाहे वे प्रयुक्त हों अथवा नहीं ।";

(iii) अनुपूरक टिप्पण के खंड (क) में, "2710 11 11, 2710 11 12 और 2710 11 13" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2710 12 11, 2710 12 12 और 2710 12 13" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 2710 में,—

(क) शीर्ष 2710 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग के स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "अपशिष्ट तेल से भिन्न" शब्दों के स्थान पर, "उनसे भिन्न जिनमें बायोडीजल हो और अपशिष्ट तेल से भिन्न" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपशीर्ष 2710 11, टैरिफ मद 2710 11 से 2710 11 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2710 12	-	हल्के तेल और निर्मितियां :			
	--	मोटर स्प्रिट :			
2710 12 11	---	विशिष्ट क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन टुलूओल से भिन्न) नामीय क्वथनांक रेंज 55-115 डिग्री सेंटीग्रेड सहित	कि0ग्रा0	10%	
2710 12 12	---	विशिष्ट क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन, टुलीन और टुलूओल से भिन्न) नामीय क्वथनांक 63-70 डिग्री सेंटीग्रेड सहित	कि0ग्रा0	10%	
2710 12 13	---	अन्य विशेष क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन, बेंजोल टुलूओल और टुलुओल से भिन्न)	कि0ग्रा0	10%	
2710 12 19	---	अन्य	कि0ग्रा0	10%	
2710 12 20	--	प्राकृतिक द्रव्य गैसोलीन (एन जी एल)	कि0ग्रा0	10%	
2710 12 90	--	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 2710 19 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2710 20 00	-	पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल (कच्चे तेल से भिन्न) और ऐसी निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक हैं, जिनमें बायोडीजल हो, अवशिष्ट तेल से भिन्न	कि0ग्रा0	10%	-";

(20) अध्याय 28 में,—

(i) टिप्पण 8 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'उपशीर्ष टिप्पण

उपशीर्ष 2852 10 के प्रयोजनों के लिए, "रासायनिक रूप से परिभाषित" पद से वे सभी पारद के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक अभिप्रेत हैं जो अध्याय 28 के टिप्पण 1 के खंड (क) से (ड) की या अध्याय 29 के टिप्पण 1 के खंड (क) से (ज) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं';

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

(ii) टैरिफ मद 2852 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2852		पारद के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं, अमल्गम को अपवर्जित करते हुए			
2852 10 00	-	रासायनिक रूप से परिभाषित	कि0ग्रा0	10%	-
2852 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(21) अध्याय 29 में,—

(i) टिप्पण 2 में,—

(क) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) शीर्ष 3002 के प्रतिरक्षात्मक उत्पाद ;";

(ख) विद्यमान खंड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) और (ट) को क्रमशः खंड (च), (छ), (ज), (झ), (ट) और (ठ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 2903 में, टैरिफ मद 2903 41 00 से 2903 69 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2903 71 00	–	क्लोरोडाइफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 72 00	–	डाइक्लोरोडाइफ्लूरोप्रोपेन्स	कि0ग्रा0	10%	-
2903 73 00	–	डाइक्लोरोफ्लूरोएथेन्स	कि0ग्रा0	10%	-
2903 74 00	–	क्लोरोडाइफ्लूरोएथेन्स	कि0ग्रा0	10%	-
2903 75 00	–	डाइक्लोरोपेंटाफ्लूरोप्रोपेन्स	कि0ग्रा0	10%	-
2903 76	–	ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लूरोमेथेन, ब्रोमोट्राइफ्लूरोमेथेन और डाइब्रोमोटेट्राफ्लूरोमेथेन्स :			
2903 76 10	—	ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 76 20	—	ब्रोमोट्राईफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 76 30	—	डाइब्रोमोटेट्राफ्लूरोएथेन्स	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77	–	अन्य, केवल फ्लोरीन और क्लोरीन सहित प्रति हैलोजनीकृत			
	—	क्लोरोफ्लूरोमेथेन्स :			
2903 77 11	—	क्लोरोट्राइफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 12	—	डाईक्लोरोडाइफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 13	—	ट्राइक्लोरोफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	10%	-
	—	क्लोरोफ्लूरोमेथेन:			
2903 77 21	—	क्लोरोपेंटाफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 22	—	1,2-डाइक्लोरोटेट्राफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 23	—	ट्राइक्लोरोट्राइफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 24	—	टेट्राक्लोरोडाइफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 25	—	पेन्टाक्लोरोफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	10%	-
	—	क्लोरोफ्लूरोप्रोपेन्स :			
2903 77 31	—	क्लोरोहेप्टाफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 32	—	डाइक्लोरोहेक्साफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77.33	—	ट्राइक्लोरोपेंटाफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 34	—	टेट्राक्लोरोटेट्राफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 35	—	पेंटाक्लोरोट्राइफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 36	—	हेक्साक्लोरोडाइफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 37	—	हेप्टाक्लोरोफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 77 90	—	अन्य व्युत्पन्नों, केवल फ्लोरीन और क्लोरीन से युक्त प्रति हैलोजनीकृत	कि0ग्रा0	10%	-
2903 78 00	-	अन्य प्रतिहैलोजनीकृत व्युत्पन्न	कि0ग्रा0	10%	-
2903 79 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
	-	साइक्लेनिक, साइक्लीनिक या साइक्लोटेर्पेनिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकृत व्युत्पन्न :			
2903 81 00	-	1, 2,3,4,5,6-हेक्साक्लोसाइक्लोहेक्सेन [एच सी एच (आई एस ओ)], जिसके अंतर्गत लिगडेन (आई एस ओ, आई एन एन) है	कि0ग्रा0	10%	-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2903 82 00	–	एल्ड्रिन (आई एस ओ), क्लोरोडेन (आई एस ओ)	कि0ग्रा0	10%	-
2903 89 00	–	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
	-	एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजेनीकृत व्युत्पन्न :			
2903 91	–	क्लोरोबेंजीन, ओ-डाइक्लोरोबेंजीन और पी- डाईक्लोरोबेंजीन :			
2903 91 10	—	क्लोरोबेंजीन (मोनो क्लोरो)	कि0ग्रा0	10%	-
2903 91 20	—	ओ-डाइक्लोरोबेंजीन (आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन)	कि0ग्रा0	10%	-
2903 91 30	—	पी-डाइक्लोरोबेंजीन (पैरा डाइक्लोरोबेंजीन)	कि0ग्रा0	10%	-
2903 92	–	हैक्साक्लोरोबेंजीन (आई एस ओ) और डी डी टी (आई एस ओ) [क्लोफेंटेन (आई एन एन), 1,1,1-ट्राइक्लोरो-2,2-बिस (पी-क्लोफेनिल) एनेन]:			
2903 92 10	—	हैक्साक्लोरोबेंजीन (आई एस ओ)	कि0ग्रा0	10%	-
	—	डी डी टी (आई एस ओ) [(क्लोफेंटेन (आई एन एन), 1,1,1-ट्राइक्लोरो-2,2-बिस (पी-क्लोफेनिल) एनेन]:			
2903 92 21	—	डी डी टी-तकनीकी 75 डब्ल्युडीपी	कि0ग्रा0	10%	-
2903 92 29	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
2903 99	–	अन्य :			
2903 99 10	—	क्लोरोफ्लूरोबेंजीन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 99 20	—	बेंजिलक्लोराइड (बेंजिल डाइक्लोराइड)	कि0ग्रा0	10%	-
2903 99 30	—	बेंजोट्राइक्लोराइड	कि0ग्रा0	10%	-
2903 99 40	—	बेंजिलक्लोराइड	कि0ग्रा0	10%	-
2903 99 50	—	पैराक्लोरोटाल्यून (4-क्लोरोमेथिल बेंजीन)	कि0ग्रा0	10%	-
2903 99 60	—	नेफ्थलिन, क्लोरोनीकृत	कि0ग्रा0	10%	-
2903 99 70	—	क्लोरोफ्लूरो एनिलीन	कि0ग्रा0	10%	-
2903 99 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(iii) शीर्ष 2908 में, टैरिफ मद 2908 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2908 92 00	–	4,6-डाइनाइट्रो-ओ-क्रिसोल [ड्ञ एन ओ शी (आ एस ओ)] और उसके लवण	कि0ग्रा0	10%	- ";

(iv) शीर्ष 2912 में,—

(क) टैरिफ मद 2912 30 00 से 2912 41 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

" - एल्डिहाइड-एल्कोहॉल, एल्डिहाइड-ईथर, एल्डिहाइड-फिनॉल और एल्डिहाइड जिनके साथ अन्य आक्सीजन क्रिया है ";

" 2912 41 00	–	वनीलिन (4-हाइड्रोक्सी-3-मिथाक्सी बैन्जाल्डिहाइड	कि0ग्रा0	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2912 49 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"	—	अन्य			
2912 49 91	—	एल्डिहाइड-एल्कोहल	कि0ग्रा0	10%	
2912 49 99	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(v) शीर्ष 2914 में,—

(क) उपशीर्ष 2914 21, टैरिफ मद 2914 21 10 और 2914 21 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2914 29 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"	—	कपूर			
2914 29 21	—	प्राकृतिक	कि0ग्रा0	10%	-
2914 29 22	—	संश्लिष्ट	कि0ग्रा0	10%	-";

(vi) शीर्ष 2916 में,—

(क) टैरिफ मद 2916 15 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2916 16 00	-	बिनेपाक्रिल (आई एस ओ)	कि0ग्रा0	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2916 35 00 और 2916 36 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vii) शीर्ष 2931, उपशीर्ष 2931 00, टैरिफ मद 2931 00 20 से 2931 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2931 अन्य कार्ब - अकार्बनिक यौगिक

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2931 10	-	टेट्रामेथाइल सीसा और टेट्राएथाइल सीसा :			
2931 10 10	—	टेट्रामेथाइल सीसा	कि0ग्रा0	10%	-
2931 10 20	—	टेट्राएथाइल सीसा	कि0ग्रा0	10%	-
2931 20 00	-	ट्राइबुटीलाइन यौगिक	कि0ग्रा0	10%	-
2931 90	-	अन्य :			
2931 90 10	—	कार्ब-आर्सेनिक यौगिक	कि0ग्रा0	10%	-
2931 90 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(viii) शीर्ष 2932, मद 2932 19 90 से 2932 21 00, उपशीर्ष 2932 29, टैरिफ मद 2932 29 10 से 2932 29 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2932 19 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
2932 20	-	लैक्टान :			
2932 20 10	—	कुमैरिन, मेथिलकुमैरिन और एथिलकुमैरिन	कि0ग्रा0	10%	-
2932 20 20	—	फिनोलफेथालिन	कि0ग्रा0	10%	-
2932 20 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	- ";

(ix) शीर्ष 2937, टैरिफ मद 2937 29 00 से 2937 90 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2937 29 00	–	अन्य	कि0ग्रा0	10%	10%
2937 50 00	-	प्रोस्टाग्लानडिन, थ्रोमबाक्सेन, ल्यूकोट्राइन और उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप	कि0ग्रा0	10%	10%
2937 90	-	अन्य :			
	—	केटेकोलामाइन हार्मोन्स, उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप :			
2937 90 11	—	इपाइनफ्रिन	कि0ग्रा0	10%	10%
2937 90 19	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	10%
2937 90 20	—	एमिनो, अम्ल व्युत्पन्न	कि0ग्रा0	10%	10%
2937 90 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	10%";

(x) शीर्ष 2939, टैरिफ मद 2939 43 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2939 44 00	—	नोरफेड्राइन और उसके लवण	कि0ग्रा0	10%	-";

(22) अध्याय 30 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) निर्मितियां, जैसे कि टिकियां, च्विंग गम या पैच (ट्रांसडर्मल प्रणाली) जो धूम्रपान करने वालों के लिए धूम्रपान रोकने में सहायता करने के लिए आशयित है (शीर्ष 2106 या 3824);";

(आ) विद्यमान खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) को क्रमशः खंड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. शीर्ष 3002 के प्रयोजनों के लिए "प्रतिरक्षात्मक उत्पाद" पद ऐसे पेपटाइड और प्रोटीन (शीर्ष 2937 के माल से भिन्न) को लागू होता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिरक्षात्मक संक्रियाओं के विनियमन में अंतर्वलित हैं जैसे कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी (एमएबी), प्रतिरक्षी प्रभाजक, प्रतिरक्षी संयुग्मक और प्रतिरक्षी प्रभाजक संयुग्मक, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरोन (आईएफएन), कीमोकाइन और कतिपय ट्यूमर नेकरोसिस फैक्टर (टीएनएफ), ग्रोथ फैक्टर (जी एफ), हेमाटोपोइटिन और कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर (सी एस एफ) ।";

(iii) शीर्ष 3002 में,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

" मानव रक्त; चिकित्सीय, रोगनिरोधी या नैदानिक उपयोगों के लिए तैयार किया गया प्राणिरक्त; प्रतिसीरम और अन्य रक्त प्रभाज और प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, चाहे वे जैव प्रौद्योगिकी संक्रियाओं के माध्यम से रूपांतरित या प्राप्त किए गए हों या नहीं; वेक्सीन, आविष, सूक्ष्मजीवी (यीस्ट को छोड़कर) के संवर्ध और वैसे ही उत्पाद ";

(ख) उपशीर्ष 3002 10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3002 10 - प्रतिसीरम, अन्य रक्त प्रभाज और प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, चाहे वे जैव प्रौद्योगिकी संक्रियाओं के माध्यम से रूपांतरित या प्राप्त किए गए हों या नहीं :";

1156 (-26)

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

(23) अध्याय 37 के शीर्ष 3702 में,—

(i) उपशीर्ष 3702 51, टैरिफ मद 3702 51 10 से 3702 51 90, उपशीर्ष 3702 52, टैरिफ मद 3702 52 10 से 3702 52 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3702 52	–	जिसकी चौड़ाई 16 मि.मी. से अधिक नहीं है :			
3702 52 10	—	चलचित्र पॉजिटिव के तैयार रोल	मी0	10%	-
3702 52 20	—	अन्य चलचित्र फिल्म	मी0	10%	-
3702 52 90	—	अन्य	मी0	10%	- ";

(ii) टैरिफ मद 3702 91 00, उपशीर्ष 3702 93, टैरिफ मद 3702 93 10, 3702 93 90, उपशीर्ष 3702 94, टैरिफ मद 3702 94 10, 3702 94 90, उपशीर्ष 3702 95, टैरिफ मद 3702 95 10 और 3702 95 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3702 96	–	जिसकी चौड़ाई 35 मि.मी. से अधिक नहीं है और जिसकी लंबाई 30 मीटर से अधिक नहीं है :			
	—	चलचित्र फिल्म:			
3702 96 11	—	16 मि.मी. से अनधिक	मी0	10%	-
3702 96 19	—	अन्य	मी0	10%	-
3702 97	–	जिसकी चौड़ाई 35 मि.मी. से अधिक नहीं है और जिसकी लंबाई 30 मीटर से अधिक है :			
	—	चलचित्र फिल्म :			
3702 97 11	—	16 मि.मी. से अनधिक	मी0	10%	-
3702 97 19	—	अन्य	मी0	10%	-
3702 98	–	जिसकी चौड़ाई 35 मि.मी. से अधिक है :			
3702 98 10	—	चलचित्र फिल्म	मी0	10%	-
3702 98 90	—	अन्य	मी0	10%	-";

(24) अध्याय 38 में,—

(i) टिप्पण 3 के खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) स्टेंसिल शोधक, अन्य शोधक द्रव और शोधन टेप (उनसे भिन्न जो शीर्ष 9612 में हैं) जो फुटकर विक्रय के लिए पैकिंगों में रखे गए हैं; और ";

(ii) टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. शीर्ष 3826 के प्रयोजनों के लिए "बायोडीजल" पद से ऐसी किस्म के वसायुक्त अम्लों के मोनो-एल्काइल ईस्टर जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अभिप्रेत है जो पशुओं अथवा वनस्पतियों की वसा और तेलों से व्युत्पन्न होते हैं चाहे वे प्रयुक्त होते हों अथवा नहीं ।";

(iii) उपशीर्ष टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1. उपशीर्ष 3808 50 के अंतर्गत केवल शीर्ष 3808 के माल हैं, जिनके अंतर्गत एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं : एल्ड्रिन (आईएसओ); बाइनापैक्राइल (आईएसओ); कैम्फेक्लोर (आईएसओ) (टोक्साफेन); कैप्टाफोल (आईएसओ); क्लोडेन (आईएसओ); क्लोरडाइमेफार्म (आईएसओ); क्लोरोबेन्जिलेट (आईएसओ); डी.डी.टी. (आईएसओ); [क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन.), 1,1,1-ट्राईक्लोरो-2-2-बिस (पी-क्लोरोफेनाइल) ईथेन; डाइएल्ड्रिन (आईएसओ, आई.एन.एन.), 4,6-डाइनाइट्रो-ओ-क्रेसोल [डी.एन.ओ.सी. (आईएसओ) या उसके लवण; डाइनोसेब (आईएसओ), उसके लवण या उसके एस्टर; एथिलीन डाईब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डाईब्रोमोएथेन); एथिलीन डाईक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डाईक्लोरोएथेन); फ्लूरोएसीटामाइड (आई.एस.ओ.); हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.); 1,2,3,4,5,6- हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (एच.सी.एच.) (आई.एस.ओ.)], लिन्डेन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.) सहित; मर्करी यौगिक; मेथामिडोफेस (आई.एस.ओ.); मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.); आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड); पैराथियन (आई.एस.ओ.); पैराथियनमिथाइल (आई.एस.ओ.); (मिथाइल-पैराथियन); पेंटाक्लोरोफीनोल (आई.एस.ओ.), उसके लवण या उसके एस्टर, फास्फामिडान (आई.एस.ओ.) 2,4,5-टी (आई.एस.ओ.) (2,4,5-ट्राईक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक अम्ल), उसके लवण और उसके एस्टर; ट्राईबुटाइलिटिन यौगिक।

उपशीर्ष 3808 50 के अंतर्गत चूर्णयोग्य पाउडर विनिर्मितियां जिनके अंतर्गत बेनोमाइल (आई.एस.ओ.), कार्बोफुरान (आई.एस.ओ.) और थिराम (आई.एस.ओ.) का मिश्रण भी है ।";

(iv) टैरिफ मद 3825 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3826 00 00	बायोडीजल और उसके मिश्रण, जिसमें पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से प्राप्त तेल नहीं है या भार से 70% से कम है	कि0ग्रा0	10%	-";

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(25) अध्याय 41 के शीर्ष 4101 में उपशीर्ष 4101 20 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4101 20 - संपूर्ण खालें और चर्म, चर्म सहित, जब साधारण शुष्कित हों तो 8 कि0ग्रा0, जब शुष्क लवणित हों तो 10 कि0ग्रा0 या जब ताजा, नम लवणित या अन्यथा परिरक्षित हों तो 16 कि0ग्रा0 से अधिक न हो : ";

(26) अध्याय 42 में,—

(i) टिप्पण 1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"1. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "चमड़ा" पद के अंतर्गत अजमृगछाला (अजमृगछाला के समुच्चय सहित) चमड़ा, पेटेंट चमड़ा, पेटेंट पटलित चमड़ा और धातुमय चमड़ा ।

2. इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है :

(क) निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय विडाल तांत (कैटगट) और वैसी ही निर्जीवाणु सीवन सामग्री (शीर्ष 3006) ;

(ख) परिधान की वस्तुएं या कपड़ों के उपसाधन (दस्तानों मिटिन और मिट को छोड़कर) जिनमें फरदार चर्म या कृत्रिम फर के अस्तर लगे हैं, अथवा जिनमें बाहर की ओर फरदार चर्म या कृत्रिम फर, जो केवल बाहरी झालर के रूप में ही न हों, संलग्न है (शीर्ष 4303 या 4304) ;

(ग) जाली की बनी वस्तुएं (5608) ;

(घ) अध्याय 64 की वस्तुएं ;

(ङ) अध्याय 65 के सिर के पहनावे या उनके भाग ;

(च) शीर्ष 6602 के चाबुक, घोड़े के चाबुक या वस्तुएं ;

(छ) कफ-लिंक ब्रेसलेट या अन्य नकली आभूषण (शीर्ष 7117) ;

(ज) साज के लिए फिटिंगें या झालरें, जैसे पृथक् रूप से प्रस्तुत की गई रकाब, लगाम, अश्व, ब्रास और बकल (साधारणतः अनुभाग 15) ;

(झ) डोरी, नगाड़ों के लिए चर्म या वैसी ही वस्तुएं, या वाद्य यंत्रों के अन्य पुर्जे (शीर्ष 9209) ;

(ट) अध्याय 94 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ फर्नीचर, लैम्प और प्रकाश फिटिंगें);

(ठ) अध्याय 95 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ खिलौने, खेल, क्रीड़ा के सामान); या

(ड) शीर्ष 9606 की बटन, प्रैस-फास्नर, स्नेप-फास्नर, प्रैस स्टड्स, बटन संच या इन वस्तुओं के अन्य भाग, बटन ब्लैंक।';

(ii) विद्यमान टिप्पण 2 और टिप्पण 3 को क्रमशः टिप्पण 3 और 4 के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित टिप्पण 3 के खंड (क) में, "टिप्पण 1" शब्द और अंक के स्थान पर, "टिप्पण 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 4202 में,—

(क) उपशीर्ष 4202 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 11 – चमड़े या संघटन चमड़े के बाहरी पृष्ठ सहित :";

(ख) उपशीर्ष 4202 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 21 – चमड़े या संघटन चमड़े के बाहरी पृष्ठ सहित :";

(ग) उपशीर्ष 4202 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 31 – चमड़े या संघटन चमड़े के बाहरी पृष्ठ सहित :";

(घ) टैरिफ मद 4202 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 91 00	– चमड़े या संघटन चमड़े के बाहरी पृष्ठ सहित	इ0	10%	-";

(27) अध्याय 44 में,—

(i) "उपशीर्ष टिप्पण" शब्दों के स्थान पर, "निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखे जांएगे, अर्थात् :—

"1. उपशीर्ष 4401 31 के प्रयोजनों के लिए, "काष्ठ गुटिका" पद से उपोत्पाद अभिप्रेत हैं जैसे कि यांत्रिक काष्ठ संक्रिया उद्योग, फर्नीचर बनाने वाले उद्योग या अन्य काष्ठ रूपांतरण क्रियाकलापों के कटर शेविंग, बुरादा अथवा चिप, जिन्हें सीधे या संपीड़न द्वारा या भार द्वारा 3% से अनधिक किसी अनुपात में बाइंडर को जोड़कर संपीडित किया गया है । ऐसी गुटिकाएं वर्तुलाकार हैं जिनका व्यास 25 मि.मी. से अधिक नहीं है और लंबाई 100 मि.मी. से अधिक नहीं है ।";

2. टैरिफ मद 4403 41 00, उपशीर्ष 4403 49, टैरिफ मद 4407 21 00 से 4407 28 00, उपशीर्ष 4407 29, 4408 31, 4408 39 और 4412 31 के प्रयोजनों के लिए "उष्ण कटिबंध काष्ठ" पद से निम्नलिखित प्रकार की काष्ठों में से एक काष्ठ अभिप्रेत है :

अबूरा, अकाजू, डिअफ्रीक, अफ्रोरमोसिया, अको, आलान, एंडीरोबा, एनिनग्रे, एवोडायर, अजोबे, बालऊ, बल्सा, बोसे क्लेअर, बोसे फोन्स, केटिवो, सेड्रो, डबेमा, डार्क रेड मेरांटी, डिबेटू, डौसी, फ्रीमेजार, फेरीजो, फ्रोमेजार, फ्यूमा, जीरोंगगैंग, इलौम्बा, इंबूइआ, आइप, इरोको, जवोटी, जैलुटांग, जेक्वीटीवा, जांगकांग, कपूर, केम्पास, केरुइंग, कोसिपो, कोटिबे, कोटो, लाइट रेड मरांटी, लिम्बा, लोरो, मकरान्डुबा, महोगनी, मकोरे मॉउओक्वीरा, मैनसोनिया, मेंगकुलुंग, मेरांटी बकाउ, मेरवान, मरबाऊ, मरपोह, मरसावा, मोआबी, निआनगोन, न्यातोह, ओबेक, ओकौमे, ओजाबिली और ओबेंगकोल, ओजिगों, पडोक, पलदाऊ, पालिसेन्द्रे डि गुआटेमाला, पालिसेन्द्रे डिपारा, पालिसेन्द्रेरियो, पालिसेन्द्रे डी रोज, पाउ अमारेलो, पाउ मरफीम, पुलाई, पुनाह कुवाराबा, रेमिन, सलेपी, साकी-साकी, सेपेटिर, सिपो, सूकुपीरा, सूरेन, तवारी, सागवान, टिआमा, तोल, विरोला, व्हाइट लाउआन, व्हाइट मेरांटी, व्हाइट सेरेया, यलो मेरांटी ।';

(iii) शीर्ष 4401, टैरिफ मद 4401 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

" - बुरादा और काष्ठ अपशिष्ट और स्क्रेप चाहे वह लट्ठों, इष्टिकाओं, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में संपीडित है या नहीं :

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
4401 31 00	–	काष्ठ गुटिकाएं	मी.ट.	5%	-
4401 39 00	–	अन्य	मी.ट.	5%	-";

(28) अध्याय 47, उपशीर्ष 4706 की टैरिफ मद 4706 93 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4706 93 00	–	यांत्रिक और रासायनिक संक्रियाओं के संयोजन द्वारा अभिप्राप्त	कि0ग्रा0	5%	-";

(29) अध्याय 48 में,—

(i) टिप्पण 2 में,—

(क) खंड (ण) में, अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(त) अध्याय 95 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ खिलौने, खेल, क्रीड़ा के सामान); या

(थ) अध्याय 96 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ बटन, सेनिटरी टावेल (पैड) और टैम्पोन, शिशुओं के लिए नेपकिन (डायपर) और नेपकिन लाइनर ।;"

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 3 और 4 में "अर्ध-रासायनिक लुगदीकरण प्रक्रिया से प्राप्त" शब्दों के स्थान पर, "यांत्रिक और रासायनिक संक्रियाओं के किसी संयोजन द्वारा अभिप्राप्त," शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 4808 की टैरिफ मद 4808 20 00 और 4808 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4808 40	-	क्राफ्ट कागज, क्रेपित या व्यांकुचित, चाहे समुद्भृत या छिद्रित है या नहीं :			
4808 40 10	—	सैक क्राफ्ट कागज, क्रेपित या व्यांकुचित, चाहे समुद्भृत या छिद्रित है या नहीं	कि0ग्रा0	10%	-
4808 40 90	—	अन्य क्राफ्ट कागज, क्रेपित या व्यांकुचित, चाहे समुद्भृत या छिद्रित है या नहीं	कि0ग्रा0	10%	-";

(iv) शीर्ष 4811 में,—

(क) टैरिफ मद 4811 51 00 और 4811 59 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4811 51	-	विरंजित, जिसका भार 150 ग्रा./वर्गमीटर से अधिक है :			
4811 51 10	—	असेप्टिक पैकेजिंग कागज	कि0ग्रा0	10%	-
4811 51 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
4811 59	–	अन्य :			
4811 59 10	—	असेप्टिक पैकजिंग कागज	कि0ग्रा0	10%	-
4811 59 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(ख) शीर्ष 4811 की टैरिफ मद 4811 90 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(v) शीर्ष 4814 की टैरिफ मद 4814 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) शीर्ष 4818 में,—

(क) स्तंभ (2) की प्रविष्टि में "शिशु नेपकिन, टैम्पून" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 4818 40 की टैरिफ मद 4818 40 10 और 4818 40 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(30) अनुभाग 11 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (प) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(प) अध्याय 96 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ ब्रुश, सिलाई के लिए यात्रा सेट, स्लाइड बंधन, टाइपराइटर रिबन, सेनेटरी टावल (पैड) और टैम्पून, और शिशुओं के लिए नेपकिन (डायपर), नेपकिन (लाइनर); या";

(ii) टिप्पण 7 में,—

(अ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) आकार में काटी हुई तथा कम से कम एक दृश्यमान रूप से टेपर अथवा कम्प्रेस किए हुए बार्डर के साथ ताप द्वारा सीलबंद किनारे सहित हो तथा अन्य किनारे इस टिप्पण के किसी अन्य उपपैरा में वर्णित रूप में उपचारित हों, किंतु फैब्रिक को छोड़कर जिसके कटे किनारे ताप कटिंग द्वारा या अन्य साधारण साधनों द्वारा खुलने से निवारित किए गए हों ;"

(आ) विद्यमान खंड (ग), (घ), (ङ) और (च) को क्रमशः खंड (घ), (ङ), (च) और (छ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा ;

(31) अध्याय 56 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(क) खंड (घ) में, अंत में आने वाले शब्द "या" का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) सेनेटरी टावल (पैड) और टैम्पून, शिशुओं के लिए नेपकिन और नेपकिन लाइनर तथा शीर्ष 9619 की वैसी ही वस्तुएं ।";

(ii) शीर्ष 5601 की टैरिफ मद 5601 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

(32) अध्याय 58 के शीर्ष 5801 में,—

(i) टैरिफ मद 5801 24 00 और 5801 25 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) टैरिफ मद 5801 26 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5801 27	–	तान रोंआ फैब्रिक :			
5801 27 10	—	तान रोंआ फैब्रिक, 'इर्पिंगल' (अकर्तित)	व0मी0	10% या 135 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी उच्चतर हो	
5801 27 20	—	तान रोंआ फैब्रिक, कर्तित	व0मी0	10% या 120 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी उच्चतर हो	
5801 27 90	—	अन्य	व0मी0	10% या 135 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी उच्चतर हो	-

(iii) उपशीर्ष 5801 34 की टैरिफ मद 5801 34 10 से 5801 35 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iv) टैरिफ मद 5801 36 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5801 37	–	तान रोंआ फैब्रिक :			
	—	तान रोंआ फैब्रिक, 'इर्पिंगल' (अकर्तित) :			
5801 37 11	——	वेलवेट	व0मी0	10% या 140 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी उच्चतर हो	-
5801 37 19	——	अन्य	व0मी0	10% या 140 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी उच्चतर हो	-
5801 37 20	—	तान रोंआ फैब्रिक, कर्तित	व0मी0	10% या 68 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी उच्चतर हो	-
5801 37 90	—	अन्य	व0मी0	10% या 140 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी उच्चतर हो	-

(33) अध्याय 61, टिप्पण 6 के खंड (क) के अंत में आने वाले "इसके अंतर्गत शिशुओं के नेपकिन भी हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(34) अध्याय 62 में,—

(i) टिप्पण 4 के खंड (क) के अंत में आने वाले "इसके अंतर्गत शिशुओं के नेपकिन भी हैं," शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) शीर्ष 6211 में,—

(क) टैरिफ मद 6211 41 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 6211 49 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6211 49	–	अन्य टेक्सटाइल सामग्री के :			
6211 49 10	—	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के	इ0	10%	-
6211 49 90	—	अन्य	इ0	10%	- ";

(35) अध्याय 63, शीर्ष 6306 में टैरिफ मद 6306 40 00 से 6306 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6306 40 00	-	वातिल गद्दे	इ0	10%	-
6306 90	-	अन्य :			
6306 90 10	—	सूत के	कि0ग्रा0	10%	-
6306 90 90	—	अन्य टैक्सटाइल सामग्री के	कि0ग्रा0	10%	-";

(36) अध्याय 64, शीर्ष 6406, टैरिफ मद 6406 20 00 से 6406 91 00, उपशीर्ष 6406 99, टैरिफ मद 6406 99 10 से 6406 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6406 20 00	-	बाहरी तले और ऐड़ी, जो रबड़ या प्लास्टिक के हैं	कि0ग्रा0	10%	-

11561

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
6406 90	-	अन्य :			
6406 90 10	—	काष्ठ के	कि0ग्रा0	10%	-
6406 90 20	—	चमड़े के भाग, तल्लों और निर्मित तल्लों से भिन्न	कि0ग्रा0	10%	-
6406 90 30	—	चमड़े के तल्ले	कि0ग्रा0	10%	-
6406 90 40	—	गेटर, लेगिंग और उसी प्रकार की वस्तुएं	कि0ग्रा0	10%	-
6406 90 50	—	गेटर, लेंगिग और उसी प्रकार की वस्तुओं के भाग	कि0ग्रा0	10%	-
6406 90 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	- ";

(37) अध्याय 65, शीर्ष 6505, टैरिफ मद 6505 10 00, 6505 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6505		**हैट और सिर के अन्य पहनावे, बुने हुए या क्रोशियाकृत या लैस, नमदे या अन्य टैक्सटाइल फैब्रिक से निर्मित, थान में (किंतु पट्टियों में नहीं), चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं; किसी भी सामग्री के केश जाल; चाहे वे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं**			
6505 00	-	हैट और सिर के अन्य पहनावे, बुने हुए या क्रोशियाकृत या लैस, नमदे या अन्य टैक्सटाइल फैब्रिक से निर्मित, थान में (किंतु पट्टियों में नहीं), चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं; किसी भी सामग्री के केश, जाल; चाहे वे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं :			
6505 00 10	—	केश-जाल	कि0ग्रा0	10%	-
6505 00 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	- ";

(38) अध्याय 68, शीर्ष 6811 की, टैरिफ मद 6811 83 00 और 6811 89 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"6811 89	-	अन्य वस्तुएं :			
6811 89 10	—	नलिका, पाइप और नलिका या पाइप की फिटिंगें	कि0ग्रा0	10%	-
6811 89 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	- ";

(39) अध्याय 73, शीर्ष 7319 की टैरिफ मद 7319 20 00 और टैरिफ मद 7319 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"7319 40	-	सेफ्टी पिन और अन्य पिन :			
7319 40 10	—	सेफ्टी पिन	कि0ग्रा0	10%	-
7319 40 90	—	अन्य पिन	कि0ग्रा0	10%	- ";

(40) अध्याय 74 में,—

(i) शीर्ष 7404 की टैरिफ मद 7404 00 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7404 00 23	—	निकल चांदी स्क्रैप, अर्थात् निम्नलिखित : आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'मैज' के अंतर्गत आने वाली मिश्रित नई निकल रजत क्लिपिंग्स; आई.एस.आर.आई. कोड खंड 'मेजर' के अंतर्गत आने वाली नई निकल रजत क्लिपिंग्स; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'मलार' के अंतर्गत आने वाली नई पृथक्कित निकल रजत क्लिपिंग्स; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'मेलिस' के अंतर्गत आने वाली पुरानी निकल रजत क्लिपिंग्स; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'नैगी' के अंतर्गत आने वाली निकल रजत कास्टिंग; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'नीस' के अंतर्गत आने वाली निकल रजत टर्निंग्स	कि0ग्रा0	5%	-";

(ii) शीर्ष 7418 में,—

(क) शीर्ष 7418 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (2) की प्रविष्टि में "खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और उनके पुर्जे; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं :" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 7418 11 00, उपशीर्ष 7418 19, टैरिफ मद 7418 19 10 से टैरिफ मद 7418 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7418 10	-	खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और उनके पुर्जे ; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं :			
7418 10 10	—	पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जक या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं	कि0ग्रा0	10%	-
	—	बरतन :			
7418 10 21	—	कांस्य के	कि0ग्रा0	10%	-
7418 10 22	—	ताम्र के	कि0ग्रा0	10%	-
7418 10 23	—	अन्य ताम्र मिश्र धातु के	कि0ग्रा0	10%	-
7418 10 24	—	ई.पी.एन.एस. वेयर	कि0ग्रा0	10%	-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	—	अन्य :			
7418 10 31	---	ई.पी.एन.एस. के	कि0ग्रा0	10%	-
7418 10 39	---	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
7418 10 90	--	पुर्जे	कि0ग्रा0	10%	-";

(41) अध्याय 75 में, शीर्ष 7503, टैरिफ मद 7503 00 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7503 00 10	--	निकल स्क्रैप, अर्थात् निम्नलिखित : आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'ओरोमा' के अंतर्गत आने वाला नया निकल स्क्रैप; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'बर्लि' के अंतर्गत आने वाला पुराना निकल स्क्रैप; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डांडी' के अंतर्गत आने वाले नए कुरपो निकल क्लिप और ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डॉन्ट' के अंतर्गत आने वाले कुरपो निकल ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डेल्टा' के अंतर्गत आने वाला सोल्डीकृत कुरपो निकल ठोस; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डिकॉय' के अंतर्गत आने वाली कुरपो निकल स्पिनिंग्स, टर्निंग्स, बोरिंग्स ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डेप्थ' के अंतर्गत आने वाला विविध निकल-ताम्र और निकल ताम्र लोह ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'हिच' के अंतर्गत आने वाला नया आर्स-मोनेल क्लिपिंग्स ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'हाउन्स' के अंतर्गत आने वाला नया मिश्रित मोनेल ठोस और क्लिपिंग्स; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'आईडियल' के अंतर्गत आने वाली पुरानी मोनेल चादर और ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'इंडियन' के अंतर्गत आने वाला के-मोनेल ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'जुन्टो' के अंतर्गत आने वाली सोल्डीकृत मोनेल चादर और ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'लेमन' के अंतर्गत आने वाला मोनेल कास्टिंग्स ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'लेमूर' के अंतर्गत आने वाला मोनेल टर्निंग्स ; पोतों, नावों और अन्य प्लवमान ढांचों को तोड़कर अभिप्राप्त निकल स्क्रैप	कि0ग्रा0	5%	-";

(42) अध्याय 76 के शीर्ष 7615 में,—

(i) शीर्ष 7615 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "टेबल, रसोई या अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और उनके भाग; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशिंग पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) टैरिफ मद 7615 11 00, उपशीर्ष 7615 19, टैरिफ मद 7615 19 10 से 7615 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7615 10	-	खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और उनके पुर्जे ; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं :			
	--	प्रेशर कुकर, सौर संग्राही :			
7615 10 11	---	प्रेशर कुकर	कि0ग्रा0	10%	-
7615 10 12	---	सौर संग्राही	कि0ग्रा0	10%	-
	--	बरतन :			
7615 10 21	---	नान स्टिक	कि0ग्रा0	10%	-
7615 10 29	---	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
7615 10 30	--	अन्य खाने-पीने की, रसोई की या गृहस्थी की वस्तुएं	कि0ग्रा0	10%	-
7615 10 40	--	पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं	कि0ग्रा0	10%	-
7615 10 90	--	पुर्जे	कि0ग्रा0	10%	-";

(43) अध्याय 82 में,—

(i) शीर्ष 8201 की टैरिफ मद 8201 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 8205 में,—

(क) टैरिफ मद 8205 59 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8205 59 40	--	कांटे, शीर्ष 8201 और शीर्ष 8215 में उल्लिखित कांटों से भिन्न	कि0ग्रा0	10%	-";

(ख) उपशीर्ष 8205 80, टैरिफ मद 8205 80 10 से 8205 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8205 90	-	अन्य, जिसके अंतर्गत इस शीर्ष के दो या अधिक उपशीर्षों की वस्तुओं के सेट भी हैं :			
8205 90 10	--	एनविल और सुवाह्य फोर्ज	कि0ग्रा0	10%	-
8205 90 20	--	हस्त या पाद चालित शाण चक्र फ्रेम सहित	कि0ग्रा0	10%	-
8205 90 30	--	इस शीर्ष के दो या अधिक उपशीर्षों की वस्तुओं के सेट	कि0ग्रा0	10%	-
8205 90 90	--	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(44) अनुभाग 16 में, टिप्पण 1 के खंड (क) में, "(शीर्ष 4010)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "(शीर्ष 4010)," कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(45) अध्याय 84 में,—

(i) टिप्पण 2 में, "शीर्ष 8424 के अंतर्गत इंक-जेट मुद्रण मशीनें (शीर्ष 8443)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"शीर्ष 8424 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है :

(क) इंक-जेट मुद्रण मशीनें (शीर्ष 8443) ; या

(ख) वाटर-जेट कटिंग मशीनें (शीर्ष 8456) ।";

(ii) टिप्पण 9 में, खंड (ड) के उपखंड (ii) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष 8425 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, टैरिफ मद 8425 19 20 के पश्चात् आने वाले "- अन्य विंचें ; कैप्सटन" शब्दों के स्थान पर, "- विंचें ; कैप्सटन" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 8452 में, उपशीर्ष 8452 40, टैरिफ मद 8452 40 10 और 8452 40 90, उपशीर्ष 8452 90, टैरिफ मद 8452 90 10 और 8452 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8452 90	-	सिलाई मशीन के लिए फर्नीचर, आधार और आच्छद तथा उनके पुर्जे ; सिलाई मशीन के अन्य पुर्जे :			
	—	सिलाई मशीन के लिए फर्नीचर, आधार और आच्छद तथा उनके पुर्जे :			
8452 90 11	—	फर्नीचर, आधार और आच्छद	कि0ग्रा0	7.5%	-
8452 90 19	—	सिलाई मशीन के लिए फर्नीचर, आधार और आच्छद तथा उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	7.5%	-
	—	सिलाई मशीन के अन्य पुर्जे :			
8452 90 91	—	घरेलू किस्म की सिलाई मशीन के	कि0ग्रा0	10%	-
8452 90 99	—	अन्य	कि0ग्रा0	7.5%	-";

(v) शीर्ष 8456 के स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "या प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर, "या प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया ; वाटर-जेट कटिंग मशीनों" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) शीर्ष 8479 में, टैरिफ मद 8479 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"-	यात्रियों के चढ़ने वाले पुल :			
8479 71 00	--	विमानपत्तनों में प्रयुक्त किसी प्रकार के	इ0	7.5%	-
8479 79 00	--	अन्य	इ0	7.5%	-";

(46) अध्याय 85 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (घ) में, "पशु चिकित्सा के प्रयोजनों के लिए (अध्याय 90)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "पशु चिकित्सा विज्ञान (शीर्ष 9018)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 8507 में, टैरिफ मद 8507 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"8507 50 00	-	निकल धातु हाइड्राइड	इ0	10%	-
8507 60 00	-	लीथियम-इयान	इ0	10%	-";

(iii) शीर्ष 8522, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "शीर्ष 8519 से शीर्ष 8521" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 8519 या शीर्ष 8521" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 8523 में, उपशीर्ष 8523 40, टैरिफ मद 8523 40 10 से 8523 40 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	प्रकाशीय मीडिया :			
8523 41	--	अनभिलेखबद्ध :			
8523 41 10	—	काम्पेक्ट डिस्क (आडियो/वीडियो)	इ0	10%	-
8523 41 20	—	काम्पेक्ट डिस्क के लिए स्टेम्पर उत्पादन के लिए ब्लैंक मास्टर डिस्क (अर्थात् सबस्ट्रेट)	इ0	10%	-
8523 41 30	—	अभिलेख के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस ; तैयार अभिलेख ब्लैंक	इ0	10%	-
8523 41 40	—	कार्ट्रिज टेप	इ0	10%	-
8523 41 50	—	डिजिटल वी.सी.आर. के साथ कार्य करने के लिए समुचित 1/2" वीडियो कैसेट	इ0	10%	-
8523 41 60	—	डी.वी.डी.	इ0	10%	-
8523 41 90	—	अन्य	इ0	10%	-

93)

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
8523 49	-	अन्य :			
8523 49 10	—	काम्पेक्ट डिस्क (आडियो)	इ0	10%	-
8523 49 20	—	काम्पेक्ट डिस्क (वीडियो)	इ0	10%	-
8523 49 30	—	सी.डी. आडियो, सी.डी. वीडियो और सी.डी.-रोम के लिए स्टेम्पर	इ0	10%	-
8523 49 40	—	डी.वी.डी.	इ0	10%	-
8523 49 50	—	अभिलेख के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस; तैयार अभिलेख ब्लैंक	इ0	10%	-
8523 49 60	—	कार्ट्रिज टेप	इ0	10%	-
8523 49 70	—	डिजिटल वी.सी.आर. के साथ कार्य करने के लिए समुचित 1/2" वीडियो कैसेट	इ0	10%	-
8523 49 90	—	अन्य	इ0	10%	-";

(v) शीर्ष 8528 के उपशीर्ष 8528 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8528 73	-	अन्य, एकवर्ण :";			

(vi) शीर्ष 8540 में,—

(क) टैरिफ मद 8540 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8540 12 00	-	एकवर्ण	इ0	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 8540 40 00 और 8540 50 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8540 40	-	डाटा या आलेखी प्रदर्शन ट्यूबें, एकवर्ण ; डाटा या आलेखी प्रदर्शन ट्यूबें, रंगीन, 0.4 मि0मी0 से छोटा फास्फर डाट पर्दा पिच :			
8540 40 10	—	डाटा या आलेखी प्रदर्शन ट्यूबें, एकवर्ण	इ0	10%	-
8540 40 20	—	डाटा या आलेखी प्रदर्शन ट्यूबें, रंगीन, 0.4 मि0मी0 से छोटा फास्फर डाट पर्दा पिच	इ0	निःशुल्क	-";

(ग) टैरिफ मद 8540 72 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(47) अध्याय 87 में, टैरिफ मद 8714 11 00 और 8714 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"8714 10	-	मोटरसाइकिलों (जिसके अंतर्गत मोपेड भी है) का :			
8714 10 10	—	गद्दी	कि0ग्रा0	10%	-
8714 10 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(48) अध्याय 90 में,—

(i) शीर्ष 9007 में, टैरिफ मद 9007 11 00 और टैरिफ मद 9007 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9007 10	-	कैमरा :			
9007 10 10	—	16 मिलीमीटर से कम चौड़ाई की फिल्म के लिए या दोहरी 8 मिलीमीटर की फिल्म के लिए	इ0	10%	-
9007 10 90	—	अन्य	इ0	10%	-";

(ii) शीर्ष 9008 में, टैरिफ मद 9008 10 00 से टैरिफ मद 9008 40 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9008 50	-	प्रक्षेपित्र, विवर्धित और अपचायित्र :			
9008 50 10	—	स्लाइड प्रक्षेपित्र	इ0	10%	-
9008 50 20	—	माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश या अन्य माइक्रोफोर्म रीडर्स, चाहे प्रतिलिपि उत्पादन के योग्य है या नहीं	इ0	10%	-
9008 50 30	—	अन्य प्रतिबिंब प्रक्षेपित्र	इ0	10%	-
9008 50 40	—	फोटोचित्र (चलचित्रण से भिन्न) विवर्धित और अपचायित्र	इ0	10%	-";

(49) अध्याय 91 में,---

(i) शीर्ष 9109 में,---

(क) शीर्ष 9109 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "- विद्युत प्रचालित" का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 9109 11 00 और टैरिफ मद 9109 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"9109 10	-	विद्युत प्रचालित :			
9109 10 10	—	अलार्म घड़ियों के	इ0	10%	-
9109 10 90	—	अन्य	इ0	10%	-";

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(ii) शीर्ष 9114 में,—

(क) टैरिफ मद 9114 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 9114 90, टैरिफ मद 9114 90 10 और टैरिफ मद 9114 90 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9114 90	-	अन्य :			
9114 90 30	—	ज्वेल	कि०ग्रा०	10%	-
	—	अन्य :			
9114 90 91	—	घड़ियों के लिए	कि०ग्रा०	10%	-
9114 90 92	—	दीवाल घड़ियों के लिए	कि०ग्रा०	10%	-";

(50) अध्याय 92 में, शीर्ष 9205 के स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सुषिर वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ कुंजी पटल पाइप आर्गन, अकार्डयण, क्लेरिटनेट, तुरहीं, मशकबीन) फेयर ग्राउंड आर्गन और यांत्रिक स्ट्रीट आर्गन से भिन्न ";

(51) अध्याय 93 में,—

(i) शीर्ष 9301 में,—

(क) शीर्ष 9301 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (2) में, "- तोपखाना शस्त्र (उदाहरणार्थ तोप, हाउइटजर और मोर्टार) :" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 9301 11 00 से टैरिफ मद 9301 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"9301 10	-	तोपखाना शस्त्र (उदाहरणार्थ तोप, हाउइटजर और मोर्टार) :			
9301 10 10	—	स्वतः नोदित	इ०	10%	-
9301 10 90	—	अन्य	इ०	10%	-";

(ii) शीर्ष 9305 में, टैरिफ मद 9305 10 00 से टैरिफ मद 9305 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9305 10 00	-	रिवाल्वरों या पिस्तौलों के	कि०ग्रा०	10%	-
9305 20	-	शीर्ष 9303 के शाटगन या रायफलों के :			
9305 20 10	—	शाटगन बैरल	कि०ग्रा०	10%	-
9305 20 90	—	अन्य	कि०ग्रा०	10%	-";

(52) अध्याय 94 में,---

(i) टिप्पण 1 के खंड (छ) में, "शीर्ष 8519 से शीर्ष 8521" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 8519 या 8521" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) अल्मारी, बुककेस, अन्य खानेदार फर्नीचर (जिसके अंतर्गत दीवार पर उन्हें लगाने वाले सहायकों के साथ एकल शैल्फ भी हैं) और यूनिट फर्नीचर ;";

(53) अध्याय 95 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ड) में, "या रेडियो सुदूर नियंत्रण साधित्र (शीर्ष 8526);" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"ध्वनि अभिलेखन या अन्य परिघटनाओं के लिए चाहे अभिलिखित किया गया हो या नहीं, डिस्क, टेप, ठोस अवस्था अचल भंडारण युक्तियां "स्मार्ट कार्ड" और अन्य मीडिया (शीर्ष 8523), रेडियो सुदूर नियंत्रण साधित्र (शीर्ष 8526) या बेतार इंफ्रारेड सुदूर नियंत्रण युक्ति (शीर्ष 8543) ;";

(ii) टिप्पण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**उपशीर्ष टिप्पण** :

उपशीर्ष 9504 50 के अंतर्गत आता है :

(क) विडियो गेम कनसोल, जिससे टेलीविजन रिसीवर, मानिटर या अन्य बाह्य स्क्रीन या सतह पर आकृति की पुनरुत्पत्ति की जाती है ; या

(ख) स्वतः अंतर्विष्ट वीडियो स्क्रीन वाली वीडियो गेम मशीन, चाहे सुबाह्य हो या नहीं ;

इस उपशीर्ष में सिक्कों, बैंक नोट, बैंक कार्ड, टोकन या संदाय के किसी अन्य साधन द्वारा प्रचालित वीडियो गेम कनसोल या मशीनें नहीं आती हैं (उपशीर्ष 9504 30) ।";

(iii) शीर्ष 9504 में,—

(क) स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "मनोरंजन की वस्तुएं" शब्दों के स्थान पर, "वीडियो गेम कनसोल और मशीनें, मनोरंजन की वस्तुएं," शब्द रखे जाएंगे;

(ख) टैरिफ मद 9504 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

(ग) उपशीर्ष 9504 30, टैरिफ मद 9504 30 10 से 9504 30 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9504 30 00	-	सिक्कों, बैंक नोट, बैंक कार्ड, टोकन द्वारा या संदाय के किसी अन्य साधन द्वारा प्रचालित अन्य खेल, अन्य आटोमेटिक बालिंग अलाय उपकरण	इ0	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 9504 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9504 50 00	-	वीडियो गेम कनसोल और मशीनें, जो उपशीर्ष 9504 30 से भिन्न है	इ0	10%	-";

(ङ) टैरिफ मद 9504 90 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9504 90 20	—	कैरम बोर्ड, सिक्के या स्ट्राइकर के साथ या उसके बिना	इ0	10%	-";

(54) अध्याय 96 में,—

(i) उपशीर्ष 9608 में,—

(क) टैरिफ मद 9608 10 10 और 9608 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

"	—	द्रव स्याही सहित (रोलिंग बाल पेन के लिए) :			
"9608 10 11	—	उच्च स्तर के बाल पाइंट पेन (100 अमेरिकी डालर या अधिक सी.आई.एफ. प्रति यूनिट)	इ0	10%	-
9608 10 12	—	बहुमूल्य धातु या वेल्लित बहुमूल्य धातु की बाड़ी या कैप के साथ बाल पाइंट पेन	इ0	10%	-
9608 10 19	—	अन्य	इ0	10%	-
	—	अन्य :			
9608 10 91	—	उच्च स्तर के बाल पाइंट पेन (100 अमेरिकी डालर या अधिक सी.आई.एफ. प्रति यूनिट)	इ0	10%	-
9608 10 92	—	बहुमूल्य धातु या वेल्लित बहुमूल्य धातु की बाड़ी या कैप के साथ बाल पाइंट पेन	इ0	10%	-
9608 10 99	—	अन्य	इ0	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 9608 20 00, उपशीर्ष 9608 31, टैरिफ मद 9608 31 10 और 9608 31 90, उपशीर्ष 9608 39, टैरिफ मद 9608 39 10 से टैरिफ मद 9608 39 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9608 20 00	-	फैल्ट अग्र और अन्य सरंघ्राग्र पेन और चिह्नक	इ0	10%	-
9608 30	-	फाउंटेन पेन, स्टाइलो-लेखन पेन और अन्य पेन :			
	—	फाउंटेन पेन :			
"9608 30 11	—	उच्च स्तर के फाउंटेन पेन (100 अमेरिकी डालर या अधिक सी.आई.एफ. प्रति यूनिट)	इ0	10%	-
9608 30 12	—	बहुमूल्य धातु या वेल्लित बहुमूल्य धातु की बाडी या कैप के साथ	इ0	10%	-
9608 30 19	—	अन्य	इ0	10%	-
	—	स्टाइलो-लेखन पेन :			
9608 30 21	—	उच्च स्तर के पेन (100 अमेरिकी डालर या अधिक सी.आई.एफ. प्रति यूनिट)	इ0	10%	-
9608 30 22	—	बहुमूल्य धातु या वेल्लित बहुमूल्य धातु की बाडी या कैप के साथ	इ0	10%	-
9608 30 29	—	अन्य	इ0	10%	-
	—	अन्य :			
9608 30 91	—	उच्च स्तर के पेन (100 अमेरिकी डालर या अधिक सी.आई.एफ. प्रति यूनिट)	इ0	10%	-
9608 30 92	—	बहुमूल्य धातु या वेल्लित बहुमूल्य धातु की बाडी या कैप के साथ	इ0	10%	-
9608 30 99	—	अन्य	इ0	10%	-";

(ii) टैरिफ मद 9618 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"9619		**सैनेटरी टावल (पैड) और टैम्पन, शिशुओं के लिए नेपकिन और नेपकिन लाइनर और किसी सामग्री की वैसी वस्तुएं**			
9619 00	-	सैनेटरी टावल (पैड) और टैम्पन, शिशुओं के लिए नेपकिन और नेपकिन लाइनर और किसी सामग्री की वैसी वस्तुएं :			
9619 00 10	—	सैनेटरी टावल (पैड) या सैनेटरी नेपकिन	कि0ग्रा0	10%	-
9619 00 20	—	टैम्पन	कि0ग्रा0	10%	-
9619 00 30	—	शिशुओं के लिए नेपकिन और नेपकिन लाइनर	कि0ग्रा0	10%	-
9619 00 40	—	क्लीनिकल डाइपर	कि0ग्रा0	10%	-
9619 00 90	—	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-"।

छठी अनुसूची

[धारा 60(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

'दूसरी अनुसूची—निर्यात टैरिफ

टिप्पण :

1. इस अनुसूची में, "अध्याय", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "टैरिफ मद" से सीमाशुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची का क्रमशः कोई अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद अभिप्रेत है ।

2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पण के निर्वचन के नियम और पहली अनुसूची के निर्वचन के साधारण नियम इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे ।

3. शुल्क की दर के संबंध में इस अनुसूची के किसी स्तंभ में "%" संक्षेपाक्षर यह उपदर्शित करता है कि उस माल पर जिससे प्रविष्टि संबंधित है, शुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में यथा परिभाषित माल के मूल्य के आधार पर प्रभारित किया जाएगा और शुल्क उस मूल्य के उतने प्रतिशत के बराबर होगा, जो उस स्तंभ में उपदर्शित है ।

क्र0सं0	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0901	काफी	2200 रु0 प्रति क्विंटल
2.	0902	चाय	5 रु0 प्रति किलोग्राम
3.	0904 11	काली मिर्च	5 रु0 प्रति किलोग्राम
4.	0908 30	इलायची	50 रु0 प्रति किलोग्राम
5.	0910 30	हल्दी, चूर्ण	1500 रु0 प्रति टन
6.	0910 30	हल्दी, चूर्ण से भिन्न	2000 रु0 प्रति टन
7.	1006 30 20	बासमती चावल	12000 रु0 प्रति टन
8.	1202 10	मूंगफली छिलका	1125 रु0 प्रति टन
9.	1202 20	मूंगफली गिरी	1500 रु0 प्रति टन
10.	2305	डी-आयल्ड मूंगफली की खली	125 रु0 प्रति टन
11.	2305	डी-आयल्ड मूंगफली चूर्ण (विलायक निष्कर्षित किस्म)	125 रु0 प्रति टन
12.	2306	डी-आयल्ड चावल चोकर खली	15%
13.	2309	पशु चारा	125 रु0 प्रति टन
14.	2401	तम्बाकू अविनिर्मित	75 पैसे प्रति किलोग्राम या 20% जो भी कम हो
15.	2508 50	सिलीमैनाइट	20%
16.	2508 50	कायनाइट	40 रु0 प्रति टन
17.	2511 10	बैराइटस	50 रु0 प्रति टन
18.	2516	ग्रेनाइट (जिसके अंतर्गत काला ग्रेनाइट भी है) पोरफियरी और बेसाल्ट, सभी प्रकार के	15%
19.	2525, 6814	अभ्रक, जिसके अंतर्गत घर्षित अभ्रक भी है	40%
20.	2526 20 20	स्टिएटाइट (टाल्क)	20%
21.	2601 11	लौह अयस्क और सांद्र, असंपीडित	30%
22.	2601 12	लौह अयस्क और सांद्र, संपीडित	30%
23.	2602	मैगनीज अयस्क	20 रु0 प्रति टन

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	2610	क्रोमियम अयस्क और सांद्र सभी प्रकार के	3000 रू0 प्रति टन
25.	2820 10 00	मैगनीज डाइआक्साइड	20%
26.	41, 43	खालें, चर्म और चमड़ा, चर्म संस्कारित और चर्म असंस्कारित, सभी प्रकार के किन्तु इसमें चमड़ा विनिर्माण सम्मिलित नहीं है	60%
27.	5101	कच्चा ऊन	25%
28.	5201	कच्ची कपास	10000 रू0 प्रति टन
29.	5202	कपास अपशिष्ट, सभी प्रकार के	40%
30.	5308	कयर सूत	15%
31.	कोई अध्याय	जूट विनिर्मिति (जिसके अंतर्गत बिमपलिपटम जूट या मेस्ता फाइबर का विनिर्माण भी है) जब वास्तविक रूप से कवरिंग, आधान या कहीं और विनिर्दिष्ट न किए गए अन्य माल को बांधने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है	150 रू0 प्रति टन
32.	5310, 6305	हैसियन क्लाथ और थैले—	
		(i) कालीन पृष्ठभाग ;	700 रू0 प्रति टन
		(ii) अन्य हैसियन क्लाथ (जिसके अंतर्गत नेरो बैकिंग क्लाथ भी है) और थैले जब वास्तविक रूप से कवरिंग, आधान या अन्य माल को बांधने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है	1000 रू0 प्रति टन
33.	5310	जूट कैनवास, जूट वेबिंग, जूट तिरपाल क्लाथ और उसकी विनिर्मितियां जब वास्तविक रूप से कवरिंग, आधान या अन्य माल को बांधने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है	200 रू0 प्रति टन
34.	5310	बोरियां (कपड़ा, थैले, ट्विस्ट, सूत, रस्सी और रज्जु) जब वास्तविक रूप से कवरिंग, आधान या अन्य माल को बांधने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है	150 रू0 प्रति टन
35.	7201	कच्चा लोहा और स्पेगिलाइजेन कच्चा लोहा, ब्लाकों या अन्य प्राथमिक रूपों में	20%
36.	7203	लौह अयस्क के प्रत्यक्ष अपचयन द्वारा प्राप्त लौह उत्पाद और अन्य स्पंजी लौह उत्पाद प्रपिंडकों, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में ; लौह, जिनमें भार के आधार पर न्यूनतम शुद्धता 99.94 प्रतिशत है, प्रपिंडकों, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में	20%
37.	7204	लौह अपशिष्ट और स्क्रैप, लौह या इस्पात के पुनर्गलनशील स्क्रैप पिंड	20%
38.	7205	कच्चे लौह, स्पीगेलाइजेन, लौह या इस्पात की कणिकाएं और चूर्ण	20%
39.	7206	लौह या अमिश्रातु इस्पात, पिंडों में या अन्य प्राथमिक रूपों में	20%
40.	7207	लौह या अमिश्रातु इस्पात के अर्ध-परिसज्जित उत्पाद	20%
41.	7208	लौह या अमिश्रातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, जो तप्त-वेल्लित अनधिपट्टित, अलेपित या अविलेपित हैं	20%
42.	7209	लौह या अमिश्रातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, जो अतप्त-वेल्लित (अतप्त अपचयित) अनधिपट्टित, पट्टित या विलेपित हैं	20%

(1)	(2)	(3)	(4)
43.	7210	लौह या अमिश्रातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद जो अधिपट्टित, लेपित या विलेपित हैं टिन से लेपित या विलेपित	20%
44.	7213	लौह या अमिश्रातु इस्पात की शलाकाएं और छड़ें, तप्त-वेल्लित, अनियमिततः आबलित कुंडलियों में	20%
45.	7214	लौह या अमिश्रातु इस्पात की अन्य शलाकाएं और छड़ें जिन्हें फोर्जित, तप्त वेल्लित, तप्त कर्षित या तप्त उत्सारित से भिन्न और कर्मित नहीं किया गया है किंतु इसके अंतर्गत वे भी हैं जिन्हें वेल्लन के पश्चात् व्यावर्तित किया गया है	20%
46.	7215	लौह या अमिश्रातु इस्पात की अन्य शलाकाएं और छड़ें	20%
47.	7216	लौह या अमिश्रातु इस्पात के ऐंगिल, आकार और सेक्शन	20%
48.	7217	लौह या अमिश्रातु इस्पात के तार	20%
49.	7303, 7304, 7305, 7306	लौह या इस्पात के ट्यूब और पाइप	20%' ।

सातवीं अनुसूची

[धारा 61(1) देखिए]

मद का वर्णन और उस पर सुरक्षा शुल्क का अधिरोपण	प्रभावी होने की अवधि
(1)	(2)
महानिदेशक (सुरक्षा) के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 2815 12 00 के अंतर्गत आने वाली कास्टिक सोडा लाई पर जब उसका भारत में आयात किया जाता है, मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत की दर से सुरक्षा शुल्क।	4 दिसंबर, 2009 से 3 मार्च, 2010 (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए।

1156

आठवीं अनुसूची

[धारा 71(1) देखिए]

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	**संशोधन**	**संशोधन के प्रभावी होने की तारीख**
(1)	(2)	(3)
केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004, जो अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 600(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 [23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन टी), तारीख 10 सितंबर, 2004] द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, का नियम 3 ।	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 के उपनियम (1) में,— (क) खंड (ix) में अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ; (ख) खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(ixक) वित्त अधिनियम की धारा 66क के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर ; और "।	18 अप्रैल, 2006

नौवीं अनुसूची

[धारा 72(1) देखिए]

क्रम सं0	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	प्रभावी होने की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा0का0नि0 679(अ), तारीख 25 अगस्त, 2003 [69/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 अगस्त, 2003]	स्तंभ (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की शर्त (इ) और शर्त (ई) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।	25 अगस्त, 2003 से 31 मार्च 2006 (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) जहां तक वह स्तंभ (3) में निर्दिष्ट शर्त (इ) और शर्त (ई) में निर्दिष्ट विनिधान की अवधि से संबंधित है ।
2.	सा0का0नि0 60(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 [8/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जनवरी, 2004]	स्तंभ (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की शर्त (इ) और शर्त (ई) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।	21 जनवरी, 2004 से 30 सितम्बर, 2006 (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) जहां तक वह स्तंभ (3) में निर्दिष्ट शर्त (इ) और शर्त (ई) में निर्दिष्ट विनिधान की अवधि से संबंधित है ।
3	सा0का0नि0 60(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004, सा0का0नि0 419 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा यथासंशोधित [28/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004]	स्तंभ (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की निलंबलेख खाते से विनिधान की अवधि से संबंधित शर्त (इ) और शर्त (ई) में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।	9 जुलाई, 2004 से 31 मई, 2011 (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) जहां तक वह स्तंभ (3) में निर्दिष्ट शर्त (इ) और शर्त (ई) में निलंबलेख खाते से किए गए विनिधान की अवधि से संबंधित है ।

दसवीं अनुसूची

[धारा 73(क)(i) देखिए]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(i) अध्याय 14 की टैरिफ मद 1404 90 50 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) अध्याय 15 में,—

(क) टिप्पण 5 में, "शीर्ष 1507" शब्द और अंकों से आरंभ होने वाले और "या 1507 10 29" शब्द और अंकों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"शीर्ष 1501 या 1502 या 1503 या 1504 या 1505 या 1506 या 1507 या 1508 या 1509 या 1510 या 1511 या 1512 या 1513 या 1514 या 1515 या 1518 ; उपशीर्ष 1516 20 या 1517 90 ; टैरिफ मद 1516 10 00 या 1517 10 10 या 1517 10 21 या 1517 10 29";

(ख) टैरिफ मद 1501 00 00, 1502 00 10, 1502 00 20, 1502 00 30, 1502 00 90, 1503 00 00, 1504 10 10, 1504 10 91, 1504 10 99, 1504 20 10, 1504 20 20, 1504 20 30, 1504 20 90, 1504 30 00, 1505 00 10, 1505 00 20, 1505 00 90, 1506 00 10, 1506 00 90 और 1516 10 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) अध्याय 16 में, टैरिफ मद 1601 00 00, 1602 10 00, 1602 20 00, 1602 31 00, 1602 32 00, 1602 39 00, 1602 41 00, 1602 42 00, 1602 49 00, 1602 50 00, 1602 90 00, 1603 00 10, 1603 00 20, 1603 00 90, 1604 11 00, 1604 12 10, 1604 12 90, 1604 13 10, 1604 13 20, 1604 14 10, 1604 14 90, 1604 15 00, 1604 16 00, 1604 19 00, 1604 20 00, 1604 30 00, 1605 10 00, 1605 20 00, 1605 30 00, 1605 40 00, 1605 90 10, 1605 90 20, 1605 90 30 और 1605 90 90 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) अध्याय 19 में, टैरिफ मद 1901 10 10, 1901 10 90, 1902 11 00, 1902 19 00, 1902 20 10, 1902 20 90, 1902 30 10, 1902 30 90 और 1903 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) अध्याय 21 में, टैरिफ मद 2105 00 00 और 2106 90 92 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) अध्याय 22 में,—

(क) टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'7. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में आधानों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना या प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पैक करना या पुनः पैक करना या किसी अन्य उपचार को अंगीकृत करना, उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करना "विनिर्माण" की कोटि में आएगा ।';

(ख) टैरिफ मद 2202 90 10 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) अध्याय 26 में, टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'4. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, अयस्कों को सांद्रणों में संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी ।';

(viii) अध्याय 27 की टैरिफ मद 2701 11 00, 2701 12 00, 2701 19 10, 2701 19 20, 2701 19 90, 2701 20 10, 2701 20 90, 2702 10 00, 2702 20 00, 2703 00 10, 2703 00 90, 2704 00 10, 2704 00 20, 2704 00 30, 2704 00 40, 2704 00 90, 2706 00 10 और 2706 00 90 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) अध्याय 30 की टैरिफ मद 3002 20 11, 3002 20 12, 3002 20 13, 3002 20 14, 3002 20 15, 3002 20 16, 3002 20 17, 3002 20 18, 3002 20 19, 3002 20 21, 3002 20 22, 3002 20 23, 3002 20 24, 302 20 29 और 3002 30 20 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) अध्याय 32 की टैरिफ मद 3215 90 10 और 3215 90 20 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) अध्याय 38 की टैरिफ मद 3824 50 10 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) अध्याय 39 की टैरिफ मद 3916 10 20, 3916 20 11, 3916 20 91 और 3916 90 10 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) अध्याय 46 की टैरिफ मद 4601 21 00, 4601 22 00, 4601 29 00, 4601 92 00, 4601 93 00, 4601 94 00, 4601 99 00, 4602 11 00, 4602 12 00, 4602 19 11, 4602 19 19 और 4602 19 90 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) अध्याय 47 की टैरिफ मद 4701 00 00, 4702 00 00, 4703 11 00, 4703 19 00, 4703 21 00, 4703 29 00, 4704 11 00, 4704 19 00, 4704 21 00, 4704 29 00, 4705 00 00, 4706 10 00, 4706 20 00, 4706 30 00, 4706 91 00, 4706 92 00 और 4706 93 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) अध्याय 48 की टैरिफ मद 4817 10 00 और 4817 20 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) अध्याय 49 की टैरिफ मद 4909 00 10, 4909 00 90, 4910 00 10 और 4910 00 90 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) अध्याय 53 की टैरिफ मद 5307 10 10 और 5307 20 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) अध्याय 56 की टैरिफ मद 5601 10 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) अध्याय 58 की टैरिफ मद 5805 00 10, 5805 00 20, 5805 00 90, 5807 10 10, 5807 10 20, 5807 10 90, 5807 90 10 और 5807 90 90 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) अध्याय 63 में, टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'4. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, उत्पाद पर कोई ब्रांड नाम लगाना, आधानों पर लेबल या पुनःलेबल लगाना या प्रपुंज पैकों से फुटकर पैकों में पुनः पैकिंग करना या कोई अन्य उपचार या उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए कोई अन्य उपचार का अपनाया जाना "विनिर्माण" की कोटि में आएगा।

5. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, "ब्रांड नाम" से कोई ब्रांड नाम अभिप्रेत है चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं अर्थात् कोई नाम या चिह्न जैसे चिह्न, गुम्फाक्षर, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेखन जिसका उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए किसी उत्पाद के संबंध में प्रयोग किया जाता है या जिससे उत्पाद के बीच व्यापार के अनुक्रम का संबंध उपदर्शित किया जा सके और ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति, उस व्यक्ति की पहचान करके या उसके बिना उसका उपयोग करते हैं ।';

(xxi) अध्याय 69 की टैरिफ मद 6901 00 10 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) अध्याय 70 की टैरिफ मद 7020 00 11, 7020 00 12 और 7020 00 21 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) अध्याय 71 में,—

(क) टिप्पण 13 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'14. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, डोर बार के परिष्करण की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी ।';

(ख) टैरिफ मद 7104 10 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 7106 10 00, 7106 91 00 और 7106 92 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) अध्याय 72 में, टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'5. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, गाल्वनीकरण की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी।' ;

(xxv) अध्याय 84 की टैरिफ मद 8452 10 12, 8452 10 22, 8452 30 10, 8452 30 90 और 8479 89 92 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) अध्याय 88 की टैरिफ मद 8801 00 10, 8801 00 20, 8801 00 90, 8804 00 10, 8805 10 10, 8805 10 20, 8805 10 30, 8805 21 00 और 8805 29 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) अध्याय 89 की टैरिफ मद 8901 10 10, 8901 10 20, 8901 10 30, 8901 10 40, 8901 10 90, 8901 20 00, 8901 30 00, 8901 90 00, 8904 00 00, 8905 10 00, 8905 20 00, 8905 90 90 और 8906 90 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) अध्याय 90 की टैरिफ मद 9017 20 10, 9017 20 20, 9017 20 30 और 9017 20 90 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) अध्याय 93 की टैरिफ मद 9301 11 00, 9301 19 00, 9301 20 00 और 9301 90 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) अध्याय 94 की टैरिफ मद 9405 50 10 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) अध्याय 96 की टैरिफ मद 9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29 10, 9606 29 90, 9606 30 10, 9609 10 00, 9609 20 00, 9609 90 10, 9609 90 20, 9609 90 30 और 9609 90 90 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

ग्यारहवीं अनुसूची

[धारा 73(क)(ii) देखिए]

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 1 में,—

(i) टिप्पण के खंड (क) में, "0301, 0306 या 0307;" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0301, 0306, 0307 या 0308 ;" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) शीर्ष 0101 में, उपशीर्ष 0101 10, टैरिफ मद 0101 10 10 से 0101 10 90, उपशीर्ष 0101 90, टैरिफ मद 0101 90 10 से 0101 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	अश्व :		
0101 21 00	--	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी	इ0	
0101 29	-	अन्य :		
0101 29 10	---	पोलो के लिए अश्व	इ0	
0101 29 90	---	अन्य	इ0	
0101 30	-	गधे :		
0101 30 10	---	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी	इ0	
0101 30 20	---	पशुधन	इ0	
0101 30 90	---	अन्य	इ0	
0101 90	-	अन्य :		
0101 90 30	---	पशुधन के रूप में खच्चर और हिन्नी	इ0	
0101 90 90	---	अन्य	इ0 ";	

(iii) शीर्ष 0102 में, उपशीर्ष 0102 10, टैरिफ मद 0102 10 10 से 0102 10 90, उपशीर्ष 0102 90, टैरिफ मद 0102 90 10 से 0102 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	पशु :		
0102 21	--	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी :		
0102 21 10	---	बैल	इ0	
0102 21 20	---	गाय	इ0	
0102 29	--	अन्य :		
0102 29 10	---	बैल	इ0	
0102 29 90	---	बछड़े सहित, अन्य	इ0	
	-	भैंस :		
0102 31 00	--	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी	इ0	
0102 39 00	--	अन्य	इ0	
0102 90	-	अन्य :		
0102 90 10	---	शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणी	इ0	
0102 90 90	---	अन्य	इ0 ";	

(iv) शीर्ष 0105 में, टैरिफ मद 0105 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0105 13 00	--	बत्तखें	इ0	
0105 14 00	--	हंस	इ0	
0105 15 00	--	गायना मुर्गे	इ0 ";	

(v) शीर्ष 0106 में,—

(क) टैरिफ मद 0106 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0106 12 00	--	ह्वेल, डाल्फिन और शिंशुक (सिटेसिया क्रम के स्तनपायी), मेनेट और समुद्री गाय (सिरेनिया क्रम के स्तनपायी); सील, जलसिंह और वालरस (पिन्नीपेडिया उप-क्रम के स्तनपायी)	इ0	

(1)		(2)	(3)	(4)
0106 13 00	--	ऊंट और अन्य कैमेलिड्स (कैमेलिडाई)	इ0	
0106 14 00	--	खरगोश और शशक	इ0 ";	

(ख) टैरिफ मद 0106 32 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0106 33 00	--	शुतुरमुर्ग ; सदृश पक्षी (ड्रोमेयस नोवैहोलेंडाए)	इ0 ";	

(ग) उपशीर्ष 0106 90, टैरिफ मद 0106 90 10 से 0106 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	कीटनाशी :		
0106 41	--	मधुमक्खियां :		
0106 41 10	---	पर्लीन स्टॉक	इ0	
0106 41 90	---	अन्य	इ0	
0106 49	--	अन्य :		
0106 49 10	---	पर्लीन स्टॉक	इ0	
0106 49 90	---	अन्य	इ0	
0106 90 00	-	अन्य	इ0 ";	

(2) अध्याय 2 में,—

(i) शीर्ष 0207, टैरिफ मद 0207 27 00 से 0207 36 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0207 27 00	--	टुकड़े और अवशिष्ट, हिमशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
	-	बत्तख का :		
0207 41 00	--	टुकड़ों में न कटे हुए, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0207 42 00	--	टुकड़ों में न कटे हुए, हिमशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0207 43 00	--	वसायुक्त यकृत, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0207 44 00	--	अन्य, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0207 45 00	--	अन्य हिमशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
	-	हंस का :		
0207 51 00	--	टुकड़ों में न कटे हुए, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0207 52 00	--	टुकड़ों में न कटे हुए, हिमशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0207 53 00	--	वसायुक्त यकृत, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0207 54 00	--	अन्य, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0207 55 00	--	अन्य, हिमशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0207 60 00	--	गायना मुर्गे का	कि0ग्रा0	नहीं ";

(ii) शीर्ष 0208 में,—

(क) टैरिफ मद 0208 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0208 40 00	-	ह्वेल, डाल्फिन और शिंशुक का (सिटेसिया क्रम के स्तनपायी); मेनेट और समुद्री गाय का (सिरेनिया क्रम के स्तनपायी); सील, जलसिंह और वालरस का (पिन्नीपेडिया उप-क्रम के स्तनपायी)	कि0ग्रा0	नहीं ";

(ख) टैरिफ मद 0208 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0208 60 00	-	ऊंट और अन्य कैमेलिड्स (कैमेलिडाई)	कि0ग्रा0	नहीं ";

(iii) टैरिफ मद 0209 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"0209		**चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धूमित**		
0209 10 00	-	सुअरों के	कि0ग्रा0	नहीं
0209 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं ";

(iv) शीर्ष 0210 में, टैरिफ मद 0210 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0210 92 00	--	ह्वेल, डाल्फिन और शिंशुक का (सिटेसिया क्रम के स्तनपायी); मेनेट और समुद्री गाय का (सिरेनिया क्रम के स्तनपायी); सील, जलसिंह और वालरस का (पिन्नीपेडिया उप-क्रम के स्तनपायी)	कि0ग्रा0	नहीं ";

(3) अध्याय 3 में,—

(1)		(2)	(3)	(4)
(i) शीर्ष 0301 में,—				
(क) टैरिफ मद 0301 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
	"-	अलंकारी मछली :		
0301 11 00	--	ताजा जल	कि0ग्रा0	नहीं
0301 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं ";
(ख) टैरिफ मद 0301 93 00 और 0301 94 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
"0301 93 00	--	कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, करासियस करासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलियस, हाइपोफथालमिशथियस, सभी जातियां, सिरेहिनस सभी जातियां, माइलोफेरिंगोडोन पाइसियस)	कि0ग्रा0	नहीं
0301 94 00	--	अटलांटिक और प्रशांत ब्लूफिन टुनास (थुन्नुस थाईनस, थुन्नुस ओरियंटेलिस)	कि0ग्रा0	नहीं ";
(ii) शीर्ष 0302 में,—				
(क) टैरिफ मद 0302 12 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
"0302 13 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो आंकोरहाइनकस रोडोरस)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 14 00	--	अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुबे सालमन (हुको हुको)	कि0ग्रा0	नहीं ";
(ख) टैरिफ मद 0302 23 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—				
"0302 24 00	--	टरबोट्स (सेटा मैक्सिमा, स्कोपथालमिडाई)	कि0ग्रा0	नहीं ";
(ग) टैरिफ मद 0302 35 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
"0302 35 00	--	अटलांटिक और प्रशांत ब्लूफिन टुनास (थुन्नुस थाईनस, थुन्नुस ओरियंटलिस)	कि0ग्रा0	नहीं ";
(घ) टैरिफ मद 0302 40 00 से 0302 68 00, उपशीर्ष 0302 69, टैरिफ मद 0302 69 10 से 0302 70 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
	"-	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी) एंकोवीस (एंग्राउसिल सभी जातियां) सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसियस, स्कोंबर जपोनिकस), जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां), कोबिया (रेचिर्सिट्रान केनाडम) और स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), जिसके अंतर्गत यकृत और मिनांडक नहीं है :		
0302 41 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 42 00	--	एंकोवीस (एंग्राउलिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 43 00	--	सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 44 00	--	मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसियस, स्कोंबर जेपोनिकस)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 45 00	--	जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 46 00	--	कोबिया (रेचिर्सिट्रान केनाडम)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 47 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	नहीं
		ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूह की मछली, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :		
0302 51 00	--	कोड (गैडस मॉरहुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 52 00	--	हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 53 00	--	कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 54 00	--	हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 55 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 56 00	--	ब्लू व्हाटिंग्स (माइक्रोमेसिसटियस पोउटेसों, माइक्रोमेसिसटियस आस्ट्रलिस)	कि0ग्रा0	नहीं

(1)		(2)	(3)	(4)
0302 59 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :		
0302 71 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 72 00	--	कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 73 00	--	कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 74 00	--	ईल्स (एंग्युला सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	अन्य मछली, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं है :		
0302 81 00	--	डागफिश और अन्य शार्क	कि0ग्रा0	नहीं
0302 82 00	--	रेज और स्केट्स (रेजिडाय)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 83 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 84 00	--	समुद्री बास (डाइसैन्ट्रारकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 85 00	--	सीब्रीम (स्पेरिडाय)	कि0ग्रा0	नहीं
0302 89	-	अन्य :		
0302 89 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	नहीं
0302 89 20	---	दारा	कि0ग्रा0	नहीं
0302 89 30	---	पोम्फ्रेट	कि0ग्रा0	नहीं
0302 89 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0302 90 00	-	यकृत और मीनांडक	कि0ग्रा0	नहीं";

(iii) शीर्ष 0303, टैरिफ मद 0303 11 00 से 0303 78 00, उपशीर्ष 0303 79, टैरिफ मद 0303 79 10 से 0303 79 99, उपशीर्ष 0303 80, टैरिफ मद 0303 80 10 और 0303 80 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0303		**मछली, हिमशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष सं॰ 0304 के मछली कतले और मछली मांस नहीं है**		
	-	साल्मेनिडे, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं है :		
0303 11 00	--	सोकोई सालमन (लाल सालमन) (आंकोरहाइनकस नेरका)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 12 00	--	अन्य प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस गोरबुशा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोडोरस)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 13 00	--	अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुवे सालमन (हुको हुको)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 14 00	--	ट्राउट (सेलमों ट्रूटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसेगास्टर)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, लेक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडेन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडेन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :		

(1)		(2)	(3)	(4)
0303 23 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 24 00	--	कैटफिश (पैंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 25 00	--	कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस),	कि0ग्रा0	नहीं
0303 26 00	--	ईल्स (एंग्युला सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	चपटी मछली (प्लूरोनेटिडाई, बोथिडाई, साइनोग्लोसिडाई, सोलेडाई, स्कोपथेलमिडाई और सिथारिडाई) जिनके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :		
0303 31 00	--	हैलीबट (रीनहार्डटिअस हिप्पोग्लोसाईडीस, हिप्पोग्लोसस हिप्पोग्लोसस, हिप्पोग्लोसस स्टेनोलेपिस)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 32 00	--	प्लैसे (प्लूरोनेक्टेस प्लेटेसा)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 33 00	--	सोल (सोलिया सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 34 00	--	टरबोट्स (सेटा मैक्सिमा, स्कीपथानिडाई)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 39 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	ट्यूना मछलियां (थ्यूनस वंश की) स्कपजैक या पट्टीदार तुदंवाली बोनिटो [थ्यूथिनस (कातसूवूनस) पेलोमिस], जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :		
0303 41 00	--	एल्बाकोर या लंबे पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्यूनस एलालुंगा)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 42 00	--	पीले पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्यूनस एल्बाकेबर)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 43 00	--	स्कपजैक या पट्टीदार तुदंवाली बोनिटो	कि0ग्रा0	नहीं
0303 44 00	--	बिगेई ट्यूना (थुनस ओबेसस)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 45 00	--	अटलांटिक और प्रशांत ब्लूफिन टुनास (थुन्नुस थाईनस, थुन्नुस ओरियंटल)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 46 00	--	दक्षिणी ब्लूफिन ट्यूना (थुनस मकाई)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 49 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी) सारडीन (सारडिना इलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसियस, स्कोंबर जेपोनिकस), जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां), कोबिया (रचिसिंट्रान केनाडम) और स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :		
0303 51 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 53 00	--	सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां), सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 54 00	--	मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसियस, स्कोंबर जपोनिकस)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 55 00	--	जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 56 00	--	कोबिया (रचिसिंट्रान केनाडम)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 57 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	नहीं
	-	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूह की मछली, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :		
0303 63 00	--	कोड (गैडस मॉर्थुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 64 00	--	हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 65 00	--	कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 66 00	--	हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 67 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 68 00	--	ब्लू व्हाटिंग्स (माइक्रोमेसिसटियस पोउटेसॉ, माइक्रोमेसिसटियस आस्ट्रलिस)	कि0ग्रा0	नहीं

(1)		(2)	(3)	(4)
0303 69 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	अन्य मछली, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं हैं :		
0303 81	--	डाग फिश और अन्य शार्क :		
0303 81 10	---	डाग फिश	कि0ग्रा0	नहीं
0303 81 90	---	अन्य शार्क	कि0ग्रा0	नहीं
0303 82 00	--	रेज और स्केट्स (रेजिडाय)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 83 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 84 00	--	समुद्री बास (डाइसैन्ट्रारकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89	--	अन्य :		
0303 89 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89 20	---	दारा	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89 30	---	रिब्बन फिश	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89 40	---	सुरमई	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89 50	---	पोम्फ्रेट (सफेद या सिल्वर या काली)	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89 60	---	घोले	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89 70	---	सूत्रपख	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89 80	---	क्रोकर, ग्रुपर, फ्लाउंडर	कि0ग्रा0	नहीं
	-	अन्य :		
0303 89 91	----	वन्य प्राणी का खाद्य फिशफावस	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89 92	----	वन्य प्राणी का खाद्य शार्क पंख	कि0ग्रा0	नहीं
0303 89 99	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0303 90	-	यकृत और मीनांडक :		
0303 90 10	---	मछली का अंडा या अंडे की जर्दी	कि0ग्रा0	नहीं
0303 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(iv) शीर्ष 0304 में, टैरिफ मद 0304 11 00 से 0304 22 00, उपशीर्ष 0304 29, टैरिफ मद 0304 29 10 से 0304 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0304		**मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे कीमाकृत है या नहीं), ताजे, द्रुतशीतित या हिमशीतित**		
	-	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) के ताजे या द्रुतशीतित कतले :		
0304 31 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 32 00	--	कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 33 00	--	नील पर्च (लेट्स निलोटिसस)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 39 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	अन्य मछली के ताजे या द्रुतशीतित कतले :		
0304 41 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्वा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोडोरस), अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुबे सालमन (हुचो हुचो)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 42 00	--	ट्राउट (सेलमों ट्रूटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसेगास्टर)	कि0ग्रा0	नहीं

(1)		(2)	(3)	(4)
0304 43 00	--	चपटी मछली (पलूट्रोनेक्टिडाई, बोथिडाई, नोग्लोसिडाई, सोलिडाई, स्कोपथालमिडाई और सिथारिडाई)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 44 00	--	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूहों की मछली	कि0ग्रा0	नहीं
0304 45 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 46 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 49	--	अन्य :		
0304 49 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	नहीं
0304 49 20	---	शार्क	कि0ग्रा0	नहीं
0304 49 30	---	सुरमई	कि0ग्रा0	नहीं
0304 49 40	---	ट्यूना	कि0ग्रा0	नहीं
0304 49 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	अन्य, ताजा या द्रुतशीतित :		
0304 51 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) :	कि0ग्रा0	नहीं
0304 52 00	--	साल्मोनिडाई	कि0ग्रा0	नहीं
0304 53 00	--	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडिए, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडिए, मरल्यूसिडिए, मोरिडिए और मुरेनोलेपिड्डिाए समूह की मछली	कि0ग्रा0	नहीं
0304 54 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 55 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 59	--	अन्य :		
0304 59 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	नहीं
0304 59 20	---	शार्क	कि0ग्रा0	नहीं
0304 59 30	---	सुरमई	कि0ग्रा0	नहीं
0304 59 40	---	ट्यूना	कि0ग्रा0	नहीं
0304 59 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां,सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) के हिमशीतित कतले :		
0304 61 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 62 00	--	कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 63 00	--	नील पर्च (लेट्स निलोटिसस)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 69 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूहों की हिमशीतित मछली के कतले :		
0304 71 00	--	कोड (गैडस मोरह्युआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 72 00	--	हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 73 00	--	कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 74 00	--	हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 75 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि0ग्रा0	नहीं

(1)		(2)	(3)	(4)
0304 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	अन्य मछली के हिमशीतित कतले :		
0304 81 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोडोरस), अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुबे सालमन (हुचो हुचो)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 82 00	---	ट्राउट (सेलमों ट्रटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसेगास्टर)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 83 00	--	चपटी मछली (पलूट्रोनेक्टिडाई, बोथिडाई, नोग्लोसिडाई, सोलिडाई, स्कोपथालमिडाई और सिथारिडाई)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 84 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 85 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 86 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 87 00	--	ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस वंश की), स्किपजैक या पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो [(यूथीनस (कातसूवोनस) पेलामिस)]	कि0ग्रा0	नहीं
0304 89	--	अन्य :		
0304 89 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	नहीं
0304 89 20	---	शार्क	कि0ग्रा0	नहीं
0304 89 30	---	सुरमई	कि0ग्रा0	नहीं
0304 89 90	-	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	अन्य, हिमशीतित :		
0304 91 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लैडियस)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 92 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 93 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिक्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 94 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि0ग्रा0	नहीं
0304 95 00	--	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूह की मछली, अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा) से भिन्न	कि0ग्रा0	नहीं
0304 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(v) शीर्ष 0305, टैरिफ मद 0305 10 00 से 0305 51 00, उपशीर्ष 0305 59, टैरिफ मद 0305 59 10 से 0305 63 00, उपशीर्ष 0305 69, टैरिफ मद 0305 69 10 से 0305 69 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0305		**मछली, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी ; धूमित मछली, चाहे वह धूमन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाई गई या नहीं ; मछली का आटा, अवचूर्ण और गुटका जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है**		
0305 10 00	-	मानव उपभोग के लिए उपयुक्त मछली का आटा, अवचूर्ण और गुटिका	कि0ग्रा0	नहीं
0305 20 00	-	मछली का यकृत और मीनांडक, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी	कि0ग्रा0	नहीं
	-	मछली के कतले, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी हुई, किंतु धूमित नहीं :		
0305 31 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिक्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं

413)

(1)		(2)	(3)	(4)
0305 32 00	--	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूहों की मछली	कि0ग्रा0	नहीं
0305 39 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	धूमित मछली, जिसके अंतर्गत कतले भी हैं, खाद्य मछली के अवशिष्ट भी हैं :		
0305 41 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोडोरस), अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुवे सालमन (हुको हुको)	कि0ग्रा0	नहीं
0305 42 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि0ग्रा0	नहीं
0305 43 00	--	ट्राउट (सेलमों टूटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसेगास्टर)	कि0ग्रा0	नहीं
0305 44 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभा जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0305 49 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	--	शुष्कित मछली, खाद्य मछली के अवशिष्ट से भिन्न, चाहे लवणित हो या नहीं किन्तु धूमित नहीं :		
0305 51 00	--	कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	नहीं
0305 59	--	अन्य :		
0305 59 10	---	मुम्बई डक	कि0ग्रा0	नहीं
0305 59 20	---	सुरमई, बिना सिर के	कि0ग्रा0	नहीं
0305 59 30	---	स्प्रेट्स	कि0ग्रा0	नहीं
0305 59 90	---	अन्य :		
	-	मछली, लवणित किन्तु शुष्कित या धूमित नहीं और लवण जल में रखी मछली, खाद्य मछली के अवशिष्ट से भिन्न :		
0305 61 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि0ग्रा0	नहीं
0305 62 00	--	कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	नहीं
0305 63 00	--	एंचोवी (एंग्रोलिस सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0305 64 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0305 69	-	अन्य :		
0305 69 10	---	मुम्बई डक	कि0ग्रा0	नहीं
0305 69 20	---	सुरमई, बिना सिर के	कि0ग्रा0	नहीं
0305 69 30	---	स्प्रेट्स	कि0ग्रा0	नहीं
0305 69 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	मछली के पंख, सिर, पूंछ, उदर और अन्य खाद्य मछली के अवशिष्ट :		
0305 71 00	--	शार्क पंख	कि0ग्रा0	नहीं
0305 72 00	--	मछली के पंख, पूंछ और उदर	कि0ग्रा0	नहीं
0305 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(1)		(2)	(3)	(4)

(vi) शीर्ष 0306 में,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

- **"क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताजी, द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी, कवचयुक्त क्रेस्टेशिया जो भापन द्वारा या जल में उबालकर पकाई गई है, चाहे द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी है या नहीं, क्रेस्टेशिया का आटा, अवचूर्ण और गुटिका, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है";**

(ख) उपशीर्ष 0306 13, टैरिफ मद 0306 13 11, 0306 13 19, 0306 13 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 0306 14 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0306 15 00	--	नार्वे महाचिंगट (नेफ्रोस नार्वेजिकस)	कि0ग्रा0	नहीं
0306 16	--	शीतजल झींगी और झींगा (पांडालुस सभी जातियां, क्रेंगोन क्रेंगोन) :		
0306 16 10	---	त्वरित हिमशीतित शुष्कित (एएफडी)	कि0ग्रा0	नहीं
0306 16 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0306 17	--	अन्य झींगी और झींगा :		
	---	स्कैंपी (मैक्रोबेक्टियम सभी जातियां) :		
0306 17 11	----	त्वरित हिमशीतित शुष्कित (एएफडी)	कि0ग्रा0	नहीं
0306 17 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0306 17 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(घ) उपशीर्ष 0306 23, टैरिफ मद 0306 23 10 और 0306 23 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) टैरिफ मद 0306 24 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"0306 25 00	--	नार्वे महाचिंगट (नेफ्रोस नार्वेजिकस)	कि0ग्रा0	नहीं
0306 26 00	--	शीत जल झींगी और झींगा (पांडालुस सभी जातियां, क्रेंगोन क्रेंगोन)	कि0ग्रा0	नहीं
0306 27	--	अन्य झींगी और झींगा :		
0306 27 10	---	अवचूर्ण	कि0ग्रा0	नहीं
0306 27 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(vii) शीर्ष 0307 में,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताजी, द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित या लवण जल में रखे ; धूमित मोलस्क, चाहे कवच में हो या नहीं, चाहे धूमन प्रक्रिया से पूर्व या उसके दौरान पकाई गई है या नहीं ; मोलस्क का आटा, अवचूर्ण और गुटिका, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है";

(ख) टैरिफ मद 0307 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	सीप :		
0307 11 00	--	जीवित, ताजा या शुष्कित	कि0ग्रा0	नहीं
0307 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(ग) टैरिफ मद 0307 60 00 से 0307 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0307 60 00	-	घोंघे, समुद्री घोंघे से भिन्न	कि0ग्रा0	नहीं
	-	सीपियां, घोंघे और बंद कवच (आर्सीडाई, आर्क्टीसीडाई, कार्डीडाई, डोनासिडाई, हीएटेलिडाई, मेक्ट्रीडाई, मेसोडिसमेटीडाई, माईएडाई, सिमेलिडाई, सोलेकर्टीडाई, सोलेनिडाई, ट्राईडेक्नीडाई और वेनेरीडाई) :		
0307 71 00	--	जीवित, ताजा या शीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0307 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	--	ऐबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां) :		
0307 81 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	नहीं

(1)		(2)	(3)	(4)
0307 89 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	--	अन्य, जिसके अंतर्गत आटा, अवचूर्ण और गुटिका भी है, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है :		
0307 91 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0307 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(viii) इस प्रकार रखी गई टैरिफ मद 0307 99 00 के पश्चात्, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"0308		**क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरूकी, जीवित, ताजी, द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी ; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न धूमित, जलीय अकशेरूकी, चाहे धूमन प्रक्रिया से पूर्व या दौरान पकाई गई है या नहीं ; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरूकी का आटा, अवचूर्ण और गुटिका, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है";**		
	-	सी कुकुम्बर (स्टीचोपस जेपोनिकस, होलोथूरियाडाई):		
0308 11 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित,	कि0ग्रा0	नहीं
0308 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	-	समुद्री जलशाही (स्ट्रांगिलोसेंट्रोटस सभी जातियां, पैरासेंट्रोटस लिविडस, लोक्सीचिनस एल्बस, इचिचिनस एस्कुलेंटस):		
0308 21 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित,	कि0ग्रा0	नहीं
0308 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0308 30	--	जेलीफिश (रोपेलिना सभी जातियां) :		
0308 30 10	---	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित,	कि0ग्रा0	नहीं
0308 30 20	---	शुष्कित, लवणित या हिमशीतित	कि0ग्रा0	नहीं
0308 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(4) अध्याय 4 में,—

(i) शीर्ष 0401 में, टैरिफ मद 0401 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0401 40 00	-	जिसमें वसा अंश, भार के आधार पर 6% से अधिक किन्तु 10% से अनधिक है	कि0ग्रा0	नहीं
0401 50 00	-	जिसमें वसा अंश, भार के आधार पर 10% से अधिक है	कि0ग्रा0	नहीं";

(ii) शीर्ष 0407, उपशीर्ष 0407 00, टैरिफ मद 0407 00 10 से 0407 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0407		**पक्षियों के अंडे, कवच युक्त, ताजे, परिरक्षित या पकाए हुए**	
	-	सेने के लिए प्रजनित अंडे :	
0407 11 00	--	गेलुस डोमिस्टिक्स प्रजातियों की मुर्गियों के	इ0
0407 19	--	अन्य :	
0407 19 10	---	बत्तखों के	इ0
0407 19 90	---	अन्य	इ0
	-	अन्य ताजे अंडे :	
0407 21 00	--	गेलुस डोमिस्टिक्स प्रजातियों की मुर्गियों के	इ0
0407 29 00	--	अन्य	इ0
0407 90 00	-	अन्य	इ0";

(5) अध्याय 6 में,—

(i) शीर्ष 0603 में, टैरिफ मद 0603 14 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0603 15 00	--	लिलीज (लिलियम सभी जातियाँ)	कि0ग्रा0";

(ii) शीर्ष 0604 में, टैरिफ मद 0604 10 00 से 0604 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0604 20 00	-	ताजा	कि0ग्रा0
0604 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0";

(6) अध्याय 7 में,—

(i) शीर्ष 0709 में, उपशीर्ष 0709 90, टैरिफ मद 0709 90 10 से 0709 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)		(2)	(3)	(4)
"	-	अन्य :		
0709 91 00	--	गोल हाथीचक	कि0ग्रा0	नहीं
0709 92 00	--	जैतून	कि0ग्रा0	नहीं
0709 93 00	--	कद्दू, स्क्वैश और गुअर्ड (कुकुरबिता सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0709 99	-	अन्य :		
0709 99 10	---	ग्रीन पिपर	कि0ग्रा0	नहीं
0709 99 20	---	मिश्रित वनस्पतियां	कि0ग्रा0	नहीं
0709 99 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(ii) शीर्ष 0713 में,—

(क) टैरिफ मद 0713 33 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

0713 34 00	--	बम्बारा सेम (विजना सबटेरानिया या वोन्डजेइया सबटेरानिया)	कि0ग्रा0	नहीं
0713 35 00	--	सफेद मटर (विजना अंग्वीकुलाटा)	कि0ग्रा0	नहीं";

(ख) टैरिफ मद 0713 50 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0713 60 00	-	पिजन पीज (कजानस कजान)	कि0ग्रा0	नहीं";

(ग) टैरिफ मद 0713 90 10 से 0713 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0713 90 10	--	विपाटित	कि0ग्रा0	नहीं
0713 90 90	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(iii) शीर्ष 0714 में, टैरिफ मद 0714 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0714 30 00	-	येम्स (डियोस्कोरया सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0714 40 00	-	टारो (कोलोकेसिया सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0714 50 00	-	यौटिया (जेंथोसोमा सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं";

(7) अध्याय 8 में,—

(i) शीर्ष 0801 में, टैरिफ मद 0801 11 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0801 12	-	अंतर कवच (एंडोंकार्प) में:		
0801 12 10	---	ताजा	कि0ग्रा0	नहीं
0801 12 20	---	शुष्कित	कि0ग्रा0	नहीं
0801 12 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(ii) शीर्ष 0802 में, टैरिफ मद 0802 40 00 से 0802 60 00, उपशीर्ष 0802 90, टैरिफ मद 0802 90 11 से 0802 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	चेस्टनट्स (कैसटेनिया सभी जातियां) :		
0802 41 00	--	कवचयुक्त	कि0ग्रा0	नहीं
0802 42 00	--	कवचरहित	कि0ग्रा0	नहीं
	-	पिस्ता :		
0802 51 00	--	कवचयुक्त	कि0ग्रा0	नहीं
0802 52 00	--	कवचरहित	कि0ग्रा0	नहीं
	-	मैकाडेमिया नट्स :		
0802 61 00	--	कवचयुक्त	कि0ग्रा0	नहीं
0802 62 00	--	कवचरहित	कि0ग्रा0	नहीं
0802 70 00	-	कोला नट्स (कोला सभी जातियां)	कि0ग्रा0	नहीं
0802 80	-	अरेका नट्स		
0802 80 10	---	साबुत	कि0ग्रा0	नहीं
0802 80 20	---	विपाटित	कि0ग्रा0	नहीं
0802 80 30	---	घर्षित	कि0ग्रा0	नहीं
0802 80 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0802 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(1)		(2)	(3)	(4)

(iii) टैरिफ मद 0803 00 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"0803		**केले, जिसके अंतर्गत कदली भी है, ताजे या शुष्कित**		
0803 10	-	कदली :		
0803 10 10	---	करी कदली	कि0ग्रा0	नहीं
0803 10 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0803 90	-	अन्य:		
0803 90 10	---	केले, ताजे	कि0ग्रा0	नहीं
0803 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(iv) शीर्ष 0808 में, टैरिफ मद 0808 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0808 30 00	-	नाशपाती	कि0ग्रा0	नहीं
0808 40 00	-	क्विंस	कि0ग्रा0	नहीं";

(v) शीर्ष 0809 में, टैरिफ मद 0809 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	चेरी :		
0809 21 00	--	खट्टी चेरी (प्रूनुस सेरासस)	कि0ग्रा0	नहीं
0809 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(vi) शीर्ष 0810 में,—

(क) टैरिफ मद 0810 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0810 30 00	-	काली, सफेद और लाल किशमिश तथा गूजबेरी	कि0ग्रा0	नहीं";

(ख) टैरिफ मद 0810 60 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0810 70 00	-	तेंदूफल	कि0ग्रा0	नहीं";

(8) अध्याय 9 में,—

(i) शीर्ष 0904 में, उपशीर्ष 0904 20, टैरिफ मद 0904 20 10 से 0904 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	केपसिकम या केपसिकम वंश या पाइमेंटा वंश के फल :		
0904 21	--	शुष्कित, न तो संदलित न ही पिसे हुए :		
0904 21 10	---	केपसिकम वंश के	कि0ग्रा0	नहीं
0904 21 20	---	पाईमेंटा वंश के	कि0ग्रा0	नहीं
0904 22	--	संदलित या पिसे हुए :		
	---	केपसिकम वंश के :		
0904 22 11	----	चिलीचूर्ण	कि0ग्रा0	नहीं
0904 22 12	----	चिलीबीज	कि0ग्रा0	नहीं
0904 22 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	---	पाईमेंटा वंश के:		
0904 22 21	----	चूर्ण	कि0ग्रा0	नहीं
0904 22 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(ii) शीर्ष 0905, उपशीर्ष 0905 00, टैरिफ मद 0905 00 10 से 0905 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0905		**वैनिला**		
0905 10 00	-	न तो संदलित न ही पिसे हुए	कि0ग्रा0	नहीं
0905 20 00	-	दलित या पिसे हुए	कि0ग्रा0	नहीं";

(iii) शीर्ष 0907, टैरिफ मद 0907 00 10 से 0907 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0907		**लौंग (पूर्णफल, लौंग और डंडी)**		
0907 10	-	न तो संदलित न ही पिसी हुई:		
0907 10 10	---	निष्कर्षित	कि0ग्रा0	नहीं
0907 10 20	---	निष्कर्षित नहीं (डंडी से भिन्न)	कि0ग्रा0	नहीं
0907 10 30	---	डंडी	कि0ग्रा0	नहीं
0907 10 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0907 20 00	-	दलित या पिसी हुई	कि0ग्रा0	नहीं";

(1)		(2)	(3)	(4)

(iv) शीर्ष 0908 में, उपशीर्ष 0908 10, टैरिफ मद 0908 10 10 से 0908 20 00, उपशीर्ष 0908 30, टैरिफ मद 0908 30 10 से 0908 30 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	जायफल :		
0908 11	--	न तो संदलित न ही पिसी हुई:		
0908 11 10	---	कवचयुक्त	कि0ग्रा0	नहीं
0908 11 20	---	कवचरहित	कि0ग्रा0	नहीं
0908 12 00	--	संदलित या पिसी हुई	कि0ग्रा0	नहीं
	-	जावित्री :		
0908 21 00	--	न तो संदलित न ही पिसी हुई	कि0ग्रा0	नहीं
0908 22 00	--	संदलित या पिसी हुई	कि0ग्रा0	नहीं
	-	इलायची :		
0908 31	--	न तो संदलित न ही पिसी हुई:		
0908 31 10	---	बड़ी (अमोमम)	कि0ग्रा0	नहीं
0908 31 20	---	छोटी (इलेटारिया) एल्लेपी हरी	कि0ग्रा0	नहीं
0908 31 30	---	छोटी, कुर्ग हरी	कि0ग्रा0	नहीं
0908 31 40	---	छोटी, विरंजित, अर्द्ध विरंजित या विरंजनीय	कि0ग्रा0	नहीं
0908 31 50	---	छोटी, मिश्रित	कि0ग्रा0	नहीं
0908 31 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0908 32	--	संदलित या पिसी हुई:		
0908 32 10	---	चूर्ण	कि0ग्रा0	नहीं
0908 32 20	---	छोटी इलायची के बीज	कि0ग्रा0	नहीं
0908 32 30	---	इलायची छिलका	कि0ग्रा0	नहीं
0908 32 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(v) शीर्ष 0909 में, उपशीर्ष 0909 10, टैरिफ मद 0909 10 11 से 0909 10 29, उपशीर्ष 0909 20, टैरिफ मद 0909 20 10 और 0909 20 90, उपशीर्ष 0909 30, टैरिफ मद 0909 30 11 से 0909 30 29 , उपशीर्ष 0909 40, टैरिफ मद 0909 40 10 और 0909 40 90, उपशीर्ष 0909 50, टैरिफ मद 0909 50 11 से 0909 50 29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	धनिया के बीज :		
0909 21	-	न तो संदलित न ही पिसे हुए:		
0909 21 10	---	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	नहीं
0909 21 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0909 22 00	--	संदलित या पिसे हुए	कि0ग्रा0	नहीं
	-	जीरा के बीज:		
0909 31	--	न तो संदलित न ही पिसे हुए:		
	---	जीरा, काला :		
0909 31 11	----	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	नहीं
0909 31 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	---	जीरा, काले से भिन्न :		
0909 31 21	----	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	नहीं
0909 31 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0909 32 00	--	संदलित या पिसे हुए	कि0ग्रा0	नहीं
	-	सौंफ, बेडियन, काला जीरा या बड़ी सौंफ के बीज ; जूनीपर बेरी:		
0909 61	--	न तो संदलित या न ही पिसे हुए:		
	---	सौंफ के बीज:		
0909 61 11	----	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	नहीं
0909 61 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	---	बेडियन के बीज:		
0909 61 21	----	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	नहीं

(1)		(2)	(3)	(4)
0909 61 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	---	काला जीरा या बड़ी सौंफ के बीज :		
0909 61 31	----	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	नहीं
0909 61 39	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
	---	जूनीपर बेरी :		
0909 61 41	----	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	नहीं
0909 61 49	----	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0909 62	--	संदलित या पिसे हुए :		
0909 62 10	---	सौंफ	कि0ग्रा0	नहीं
0909 62 20	---	बेडियन	कि0ग्रा0	नहीं
0909 62 30	---	काला जीरा या बड़ी सौंफ	कि0ग्रा0	नहीं
0909 62 40	---	जूनीपर बेरी	कि0ग्रा0	नहीं";

(vi) शीर्ष 0910 में,—

(क) उपशीर्ष 0910 10, टैरिफ मद 0910 10 10 से 0910 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	अदरक :		
0910 11	--	न तो संदलित न ही पिसी हुई :		
0910 11 10	---	ताजा	कि0ग्रा0	नहीं
0910 11 20	---	शुष्कित, अविरंजित	कि0ग्रा0	नहीं
0910 11 30	---	शुष्कित, विरंजित	कि0ग्रा0	नहीं
0910 11 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं
0910 12	--	संदलित या पिसी हुई :		
0910 12 10	---	चूर्ण	कि0ग्रा0	नहीं
0910 12 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(ख) टैरिफ मद 0910 99 22 और 0910 99 31 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(9) अध्याय 10 में,—

(i) शीर्ष 1001 में, उपशीर्ष 1001 10, टैरिफ मद 1001 10 10 और 1001 10 90, उपशीर्ष 1001 90, टैरिफ मद 1001 90 10 से 1001 90 39 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	ड्यूरम गेहूं :	
1001 11 00	--	बीज	कि0ग्रा0
1001 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0
	-	अन्य :	
1001 91 00	--	बीज	कि0ग्रा0
1001 99	--	अन्य :	
1001 99 10	---	गेहूं	कि0ग्रा0
1001 99 20	---	मेसलीन	कि0ग्रा0";

(ii) शीर्ष 1002, उपशीर्ष 1002 00, टैरिफ मद 1002 00 10 और 1002 00 90 और उनसे संबंधित्त प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1002		**राई**	
1002 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0
1002 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0";

(iii) शीर्ष 1003, उपशीर्ष 1003 00, टैरिफ मद 1003 00 10 और 1003 00 90 और उनसे संबंधित्त प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1003		**जौ**	
1003 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0
1003 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0";

(1)		(2)	(3)	(4)

(iv) शीर्ष 1004, उपशीर्ष 1004 00, टैरिफ मद 1004 00 10 और 1004 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1004		जई		
1004 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0	
1004 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0";	

(v) शीर्ष 1007 उपशीर्ष 1007 00, टैरिफ मद 1007 00 10 और 1007 00 90 और उनसे संबंधित्त प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1007		ज्वारादि		
1007 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0	
1007 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0";	

(vi) शीर्ष 1008 में,—

(क) स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"कुटु, मिलेड और कैनेरी बीज; अन्य धान्य";

(ख) उपशीर्ष 1008 20, टैरिफ मद 1008 20 11 से 1008 20 39 और उनसे संबंधित्त प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

	"	मिलेट :		
1008 21	-	बीज:		
1008 21 10	---	ज्वार	कि0ग्रा0	
1008 21 20	---	बाजरा	कि0ग्रा0	
1008 21 30	---	रागी	कि0ग्रा0	
1008 29	--	अन्य :		
1008 29 10	---	ज्वार	कि0ग्रा0	
1008 29 20	---	बाजरा	कि0ग्रा0	
1008 29 30	---	रागी	कि0ग्रा0";	

(ग) उपशीर्ष 1008 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1008 30	-	कैनेरी बीज :";		

(घ) टैरिफ मद 1008 30 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"1008 40 00	-	फोनियो (डिजीतारिया सभी जातियां)	कि0ग्रा0	
1008 50 00	-	क्यूनोआ (चेनोपोडियम क्यूनोआ)	कि0ग्रा0	
1008 60 00	-	ट्रिटीकले	कि0ग्रा0";	

(10) अध्याय 11 में, शीर्ष 1102 में,—

(i) टैरिफ मद 1102 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) टैरिफ मद 1102 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1102 90	-	अन्य		
1102 90 10	---	राई का आटा	कि0ग्रा0	नहीं
1102 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं";

(11) अध्याय 12 में,—

(i) शीर्ष 1201, उपशीर्ष 1201 00, टैरिफ मद 1201 00 10 और 1201 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1201		सोयाबीन, चाहे टूटी हुई हो या नहीं		
1201 10 00	-	बीज	कि0ग्रा0	
1201 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0";	

(ii) शीर्ष 1202 में, उपशीर्ष 1202 10, टैरिफ मद 1202 10 11 से 1202 10 99, उपशीर्ष 1202 20, टैरिफ मद 1202 20 10 और 1202 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1202 30	-	बीज :		
1202 30 10	---	एच.पी.एस.	कि0ग्रा0	
1202 30 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	

(1)		(2)	(3)	(4)
	-	अन्य :		
1202 41	--	कवच युक्त :		
1202 41 10	---	एच.पी.एस.	कि0ग्रा0	
1202 41 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	
1202 42	--	कवच रहित, चाहे टूटी हुई हो या नहीं :		
1202 42 10	---	गिरी, एच.पी.एस.	कि0ग्रा0	
1202 42 20	---	गिरी, अन्य	कि0ग्रा0	
1202 42 90	---	अन्य	कि0ग्रा0";	

(iii) शीर्ष 1207 में, उपशीर्ष 1207 10 और 1207 20, टैरिफ मद 1207 20 10 और 1207 20 90, उपशीर्ष 1207 40, टैरिफ मद 1207 40 10 और 1207 40 90, उपशीर्ष 1207 50, टैरिफ मद 1207 50 10 और 1207 50 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1207 10	-	ताड़फल और गिरी :		
1207 10 10	---	ताड़फल	कि0ग्रा0	
1207 10 90	---	ताड़गिरी	कि0ग्रा0	
	-	बिनौले :		
1207 21 00	--	बीज	कि0ग्रा0	
1207 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	
1207 30	-	एरंड तेल बीज :		
1207 30 10	---	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	
1207 30 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	
1207 40	-	तिल बीज :		
1207 40 10	---	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	
1207 40 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	
1207 50	-	सरसों के बीज :		
1207 50 10	---	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	
1207 50 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	
1207 60	-	कुसंमम (कस्थोमस टिंगटोरियस) बीज :		
1207 60 10	---	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	
1207 60 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	
1207 70	-	खरबूजे के बीज :		
1207 70 10	---	बीज क्वालिटी के	कि0ग्रा0	
1207 70 90	---	अन्य	कि0ग्रा0";	

(iv) शीर्ष 1209 में, टैरिफ मद 1209 10 00 से 1209 25 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1209 10 00	-	चुकन्दर बीज	कि0ग्रा0	
	-	हरे चारे के पौधे के बीज :		
1209 21 00	--	रिजका (अल्फाफा) बीज	कि0ग्रा0	
1209 22 00	--	क्लोवर (ट्राइफोलियम सभी जातियां) बीज	कि0ग्रा0	
1209 23 00	--	फेस्कयू बीज	कि0ग्रा0	
1209 24 00	--	केंतुकी नीली घास (पौआ पेटेंसिस एल) बीज	कि0ग्रा0	
1209 25 00	--	राइ ग्रास (लोलियम मल्टी फ्लोरम लैम, लोलियम परेनो एल) बीज	कि0ग्रा0";	

(v) शीर्ष 1212 में,—

(क) उपशीर्ष 1212 20, टैरिफ मद 1212 20 10 और 1212 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल :		
1212 21	--	मानव उपयोग के लिए उपयुक्त :		
1212 21 10	---	समुद्री शैवाल	कि0ग्रा0	
1212 21 90	---	अन्य शैवाल	कि0ग्रा0	

(1)		(2)	(3)	(4)
1212 29	--	अन्य :		
1212 29 10	---	समुद्री शैवाल	कि0ग्रा0	
1212 29 90	---	अन्य शैवाल	कि0ग्रा0 ";	

(ख) टैरिफ मद 1212 91 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"1212 92 00	--	लोकस्ट फलिया (क्रोब)	कि0ग्रा0	
1212 93 00	--	गन्ना	कि0ग्रा0	
1212 94 00	--	चकोरी की जड़	कि0ग्रा0 ";	

(12) अध्याय 15 में,—

(i) टैरिफ मद 1501 00 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1501		**सुअर वसा (जिसके अंतर्गत कर वसा है) और कुक्कुट वसा, शीर्ष 0209 या शीर्ष 1503 से भिन्न**		
1501 10 00	-	शूकर वसा	कि0ग्रा0	5%
1501 20 00	-	अन्य सुअर वसा	कि0ग्रा0	5%
1501 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	5%";

(ii) शीर्ष 1502 में, उपशीर्ष 1502 00, टैरिफ मद 1502 00 10 से टैरिफ मद 1502 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1502		**गोकुलीय प्राणीय, भेड़ों या बकरियों की वसा, शीर्ष 1503 में वर्णित से भिन्न**		
1502 10	-	चरबी :		
1502 10 10	---	मटन चरबी	कि0ग्रा0	5%
1502 10 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	5%
1502 90	-	अन्य :		
1502 90 10	---	अनुपपादित वसा	कि0ग्रा0	5%
1502 90 20	---	उपपादित वसा या विलायक निष्कर्षण वसा	कि0ग्रा0	5%
1502 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	5% ";

(13) अध्याय 16 में,—

(i) उपशीर्ष के टिप्पण 2 में, "मछली और क्रस्टेशिया" शब्दों के स्थान पर, "मछली, क्रस्टेशिया, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 1604 में,—

(क) टैरिफ मद 1604 16 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"1604 17 00	--	ईल	कि0ग्रा0	5% ";

(ख) टैरिफ मद 1604 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"	केवियर और केवियर के अनुकल्प :		
1604 31 00	--	केवियर	कि0ग्रा0	5%
1604 32 00	--	केवियर के अनुकल्प	कि0ग्रा0	5% ";

(iii) शीर्ष 1605 में,—

(क) टैरिफ मद 1605 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	झिंगी और झींगा :		
1605 21 00	--	वायुरुद्ध आधान में नहीं	कि0ग्रा0	5%
1605 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	5% ";

(ख) उपशीर्ष 1605 90, टैरिफ मद 1605 90 10 से 1605 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"	मोलस्क :		
1605 51 00	--	शुक्तियां	कि0ग्रा0	5%
1605 52 00	--	स्केल्प, जिसके अंतर्गत क्वीन कल्प भी हैं	कि0ग्रा0	5%
1605 53 00	--	मुसेल	कि0ग्रा0	5%
1605 54 00	--	कटल मछली और स्क्विड	कि0ग्रा0	5%
1605 55 00	--	आक्टोपस	कि0ग्रा0	5%

23

(1)		(2)	(3)	(4)
1605 56 00	--	सीपी, काकेल्स और आर्कशेल	कि0ग्रा0	5%
1605 57 00	--	कनसीपी	कि0ग्रा0	5%
1605 58 00	--	घोंघा, समुद्री घोंघा से भिन्न	कि0ग्रा0	5%
1605 59 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	5%
	--	अन्य जलीय अकशेरुकी प्राणी :		
1605 61 00	--	सी कुकुंबर	कि0ग्रा0	5%
1605 62 00	--	सी अरचिन	कि0ग्रा0	5%
1605 63 00	--	जेलीफिश	कि0ग्रा0	5%
1605 69 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	5% ";

(14) अध्याय 17 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 में "1701 11 और 1701 12" अंकों और शब्द के स्थान पर उपशीर्ष "1701 12, 1701 13 और 1701 14" अंक और शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : —

"2. उपशीर्ष 1701 13 के अंतर्गत उपकेंद्रण के बगैर अभिप्राप्त ऐसी गन्ना चीनी आती है, जिसकी सुक्रोस अंतर्वस्तु भार के आधार पर, शुष्क अवस्था में 69 डिग्री या अधिक के, किंतु 93 डिग्री से कम, अन्य ध्रुवणमापी पाठ्यांक के समान है। उत्पाद में केवल अनियमित आकार के प्राकृतिक अजलीय सूक्ष्म क्रिस्टल हैं, जो खुली आंख से दृश्यमान नहीं हैं, जो मोलसिस के और गन्ने के अन्य संघटकों से घिरे हुए हैं ।

3. उपशीर्ष 1701 12 या 1701 13 या 1701 14 के प्रयोजनों के लिए, "चीनी से किसी भी प्रकार की ऐसी चीनी अभिप्रेत है, जिसकी सुक्रोस अंतर्वस्तु, यदि 105° से0 के निरंतर भार पर शुष्कित सामग्री के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की गई हो, 90 से अधिक होगी। ";

(iii) उपशीर्ष 1701 11, टैरिफ मद 1701 11 10 से 1701 12 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1701 12 00	--	चुकंदर चीनी	कि0ग्रा0	16%
1701 13	--	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट गन्ना चीनी :		
1701 13 10	---	गन्ना गुड	कि0ग्रा0	16%
1701 13 20	---	खांडसारी चीनी	कि0ग्रा0	5%
1701 13 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%
1701 14	--	अन्य गन्ना चीनी :		
1701 14 10	---	गन्ना गुड़	कि0ग्रा0	16%
1701 14 20	---	खांडसारी चीनी	कि0ग्रा0	5%
1701 14 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16% ";

(15) अध्याय 20 में,—

(i) शीर्ष 2003 में,—

(क) टैरिफ मद 2003 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2003 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2003 90	-	अन्य :		
2003 90 10	---	टफल	कि0ग्रा0	16%
2003 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16% ";

(ii) शीर्ष 2008, टैरिफ मद 2008 92 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2008 93 00	--	करौंदा (वैक्सीनियम मैक्रोकार्पन, वैक्सीनियम आक्सीकोकस वैक्सीनियम विटिस-इडिया)	कि0ग्रा0	16%
2008 97 00	--	मिश्रण	कि0ग्रा0	16% ";

(iii) शीर्ष 2009 में, उपशीर्ष 2009 80, टैरिफ मद 2009 80 10 और 2009 80 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"	किसी अन्य एकल फल या वनस्पति का रस :		
2009 81 00	--	करौंदा (वैक्सीनियम मैक्रोकार्पन, वैक्सीनियम आक्सीकोकोस वैक्सिनियम विटिस-इडिया) रस	कि0ग्रा0	16%
2009 89	--	अन्य :		
2009 89 10	---	आम का रस	कि0ग्रा0	16%
2009 89 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16% ";

(1)	(2)	(3)	(4)

(16) अध्याय 21 के टिप्पण 3 में, "वनस्पतियां या फल," के स्थान पर, "वनस्पतियां, फल या गिरी," शब्द रखे जाएंगे ;

(17) अध्याय 24 में,—

(i) टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण

उपशीर्ष 2003 11 के प्रयोजनों के लिए, "जलयुक्त पाइप तंबाकू" पद से ऐसा तंबाकू अभिप्रेत है, जो ऐसे किसी जलयुक्त पाइप में धूम्रपान के लिए आशयित है और जिसमें तंबाकू और ग्लिसराल का मिश्रण हो चाहे उसमें सुगंधित तेल और उसका शीरा अथवा चीनी हों अथवा नहीं और चाहे वह फलों से सुरुचिकर हो अथवा नहीं । तथापि, किसी जलयुक्त पाइप में धूम्रपान के लिए आशयित तंबाकू रहित उत्पादों को इस उपशीर्ष से अपवर्जित किया गया है।";

(ii) शीर्ष 2403 में, उपशीर्ष 2403 10, टैरिफ मद 2403 10 10 से 2403 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	धूम्रपान तंबाकू, चाहे उनमें से किसी भी अनुपात में तंबाकू अनुकल्प है या नहीं :		
2403 11	--	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण में विनिर्दिष्ट जलयुक्त पाइप तंबाकू:		
2403 11 10	---	हुक्का या गुड़कू तंबाकू	कि0ग्रा0	60%
2403 11 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	60%
2403 19	--	अन्य :		
2403 19 10	---	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण बीड़ी	कि0ग्रा0	360%
	---	बीड़ी :		
2403 19	----	कागज बेल्लित बीड़ियों से भिन्न, जो मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित हो	ह.इ.	12 रु0 प्रति हजार
2403 19 29	----	अन्य	ह.इ.	30 रु0 प्रति हजार
2403 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	40% ";

(18) अध्याय 25 में, शीर्ष 2528, टैरिफ मद 2528 10 00, उपशीर्ष 2528 90, टैरिफ मद 2528 90 10 से 2528 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2528		**प्राकृतिक बोरेट और उसके सान्द्र (चाहे निस्तापित हैं या नहीं), किंतु इसके अंतर्गत प्राकृतिक लवणजल से पृथक् किए गए बोरेट नहीं है; प्राकृतिक बोरिक अम्ल जिसमें शुष्क भार के आधार पर संगणित 85 प्रतिशत से अधिक एच$_3$बीओ$_3$ नहीं है**		
2528 00	-	प्राकृतिक बोरेट और उसके सान्द्र (चाहे निस्तापित हैं या नहीं), किंतु इसके अंतर्गत प्राकृतिक लवणजल से पृथक् किए गए बोरेट नहीं है; प्राकृतिक बोरिक अम्ल जिसमें शुष्क भार के आधार पर संगणित 85 प्रतिशत से अधिक एच$_3$बीओ$_3$ नहीं है :		
2528 00 10	---	प्राकृतिक सोडियम बोरेट और उसके सांद्र (चाहे निस्तापित हों या नहीं)	कि0ग्रा0	नहीं
2528 00 20	---	प्राकृतिक बोरिक अम्ल (जिसमें एच$_3$बीओ$_3$का 85% से अधिक नहीं है)	कि0ग्रा0	नहीं
2528 00 30	---	प्राकृतिक कैल्शियम बोरेट और उसके सांद्र (चाहे निस्तापित हों या नहीं)	कि0ग्रा0	नहीं
2528 00 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	नहीं ";

(19) अध्याय 27 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 4 में, "2710 11" अंकों के स्थान पर, "2710 12" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5. शीर्ष 2710 के उपशीर्षों के प्रयोजनों के लिए, **"बायोडीजल"** पद से ऐसी किस्म के वसायुक्त अम्लों का मोनो-एल्काइल ईस्टर जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, अभिप्रेत है, जो पशुओं अथवा वनस्पतियों की वसा और तेलों से व्युत्पन्न होता है, चाहे वे प्रयुक्त हों अथवा नहीं ।";

(iii) अनुपूरक टिप्पण के खंड (क) में, "(टैरिफ मद 2710 11 11, 2710 11 12 और 2710 11 13)" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "(टैरिफ मद 2710 12 11, 2710 12 12 और 2710 12 13)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(1)		(2)	(3)	(4)

(iv) शीर्ष 2710 में,—

(क) शीर्ष 2710 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग के स्तंभ (2) में, "अवशिष्ट तेल से भिन्न" शब्दों के स्थान पर, "उनसे भिन्न जिनमें बायोडीजल हो और अवशिष्ट तेल से भिन्न" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपशीर्ष 2710 11, टैरिफ मद 2710 11 11 से 2710 11 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2710 12	--	हल्के तेल और निर्मितियां :		
	---	मोटर स्प्रिट :		
2710 12 11	----	विशिष्ट क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन, टुलूओल से भिन्न) नामीय क्वथनांक रेंज 55-115 डिग्री सेंटीग्रेड	कि0ग्रा0	16% + 15 रु0 प्रति लीटर
2710 12 12	----	विशिष्ट क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन, बैंजोल, टुलीन और टुलूओल से भिन्न) नामीय क्वथनांक 63-70 डिग्री सेंटीग्रेड	कि0ग्रा0	16% + 15 रु0 प्रति लीटर
2710 12 13	----	अन्य विशेष क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन, बैंजोल, टुलीन और टुलूओल से भिन्न)	कि0ग्रा0	16% + 15 रु0 प्रति लीटर
2710 12 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	16% + 15 रु0 प्रति लीटर
2710 12 20	---	प्राकृतिक गैसोलीन द्रव्य (एन जी एल)	कि0ग्रा0	16% + 15 रु0 प्रति लीटर
2710 12 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16% + 15 रु0 प्रति लीटर ";

(ग) टैरिफ मद 2710 19 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2710 20 00	-	पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल (कच्चे तेल से भिन्न) और ऐसी निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक हैं, जिनमें बायोडीजल हो, अवशिष्ट तेल से भिन्न	कि0ग्रा0	16% + 15 रु0 प्रति लीटर ";

(20) अध्याय 28 में,—

(i) टिप्पण 9 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'उपशीर्ष टिप्पण :

उपशीर्ष 2852 10 के प्रयोजनों के लिए "रासायनिक रूप से परिभाषित" पद से वे सभी पारद के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक अभिप्रेत हैं, जो अध्याय 28 के टिप्पण 1 के खंड (क) से (ङ) की या अध्याय 29 के टिप्पण 1 के खंड (क) से (ज) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं";

(ii) टैरिफ मद 2852 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2852		**पारद के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं, अमलगम को अपवर्जित करते हुए**		
2852 10 00	-	रासायनिक रूप से परिभाषित	कि0ग्रा0	16%
2852 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	16% ";

(21) अध्याय 29 में,—

(i) टिप्पण 2 में,—

(क) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) शीर्ष 3002 के प्रतिरक्षात्मक उत्पाद ;";

(ख) विद्यमान खंड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) और (ट) को क्रमशः खंड (च), (छ), (ज), (झ), (ट) और (ठ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 2903 में, टैरिफ मद 2903 41 00 से 2903 69 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2903 71 00	--	क्लोरोडाइफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	16%
2903 72 00	--	डाइक्लोरोट्राइफ्लूरोइथेन्स	कि0ग्रा0	16%
2903 73 00	--	डाइक्लोरोफ्लूरोएथेन्स	कि0ग्रा0	16%
2903 74 00	--	क्लोरोडाइफ्लूरोएथेन्स	कि0ग्रा0	16%
2903 75 00	--	डाइक्लोरोपेंटाफ्लूरोप्रोपेन्स	कि0ग्रा0	16%

(1)		(2)	(3)	(4)
2903 76	-	ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लूरोमेथेन, ब्रोमोट्राइफ्लूरोमेथेन और डाइब्रोमोटेट्राफ्लूरोमेथेन्स :		
2903 76 10	---	ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	16%
2903 76 20	---	ब्रोमोट्राईफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	16%
2903 76 30	---	डाइब्रोमोटेट्राफ्लूरोएथेन्स	कि0ग्रा0	16%
2903 77	--	अन्य, केवल फ्लोरीन और क्लोरीन सहित प्रतिहैलोजनीकृत :		
	---	क्लोरोफ्लूरोमेथेन्स :		
2903 77 11	----	क्लोरोट्राइफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 12	----	डाईक्लोरोडाइफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 13	----	ट्राइक्लोरोफ्लूरोमेथेन	कि0ग्रा0	16%
	-	क्लोरोफ्लूरोएथेन :		
2903 77 21	----	क्लोरोपेंटाफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 22	----	1,2-डाइक्लोरोटेट्राफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 23	----	ट्राइक्लोरोट्राइफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 24	----	टेट्राक्लोरोडाइफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 25	----	पेन्टाक्लोरोफ्लूरोएथेन	कि0ग्रा0	16%
	-	क्लोरोफ्लूरोप्रोपेन्स :		
2903 77 31	----	क्लोरोहेप्टाफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 32	----	डाइक्लोरोहेक्साफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 33	----	ट्राइक्लोरोपेंटाफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 34	----	टेट्राक्लोरोटेट्राफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 35	----	पेंटाक्लोरोट्राइफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 36	----	हेक्साक्लोरोडाइफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 37	----	हेप्टाक्लोरोफ्लूरोप्रोपेन	कि0ग्रा0	16%
2903 77 90	---	अन्य व्युत्पन्न, केवल फ्लोरीन और क्लोरीन से प्रतिहैलोजनीकृत	कि0ग्रा0	16%
2903 78 00	--	अन्य प्रतिहैलोजनीकृत व्युत्पन्न	कि0ग्रा0	16%
2903 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	16%
	-	साइक्लेनिक, साइक्लीनिक या साइक्लोटर्पेनिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकृत व्युत्पन्न :		
2903 81 00	--	1, 2,3,4,5,6-हेक्साक्लोसाइक्लोहेक्सेन (एच सी एच (आई एस ओ), जिसके अंतर्गत लिगडेन (आई एस ओ, आई एन एन) है	कि0ग्रा0	16%
2903 82 00	--	एल्ड्रिन (आई एस ओ), क्लोरेडेन (आई एस ओ)	कि0ग्रा0	16%
2903 89 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	16%
	-	एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजेनीकृत व्युत्पन्न :		
2903 91	--	क्लोरोबेंजीन, ओ-डाइक्लोरोबेंजीन और पी- डाईक्लोरोबेंजीन :		
2903 91 10	---	क्लोरोबेंजीन (मोनो क्लोरो)	कि0ग्रा0	16%
2903 91 20	---	ओ-डाइक्लोरोबेंजीन (आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन)	कि0ग्रा0	16%
2903 91 30	---	पी-डाइक्लोरोबेंजीन (पैरा डाइक्लोरोबेंजीन)	कि0ग्रा0	16%
2903 92	---	हैक्साक्लोरोबेंजीन (आई एस ओ) और डी डी टी (आई एस ओ) (क्लोफेंटेन (आई एन एन), 1,1,1-ट्राइक्लोरो-2,2-बिस (पी-क्लोरोफेनिल एथेन) :		
2903 92 10	---	हैक्साक्लोरोबेंजीन (आई एस ओ)	कि0ग्रा0	16%
	---	डी डी टी (आई एस ओ) (क्लोफेंटेन (आई एन एन), 1,1,1-ट्राइक्लोरो-2,2-बिस (पी-क्लोफेनिल एनेन) :		
2903 92 21	----	डी डी टी-तकनीकी 75 डब्ल्युडीपी	कि0ग्रा0	16%
2903 92 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	16%
2903 99	--	अन्य :		
2903 99 10	---	क्लोरोफ्लूरोबेंजीन	कि0ग्रा0	16%
2903 99 20	---	बेंजिलक्लोराइड (बेंजिल डाइक्लोराइड)	कि0ग्रा0	16%

(1)		(2)	(3)	(4)
2903 99 30	---	बेंजोट्राइक्लोराइड	कि0ग्रा0	16%
2903 99 40	---	बेंजिलक्लोराइड	कि0ग्रा0	16%
2903 99 50	---	पैराक्लोरोटाल्यून (4-क्लोरोमेथिल बेंजीन)	कि0ग्रा0	16%
2903 99 60	---	नेफ्थलिन, क्लोरोनीकृत	कि0ग्रा0	16%
2903 99 70	---	क्लोरोफ्लूरो एनिलीन	कि0ग्रा0	16%
2903 99 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16% ";

(iii) शीर्ष 2908 में, टैरिफ मद 2908 91 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2908 92 00	--	4,6-डाइनाइट्रो-ओ-क्रिसोल [डा एन ओ सी (आई एस ओ)] और उसके लवण	कि0ग्रा0	16% ";

(iv) शीर्ष 2912 में,—

(क) टैरिफ मद 2912 30 00 से 2912 41 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	एल्डिहाइड-एल्कोहॉल, एल्डिहाइड-ईथर, एल्डिहाइड-फिनॉल और एल्डिहाइड जिनके साथ अन्य आक्सीजन क्रिया है :		
" 2912 41 00	---	वनीलिन (4-हाइड्रोक्सी-3-मिथाक्सी बैन्जाल्डिहाइड)	कि0ग्रा0	16% ";

(ख) टैरिफ मद 2912 49 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"	--	अन्य :		
2912 49 91	----	एल्डिहाइड-एल्कोहल	कि0ग्रा0	16%
2912 49 99	----	अन्य	कि0ग्रा0	16% ";

(v) शीर्ष 2914 में,—

(क) उपशीर्ष 2914 21, टैरिफ मद 2914 21 10 और 2914 21 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2914 29 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"	---	कपूर :		
2914 29 21	----	प्राकृतिक	कि0ग्रा0	16%
2914 29 22	----	संश्लिष्ट	कि0ग्रा0	16% ";

(vi) शीर्ष 2916 में,—

(क) टैरिफ मद 2916 15 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2916 16 00	--	बिनेपाक्रिल (आई एस ओ)	कि0ग्रा0	16% ";

(ख) टैरिफ मद 2916 35 00 और 2916 36 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vii) शीर्ष 2931, उपशीर्ष 2931 00, टैरिफ मद 2931 00 20 से 2931 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2931		**अन्य कार्ब-अकार्बनिक यौगिक**		
2931 10	-	टेट्रामेथाइल सीसा और टेट्राएथाइल सीसा :		
2931 10 10	---	टेट्रामेथाइल सीसा	कि0ग्रा0	16%
2931 10 20	---	टेट्राएथाइल सीसा	कि0ग्रा0	16%
2931 20 00	-	ट्राइब्यूटिलटिन यौगिक	कि0ग्रा0	16%
2931 90	-	अन्य :		
2931 90 10	---	कार्ब-आर्सेनिक यौगिक	कि0ग्रा0	16%
2931 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16% ";

(viii) शीर्ष 2932 में, मद 2932 19 90 से 2932 21 00, उपशीर्ष 2932 29, टैरिफ मद 2932 29 10 से 2932 29 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2932 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%
2932 20	-	लैक्टान :		
2932 20 10	---	कुमैरिन, मेथिलकुमैरिन और एथिलकुमैरिन	कि0ग्रा0	16%
2932 20 20	---	फिनोलफेथालिन	कि0ग्रा0	16%
2932 20 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16% ";

(ix) शीर्ष 2937 में, टैरिफ मद 2937 29 00 से 2937 90 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2937 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	16%

1156

(1)		(2)	(3)	(4)
2937 50 00	-	प्रोस्टाग्लानडिन, थ्रोमबाक्सेन, ल्यूकोट्राइन और उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप	कि0ग्रा0	16%
2937 90	-	अन्य :		
	---	केटेकोलामाइन हार्मोन्स, उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप :		
2937 90 11	----	इपाइनफ्रिन	कि0ग्रा0	16%
2937 90 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	16%
2937 90 20	---	एमिनो, अम्ल व्युत्पन्न	कि0ग्रा0	16%
2937 90 90	---	अन्य :	कि0ग्रा0	16%";

(x) शीर्ष 2939 में, टैरिफ मद 2939 43 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2939 44 00	--	नोरफेड्राइन और उसके लवण	कि0ग्रा0	16% ";

(22) अध्याय 30 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) निर्मितियां, जैसे कि टिकियां, च्विंग गम या पैच (ट्रांसडर्मल प्रणाली) जो धूम्रपान करने वालों के लिए धूम्रपान रोकने में सहायता करने के लिए आशयित है (शीर्ष 2106 या 3824);";

(आ) विद्यमान खंड (ख) से (छ) को क्रमशः खंड (ग) से (ज) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. शीर्ष 3002 के प्रयोजनों के लिए "प्रतिरक्षात्मक उत्पाद" पद ऐसे पेपटाइड और प्रोटीन (शीर्ष 2937 के माल से भिन्न) को लागू होता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिरक्षात्मक संक्रियाओं के विनियमन में अंतर्वलित हैं जैसे कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी (एमएबी), प्रतिरक्षी प्रभाजक, प्रतिरक्षी संयुग्मक और प्रतिरक्षी प्रभाजक संयुग्मक, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरोन (आईएफएन), कीमोकाइन और कतिपय ट्यूमर नेकरोसिस फैक्टर (टीएनएफ), ग्रोथ फैक्टर (जी एफ), हेमाटोपोइटिन और कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर (सी एस एफ) ।";

(iii) शीर्ष 3002 में,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3002 **मानव रक्त; चिकित्सीय, रोगनिरोधी या नैदानिक उपयोगों के लिए तैयार किया गया प्राणिरक्त; प्रतिसीरम और अन्य रक्त प्रभाज और प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, चाहे वे जैव प्रौद्योगिकी संक्रियाओं के माध्यम से रूपांतरित या प्राप्त किए गए हों या नहीं; वेक्सीन, आविष, सूक्ष्मजीवी (यीस्ट को छोड़कर) के संवर्ध और वैसे ही उत्पाद ";**

(ख) उपशीर्ष 3002 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3002 10 - प्रतिसीरम, अन्य रक्त प्रभाज और प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, चाहे वे जैव प्रौद्योगिकी संक्रियाओं के माध्यम से रूपांतरित या प्राप्त किए गए हों या नहीं :";

(23) अध्याय 37 के शीर्ष 3702 में,—

(i) उपशीर्ष 3702 51, टैरिफ मद 3702 51 10 से 3702 51 90, उपशीर्ष 3702 52, टैरिफ मद 3702 52 10 से 3702 52 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3702 52	--	जिसकी चौड़ाई 16 मि.मी. से अधिक नहीं है :		
3702 52 10	---	चलचित्र पॉजिटिव के तैयार रोल	मी0	16%
3702 52 20	---	अन्य चलचित्र फिल्म	मी0	16%
3702 52 90	---	अन्य	मी0	16% ";

(ii) टैरिफ मद 3702 91 00, उपशीर्ष 3702 93, टैरिफ मद 3702 93 10 और 3702 93 90, उपशीर्ष 3702 94, टैरिफ मद 3702 94 10 और 3702 94 90, उपशीर्ष 3702 95, टैरिफ मद 3702 95 10 और 3702 95 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3702 96	--	जिसकी चौड़ाई 35 मि.मी. से अधिक नहीं है और जिसकी लंबाई 30 मीटर से अधिक नहीं है :		
	---	चलचित्र फिल्म :		
3702 96 11	----	16 मि.मी. से अनधिक	मी0	16%
3702 96 19	----	अन्य	मी0	16%
3702 97	--	जिसकी चौड़ाई 35 मि.मी. से अधिक नहीं है और जिसकी लंबाई 30 मीटर से अधिक है :		
	---	चलचित्र फिल्म :		

(1)		(2)	(3)	(4)
3702 97 11	----	16 मि.मी. से अनधिक	मी0	16%
3702 97 19	----	अन्य	मी0	16%
3702 98	--	जिसकी चौड़ाई 35 मि.मी. से अधिक है :		
3702 98 10	---	चलचित्र फिल्म	मी0	16%
3702 98 90	---	अन्य	मी0	16% ";

(24) अध्याय 38 में,—

(i) टिप्पण 3 के खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) स्टेंसिल शोधक, अन्य शोधक द्रव और शोधन टेप (उनसे भिन्न जो शीर्ष 9612 में हैं) जो फुटकर विक्रय के लिए पैकिंगों में रखे गए हैं; और ";

(ii) टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. शीर्ष 3826 के प्रयोजनों के लिए "बायोडीजल" पद से ऐसी किस्म के वसायुक्त अम्लों के मोनो-एल्काइल ईस्टर जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अभिप्रेत हैं जो पशुओं अथवा वनस्पतियों की वसा और तेलों से व्युत्पन्न होते हैं चाहे वे प्रयुक्त होते हों अथवा नहीं।";

(iii) विद्यमान टिप्पण 7, 8 और 9 को उसके टिप्पण 8, 9 और 10 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा;

(iv) उपशीर्ष टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1. उपशीर्ष 3808 50 के अंतर्गत केवल शीर्ष 3808 के माल हैं, जिनके अंतर्गत एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं : एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.); बाइनापैक्राइल (आई.एस.ओ.); कैम्फेक्लोर (आई.एस.ओ.) टोक्साफेन); कैप्टाफोल (आई.एस.ओ.); क्लोरडेन (आई.एस.ओ.); क्लोरडाइमेफार्म (आई.एस.ओ.); क्लोरोबेन्जिलेट (आई.एस.ओ.); डी.डी.टी. (आई.एस.ओ.); क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन.), 1,1,1-ट्राईक्लोरो-2-2-बिस (पी-क्लोरोफेनाइल) ईथेन; डाइएल्ड्रिन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.), 4,6-डाइनाइट्रो-ओ-क्रेसोल (डी.एन.ओ.सी. (आई.एस.ओ.) या उसके लवण, डाइनोसेब (आई. एस. ओ.)। उसके लवण या उसके एस्टर; एथिलीन डाईब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डाईब्रोमोएथेन); एथिलीन डाईक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डाईक्लोरोएथेन); फ्लूरोएसीटामाइड (आई.एस.ओ.); हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.); 1,2,3,4,5,6- हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन [एच.सी.एच.] (आई.एस.ओ.), लिन्डेन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.) सहित, मर्करी यौगिक; मेथामिडोफेस (आई.एस.ओ.); मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.); आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड); पैराथियन (आई.एस.ओ.); पैराथियनमिथाइल (आई.एस.ओ.); (मिथाइल-पैराथियन); पेंटाक्लोरोफीनोल (आई.एस.ओ.), उसके लवण या उसके एस्टर, फास्फामिडान (आई.एस.ओ.) 2,4,5-टी (आई.एस.ओ.) (2,4,5-ट्राईक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक अम्ल), उसके लवण और उसके एस्टर; ट्राईबुटाइलिटिन यौगिक।

उपशीर्ष 3808 50 के अंतर्गत चूर्णयोग्य पाउडर विनिर्मितियां जिनके अंतर्गत बेनोमाइल (आई.एस.ओ.), कार्बोफुरान (आई.एस.ओ.) और थिराम (आई.एस.ओ.) का मिश्रण भी है।";

(v) टैरिफ मद 3825 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3826 00 00	बायोडीजल और उसके मिश्रण, जिसमें पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से प्राप्त तेल नहीं है या भार से 70% से कम है	कि0ग्रा0	16%";

(25) अध्याय 41 के शीर्ष 4101 में उपशीर्ष 4101 20 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4101 20	-	संपूर्ण खालें और चर्म, चर्म सहित, जब साधारण शुष्कित हों तो 8 कि0ग्रा0, जब शुष्क लवणित हों तो 10 कि0ग्रा0 या जब ताजा, नम लवणित या अन्यथा परिरक्षित हों तो 16 कि0ग्रा0 से अधिक न हो : ";

(26) अध्याय 42 में,—

(i) टिप्पण 1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'1. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "चमड़ा" पद के अंतर्गत अजमृगछाला (अजमृगछाला के समुच्चय सहित), पेटेंट चमड़ा, पेटेंट पटलित चमड़ा और धातुमय चमड़ा।

2. इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है :

(क) निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय विडाल तांत (कैटगट) या वैसी ही निर्जीवाणु सीवन सामग्री (शीर्ष 3006) ;

(ख) परिधान की वस्तुएं या कपड़ों के उपसाधन (दस्तानों, मिटिन और मिट को छोड़कर) जिनमें फरदार चर्म या कृत्रिम फर के अस्तर लगे हैं, अथवा जिनमें बाहर की ओर फरदार चर्म या कृत्रिमफर, जो केवल बाहरी झालर के रूप में ही न हों, संलग्न है (शीर्ष 4303 या 4304) :

(ग) जाली की बनी वस्तुएं (5608) ;

(घ) अध्याय 64 की वस्तुएं ;

(ङ) अध्याय 65 के सिर के पहनावे या उनके भाग ;

(च) शीर्ष 6602 के चाबुक, घोड़े के चाबुक या अन्य वस्तुएं ;

(छ) कफ-लिंक ब्रेसलेट या अन्य नकली आभूषण (शीर्ष 7117) ;

(ज) साज के लिए फिटिंगें या झालरें, जैसे पृथक् रूप से प्रस्तुत की गई रकाब, लगाम, अश्व बास और बकल (साधारणतः अनुभाग 15) ;

(झ) नगाड़ों के लिए डोरी, चर्म या वैसी ही वस्तुएं, या वाद्य यंत्रों के अन्य भाग (शीर्ष 9209) ;

(ट) अध्याय 94 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ फर्नीचर, लैम्प और प्रकाश फिटिंगें);

(1)		(2)	(3)	(4)

(ठ) अध्याय 95 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ खिलौने, खेल, क्रीड़ा के सामान) ; या

(ड) शीर्ष 9606 की बटन, प्रैस-फास्नर, स्नेप-फास्नर, प्रैस स्टड्स, बटन संच या इन वस्तुओं के अन्य भाग, बटन ब्लैंक ।,;

(ii) विद्यमान टिप्पण 2 और टिप्पण 3 को क्रमशः टिप्पण 3 और टिप्पण 4 के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और यथा पुनः अक्षरांकित टिप्पण 3 के खंड (क) में, "टिप्पण 1" शब्द और अंक के स्थान पर, "टिप्पण 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 4202 में,—

(क) उपशीर्ष 4202 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 11	--	चमड़े या संघटन चमड़े के बाहरी पृष्ठ सहित :";		

(ख) उपशीर्ष 4202 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 21	--	चमड़े या संघटन चमड़े के बाहरी पृष्ठ सहित :";		

(ग) उपशीर्ष 4202 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 31	--	चमड़े या संघटन चमड़े के बाहरी पृष्ठ सहित :";		

(घ) टैरिफ मद 4202 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 91 00	--	चमड़े या संघटन चमड़े के बाहरी पृष्ठ सहित	इ0	16% ";

(27) अध्याय 44 में,—

(i) "उपशीर्ष टिप्पण" शब्दों के स्थान पर, "उपशीर्ष टिप्पण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"1. उपशीर्ष 4401 31 के प्रयोजनों के लिए, "काष्ठ गुटिका" पद से उपोत्पाद अभिप्रेत हैं जैसे कि यांत्रिक काष्ठ संक्रिया उद्योग, फर्नीचर बनाने वाले उद्योग या अन्य काष्ठ रूपांतरण क्रियाकलापों के कटर शेविंग, बुरादा अथवा चिप, जिन्हें सीधे या कंप्रेशन द्वारा या भार द्वारा 3% से अनधिक किसी अनुपात में बाइंडर को जोड़कर संपीडित किया गया है । ऐसी गुटिकाएं वर्तुलाकार हैं जिनका व्यास 25 मि.मी. से अधिक नहीं है और लंबाई 100 मि.मी. से अधिक नहीं है ।";

2. टैरिफ मद 4403 41 00, उपशीर्ष 4403 49, टैरिफ मद 4407 21 00 से 4407 28 00, उपशीर्ष 4407 29, 4408 31, 4408 39 और 4412 31 के प्रयोजनों के लिए "ऊष्ण कटिबंध काष्ठ" पद से निम्नलिखित प्रकार की काष्ठ में से एक अभिप्रेत है :

अबूरा, अकाजू, डिअफ्रीक, अफ्रोरमोसिया, अको, आलान, एंडीरोबा, एनिनग्रे, एवोडायर, अजोबे, बालऊ, बल्सा, बोसे क्लेअर, बोसे फोन्स, केटिवो, सेड्रो, डबेमा, डार्क रेड मेरांटी, डिबेटू, डौसी, फ्रीमेजार, फेरीजो, फ्रोमेजार, फ्यूमा, जीरोंगगैंग, इलौम्बा, इंबूइआ, आइप, इरोको, जवोटी, जैलुटांग, जेक्वीटीवा, जांगकांग, कपूर, केम्पास, केरुइंग, कोसिपो, कोटिबे, कोटो, लाइट रेड मरांटी, लिम्बा, लोरो, मकरान्डुबा, महोगनी, मकोरे मॉडिओक्वीरा, मैनसोनिया, मेंगकुलुंग, मेरांटी बकाउ, मेरवान, मरबाऊ, मरपोह, मरसावा, मोआबी, निआनगोन, न्यातोह, ओबेक, ओकौमे, ओजाबिली, और ओबेंगकोल, ओजिगों, पडोक, पलदाऊ, पालिसेन्द्रे डि गुआटेमाला, पालिसेन्द्रे डिपारा, पालिसेन्द्रेरियो, पालिसेन्द्रे डी रोज, पाउ अमारेलो, पाउ मरफीम, पुलाई, पुनाट कुवाराबा, रेमिन, सलेपी, साकी-साकी, सेपेटिर, सिपो, सूकूपीरा, सूरेन, तवारी, सागवान, टिआमा, तोल, विरोला, व्हाइट लाउआन, व्हाइट मेरांटी, व्हाइट सेरेया, यलो मेरांटी ।";

(iii) शीर्ष 4401, टैरिफ मद 4401 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	बुरादा और काष्ठ अपशिष्ट और स्क्रेप चाहे वह लट्ठों, इष्टिकाओं, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में संपीडित है या नहीं :		
4401 31 00	--	काष्ठ गुटिकाएं	मी0ट0	16%
4401 39 00	--	अन्य	मी0ट0	16%";

(28) अध्याय 47, उपशीर्ष 4706 की टैरिफ मद 4706 93 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4706 93 00	-	यांत्रिक और रासायनिक संक्रियाओं के संयोजन द्वारा अभिप्राप्त	कि0ग्रा0	5%";

(29) अध्याय 48 में,—

(i) टिप्पण 2 में,—

(क) खंड (ण) में, अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(त) अध्याय 95 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ खिलौने, खेल, क्रीड़ा के सामान); या

(थ) अध्याय 96 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ बटन, सेनिटरी टावेल (पैड) और टैम्पोन, शिशुओं के लिए नेपकिन (डाइपर) और नेपकिन लाइनर । ";

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 3 और टिप्पण 4 में "अर्ध रासायनिक लुगदीकरण प्रक्रिया से प्राप्त" शब्दों के स्थान पर, "यांत्रिक और रासायनिक संक्रियाओं के किसी संयोजन द्वारा अभिप्राप्त," शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 4808 की टैरिफ मद 4808 20 00 और 4808 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4808 40	-	क्राफ्ट कागज, क्रेपित या व्यांकुचित, चाहे समुद्मृत या छिद्रित है या नहीं :		
4808 40 10	---	सैक क्राफ्ट कागज, क्रेपित या व्यांकुचित, चाहे समुद्मृत या छिद्रित है या नहीं	कि0ग्रा0	16%
4808 40 90	---	अन्य क्राफ्ट कागज, क्रेपित या व्यांकुचित, चाहे समुद्मृत या छिद्रित है या नहीं	कि0ग्रा0	16% ";

(1)		(2)	(3)	(4)

(iv) शीर्ष 4811 में,—

(क) टैरिफ मद 4811 51 00 और 4811 59 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4811 51	--	विरंजित, जिसका भार 150 ग्रा./मीटर से अधिक है :		
4811 51 10	---	असेप्टिक पैकेजिंग कागज	कि0ग्रा0	16%
4811 51 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%
4811 59	--	अन्य :		
4811 59 10	---	असेप्टिक पैकेजिंग कागज	कि0ग्रा0	16%
4811 59 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%";

(ख) टैरिफ मद 4811 90 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(v) शीर्ष 4814 की टैरिफ मद 4814 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) शीर्ष 4818 में,—

(क) स्तंभ 2 में की प्रविष्टि "शिशु नेपकिन, टैम्पून" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 4818 40 की टैरिफ मद 4818 40 10 और 4818 40 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(30) अनुभाग 11 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (प) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(प) अध्याय 96 की वस्तुएं [उदाहरणार्थ ब्रुश, सिलाई के लिए यात्रा सेट, स्लाइड बंधन, टाइपराइटर रिब्बन, सेनेटरी टावल (पैड) और टैम्पून, और शिशुओं के लिए नेपकिन (डाइपर) नेपकिन लाइनर)]; या";

(ii) टिप्पण 7 में,—

(अ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) आकार में काटी हुई तथा कम से कम एक दृश्यमान रूप से टेपर अथवा कम्प्रेस किए हुए बार्डर के साथ ताप द्वारा सीलबंद किनारे सहित हो तथा अन्य किनारे इस टिप्पण के किसी अन्य उपपैरा में वर्णित रूप में उपचारित हों, किंतु फैब्रिक को छोड़कर जिसके कटे किनारे ताप कटिंग द्वारा या अन्य साधारण साधनों द्वारा खुलने से निवारित किए गए हों ;";

(आ) विद्यमान खंड (ग) से खंड (च) को क्रमशः खंड (घ) से खंड (छ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा ;

(31) अध्याय 56 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(क) खंड (घ) में, अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) सेनेटरी टावल (पैड) और टैम्पून, शिशुओं के लिए नेपकिन और नेपकिन लाइनर तथा शीर्ष 9619 की वैसी ही वस्तुएं ।";

(ii) शीर्ष 5601 की, टैरिफ मद 5601 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(32) अध्याय 58 के शीर्ष 5801 में,—

(i) टैरिफ मद 5801 24 00 और 5801 25 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) टैरिफ मद 5801 26 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5801 27	--	तान रोंआ फैब्रिक :		
5801 27 10	---	तान रोंआ फैब्रिक, "इपिंगल" (अकर्तित)	व0मी0	10%
5801 27 20	---	तान रोंआ फैब्रिक, कर्तित	व0मी0	10%
5801 27 90	---	अन्य	व0मी0	10%";

(iii) उपशीर्ष 5801 34 की टैरिफ मद 5801 34 10 से 5801 35 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iv) टैरिफ मद 5801 36 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'5801 37	--	तान रोंआ फैब्रिक :		
	---	तान रोंआ फैब्रिक, "इपिंगल" (अकर्तित) :		
5801 37 11	----	वेलवेट	व0मी0	10%
5801 37 19	----	अन्य	व0मी0	10%
5801 37 20	---	तान रोंआ फैब्रिक, कर्तित	व0मी0	10%
5801 37 90	---	अन्य	व0मी0	10%";

(33) अध्याय 61, टिप्पण 6 के खंड (क) के अंत में आने वाले "इसके अंतर्गत शिशुओं के नेपकिन भी हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(34) अध्याय 62 में,—

(i) टिप्पण 4 के खंड (क) के अंत में आने वाले "इसके अंतर्गत शिशुओं के नेपकिन भी हैं," शब्दों का लोप किया जाएगा;

(1)		(2)	(3)	(4)

(ii) शीर्ष 6211 में,—

(क) टैरिफ मद 6211 41 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 6211 49 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6211 49	--	अन्य टेक्सटाइल सामग्री के :		
6211 49 10	---	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के	इ0	10%
6211 49 90	---	अन्य	इ0	10%";

(35) अध्याय 63, शीर्ष 6306, टैरिफ मद 6306 40 00 से 6306 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6306 40 00	-	वातित गद्दे	इ0	10%
6306 90	--	अन्य :		
6306 90 10	---	सूत के	कि0ग्रा0	10%
6306 90 90	---	अन्य टैक्सटाइल सामग्री के	कि0ग्रा0	10%";

(36) अध्याय 64, शीर्ष 6406, टैरिफ मद 6406 20 00 से 6406 99 00, उपशीर्ष 6406 99, टैरिफ मद 6406 99 10 से 6406 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6406 20 00	-	बाहरी तले और ऐड़ी, जो रबड़ या प्लास्टिक के हैं	कि0ग्रा0	16%
6406 90	--	अन्य :		
6406 90 10	---	काष्ठ के	कि0ग्रा0	16%
6406 90 20	---	चमड़े के भाग, तल्लों और निर्मित तल्लों से भिन्न	कि0ग्रा0	16%
6406 90 30	---	चमड़े के तल्ले	कि0ग्रा0	16%
6406 90 40	---	गेटर, लेगिंग और उसी प्रकार की वस्तुएं	कि0ग्रा0	16%
6406 90 50	---	गेटर, लेगिंग और उसी प्रकार की वस्तुओं के भाग	कि0ग्रा0	16%
6406 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16% ";

(37) अध्याय 65, शीर्ष 6505, टैरिफ मद 6505 10 00 और 6505 90 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6505		**हैट और सिर के अन्य पहनावे, बुने हुए या क्रोशियाकृत या लैस, नमदे या अन्य टैक्सटाइल फैब्रिक से निर्मित, थान में (किंतु पट्टियों में नहीं), चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं; किसी भी सामग्री के केश जाल; चाहे वे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं**		
6505 00	-	हैट और सिर के अन्य पहनावे, बुने हुए या क्रोशियाकृत या लैस, नमदे या अन्य टैक्सटाइल फैब्रिक से निर्मित, थान में (किंतु पट्टियों में नहीं), चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं; किसी भी सामग्री के केश जाल; चाहे वे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं :		
6505 00 10	---	केशजाल	कि0ग्रा0	16%
6505 00 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%";

(38) अध्याय 68, शीर्ष 6811 की, टैरिफ मद 6811 83 00 और टैरिफ मद 6811 89 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"6811 89	--	अन्य वस्तुएं :		
6811 89 10	---	नलिका, पाइप और नलिका या पाइप की फिटिंगें	कि0ग्रा0	16%
6811 89 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%";

(39) अध्याय 73, शीर्ष 7319 की टैरिफ मद 7319 20 00 और टैरिफ मद 7319 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"7319 40	-	सेफ्टी पिन और अन्य पिन :		
7319 40 10	---	सेफ्टी पिन	कि0ग्रा0	16%
7319 40 90	---	अन्य पिन	कि0ग्रा0	16%";

(40) अध्याय 74 में,—

(i) शीर्ष 7404 की टैरिफ मद 7404 00 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"7404 00 23	---	निकल रजत स्क्रैप, अर्थात् निम्नलिखित : आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'मैज' के अंतर्गत आने वाली मिश्रित नई निकल रजत क्लिपिंग्स; आई.एस.आर.आई. कोड खंड 'मेजर' के अंतर्गत आने वाली नई निकल रजत क्लिपिंग्स;	कि0ग्रा0	16%";

(1)		(2)	(3)	(4)
		आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'मलार' के अंतर्गत आने वाली नई पृथक्किकृत निकल रजत क्लिपिंग्स; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'मेलिस' के अंतर्गत आने वाली पुरानी निकल रजत क्लिपिंग्स; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'नैगी' के अंतर्गत आने वाली निकल रजत कास्टिंग; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'नीस' के अंतर्गत आने वाली निकल रजत टर्निंग्स		

(ii) शीर्ष 7418 में,—

(क) शीर्ष 7418 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (2) की प्रविष्टि में "खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और उनके पुर्जे; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं :" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 7418 11 00, उपशीर्ष 7418 19, टैरिफ मद 7418 19 10 से टैरिफ मद 7418 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"7418 10	-	खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और उनके पुर्जे; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं		
7418 10 10	---	पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जक या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं	कि0ग्रा0	16%
	---	बर्तन :		
7418 10 21	----	कांस्य के	कि0ग्रा0	16%
7418 10 22	----	ताम्र के	कि0ग्रा0	16%
7418 10 23	----	अन्य ताम्र मिश्र धातु के	कि0ग्रा0	16%
7418 10 24	----	ई.पी.एन.एस. वेयर	कि0ग्रा0	16%
	---	अन्य :		
7418 10 31	----	ई.पी.एन.एस. के	कि0ग्रा0	16%
7418 10 39	----	अन्य	कि0ग्रा0	16%
7418 10 90	---	पुर्जे	कि0ग्रा0	16%";

(41) अध्याय 75 में, शीर्ष 7503, टैरिफ मद 7503 00 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"7503 00 10	---	निकल स्क्रैप, अर्थात् निम्नलिखित : आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'ओरोमा' के अंतर्गत आने वाला नया निकल स्क्रैप; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'बर्लि' के अंतर्गत आने वाला पुराना निकल स्क्रैप; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डांडी' के अंतर्गत आने वाले नए क्यूप्रो निकल क्लिप और ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डॉन्ट' के अंतर्गत आने वाले क्यूप्रो निकल ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डेल्टा' के अंतर्गत आने वाला सोल्डीकृत क्यूप्रो निकल ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डिकॉय' के अंतर्गत आने वाली क्यूप्रो निकल स्पिनिंग्स, टर्निंग्स, बोरिंग्स ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डेथ' के अंतर्गत आने वाला विविध निकल-ताम्र और निकल ताम्र लोह ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'हिच' के अंतर्गत आने वाला नया आर-मोनेल क्लिपिंग्स ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'हाऊस' के अंतर्गत आने वाला नया मिश्रित मोनेल ठोस और क्लिपिंग्स ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'आईडियल' के अंतर्गत आने वाली पुरानी मोनेल चादर और ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'इंडियन' के अंतर्गत आने वाला के-मोनेल ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'जुन्टो' के अंतर्गत आने वाली सोल्डीकृत मोनेल चादर और ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'लेमन' के अंतर्गत आने वाला मोनेल कास्टिंग्स ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'लेमूर' के अंतर्गत आने वाला मोनेल टर्निंग्स ; पोतों, नावों और अन्य प्लवमान ढांचों को तोड़कर अभिप्राप्त निकल स्क्रैप	कि0ग्रा0	16%";

(42) अध्याय 76 के शीर्ष 7615 में,—

(i) शीर्ष 7615 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और उसके पुर्जे, पात्र, अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) टैरिफ मद 7615 11 00, उपशीर्ष 7615 19, टैरिफ मद 7615 19 10 से टैरिफ मद 7615 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)		(2)	(3)	(4)
"7615 10	-	खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और उनके पुर्जे ; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं :		
	---	प्रेशर कुकर, सौर संग्राही :		
7615 10 11	----	प्रेशर कुकर	कि0ग्रा0	16%
7615 10 12	----	सौर संग्राही	कि0ग्रा0	16%
	---	बर्तन :		
7615 10 21	----	नान स्टिक	कि0ग्रा0	16%
7615 10 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	16%
7615 10 30	---	अन्य खाने-पीने की, रसोई की या गृहस्थी की वस्तुएं	कि0ग्रा0	16%
7615 10 40	---	पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं	कि0ग्रा0	16%
7615 10 90	---	पुर्जे	कि0ग्रा0	16%";

(43) अध्याय 82 में,—

(i) शीर्ष 8201 की टैरिफ मद 8201 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 8205 में,—

(क) टैरिफ मद 8205 59 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

8205 59 40	---	कांटे, शीर्ष 8201 और शीर्ष 8215 में उल्लिखित कांटों से भिन्न	कि0ग्रा0	16%";

(ख) उपशीर्ष 8205 80, टैरिफ मद 8205 80 10 से टैरिफ मद 8205 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"8205 90	--	अन्य, जिसके अंतर्गत इस शीर्ष के दो या अधिक उपशीर्षों की वस्तुओं के सेट भी हैं :		
8205 90 10	---	एनविल और सुबाह्य फोर्ज	कि0ग्रा0	16%
8205 90 20	---	हस्त या पाद चालित शाण चक्र फ्रेम सहित	कि0ग्रा0	16%
8205 90 30	---	इस शीर्ष के दो या अधिक उपशीर्षों की वस्तुओं के सेट	कि0ग्रा0	16%
8205 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%";

(44) अनुभाग 16 में, टिप्पण 1 के खंड (क) में, "(शीर्ष 4010);" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "(शीर्ष 4010)," कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(45) अध्याय 84 में,—

(i) टिप्पण 2 में, "शीर्ष 8424 के अंतर्गत इंक-जेट मुद्रण मशीनें (शीर्ष 8443)" शब्दों अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"शीर्ष 8424 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है :

(क) इंक-जेट मुद्रण मशीनें (शीर्ष 8443) ; या

(ख) वाटर्स-जेट कर्टिंग मशीनें (शीर्ष 8456) ।";

(ii) टिप्पण 9 में, खंड (ग) के उपखंड (ii) में "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष 8425 में, स्तंभ (2) में, टैरिफ मद 8425 19 20 के पश्चात् आने वाले "- अन्य विंचें ; कैप्सटन" शब्दों के स्थान पर, "- विंचें ; कैप्सटन" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 8452 में, उपशीर्ष 8452 40, टैरिफ मद 8452 40 10 और 8452 40 90, उपशीर्ष 8452 90, टैरिफ मद 8452 90 10 टैरिफ मद और 8452 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"8452 90	-	सिलाई मशीन के लिए फर्नीचर, आधार और आच्छद तथा उनके पुर्जे ; सिलाई मशीन के अन्य पुर्जे :		
	---	सिलाई मशीन के लिए फर्नीचर, आधार और आच्छद तथा उनके पुर्जे :		
8452 90 11	----	फर्नीचर, आधार और आच्छद	कि0ग्रा0	5%
8452 90 19	----	सिलाई मशीन के लिए फर्नीचर, आधार और आच्छद पुर्जे	कि0ग्रा0	5%
	---	सिलाई मशीन के अन्य पुर्जे :		
8452 90 91	----	घरेलू किस्म की सिलाई मशीन के	कि0ग्रा0	5%
8452 90 99	----	अन्य	कि0ग्रा0	5%";

(1)		(2)	(3)	(4)

(v) शीर्ष 8456 के स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "या प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर, "या प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया ; वाटर्स-जेट कटिंग मशीनें" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) शीर्ष 8479 में, टैरिफ मद 8479 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"	-	यात्रियों के चढ़ने वाले पुल :		
8479 71 00	--	विमानपत्तनों में प्रयुक्त किसी प्रकार के	इ0	16%
8479 79 00	--	अन्य	इ0	16%";

(46) अध्याय 85 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (घ) में, "पशु चिकित्सा के प्रयोजनों (अध्याय 90)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "पशु चिकित्सा विज्ञान (शीर्ष 9018)" शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 8507 में, टैरिफ मद 8507 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8507 50 00	-	निकल धातु हाइड्राइड	इ0	16%
8507 60 00	-	लीथियम - आयन	इ0	16%";

(iii) शीर्ष 8522 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "शीर्ष 8519 से शीर्ष 8521" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 8519 या शीर्ष 8521" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 8523 में, उपशीर्ष 8523 40, टैरिफ मद 8523 40 10 से 8523 40 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	प्रकाशीय मीडिया :		
8523 41	--	अनभिलेखबद्ध :		
8523 41 10	---	काम्पेक्ट डिस्क (आडियो/वीडियो)	इ0	16%
8523 41 20	---	काम्पेक्ट डिस्क के लिए स्टेम्पर उत्पादन के लिए ब्लैंक मास्टर डिस्क (अर्थात् सबस्ट्रेट)	इ0	16%
8523 41 30	---	अभिलेख के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस ; तैयार अभिलेख ब्लैंक	इ0	16%
8523 41 40	---	कार्ट्रिज टेप	इ0	16%
8523 41 50	---	डिजिटल वी.सी.आर. के साथ कार्य करने के लिए समुचित 1/2" वीडियो कैसेट	इ0	16%
8523 41 60	---	डी.वी.डी.	इ0	16%
8523 41 90	---	अन्य	इ0	16%
8523 49	--	अन्य :		
8523 49 10	---	काम्पेक्ट डिस्क (आडियो)	इ0	16%
8523 49 20	---	काम्पेक्ट डिस्क (वीडियो)	इ0	16%
8523 49 30	---	सी.डी. आडियो, सी.डी. वीडियो और सी.डी.-रोम के लिए स्टेम्पर	इ0	16%
8523 49 40	---	डी.वी.डी.	इ0	16%
8523 49 50	---	अभिलेख के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस ; तैयार अभिलेख ब्लैंक	इ0	16%
8523 49 60	---	कार्ट्रिज टेप	इ0	16%
8523 49 70	---	डिजिटल वी.सी.आर. के साथ कार्य करने के लिए समुचित 1/2" वीडियो कैसेट	इ0	16%
8523 49 90	---	अन्य	इ0	16%";

(v) शीर्ष 8528 के उपशीर्ष 8528 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8528 73	---	अन्य, एकवर्ण :";		

(vi) शीर्ष 8540 में,—

(क) टैरिफ मद 8540 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8540 12 00	--	एकवर्ण	इ0	16%";

(ख) टैरिफ मद 8540 40 00 और टैरिफ मद 8540 50 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8540 40	-	डाटा या आलेखी प्रदर्शन ट्यूबें, एकवर्ण ; डाटा या आलेखी प्रदर्शन ट्यूबें, रंगीन, 0.4 मि0मी0 से छोटा फास्फर डाट पर्दा पिच :		
8540 40 10	---	डाटा या आलेखी प्रदर्शन ट्यूबें, एक वर्ण	इ0	16%
8540 40 20	---	डाटा या आलेखी प्रदर्शन ट्यूबें, रंगीन, 0.4 मि0मी0 से छोटा फास्फर डाट पर्दा पिच	इ0	16%";

(1)		(2)	(3)	(4)

(ग) टैरिफ मद 8540 72 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(47) अध्याय 87 में, टैरिफ मद 8714 11 00 और 8714 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8714 10	-	मोटरसाइकिलों (जिसके अंतर्गत मोपेड भी है) का :		
8714 10 10	---	वैद्युत	कि०ग्रा०	16%
8714 10 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	16%";

(48) अध्याय 90 में,—

(i) शीर्ष 9007 में, टैरिफ मद 9007 11 00 और टैरिफ मद 9007 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"9007 10	-	कैमरा :		
9007 10 10	---	16 मिली मीटर से कम चौड़ाई की फिल्म के लिए या 8 मिली मीटर की फिल्म के लिए	इ0	16%
9007 10 90	---	अन्य	इ0	16% ";

(ii) शीर्ष 9008 में, टैरिफ मद 9008 10 00 से टैरिफ मद 9008 40 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"9008 50	-	प्रक्षेपित्र, विवर्धित और अपचायित्र :		
9008 50 10	---	स्लाइड प्रक्षेपित्र	इ0	16%
9008 50 20	---	माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश या अन्य माइक्रोफोर्म रीडर्स, चाहे प्रतिलिपि उत्पादन के योग्य है या नहीं	इ0	16%
9008 50 30	---	अन्य प्रतिबिंब प्रक्षेपित्र	इ0	16%
9008 50 40	---	फोटोचित्र (चलचित्रण से भिन्न) विवर्धित और अपचायित्र	इ0	16%";

(49) अध्याय 91 में,—

(i) शीर्ष 9109 में,—

(क) शीर्ष 9109 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "- विद्युत प्रचालित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 9109 11 00 और टैरिफ मद 9109 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"9109 10	-	विद्युत प्रचालित :		
9109 10 10	---	अलार्म घड़ियों के	इ0	16%
9109 10 90	---	अन्य	इ0	16%";

(ii) शीर्ष 9114 में,—

(क) टैरिफ मद 9114 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 9114 90, टैरिफ मद 9114 90 10 और टैरिफ मद 9114 90 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9114 90	-	अन्य :		
9114 90 30	---	ज्वेल	कि०ग्रा०	16%
9114 90 90	---	अन्य :		
9114 90 91	----	घड़ियों के लिए	कि०ग्रा०	16%
9114 90 92	----	दीवाल घड़ियों के लिए	कि०ग्रा०	16%";

(50) अध्याय 92 में, शीर्ष 9205 में, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सुषिर वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ कुंजी पटल पाइप आर्गन, अकार्डियन, क्लेरिनेट, तुरही, मशकबीन) फेयर ग्राउंड आर्गन और यांत्रिक स्ट्रीट आर्गन से भिन्न";

(51) अध्याय 93 में,—

(i) शीर्ष 9301 में,—

(क) शीर्ष 9301 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "- तोपखाना शस्त्र (उदाहरणार्थ तोप, हाउइटजर और मोर्टार) :" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 9301 11 00 से टैरिफ मद 9301 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)		(2)	(3)	(4)
"9301 10	-	तोपखाना शस्त्र (उदाहरणार्थ तोप, हाउइटजर और मोर्टार) :		
9301 10 10	---	स्वतः नोदित	इ0	5%
9301 10 90	---	अन्य	इ0	5%";

(ii) शीर्ष 9305 में, टैरिफ मद 9305 10 00 से टैरिफ मद 9305 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"9305 10 00	-	रिवाल्वरों या पिस्तौलों के	कि0ग्रा0	16%
9305 20	-	शीर्ष 9303 के शाटगन और रायफलों के :		
9305 20 10	---	शाटगन बैरल	कि0ग्रा0	16%
9305 20 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%";

(52) अध्याय 94 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (छ) में, "शीर्ष 8519 से शीर्ष 8521" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 8519 या शीर्ष 8521" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 2 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) अल्मारी, बुककेस, अन्य खानेदार फर्नीचर (जिसके अंतर्गत दीवार पर उन्हें लगाने वाले सहायकों के साथ एकल शैल्फ भी है) और यूनिट फर्नीचर ;";

(53) अध्याय 95 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ड) में, "या रेडियो सुदूर नियंत्रण साधित्र (शीर्ष 8526);" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

',ध्वनि अभिलेखन या अन्य परिघटनाओं के लिए चाहे अभिलिखित किया गया हो या नहीं, डिस्क, टेप, ठोस अवस्था अचल भंडारण युक्तियां "स्मार्ट कार्ड" और अन्य मीडिया (शीर्ष 8523), रेडियो सुदूर नियंत्रण साधित्र (शीर्ष 8526) या बेतार इंफ्रारेड सुदूर नियंत्रण युक्ति (शीर्ष 8543) ;';

(ii) टिप्पण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**उपशीर्ष टिप्पण** :

उपशीर्ष 9504 50 के अंतर्गत निम्नलिखित आता है :

(क) वीडियो गेम कनसोल, जिससे टेलीविजन रिसीवर, मानिटर या अन्य बाह्य स्क्रीन या सतह पर आकृति की पुनरुत्पत्ति की जाती है ; या

(ख) स्वतः अंतर्विष्ट वीडियो स्क्रीन वाली वीडियो गेम मशीन, चाहे सुवाह्य हो या नहीं ।

इस उपशीर्ष में सिक्कों, बैंक नोट, बैंक कार्ड, टोकन या संदाय के किसी अन्य साधन द्वारा प्रचालित वीडियो गेम कनसोल या मशीनें नहीं आती है (उपशीर्ष 9504 30) ।";

(iii) शीर्ष 9504 में,—

(क) स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "मनोरंजन की वस्तुएं" शब्दों के स्थान पर, "वीडियो गेम कनसोल और मशीनें, मनोरंजन की वस्तुएं," शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 9504 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 9504 30, टैरिफ मद 9504 30 10 से टैरिफ मद 9504 30 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9504 30 00	-	सिक्कों, बैंक नोट, बैंक कार्ड, टोकन द्वारा या संदाय के किसी अन्य साधन द्वारा प्रचालित अन्य खेल, अन्य आटोमेटिक बालिंग अलाय उपकरण	इ0	16%";

(घ) टैरिफ मद 9504 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9504 50 00	-	वीडियो गेम कनसोल और मशीनें, जो उपशीर्ष 9504 30 से भिन्न है	इ0	16%";

(ङ) टैरिफ मद 9504 90 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9504 90 20	---	कैरम बोर्ड, सिक्के या स्ट्राइकर के साथ या उसके बिना	इ0	16%";

(54) अध्याय 96 में,—

(i) शीर्ष 9608 में,—

(क) टैरिफ मद 9608 10 10 और टैरिफ मद 9608 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	---	द्रव स्याही सहित (रोलिंग बाल पेन के लिए) :		
9608 10 11	----	उच्च स्तर के बाल पाइंट पेन	इ0	16%
9608 10 12	----	बहुमूल्य धातु या वेल्लित बहुमूल्य धातु की बाड़ी या कैप के साथ बाल पाइंट पेन	इ0	16%
9608 10 19	----	अन्य	इ0	16%

156(43)

(1)		(2)	(3)	(4)
	—	अन्य :		
9608 10 91	----	उच्च स्तर के बाल पाइंट पेन	इ0	16%
9608 10 92	----	बहुमूल्य धातु या बेल्लित बहुमूल्य धातु की बाडी या कैप के साथ बाल पाइंट पेन	इ0	16%
9608 10 99	----	अन्य	इ0	16%";

(ख) टैरिफ मद 9608 20 00, उपशीर्ष 9608 31, टैरिफ मद 9608 31 10 और टैरिफ मद 9608 31 90, उपशीर्ष 9608 39, टैरिफ मद 9608 39 10 से टैरिफ मद 9608 39 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9608 20 00	-	फैल्ट अग्र और अन्य संरघ्रांग्र पेन और चिह्नक	इ0	16%
9608 30	-	फाउंटेन पेन, स्टाइलो-लेखन पेन और अन्य पेन :		
	---	फाउंटेन पेन :		
"9608 30 11	----	उच्च स्तर के फाउंटेन पेन	इ0	16%
9608 30 12	----	बहुमूल्य धातु या बेल्लित बहुमूल्य धातु की बाडी या कैप के साथ	इ0	16%
9608 30 19	----	अन्य	इ0	16%
	---	स्टाइलो-लेखन पेन :		
9608 30 21	----	उच्च स्तर के पेन	इ0	16%
9608 30 22	----	बहुमूल्य धातु या बेल्लित बहुमूल्य धातु की बाडी या कैप के साथ	इ0	16%
9608 30 29	----	अन्य	इ0	16%
	----	अन्य :		
9608 30 91	----	उच्च स्तर के पेन	इ0	16%
9608 30 92	----	बहुमूल्य धातु या बेल्लित बहुमूल्य धातु की बाडी या कैप के साथ	इ0	16%
9608 30 99	----	अन्य	इ0	16%";

(ii) टैरिफ मद 9618 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टिया अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"9619		**सैनेटरी टावल (पैड) और टैम्पन, शिशुओं के लिए नैपकिन और नैपकिन लाइनर और किसी अन्य प्रकार की सामग्री की अन्य वस्तुएं**		
9619 00	-	सैनेटरी टावल (पैड) और टैम्पन, शिशुओं के लिए नैपकिन और नैपकिन लाइनर और किसी अन्य प्रकार की सामग्री की अन्य वस्तुएं :		
9619 00 10	---	सैनेटरी टावल (पैड) या सैनेटरी नैपकिन	इ0	5%
9619 00 20	---	टैम्पन	इ0	5%
9619 00 30	---	शिशुओं के लिए नैपकिन और नैपकिन लाइनर	इ0	5%
9619 00 40	---	क्लीनिकल डाइपर	इ0	5%
9619 00 90	---	अन्य	इ0	5%";

बारहवीं अनुसूची

[धारा 73(ख) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(क) क्र0 सं0 100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 27 फरवरी, 2010 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

क्र0 सं0	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
"100	कोई अध्याय	शीर्ष 8712, 8713, 8715 और 8716 के अधीन आने वाले यानों को छोड़कर, अध्याय 87 के अधीन आने वाले यानों के पुर्जे, घटक और समंजक (जिसके अंतर्गत इंजनों में फिट की गई चेसिस भी है)";

(ख) क्र0 सं0 100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी और 29 अप्रैल, 2010 से जोड़ी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"100क	कोई अध्याय	टैरिफ मद 8426 41 00, शीर्ष 8427, 8429 और उपशीर्ष 8430 10 के अधीन आने वाले माल के पुर्जे, संघटक और समंजक" ।

तेरहवीं अनुसूची

(धारा 78 देखिए)

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में,—

(क) शीर्ष 1701 और सभी उपशीर्षों तथा उसकी टैरिफ मदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 1702 90 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) शीर्ष 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5212, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5801, 5802, 5803, 5804, 5806, 5810, 5901, 5902, 5903, 5907, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 तथा 6006 और सभी उपशीर्षों तथा उसकी टैरिफ मदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 10)

[27 अगस्त, 2011]

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम।

2. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 28 की उपधारा (1) में,— 2008 के अधिनियम 19 की धारा 28 का संशोधन।

(क) "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं "साढ़े तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परन्तुक में "परन्तु" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने की तारीख को, यथास्थिति, अपने विकल्प का प्रयोग किया है या नहीं किया है और संस्थान से स्थानांतरित नहीं हुए हैं, विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नए सिरे से अपने विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे:

परन्तु यह और कि"।

सीमाशुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 14)

[16 सितम्बर, 2011]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम।

2. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 की उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1962 के अधिनियम 52 की धारा 28 का संशोधन।

''(11) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, 6 जुलाई, 2011 के पूर्व धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सीमाशुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त सभी व्यक्तियों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हें धारा 17 के अधीन निर्धारण की शक्ति प्राप्त है और सदैव प्राप्त थी और इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे समुचित अधिकारी हैं और सदैव रहे थे।''।

उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 15)

[23 सितम्बर, 2011]

उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के लिए धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन नियत की गई तारीख अभिप्रेत है;

(ख) "समुचित सरकार" से, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित किसी विषय से संबंधित किसी विधि की बाबत, केन्द्रीय सरकार और किसी अन्य विधि की बाबत, राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(ग) "विधि" के अन्तर्गत संपूर्ण उड़ीसा राज्य या उसके किसी भाग में विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत भी है।

उड़ीसा राज्य का नाम-परिवर्तन।

3. नियत दिन से ही उड़ीसा राज्य, ओडिशा राज्य के नाम से ज्ञात होगा।

अनुच्छेद 164 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड (1) के परन्तुक में "उड़ीसा" शब्द के स्थान पर "ओडिशा" शब्द रखा जाएगा।

अनुच्छेद 273 का संशोधन।

5. संविधान के अनुच्छेद 273 के खंड (1) में "उड़ीसा" शब्द के स्थान पर "ओडिशा" शब्द रखा जाएगा।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।

6. संविधान की पहली अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 10 के स्तंभ "नाम" के अधीन "उड़ीसा" शब्द के स्थान पर "ओडिशा" शब्द रखा जाएगा।

संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन।

7. संविधान की चौथी अनुसूची में, "सारणी" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 14 के दूसरे स्तंभ में, "उड़ीसा" शब्द के स्थान पर "ओडिशा" शब्द रखा जाएगा।

विधियों के अनुकूलन की शक्ति।

8. (1) धारा 3 द्वारा उड़ीसा राज्य के नाम-परिवर्तन को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार, नियत दिन से एक वर्ष के अवसान से पूर्व, आदेश द्वारा, नियत दिन से पूर्व बनाई गई किसी विधि में, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगी, जो आवश्यक या समीचीन हों और तदुपरान्त प्रत्येक ऐसी विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को, उक्त उपधारा के अधीन समुचित सरकार द्वारा अनुकूलित या उपांतरित की गई किसी विधि को निरसित या संशोधित करने से, निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति।

9. इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन से पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 8 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षित या सशक्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण, विधि का, सार को प्रभावित किए बिना, ऐसी रीति में, जो न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष विषय की बाबत आवश्यक या समुचित हो, अर्थ लगा सकेगा।

विधिक कार्यवाहियां।

10. जहां, नियत दिन से ठीक पूर्व ऐसी कोई विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं, जिनमें उड़ीसा राज्य एक पक्षकार है, वहां उन कार्यवाहियों में उड़ीसा राज्य के स्थान पर ओडिशा राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2 अनुभाग 1क, खण्ड XLVII संख्यांक 1, तारीख 17 फरवरी, 2011 को प्रकाशित राजपत्र का शुद्धिपत्र:—

पृष्ठ सं॰	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
18	14(5)	2	कोई	कोई
28	3(2)(घ)	1	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम,' 1973 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय होम्योपैथी
66	2	1	2.(1) इस	2. इस
68	2(त)	3	रेडियो सोटोपस	रेडियो आइसोटोप्स
69	4(4)(ग)	1	पारेषक और वाहक	परेषक और वाहक
70	5(1)(ii)	1	विपल्व	विप्लव

1156

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2 अनुभाग 1क, खण्ड XLVII संख्यांक 2, तारीख 22 मार्च, 2011 को प्रकाशित राजपत्र का शुद्धिपत्र:—

पृष्ठ सं०	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
92	10क.(3)	5	शेयरों	अंशों (शेयरों)
95	21ख.	2	निर्देश	निदेश
107	बृहत् नाम	2	संचालन	संचलन
125	10.(2)	1	झारखंड पंचायती	झारखंड पंचायत
142	21.	1	आश्रितों	आश्रित
144	29.(1)(क)	2	अध्येतावृतियों	अध्येतावृत्तियों
144	29.(1)(ग)	1	परिनियमों द्वारा	परिनियमों द्वारा या
146	42.(1)	2	राजपत्र	राजपत्र में
149	बृहत् नाम	1	संहिता अधिनियम, 1973	संहिता, 1973

विनोद कुमार भसीन,
सचिव, भारत सरकार।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.